

दिनांक 22 JUL 2015 को
विधानसभा में प्रस्तुत की गई।

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष

मध्य प्रदेश सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-3

विषय सूची		
पृष्ठ क्रमांक	क्रमांक	
vii		प्राक्कथन
ix		विहंगावलोकन
		पहला अध्याय
		प्रस्तावना
1	1.1	बजट रूपरेखा
1	1.2	राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग
1	1.3	सतत बचत
2	1.4	राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतर्गत निधियाँ
2	1.5	भारत सरकार से सहायतानुदान
2	1.6	लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन
3	1.7	निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की उत्तरदायित्वता का अभाव
4	1.8	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रश्नों पर सरकार की प्रतिक्रिया
4	1.9	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आगे की कार्रवाई
4	1.10	राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति
		दूसरा अध्याय
		निष्पादन लेखापरीक्षा
		राज्यीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
7	2.1	मध्य प्रदेश प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की कार्य प्रणाली
		खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
28	2.2	मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली
		पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
45	2.3	समय स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान का कार्यान्वयन
		महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिम जाति विकास विभाग और अनुसूचित जाति विकास विभाग
61	2.4	बालिकाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन
		लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
78	2.5	आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं का कार्यान्वयन

विषय सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
स्कूल शिक्षा विभाग		
शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत जनजातीय उपयोजना का कार्यान्वयन	2.6	88
तीसरा अध्याय		
लेनदेन लेखापरीक्षा		
नियमों, आदेशों, प्रक्रियाओं इत्यादि का अनुपालन न किया जाना	3.1	
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
अमानक औषधियों की अधिप्राप्ति एवं वितरण	3.1.1	97
औषधियों की आपूर्ति न किए जाने पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जाना	3.1.2	99
मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण करना एवं पट्टा विलेखों का पंजीकरण न कराना	3.1.3	100
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मरीजों के उपचार के लिए सहायता का अनियमित भुगतान	3.1.4	101
महिला एवं बाल विकास विभाग		
परिवहन प्रभार का अनियमित भुगतान	3.1.5	102
असावधानी/प्रशासनिक नियंत्रण में विफलता		
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग		
आवासीय परियोजनाओं पर अतिरिक्त व्यय	3.2.1	103
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
विद्युत प्रभार पर परिहार्य व्यय	3.2.2	104
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
राज्य बोर्ड को कर्मकार कल्याण उपकर का प्रेषण नहीं किया जाना	3.2.3	106
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
रोगी कल्याण समिति द्वारा शासकीय भूमि का अनाधिकृत उपयोग एवं प्राप्तियों का त्रुटिपूर्ण प्रतिधारण	3.2.4	107
ट्रामा केयर केन्द्रों (टी.सी.सी.) का संचालन	3.2.5	108
अकार्यशील प्रशिक्षण केन्द्रों के स्टाफ को वेतन एवं भत्तों का भुगतान	3.2.6	110

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	30 सितम्बर 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की वर्षवार स्थिति	113
1.2	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र में सम्मिलित कंडिकाओं पर प्राप्त विभागीय उत्तरों की स्थिति	114
2.1	उद्योगों के श्रेणी-वार वर्गीकरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	115
2.2	नमूना जांच किये गये क्षेत्रीय कार्यालयों के अर्न्तगत म.प्र.प्र.नि.बो. की वैध सहमति के बिना कार्य कर रहे स्थानीय निकायों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	116
2.3	2009-10 से 2013-14 के दौरान नगर निगमों द्वारा स्वीकृत बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और सहमति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	117
2.4	2011-12 की तुलना में 2012-13 में नदी जल गुणवत्ता में अवनति और सुधार के विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	119
2.5	चयनित आर.ओ. के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत उत्सर्जित एवं उपचारित घरेलू बहिःस्त्राव की स्थिति	120
2.6	एन.ए.एम.पी. स्टेशनों पर निर्धारित मानदण्डों से अधिक मापे गये प्रचालक आर.एस.पी.एम. (PM ₁₀) के वार्षिक औसत की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	121
2.7	निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि और किए गए परीक्षणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	122
2.8	सीमेंट संयंत्रों में परीवीक्षित प्रचालकों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक	124
2.9	म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा दिये गये प्राधिकार, प्राधिकार के लिये आवेदित एच.सी.ई. और एच.सी.ई. की कुल संख्या की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	126
2.10	नमूना जांच किये गये आर.ओ. में मार्च 2014 की स्थिति में प्राधिकार नवीनीकरण के बिना कार्यरत एच.सी.ई. और एच.सी.ई. की कुल संख्या को दर्शाने का विवरण पत्रक	126
2.11	2009-14 के दौरान राज्य के स्थानीय निकायों द्वारा अनुपालित अनुपालनीय मापदण्डों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	127
2.12	31 मार्च 2014 की स्थिति में एम.पी.पी.सी.बी. की स्वीकृत संख्या और कार्यरत व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	128
2.13	वर्षवार एवं घटकवार बजट प्रावधान और व्यय विवरण दर्शाने वाला पत्रक	129
2.14	पी.डी.एस. वस्तुओं के वितरण का प्रवाह रेखाचित्र	132
2.15	ए.पी.एल., बी.पी.एल., ए.ए.वाई. और एन.एफ.एस.ए. हितग्राहियों के लिये खाद्यान्नों के आवंटन एवं वितरण दर्शाने वाला पत्रक	133
2.16	लीड समितियों को कम दरों पर तदर्थ गेहूँ के विक्रय का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	134

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.17	उचित मूल्य की दुकानों पर अवितरित रही पी.डी.एस. वस्तुओं का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	135
2.18	नमूना जांच किये गये जिलों में उचित मूल्य की दुकानों की कमी का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	136
2.19	लीड और लिंक समितियों की कार्यप्रणाली में कमियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	137
2.20	उचित मूल्य की दुकानों के कार्यकलाप की कमियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	138
2.21	उचित मूल्य की दुकानों में पी.डी.एस. वस्तुओं के दुरुपयोग का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	139
2.22	विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समिति (वी.सी.) के गठन एवं उनकी बैठकों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	141
2.23	जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों का समावेशन दर्शाने वाला विवरण पत्रक	142
2.24	एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा राज्यांश जारी करने में विलंब दर्शाने वाला विवरण पत्रक	143
2.25	जनपद पंचायतों में अप्रयुक्त पड़ी राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	144
2.26	जनपद पंचायत स्तर पर टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधियों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन न किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	145
2.27	ग्रामीण स्वच्छता बाजारों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक	146
2.28	परियोजना कार्यान्वयन योजना बनाने तथा पुनरीक्षण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	147
2.29	डी.डब्ल्यू.एस.एम. की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	148
2.30	लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी दर्शाने वाला विवरण पत्रक	149
2.31	किशोरी शक्ति योजना एवं सबला के अंतर्गत सम्मिलित किये गये परियोजना कार्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची	150
2.32	सबला के अंतर्गत परियोजना कार्यालयों द्वारा उपयोग की गई राशि को दर्शाने वाला पत्रक	152
2.33	सहायक आयुक्त, आदिम जाति विभाग/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्राचार्यों द्वारा अव्ययित राशि को वापस न करना दर्शाने वाला विवरण पत्रक	153
2.34	आवेदन-पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना लाभ दिए जाने वाले प्रकरणों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	154
2.35	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के विलंब से वितरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	155
2.36	छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के नगद भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	156

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.37	जिला असंचारी रोग क्लीनिक में जांच सुविधा की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण पत्रक	158
2.38	सी एच सी असंचारी रोग क्लीनिक में जांच सुविधा की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण पत्रक	158
2.39	जिला असंचारी रोग क्लीनिक में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण पत्रक	158
2.40	प्रशिक्षित पेशेवर की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक	159
2.41	जिला, सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. स्तर पर सुविधाओं की स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक	159
2.42	आवश्यक एवं उपलब्ध स्टॉफ की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	160
2.43	चयनित जिला ब्लाक एवं स्कूल को दर्शाये जाने वाला पत्रक	161
2.44	एसएसए, एनपीएमडीएम एवं आरएमएसए के बजट आवंटन और व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	162
2.45	एनपीएमडीएम के अन्तर्गत ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. के प्रस्तुतिकरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	163
2.46	नामांकित एवं शालात्यागी विद्यार्थियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक (विद्यालय स्तर पर)	164
2.47	अधोसंरचना की अनुपलब्धता को दर्शाने वाला पत्रक	165
2.48	एम.डी.एम. ग्रहण करने वालों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	166
3.1	लेखापरीक्षा में सम्मिलित मु.वि. एवं स्वा.अ. सिविल सर्जन एवं अस्पताल अधीक्षकों की सूची और दवाओं का मूल्य	167
3.2 (अ)	नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नमूना परीक्षण में अमानक पायी गई दवाओं का विवरण	168
3.2 (ब)	नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नमूना परीक्षण में अमानक पायी गई दवाओं का संचालक स्वास्थ्य सेवाओं से प्राप्त किया गया विवरण	171
3.3	नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अमानक पायी गई स्थानीय रूप से कय की गई दवाओं का विवरण	180
3.4	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औषधियों/सामग्री की आपूर्ति न किये जाने पर शास्त्रि का आरोपण नहीं किये जाने का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	182
3.5	मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण और पंजीयन शुल्क का आरोपण न किये जाने का विवरण	184
3.6	राज्य बीमारी सहायता निधि 1997 के अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों को स्वीकृत राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	185
3.7	अतिरिक्त मांग प्रभार एवं कम विद्युत कारक शास्त्रि का परिहार्य भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक	186
3.8	गारंटित न्यूनतम खपत का परिहार्य भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक	187


परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
3.9	नमूना जांच किये गये टी.सी.सी. में अस्वीकार्य व्यय के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	188
3.10	स्तर-II टी.सी.सी. के लिये निर्धारित आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की सूची को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	189
3.11	अकार्य स्थिति में होना सूचित किये गये उपकरणों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	190
3.12	मार्च 2014 की स्थिति में निर्धारित/स्वीकृत तथा कार्यरत मानव-शक्ति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	191

यह प्रतिवेदन मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य एवं सामाजिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्रों के विभागों जिनमें नगरीय विकास एवं पर्यावरण, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा शिक्षा सम्मिलित है, की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है। तथापि आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभागों को छोड़ दिया गया है तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाहित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2013-14 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने के दौरान जानकारी में आये तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु उन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया गया था। वर्ष 2013-14 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।



विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, सामान्य एवं सामाजिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र, मध्य प्रदेश सरकार 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष में, चयनित कार्यक्रमों और विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों तथा सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी निकायों, समितियों आदि की वित्तीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा से संबंधित छः समीक्षाएं/वृहत कंडिकाएं तथा 11 कंडिकाएं सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार नीचे दिया गया है।

1. निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु संचालित की जाती है कि क्या शासकीय कार्यक्रमों/योजनाओं/विभागों द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों को न्यूनतम लागत द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और उनका प्रायोजित लाभ दिया गया है।

1.1 मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली

जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण हेतु क्रमशः जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 संसद द्वारा अधिनियमित किये गये। अपशिष्टों अर्थात् जैव चिकित्सा अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट और नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को विनियमित करने के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अर्न्तगत संबंधित नियम तैयार किये गये थे। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (म.प्र.प्र.नि.बो.) 1974 में गठित हुआ था, जो कि राज्य में पर्यावरणीय अधिनियमों एवं नियमों के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है। हमने 2009-14 के दौरान म.प्र.प्र.नि.बो. की कार्यप्रणाली में कमियां पायीं।

- 2012-17 के लिये पंचवर्षीय योजना बनाते समय, म.प्र.प्र.नि.बो. ने अधीनस्थ इकाईयों से आदानों को प्राप्त नहीं किया। इसके अतिरिक्त, प्रदूषणकारी उद्योगों, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों, नदियों इत्यादि की पहचान और उनके प्रदूषण के स्तर के मूल्यांकन के लिये कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.1.7)

- उद्योगों और स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों को सहमति/प्राधिकार देने में उल्लेखनीय देरी हुई थी। नमूना जांच किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों के अर्न्तगत या तो सहमति प्राप्त किये बिना या सहमति के नवीनीकरण के बिना 2190 उद्योग, 280 स्थानीय निकाय और 28 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स कार्य कर रहे थे। 625 उद्योगों में से 76 उद्योग परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के अर्न्तगत प्राधिकार के नवीनीकरण के बिना कार्य कर रहे थे। यह पर्यावरण को प्रतिकूलतः प्रभावित कर सकते हैं।

(कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.3, 2.1.8.5, 2.1.11.1 तथा 2.1.11.6)

- उद्योगों से अपशिष्ट जल नमूनों के संग्रहण और परीक्षण के लिये म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा निर्धारित मानदण्डों की तुलना में, लक्ष्यों के निर्धारण में 23 से 55 प्रतिशत तक की कमी थी। 32 जिलों में, घरेलू बहिःस्त्राव/जलमल के उपचार के लिये कोई जलमल उपचार संयंत्र नहीं था। 19 अनुवीक्षण स्थानों पर नदी जल गुणवत्ता अवनत हुई थी और आठ अनुवीक्षण स्थानों पर सुधार हुआ था।

(कंडिका 2.1.9.2 से 2.1.9.4)

(कड़िका 2.2.8.1 और 2.2.8.2)

- विमान ने 2009-14 की अवधि में 12.44 लाख एम.टी. गहूँ एवं 1.61 लाख एम.टी. घावल वितरण नहीं किया। 6.84 लाख एम.टी. ए.पी.एल. कोटा गहूँ बी.पी.एल. काड्डारियाँ के लिये व्यपवर्तन किये जाने से अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

(कड़िका 2.2.7.1 से 2.2.7.3)

- जायी की गहूँ बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाइ. राशनकार्ड की संख्या उनके परिवारों की संख्या से अधिक थी जो बागस कार्डों का प्रचलित होना दर्शाता है। बागस ने बागस राशनकार्डों की पहचान एवं उन्मूलन के लिये पहल की थी। लेकिन विमान ने बी.पी.एल. सर्वे सूची में दर्शित बी.पी.एल. परिवारों का बी.पी.एल./ए.ए.वाइ. राशनकार्डों से मिलान नहीं किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण समय सीमा में नहीं हुआ था।

(कड़िका 2.2.6.1)

- अवधि 2013-14 के दौरान निधियों के उपयोग में महत्वपूर्ण कमी थी जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियाकलाप जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में उचित मूल्य की टुकनों एवं लीड समितियों को हूँ हूँ हानि की प्रतिपूर्ति, गाँदमों के निर्माण एवं आयोजितनयुक्त नमक का वितरण प्रभावित हुआ।
- अवधि 2013-14 के दौरान निधियों के उपयोग में महत्वपूर्ण कमी थी जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियाकलाप जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में उचित मूल्य की टुकनों एवं लीड समितियों को हूँ हूँ हानि की प्रतिपूर्ति, गाँदमों के निर्माण एवं आयोजितनयुक्त नमक का वितरण प्रभावित हुआ।

अवधि 2009-14 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न सिल्वेजी पर ₹ 2,055 करोड़ व्यय हुआ था। अवधि 2009-14 के दौरान "सार्वजनिक वितरण प्रणाली" के क्रियान्वयन पर एक समीक्षा में निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए:

अवधि 2009-14 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न सिल्वेजी पर क्रियान्वयन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया गया। से खाद्यान्न वितरण के लिये जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सरकार (जी.ओ.आई.) के साथ निहित है, राज्य सरकार राज्य में पी.डी.एस. के माध्यम (एस.) एक प्रमुख साधन है। यद्यपि देश में खाद्यान्न के प्रबंधन की समय जिम्मेदारी भारत साथ ही गरीबों के लिये खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी. कम कीमत पर जनता के लिये खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये और

1.2 मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली**(कड़िका 2.1.12 तथा 2.1.11.3)**

- म.प्र.नि.बो. द्वारा उद्योगों और स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2011 में गठित बी.एम.डब्ल्यू पर शीर्ष समिति की 2011 में एक बैठक को छोड़कर कमी बैठक नहीं हुई। इस प्रकार, प्रदूषण के उपशमन का अर्जुनीकरण पर्याप्त नहीं था।

(कड़िका 2.1.10.5)

- सीमेंट संयंत्र अधिक प्रदूषकों का उत्सर्जन कर रहे थे और इस प्रकार वायु प्रदूषण कर रहे थे।

(कड़िका 2.1.10.1)

- वायु प्रदूषण का अर्जुनीकरण अपर्याप्त था। चौदह परिवेशीय वायु गुणवत्ता अर्जुनीकरण स्टेशन कायात्मक नहीं थे। कायात्मक स्टेशनों में, नमूनों के परीक्षण में कमी 34 से 95 प्रतिशत के बीच थी।

(कड़िका 2.3.8.1)

- योजना के विभिन्न घटकों हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की गई थी। वैयाक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण में लक्ष्यों की पूर्ति में कमी 11 से 69 प्रतिशत तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण में लक्ष्यों में 66 से 90 प्रतिशत की कमी रही।

(कड़िका 2.3.8.3)

- संवर्दीकरण तथा खूले में शौच से मुक्त बनाने हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों की संवर्दीकरण तथा खूले में शौच से मुक्त बनाने हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों का संवर्दीकरण किया जा सका। मात्र 13 प्रतिशत ग्राम पंचायतों का संवर्दीकरण किया जा सका।

(कड़िका 2.3.6.2 तथा 2.3.6.3)

- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) को योजना निधि का राज्यांश जारी करने में 81 दिन तक का अत्यधिक विलम्ब हुआ। टी.एस.सी. की निधि जनपद पंचायतों के बैंक खातों में अपर्युक्त पड़ी रही तथा एन.बी.ए. की निधि में अंतर्गत नहीं किया गया।

(कड़िका 2.3.7.2)

- राज्य मिशन द्वारा वार्षिक कार्ययोजना बनाने में सामुदायिक संवर्दीकरण नहीं अपनाया गया तथा निचले स्तर से प्रस्ताव प्राप्त कर उनका विभिन्न स्तरों पर संकलन नहीं किया गया। राज्य स्तरीय मिशन तथा जिला स्तरीय मिशन की बैठकों का आयोजन पर्याप्त नहीं था।

- समुदाय का समावेशन विहित है। निर्मूल ग्राम पंचायतों के निर्माण की दृष्टि से संवर्दीकरण परिणाम के लिए सम्पूर्ण नाम "निर्मूल भारत अभियान" (एन.बी.ए.) किया गया। एन.बी.ए. के दिशानिर्देशानुसार स्वच्छता अभियान" (टी.एस.सी.) नाम दिया तथा 1 अप्रैल 2012 से पुनः परिवर्तित कर स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया। भारत सरकार ने 1999 से कार्यक्रम को "समग्र तथा प्रतिष्ठा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत शासन ने 1986 में कन्द्रीय ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में उचित स्वच्छता सुविधाओं को सुधारने तथा महिलाओं को निजता

1.3 समग्र स्वच्छता अभियान/निर्मूल भारत अभियान**(कड़िका 2.2.10.2 एवं 2.2.10.3)**

- जिलों के कलेक्टर द्वारा उठाव एवं उचित मूल्य की टुकानों में पी.डी.एस. वस्तुओं की समीक्षा हेतु सतर्कता समिति की बैठक नियमित रूप से नहीं हुई।

(कड़िका 2.2.9)

- ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की टुकानों की उल्लेखनीय कमी थी।

(कड़िका 2.2.8.7)

- सिंगल एवं डबल एल.पी.जी. सिलेन्डर रखने वाले कार्डधारकों की मात्रा सुनिश्चित किये बगैर कयोसिन लेल वितरण किया गया था।

(कड़िका 2.2.8.4)

- भारी मात्रा में पी.डी.एस. वस्तुएँ उचित मूल्य की टुकानों में आवंटित करने से अवैध व्यपवर्तन हो सकता है।

- सूचना शिक्षा तथा सम्प्रेषण क्रियाकलाप (आई.ई.सी) पूरे वर्ष नहीं किए गए तथा आई.ई.सी. क्रियाकलापों हेतु ग्राम पंचायतों को कोई राशियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।

(कंडिका 2.3.9.1)

- नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में स्वच्छता दिवस तथा ग्राम स्वच्छता सभा का आयोजन नहीं किया गया था जिससे योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा प्रभावित हुई।

(कंडिका 2.3.10.2 तथा 2.3.10.3)

1.4 बालिकाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन

पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाने एवं आत्मविकास के द्वारा बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार ने किशोरी शक्ति योजना एवं राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला) (15 जिलों में) कार्यान्वित की। बालिकाओं में साक्षरता दर बढ़ाने एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निरंतर शिक्षा हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित की गई।

- किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य जांच प्रदान करने हेतु पृथक से सर्वेक्षण जैसा कि दिशानिर्देशों में विहित था किए बिना बालिकाओं की पहचान की गई। तथापि, जिन जिलों में सबला कार्यान्वित की गई, सबला योजनान्तर्गत बालिकाओं का सर्वेक्षण किया गया। चयनित बालिकाओं की पात्रता संबंधी जांच भी ग्राम सभा द्वारा नहीं कराई गई थी।

(कंडिका 2.4.7.1 एवं 2.4.8.2)

- किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। सबला अंतर्गत, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण तथा जीवन कौशल शिक्षा पर मार्गदर्शन एवं परामर्श उपलब्ध कराने में कमी थी।

(कंडिका 2.4.7.2 एवं 2.4.8.4)

- किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच कहीं भी नहीं की गई थी। सबला अंतर्गत 160 नमूना जांच किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 79 आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी एवं 68 आंगनवाड़ी केन्द्रों में आयरन फौलिक एसिड (आई.एफ.ए.) का सम्पूरण (supplementation) उपलब्ध नहीं कराया गया था क्योंकि अन्य विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.4.7.3, 2.4.8.6 एवं 2.4.8.8)

- किशोरी शक्ति योजना एवं सबला के अंतर्गत अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं था क्योंकि जिला एवं परियोजना स्तर पर अनुवीक्षण समिति की आवश्यक बैठकों के आयोजन की अत्यधिक कमी थी, जिसका प्रभाव योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति पर पड़ा।

(कंडिका 2.4.7.4 एवं 2.4.8.10)

- कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को विद्यालय में नामांकन पर प्रोत्साहन राशि, पात्रता मानदण्ड सुनिश्चित किए बिना उपलब्ध कराई गई थी। इसके अतिरिक्त, पात्र प्रकरणों में

प्रोत्साहन राशि के वितरण में 18 माह तक का विलम्ब था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निरंतर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य की पूर्णतः प्राप्ति नहीं हुई थी। योजना का किसी भी स्तर पर अनुवीक्षण नहीं किया गया था।

(कड़िका 2.4.9.2, 2.4.9.3, 2.4.9.5 एवं 2.4.9.6)

1.5 आदिवासी जिलों में स्वास्थ्य योजनाओं का कार्यान्वयन

भारत सरकार द्वारा असंचारी रोगों (एन.सी.डी.) की घटनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं आघात रोकथाम-नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी. सी.एस.) तथा बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एन.पी.एच.सी.ई.) क्रमशः वर्ष 2008 एवं 2010 में शुरू किये गये थे। कार्यक्रमों का कार्यान्वयन पांच आदिवासी जिलों में किया जा रहा था।

राज्य एवं जिला स्तर पर एन.पी.सी.डी.सी.एस. तथा एन.पी.एच.सी.ई. के लिए वार्षिक कार्य योजना तथा भौतिक, वित्तीय एवं महामारी प्रोफाइल पर डाटाबेस तैयार नहीं किया गया। असंचारी रोगों के बारे में जन जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां राज्य एवं जिला स्तर पर संचालित नहीं की गईं। निधियों के अल्प उपयोग के कारण एन.सी.डी. क्लीनिकों में वृद्धावस्था वार्डों, क्लीनिकों, आवश्यक औषधियों, मशीनरी तथा उपकरणों की कमी थी। चिकित्सा एवं परा चिकित्सा कर्मियों की तैनाती न होने के कारण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं कुशलतापूर्वक प्रदाय नहीं की जा सकी।

(कड़िका 2.5)

1.6 शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत जनजातीय उपयोगना का कार्यान्वयन

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) एवं मध्याह्न भोजन योजना के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी. एम.डी.एम.) की शुरुआत बच्चों को सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदाय करने, बच्चों में पोषण को बढ़ाने एवं 06 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) की शुरुआत 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सार्वभौमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु किया गया था। इन कार्यक्रमों को राज्य के 21 आदिवासी जिलों में कार्यान्वित किया गया था।

एस.एस.ए., आर.एम.एस.ए. और एन.पी.एम.डी.एम. में देखा गया कि धन का इष्टतम उपयोग वर्ष 2011-14 के दौरान सुनिश्चित नहीं किया गया था एवं लगातार बचत देखी गयी। एन.पी.एम.डी.एम. के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के तैयार करने एवं भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने में देरी हुई जिससे केन्द्र की निधियों के समय से जारी होने पर प्रभाव पड़ा। एस.एस.ए. के क्रियान्वयन के उपरांत भी 0.20 लाख शाला के बाहर के बच्चे 2013-14 के दौरान मुख्य धारा में नहीं लाए जा सके। चयनित जिलों के विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शाला त्यागने की दर सभी श्रेणी के कुल बच्चों की तुलना में अधिक थी। एस.एस.ए. एवं एन.पी.एम.डी.एम. के अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं और अधोसंरचनाओं जैसे पीने का पानी, बालिका शौचालय, बर्तन, विद्यालयों में फर्नीचर आदि अपर्याप्त थे। आर.एम.एस.ए. के अन्तर्गत, मार्च 2014 की स्थिति में, 13 प्रतिशत बसाहटों को पांच किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक विद्यालयों के द्वारा आच्छादित नहीं किया गया था।

(कड़िका 2.6)

2. लेनदेनों की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनेक उल्लेखनीय कमियाँ प्रतिवेदित की हैं जो सरकारी विभागों/संगठनों की कार्यसाधक कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालती हैं। उन्हें सामान्य रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत एवं समूहबद्ध किया गया है:

- नियमों, आदेशों, प्रक्रियाओं इत्यादि का अनुपालन न किया जाना
- असावधानी/प्रशासनिक नियंत्रण में विफलता

2.1 नियमों, आदेशों, प्रक्रियाओं इत्यादि का अनुपालन न किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी के आदेशों के अनुरूप हो। इससे न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोजन तथा धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायता भी मिलती है। इस प्रतिवेदन में ₹ 5.86 करोड़ के नियमों तथा विनियमों के अनुपालन न किए जाने के उदाहरण सम्मिलित हैं कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- आपूर्तिकर्ता से अधिप्राप्त की गई औषधियों की गुणवत्ता का लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वितरण से पूर्व आकलन नहीं किया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा किए गए परीक्षण के द्वारा ₹ 65.95 लाख की अधिप्राप्त की गई औषधियां अमानक पाई गईं।

(कड़िका 3.1.1)

- औषधियों/सामग्री की आपूर्ति नहीं किए जाने पर, आपूर्तिकर्ताओं पर अनुबंध खंड का उल्लंघन करते हुए ₹ 2.37 करोड़ की शास्ति का आरोपण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जनों द्वारा नहीं किया गया।

(कड़िका 3.1.2)

- रोगी कल्याण समितियों द्वारा निष्पादित किये गये पट्टा विलेखों का पंजीयन न कराए जाने एवं कम मुद्रांक शुल्क का आरोपण किए जाने से शासन ₹ 1.02 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

(कड़िका 3.1.3)

- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मरीजों के उपचार के लिए राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों को ₹ 1.01 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

(कड़िका 3.1.4)

- महिला एवं बाल विकास विभाग में तीन जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए ₹ 80.46 लाख के परिवहन प्रभार का अनियमित भुगतान किया गया।

(कड़िका 3.1.5)

2.2 असावधानी/प्रशासनिक नियंत्रण में विफलता

सरकार का दायित्व है कि वह जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करे। जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास तथा अधोसंरचना एवं लोक सेवा के उन्नयन के क्षेत्र आदि में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कार्य करती है। तथापि, लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए जिनमें समुदाय के लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के

लिए सरकार द्वारा दी गई निधियां अप्रयुक्त/अवरुद्ध रहीं और/अथवा विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्रवाई के अभाव के कारण निष्फल/अनुत्पादक सिद्ध हुई। कुछ उल्लेखनीय प्रकरण जिनमें ₹ 18.33 करोड़ की राशि सम्मिलित है, पर नीचे चर्चा की गई है।

- मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड द्वारा एक आवासीय परियोजना के अपूर्ण कार्य को अन्य ठेकेदार को प्रदान करने के कारण ₹ 1.07 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया। ठेकेदार के साथ अनुबंध में कमी के कारण, चूककर्ता ठेकेदार से केवल ₹ 48.73 लाख की वसूली की जा सकी थी।

(कंडिका 3.2.1)

- उच्च संविदा मांग के अनुबंध का निष्पादन करने तथा औसत मासिक ऊर्जाकारक के रखरखाव न करने के कारण बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय ने विद्युत प्रभार पर ₹ 1.04 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(कंडिका 3.2.2)

- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कर्मकार कल्याण उपकर की संग्रहीत की गयी राशि ₹ 3.84 करोड़, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रेषित नहीं की गयी।

(कंडिका 3.2.3)

- रोगी कल्याण समिति ने शॉपिंग कॉम्प्लैक्स निर्माण के लिये शासकीय भूमि का अनाधिकृत उपयोग किया एवं उन्हें निजी व्यक्तियों को पट्टे पर दिया और ₹ 4.35 करोड़ की राशि को त्रुटिपूर्ण तरीके से राज्य की संचित निधि से बाहर प्रतिधारित रखा।


(कंडिका 3.2.4)


- उपकरणों (₹ 1.05 करोड़) का उपार्जन न करने/निष्क्रियता, निधियों का उपयोग अमान्य मदों (₹ 0.71 करोड़) पर किए जाने, एम्बुलेन्सों का संचालन न किए जाने तथा मानव-शक्ति की कमी के कारण मध्य प्रदेश में स्थापित ट्रामा केयर केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं थे।

(कंडिका 3.2.5)

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों जो तीन से 12 वर्षों तक कार्यशील नहीं थे, पर तैनात स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 6.26 करोड़ का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) (एम.पी. एच.डब्ल्यू) उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.2.6)





पहला अध्याय
प्रस्तावना

पहला अध्याय: प्रस्तावना

1.1 बजट रूपरेखा

राज्य में सचिवालय स्तर पर 52 विभाग हैं जिनके प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव होते हैं उनकी सहायता उनके अधीन आयुक्तों/संचालकों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है। इनमें से 34 सरकारी विभागों, एवं इन विभागों के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। इन विभागों को लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया था एवं मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान एवं इसके विरुद्ध वास्तविक आकड़ों की स्थिति तालिका-1 में दी गई है।

तालिका-1: 2009-14 के दौरान राज्य सरकार के बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	13,685.34	12,013.78	14,181.41	14,646.68	18,220.45	16,228.64	20,577.43	17,705.14	22,295.27	20,590.93
सामाजिक सेवाएं	13,346.61	12,961.85	14,915.24	17,345.40	20,277.33	20,296.94	24,992.18	24,375.47	30,100.70	27,768.21
आर्थिक सेवाएं	8,753.47	8,371.37	9,664.10	10,084.48	12,208.06	12,964.91	14,251.77	16,823.35	17,465.48	16,971.33
सहायतानुदान एवं अंशदान	2,476.70	2,549.90	3,102.51	2,935.03	3,217.65	3,203.22	3,722.12	4,064.57	4,527.20	4,539.29
योग (1)	38,262.12	35,896.90	41,863.26	45,011.59	53,923.49	52,693.71	63,543.50	62,968.53	74,388.65	69,869.76
पूंजीगत अनुभाग										
पूंजीगत व्यय	6,793.16	7,924.87	8,024.72	8,799.88	8,721.93	9,055.16	10,820.22	11,566.89	11,113.61	10,812.52
संवितरित कर्ज एवं अग्रिम	1,389.39	3,816.88	1,619.33	3,714.73	3,200.21	15,760.56	5,667.26	5,378.25	6,444.60	5,077.52
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.13	2.78	0	1.85	0	3.70	0	7.02	0	2.36
लोक ऋण का पुनर्भूतान*	6,290.45	2,394.05	5,922.00	2,529.23	6,800.10	3,149.79	7,482.72	3,583.94	8,017.43	4,004.65
आकस्मिकता निधि	100.00	0	100.00	0	100.00	100.00	200.00	0	200.00	0
लोक लेखे संवितरण	94,675.61	50,871.84	96,735.11	62,344.26	1,53,133.63	73,279.04	2,24,574.20	82,735.57	3,13,354.87	93,063.99
अन्तिम रोकड़ शेष	-102.93	3,912.93	-127.73	6,900.44	-78.79	7,775.88	-107.22	7,074.81	-123.16	4,477.03
योग (2)	1,09,145.81	68,923.35	1,12,273.43	84,290.39	1,71,877.08	1,09,124.13	2,48,637.18	1,10,346.48	3,39,007.35	1,17,438.07
महायोग (1+2)	1,47,407.93	1,04,820.25	1,54,136.69	1,29,301.98	2,25,800.57	1,61,817.84	3,12,180.68	1,73,315.01	4,13,396.00	1,87,307.83

* अर्थात् अग्रिम एवं अधिविकर्षण के अंतर्गत निवल लेन-देनों को छोड़कर

(स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज)

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 79,920 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य का कुल व्यय (राजस्व, पूंजीगत तथा कर्ज एवं अग्रिम) ₹ 85,762 करोड़ था। वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 69,870 करोड़) में विगत वर्ष के राजस्व व्यय (₹ 62,967 करोड़) की तुलना में 10.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय कुल व्यय का 81 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 के दौरान पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत की कमी आई। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 72 प्रतिशत था एवं इसमें विगत वर्ष की तुलना में 10.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में 18 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में 2009-14 के दौरान 17 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ोत्तरी हुई।

1.3 सतत बचतें

छः प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों 2009-10 से 2013-14 के दौरान, संबंधित अनुदान/विनियोग के अंतर्गत प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं कुल

प्रावधान के 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की सतत बचतें हुई थी। जिसे तालिका-2 दर्शाया गया है।

तालिका-2: वर्ष 2009-14 के दौरान सतत बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	बचतों की राशि (कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व-प्रभारित						
1	06-वित्त	9.99 (78.48)	12.41 (97.49)	14.23 (96.28)	12.93 (52.18)	13.24 (89.64)
पूंजीगत-दत्तमत						
2	06-वित्त	113.33 (68.34)	74.94 (70.18)	1501.78 (92.80)	1374.53 (95.53)	234.74 (81.98)
3	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	174.67 (52.34)	95.08 (38.50)	44.23 (28.68)	61.21 (37.99)	39.80 (46.33)
4	53-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	8.61 (21.04)	25.43 (41.56)	11.23 (30.11)	15.39 (41.06)	9.88 (74.29)
5	58-प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.70 (64.29)	2.93 (69.76)	2.50 (85.62)	2.50 (76.69)	2.50 (100)
पूंजीगत-प्रभारित						
6	लोक ऋण	3,896.40 (61.94)	3,392.77 (57.29)	3,650.31 (53.68)	3,903.17 (52.13)	4,018.05 (50.08)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

1.4 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियां

वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत सरकार ने विभिन्न राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य बजट से बाहर ₹ 9,280.05 करोड़ प्रत्यक्ष रूप से अंतरित किये। वर्तमान प्रणाली में ये निधियां राज्य कोषालय तंत्र से होकर नहीं गुजरती हैं अतः इनका राज्य के वित्त लेखों में उल्लेख नहीं होता है। इस तरह राज्य के वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत संसाधनों की सम्पूर्ण तस्वीर उपलब्ध नहीं कराते।

1.5 भारत सरकार से सहायतानुदान

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान तालिका-3 में दिये गये हैं।

तालिका-3: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयोजनेत्तर अनुदान	1,533	1,636	2,114	333	3,540
राज्य आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	3,102	4,522	4,215	7,099	5,536
केन्द्रीय आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	2,028	2,919	3,600	4,608	2,701
योग	6,663	9,077	9,929	12,040	11,777
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	13.84	36.23	9.39	21.26	-2.18
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	16.10	17.50	15.86	17.10	15.55

1.6 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि की गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता, सौंपी गयी वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण, स्टेक होल्डर के सरोकार एवं विगत लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार करते हुए जोखिम के आकलन के साथ प्रारम्भ होती है। इस जोखिम आकलन के

आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा का निर्णय किया जाता है एवं वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाले निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख को एक माह में उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए जाते हैं। जैसे ही उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निराकरण हो जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगे की कार्यवाही का परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेशणों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा राज्य के 652 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं 88 स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, छ: निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गई।

1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की उत्तरदायित्वता का अभाव

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, लेन देनों की नमूना जाँच द्वारा शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण एवं निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाकरण एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान पता लगी, महत्वपूर्ण अनियमितताओं का मौके पर निराकरण नहीं होता है, इन निरीक्षण प्रतिवेदनों को निरीक्षण किए गये कार्यालय के प्रमुख को, एक प्रति उससे उच्च अधिकारियों को प्रेषित करते हुए भेजा जाता है।

कार्यालय प्रमुखों एवं उससे उच्च अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर अपना अनुपालन महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश को प्रेषित करें। कार्यालय महालेखाकार, मध्य प्रदेश द्वारा गंभीर अनियमितताओं को नियमित रूप से विभागाध्यक्ष की जानकारी में भी लाया जाता है।

हमने देखा कि 30 सितम्बर 2014 की स्थिति में मार्च 2014 तक जारी किए गए सामाजिक क्षेत्र विभागों से संबंधित 6793 निरीक्षण प्रतिवेदन (20688 कंडिकाएँ) एवं सामान्य क्षेत्र विभागों से संबंधित 1389 निरीक्षण प्रतिवेदन (3637 कंडिकाएँ) निराकरण हेतु लंबित थे। इन बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की वर्षवार स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, विभागीय लेखापरीक्षा समिति की 09 बैठकें हुईं जिनमें 359 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 2902 कंडिकाओं का निराकरण किया गया था।

यह अनुशंसा की जाती है कि लेखापरीक्षा प्रेशणों पर त्वरित एवं उपयुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित किये जाने हेतु ध्यान दें।

1.8 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में और चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर अनेक महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है जिनका कार्यक्रमों की सफलता और विभागों की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा एवं कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु उपयुक्त अनुशंसाएं देने तथा नागरिकों को सेवा देने में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा पर विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं पर विभागों को उत्तर 6 सप्ताह में भेजना आवश्यक होता है। यह उनके ध्यान में लाया गया था कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में, जो कि मध्य प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत की जाएगी, इन कंडिकाओं के सम्मिलित किए जाने संभावना के मद्देनजर प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को सम्मिलित करना वांछनीय होगा। उन्हें महालेखाकार के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारूप प्रतिवेदन पर बैठक करने की भी सलाह दी गई थी। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को संबंधित अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर प्राप्त करने हेतु अग्रोषित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए, छः निष्पादन लेखापरीक्षा/दीर्घ कंडिका पर प्रारूप प्रतिवेदनों एवं दस प्रारूप कंडिकाओं को संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रोषित किया गया था। छः निष्पादन लेखापरीक्षा/दीर्घ कंडिकाओं एवं आठ कंडिकाओं पर सरकार के उत्तर प्राप्त हुए थे।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आगे की कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कर्रवाई के लिए प्रक्रिया के नियमानुसार प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी थी चाहे इनकी लोक लेखा समिति द्वारा जाँच की गयी हो या नहीं। उन्हें राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई कार्रवाईयां/प्रस्तावित की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत करनी थीं।

वर्ष 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सामान्य एवं सामाजिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) से संबंधित कुल 69 कंडिकाओं में से 31 कंडिकाओं के संबंध में विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2014) जिसका विवरण परिशिष्ट 1.2 में दिया गया है।

1.10 राज्य विधान सभा में स्वायत्तशासी निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना की गई है। इन निकायों की बड़ी संख्या की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेन देनों के सत्यापन, प्रचालन गतिविधियों एवं लेखों, नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं प्रक्रिया तथा प्रणाली की समीक्षा इत्यादि के लिए की जाती है। राज्य में सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र से संबंधित चार स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है। लेखापरीक्षा सौंपे जाने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने तथा विधानसभा में उनकी प्रस्तुति तालिका-4 में दर्शायी गई है।

तालिका-4: स्वायत्त निकायों के लेखे को प्रस्तुत करने की स्थिति

सं. क्र.	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	अवधि जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	प्रस्तुतीकरण में विलंब/लेखों का प्रस्तुत न किया जाना (माहों में)
1	म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल	2013-14 तक	2012-13	2011-12	2011-12	2012-13 (08)
2	म.प्र. भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2010-11	2005-06	जानकारी प्रतीक्षित	2006-07 (69), 2007-08 (57), 2008-09 (45), 2009-10 (48), 2010-11 (31), 2011-12 (24), 2012-13 (12)
3	म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	स्थापना(1997-98) से प्रस्तुत नहीं किए गए	-	जानकारी प्रतीक्षित	1997-98(192)
4	म.प्र. आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड, भोपाल	2013-14 तक	2011-12	2011-12	जानकारी प्रतीक्षित	2007-08 (50), 2008-09 (40), 2009-10 (34), 2010-11 (22), 2011-12 (12), 2012-13 (12)

चार स्वायत्तशासी निकायों में से, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर ने अपनी स्थापना (1997-98) के 16 वर्षों के पश्चात भी लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं। लेखाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से पत्राचार (सितम्बर 2014) किया गया था। तथापि, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)। जैसा कि तालिका-4 से देखा जा सकता है कि तीन स्वायत्तशासी निकायों (सं. क्र. 2, 3 एवं 4) द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में 69 महीनों का अत्यधिक विलंब हुआ था।

¹ विलम्ब की अवधि, लेखाओं की प्राप्ति की निर्धारित दिनांक अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 जून 2014 तक ली गयी है।

- 2.1 मध्य प्रदेश प्रदेश निर्यात बोर्ड की कार्यप्रणाली
- 2.2 मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- 2.3 समग्र स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान का कार्यान्वयन
- 2.4 बालिकाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन
- 2.5 आदिवासी जिलों में स्वास्थ्य योजनाओं का कार्यान्वयन
- 2.6 शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत जनजातीय उपयोजना का कार्यान्वयन

निष्पत्ति लेखापरीक्षा

ईश्वर अय्यर

दूसरा अध्याय: निष्पादन लेखापरीक्षा

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

2.1 मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली

कार्यपालन सारांश

जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण हेतु क्रमशः जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 संसद द्वारा अधिनियमित किये गये। अपशिष्टों अर्थात् जैव चिकित्सा अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट और नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को विनियमित करने के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अर्न्तगत सम्बंधित नियम तैयार किये गये थे। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (म.प्र.प्र.नि.बो.) 1974 में गठित हुआ था, जो कि राज्य में पर्यावरणीय अधिनियमों एवं नियमों के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है। हमने 2009-14 के दौरान म.प्र.प्र.नि.बो. की कार्यप्रणाली में कमियां पायीं।

- अधीनस्थ इकाईयों से आदानों को प्राप्त किये बिना म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा 2012-17 के लिये पंचवर्षीय योजना तैयार की गयी। इसके अतिरिक्त, प्रदूषणकारी उद्योगों, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों, नदियों इत्यादि की पहचान के लिये कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

(कडिका 2.1.7)

- उद्योगों और स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों को सहमति/प्राधिकार देने में महत्वपूर्ण देरी हुई। जल अधिनियम/वायु अधिनियम के अर्न्तगत या तो सहमति प्राप्त किये बिना या सहमति के नवीनीकरण के बिना 2190 उद्योग, 280 स्थानीय निकाय और 28 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स कार्य कर रहे थे। 625 उद्योगों में से 76 उद्योग परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के अर्न्तगत प्राधिकार के बिना कार्य कर रहे थे। यह पर्यावरण को प्रतिकूलतः प्रभावित कर सकते हैं।

(कडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.3, 2.1.8.5, 2.1.11.1 तथा 2.1.11.6)

- उद्योगों से अपशिष्ट जल नमूनों के संग्रहण और परीक्षण के लिये म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा निर्धारित मापदण्डों की तुलना में, लक्ष्यों के निर्धारण में 23 से 55 प्रतिशत तक की कमी थी। 32 जिलों में, घरेलू बहिःस्त्राव/जलमल के उपचार के लिये कोई संयंत्र नहीं था। 19 अनुवीक्षण स्थानों पर नदी जल गुणवत्ता अवनत हुई थी और आठ अनुवीक्षण स्थानों पर सुधार हुआ था।

(कडिका 2.1.9.2 से 2.1.9.4)

- चौदह परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण स्टेशन कार्यात्मक नहीं थे। कार्यशील स्टेशनों में नमूनों का अनुवीक्षण अपर्याप्त था; कमी 34 से 95 प्रतिशत के बीच थी।

(कडिका 2.1.10.1)

- सीमेंट संयंत्र अधिक प्रदूषकों का उत्सर्जन कर रहे थे और इस प्रकार वायु प्रदूषण कर रहे थे।

(कडिका 2.1.10.5)

- नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण और व्ययन स्थानीय निकायों के दो प्रतिशत से भी कम के द्वारा किया जा रहा था।

(कडिका 2.1.11.7)

- म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा उद्योगों और स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये थे, जो प्रदूषण नियंत्रण के अनुवीक्षण को प्रभावित कर रहे थे। जनवरी 2011 में गठित बी.एम.डब्ल्यू. पर शीर्ष समिति की 2011 में एक बैठक को छोड़कर कभी बैठक नहीं हुई।

(कडिका 2.1.12 तथा 2.1.11.3)

2.1.1 प्रस्तावना

प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, संसद द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण हेतु क्रमशः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (जल अधिनियम) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (वायु अधिनियम) अधिनियमित किये गये। अपशिष्टों अर्थात् जैव चिकित्सा अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को विनियमित करने के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत सम्बंधित नियम बनाये (1989-2000) गये थे।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (म.प्र.नि.बो.) का गठन, जल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सितम्बर 1974 में नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग (विभाग) के अन्तर्गत किया गया था। सम्बंधित अधिनियमों एवं नियमों के अनुसार जल, वायु और पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की जिम्मेदारी म.प्र.नि.बो. को सौंपी गयी है। राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने हेतु राज्य सरकार को यह अपनी गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा किये गये (2009) एक अध्ययन में मध्य प्रदेश के पांच औद्योगिक क्लस्टरस³ (Clusters), प्रदूषित पाये गये थे। इस प्रकार, औद्योगिक इकाईयों में प्रदूषण राज्य में चिंता का एक क्षेत्र है।

2.1.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग (विभाग) राज्य स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। म.प्र.नि.बो. एक अध्यक्ष के नेतृत्व में, एक सदस्य सचिव (एम.एस.) एवं 15 अन्य सदस्यों⁴ को रखते हुए 13 क्षेत्रीय कार्यालयों⁵ एक केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा दस क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से अपने कार्यक्रमों एवं नीतियों को लागू करता है। प्रयोगशालायें औद्योगिक इकाईयों और अन्य स्थलों से एकत्रित जल एवं वायु के नमूनों के विश्लेषण के लिये जिम्मेदार हैं।

2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

म.प्र.नि.बो. की कार्यप्रणाली का परीक्षण करने के लिये निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) आयोजित की गयी थी। लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि:

- प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये योजना प्रभावी थी;
- उद्योगों को सहमति प्रदान करना कुशल और प्रभावी था;
- जल और वायु अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन प्रभावी था;
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम का अनुपालन प्रभावी था; और
- म.प्र.नि.बो. में अनुवीक्षण तंत्र स्थित और प्रभावी था।

2.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये लेखापरीक्षा मानदण्ड में प्रदूषण के उपशमन के लिये निम्न में निर्धारित नियम और प्रक्रिया एवं मानदण्ड और मानक अपनाये गये थे:

- 1 पूर्व नाम आवास एवं पर्यावरण विभाग था (जुलाई 2014 के पूर्व)।
- 2 भारत के 88 औद्योगिक क्लस्टरस का व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन किया गया।
- 3 देवास, इंदौर, नागदा-रतलाम, पीथमपुर और सिंगरौली।
- 4 शासकीय विभागों से पांच सदस्य, स्थानीय निकायों से पांच सदस्य, सरकार के स्वामित्व, प्रबन्धन/नियंत्रणवाली कम्पनियों/निगमों से दो सदस्य और तीन अशासकीय सदस्य।
- 5 भोपाल, धार, गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी (सितम्बर 2013 में स्थापित), शिवा, सागर, सतना, शहडोल, सिंगरौली (जुलाई 2011 में स्थापित) एवं उज्जैन।

- जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम, 1981 तथा उनके अर्न्तगत बनाये गये नियम;
 - जल (सहमति) मध्य प्रदेश नियम, 1975; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;
 - जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 1998; परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 2008; नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000; तथा
 - समय-समय पर म.प्र.प्र.नि.बो. तथा सी.पी.सी.बी. द्वारा जारी निर्देश।
- सम्बंधित पैराग्राफों में विशिष्ट लेखापरीक्षा मानदण्डों का उल्लेख किया गया है।

2.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और समावेशन

अवधि 2009-14 को समाहित करते हुए म.प्र.प्र.नि.बो., 13 क्षेत्रीय कार्यालयों (आर.ओ.) में से आठ⁶ क्षेत्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय प्रयोगशाला और आठ क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की नमूना जांच करने हेतु समीक्षा आयोजित (फरवरी से जुलाई 2014) की गयी थी। आर.ओ. का चयन 'प्रतिस्थापन पद्धति के बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन' विधि द्वारा किया गया था। निर्माण परियोजनाओं के सम्बंध में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा नगर निगमों से भी जानकारी प्राप्त की गयी थी। सदस्य सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मेलन 24 अप्रैल 2014 को आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदण्ड, क्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा की गयी थी। निर्गम सम्मेलन के आयोजन के लिये हमारे अनुरोध (सितम्बर-अक्टूबर 2014) पर प्रमुख सचिव से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निर्गम सम्मेलन (05 नवम्बर 2014) में अध्यक्ष म.प्र.प्र.नि.बो. के साथ चर्चा की गयी थी; उनके उत्तरों/विचारों को समीक्षा में यथा स्थान शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 वित्तीय स्थिति

म.प्र.प्र.नि.बो. के वित्तीय संसाधनों में भारत सरकार/सी.पी.सी.बी. से सहायता अनुदान/सहायता, राज्य सरकार से अनुदान तथा स्थानीय निकायों और उद्योगों से जल उपकरण, विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों एवं नियमों के अर्न्तगत सहमति और प्राधिकार शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क सम्मिलित हैं। म.प्र.प्र.नि.बो. की वित्तीय स्थिति तालिका-1 में दिये अनुसार है।

तालिका-1: म.प्र.प्र.नि.बो. के वित्तीय संसाधन तथा उसके उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अनुदान की राशि		भारत सरकार से जल उपकरण की प्रतिपूर्ति	अन्य स्रोतों से आय ⁸	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	अंतिम शेष
		सीपीसीबी/भारत सरकार	राज्य					
2009-10	5.17	0.98	4.00	6.70	22.12	38.97	17.35	21.62
2010-11	21.62	1.33	4.25	4.17	27.47	58.84	23.94	34.90
2011-12	34.90	0.17	4.47	3.07	27.87	70.48	30.40	40.08
2012-13	40.08	0.17	7.18	5.77	35.21	88.41	36.26	52.15
2013-14	52.15	---	11.45	3.25	38.82	105.67	43.77	61.90
Total		2.65	31.35	22.96	151.49	362.37	151.72	

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

⁶ भोपाल, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन।

⁷ राज्य बोर्ड जल उपकरण लगाता और संग्रहित करता है एवं भारत की संचित निधि में जमा करता है। उपकरण की 80 प्रतिशत तक की राशि राज्य बोर्ड को वापिस प्रेषित की जाती है।

⁸ इसमें सहमति शुल्क/सहमति नवीनीकरण शुल्क, प्राधिकार शुल्क/प्राधिकार नवीनीकरण शुल्क, निवेश पर ब्याज इत्यादि शामिल हैं।

• म.प्र.प्र.नि.बो. ने केवल वर्ष 2010-11 तक वार्षिक खातों को अन्तिम रूप दिया और मध्य प्रदेश शासन को प्रस्तुत किए थे।

म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा भारत सरकार को ₹ 4.80 करोड़ का त्रुटिपूर्ण यूसी प्रस्तुत किए गए

• मार्च 2013 में, भारत सरकार ने जल उपकर के हिस्से के रूप में ₹ 5.77 करोड़ की प्रतिपूर्ति की थी। म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा भारत सरकार को पूरी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। हालांकि म.प्र.प्र.नि.बो. ने, वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 0.32 लाख के वास्तविक खर्च के विरुद्ध भारत सरकार को ₹ 4.80 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत (नवम्बर 2013) किए थे।

• हमने यह भी पाया कि, आर.ओ. जबलपुर ने शुल्क की प्राप्ति के बिना जल और वायु के नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट जारी की थी। नतीजतन, उद्योगों और विभागों/संस्थाओं से जल और वायु विश्लेषण शुल्क के अवधि 1992 से 2013-14 के लिये ₹ 23.47 लाख बकाया थे। अक्टूबर 2014 की स्थिति में ₹ 4.32 लाख की वसूली की जा चुकी है।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। त्रुटिपूर्ण यूसी के सम्बंध में उन्होंने कहा कि समाशोधन के पश्चात आवश्यक प्रविष्टियों की जाँची और भविष्य में इसे टाला जाएगा। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बकाया परीक्षण शुल्क की वसूली के लिये कार्रवाई की जावेगी और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

2.1.7 सर्वेक्षण तथा आयोजना

जल अधिनियम की धारा 17 और वायु अधिनियम की धारा 17 के तहत म.प्र.प्र.नि.बो. को जल और वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के लिये व्यापक कार्यक्रम तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था।

अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये और प्रदूषण नियंत्रण की योजना के लिये, म.प्र.प्र.नि.बो. को राज्य में सभी उद्योगों, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों (एच.सी.ई.), नदियों, झीलों, तालाबों इत्यादि की पहचान तथा सूची तैयार करना चाहिए थी।

प्रदूषणकारी उद्योगों, नदियों, झीलों, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों इत्यादि की पहचान के लिये काई सर्वेक्षण नहीं आयोजित किया गया था

चयनित आर.ओ. के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च-जुलाई 2014) के दौरान हमने पाया कि प्रदूषणकारी उद्योगों, नदियों, झीलों, एच.सी.ई. इत्यादि की पहचान करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया था। हालांकि, म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा अप्रैल 2012 में प्रथम बार अवधि 2012-17 के लिये पंचवर्षीय योजना तैयार की गयी थी जिसमें प्रदूषण के नियंत्रण के लिये वित्तीय और भौतिक लक्ष्य तथा संगठन को मजबूत करना शामिल थे। यह योजना प्रस्ताव राज्य सरकार को (अप्रैल 2012) भेजा गया था।

अधीनस्थ इकाईयों से आदानों को प्राप्त किए बिना म.प्र.प्र.नि.बो. ने पंचवर्षीय योजना तैयार की थी

इस प्रकार, अधीनस्थ इकाईयों से बुनियादी आदानों को प्राप्त किये बिना म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा दीर्घकालिक योजना स्वयं तैयार की गयी थी। हमने यह भी पाया कि वर्ष 2009-14 की अवधि में बोर्ड की केवल 14 बैठकें ही आयोजित की गयी थीं जबकि 20 बैठकें आयोजित की जाना थीं जिसमें प्रदूषण के उपशमन के लिये योजना शामिल है। प्रदूषण से सम्बंधित पूर्ण जानकारी के अभाव में, प्रदूषण के नियंत्रण या उपशमन के लिये योजना व्यापक नहीं थी।

आर.ओ. ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि जल तथा वायु के नमूनों के लिये वार्षिक निगरानी पैकेज तैयार किया जा रहा था तथा म.प्र.प्र.नि.बो. को प्रस्तुत किया जा रहा था।

9 कुछ उदाहरण: रेमण्ड लिमि. बोरेगांव (छिंदवाड़ा); एक्सेस्ट इन्डस्ट्रीज, कैम्पू (कटनी); एसीसी लिमि. कैम्पू (कटनी); नगर निगम जबलपुर और पी.एच.ई.डी. जबलपुर इत्यादि।

निर्गम सम्मेलन में, अध्यक्ष ने तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की और कहा कि सहमति देने में विलम्ब से बचने के प्रयास किये जाएंगे।

2.1.8.2 सहमति के नवीनीकरण के बिना उद्योगों का कार्यशील रहना

प्रत्येक उद्योग को अपनी संक्रिया और प्रक्रिया को जारी रखने के लिये निर्धारित सहमति नवीनीकरण शुल्क का भुगतान कर म.प्र.प्र.नि.बो. से सहमति का आवधिक नवीनीकरण कराना अपेक्षित था।

म.प्र.प्र.नि.बो. तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि 177 वृहत/मध्यम जल/वायु प्रदूषणकारी उद्योग¹⁴ और 2013 लघु श्रेणी के उद्योग¹⁵ म. प्र.प्र.नि.बो. से सहमति के नवीनीकरण के बिना मार्च 2014 की स्थिति में कार्य कर रहे थे। इन लघु श्रेणी के उद्योगों से ₹ 1.62 करोड़¹⁶ की राशि सहमति नवीनीकरण शुल्क के रूप में प्रभार्य थी। सहमति नवीनीकरण के बिना उद्योगों का कार्यशील रहना पर्यावरण को प्रतिकूलतः प्रभावित कर सकता है।

निर्गम सम्मेलन में, अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों की कमी की वजह से यह नहीं किया जा सका और राशि की वसूली तथा उद्योगों को सहमति प्रणाली के अंदर लाने के प्रयास किये जावेंगे। हालांकि, सहमति के गैर-नवीनीकरण से पर्यावरण पर प्रभाव पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी।

2.1.8.3 स्थानीय निकायों से वार्षिक सहमति नवीनीकरण शुल्क लंबित रहना

जल (सहमति) मध्य प्रदेश नियम, 1975 प्राकृतिक स्रोतों से पानी निकालने और नदियों में अपशिष्ट प्रवाहित करने वाले स्थानीय निकायों पर प्रभार्य सहमति शुल्क और सहमति नवीनीकरण शुल्क निर्धारित करता है।

यह पाया कि नमूना जाँच किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों में 293 स्थानीय निकायों में से, 171 स्थानीय निकायों ने म.प्र.प्र.नि.बो. से कभी सहमति प्राप्त नहीं की थी। इसके साथ, 109 स्थानीय निकायों जिन्होंने प्रारम्भ में सहमति ली थी वह बाद में मार्च 2014 की स्थिति में सहमति नवीनीकरण के बिना कार्य¹⁷ कर रहे थे। मार्च 2014 की स्थिति में इन स्थानीय निकायों से सहमति नवीनीकरण शुल्क की राशि ₹ 13.75 लाख प्राप्त की जानी थी (परिशिष्ट-2.2)।

निर्गम सम्मेलन में, अध्यक्ष ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि स्थानीय निकायों से लंबित शुल्क की वसूली के लिये सतत प्रयास किये जा रहे थे।

2.1.8.4 सहमति की शर्तों की पंजी का रखरखाव

हमने पाया कि जल अधिनियम की धारा 25 (6) के अर्न्तगत आवश्यक होने पर भी अबधि 2009-14 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों उज्जैन, सागर, सतना, ग्वालियर, धार तथा इन्दौर द्वारा सहमति की शर्तों की पंजी संधारित नहीं की गयी थी। क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा यह रजिस्टर मई 2011 से संधारित किया गया था, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में यह मई 2011 के पश्चात संधारित नहीं था। इस प्रकार, सहमति के अर्न्तगत उस निकास या भूमि या परिसर में हितबद्ध या उससे प्रभावित व्यक्तियों के निरीक्षण के लिये सहमति की शर्तें खुली नहीं थीं।

नमूना जाँच किये
आर.ओ. में 280
स्थानीय निकाय
वैध सहमति के
बिना कार्य कर
रहे थे

आर.ओ. द्वारा
सहमति की शर्तों
की पंजी का
संधारण नहीं
किया गया था

- 14 भोपाल (30), धार (33), गुना (03), ग्वालियर (02), इंदौर (14), जबलपुर (17), कटनी (24), शेवा (05), सागर (12), सतना (01), शहदोल (04), सिमरौली (03) और उज्जैन (29)।
- 15 एस्.एस.आई.: भोपाल (294), धार (193), ग्वालियर (78), इंदौर (289), जबलपुर (404), सागर (281), सतना (05) और उज्जैन (469)।
- 16 भोपाल (₹ 25.78 लाख), धार (₹ 30.27 लाख), ग्वालियर (₹ 3.24 लाख), इंदौर (₹ 12.36 लाख), जबलपुर (₹ 22.06 लाख), सागर (₹ 21.94 लाख), सतना (₹ 0.07 लाख) और उज्जैन (₹ 46.00 लाख)।
- 17 44 स्थानीय निकाय पिछले पांच वर्षों से, 18 स्थानीय निकाय पिछले दस वर्षों से और 47 स्थानीय निकाय पिछले दस वर्षों से अधिक से।

अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालयों को पंजी का संधारण करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

अधिनियम में निर्धारण अनुसार म.प्र.प्र.नि.बो. को सहमति की शर्तों के रजिस्टर का संधारण सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.8.5 म.प्र.प्र.नि.बो. की सहमति के बिना बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स का कार्यरत रहना

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार (सितम्बर 2006) और नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार (मई 2010) द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार निर्धारित श्रेणियों¹⁸ की बिल्डिंग तथा निर्माण इकाईयों को म.प्र.प्र.नि.बो. से सहमति/अनुमोदन लेना अपेक्षित था।

चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों¹⁹ के अभिलेखों की नमूना जांच तथा नगर निगमों (एम.सी.) द्वारा प्रदाय जानकारी के अनुसार, यह पाया गया कि अवधि 2009-14 के दौरान नगर निगमों द्वारा स्वीकृति प्राप्त 30 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में से केवल दो ने म.प्र.प्र.नि.बो. की सहमति ली थी। नगर निगमों द्वारा स्वीकृति प्राप्त बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की स्थिति परिशिष्ट-2.3 में है और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स द्वारा जल/वायु अधिनियम के अर्न्तगत म.प्र.प्र.नि.बो. से ली गयी सहमति की स्थिति तालिका-2 में दी गयी है।

तालिका-2: नमूना जांच किये गये क्षेत्रीय कार्यालयों में बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की स्थिति

नगर निगम का नाम	नगर निगमों द्वारा जिन प्रोजेक्ट्स को अनुमति दी गयी उनकी संख्या और विवरण				प्रोजेक्ट्स की संख्या जिनमें म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा सहमति दी गयी थी	प्रोजेक्ट्स की संख्या जिनके पास म.प्र.प्र.नि.बो. की सहमति नहीं थी
	बिल्डिंग और निर्माण प्रोजेक्ट्स ²⁰	आवासीय कॉम्प्लेक्स ²¹	व्यावसायिक संस्थापन ²²	कुल		
ग्वालियर	09	--	01	10	02	08
इन्दौर	10	02	03	15	---	15
भोपाल	05	--	--	05	---	05
कुल	24	02	04	30	02	28

(स्रोत: आर.ओ. तथा एम.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

म.प्र.प्र.नि.बो. की सहमति के बिना 28 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स कार्यरत/निर्माणाधीन थे

यह देखा गया कि तीन श्रेणियों के अर्न्तगत नगर निगमों द्वारा अनुमति प्राप्त 30 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में से 28 प्रोजेक्ट्स म.प्र.प्र.नि.बो. की 'स्थापना सहमति' (सी.टी.ई.) के बिना निर्माणाधीन/कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 से पूर्व 14 प्रोजेक्ट्स (भोपाल 03, इंदौर 11) को म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा सी.टी.ई. प्रदान की गयी थी। लेकिन, पांच वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के बावजूद इन प्रोजेक्ट्स द्वारा 'कार्यकारी सहमति' नहीं ली गयी थी। इन प्रोजेक्ट्स की स्थिति की जांच के लिये म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा भी निरीक्षण नहीं किये गये थे। हमने यह भी पाया कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को अनुमति प्रदान करने के सम्बंध में, म.प्र.प्र.नि.बो. और नगर निगम के बीच समन्वय की कमी थी क्योंकि न तो नगर निगम द्वारा म.प्र.प्र.नि.बो. को जानकारी प्रेषित की गयी थी और न ही म.प्र.प्र.नि.बो. ने इसे प्राप्त करने के लिये प्रभावी कदम उठाये थे।

इस ओर इंगित किये जाने पर, सदस्य सचिव ने कहा (अगस्त 2014) कि 'धूसर जल पुर्नचक्रण आदर्श उपविधियों' (मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मई 2010 में अधिसूचित) के

¹⁸ 20,000 वर्ग मीटर और उससे अधिक लेकिन 1,50,000 वर्ग मीटर से कम बिल्ट-अप क्षेत्र वाले बिल्डिंग और निर्माण प्रोजेक्ट्स, 100 या अधिक प्रकोष्ठों वाले आवासीय कॉम्प्लेक्स, 2000 वर्ग मीटर और उससे अधिक बिल्ट-अप क्षेत्र वाले व्यावसायिक संस्थापन।

¹⁹ चयनित आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में से केवल तीन में सहमति/अनुमोदन चाहने वाले बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पाये गये थे।

²⁰ 20,000 से अधिक लेकिन 1,50,000 वर्ग मीटर से कम बिल्ट-अप क्षेत्र वाले प्रोजेक्ट्स।

²¹ 100 या अधिक प्रकोष्ठों वाले आवासीय निर्माण।

²² 2000 वर्ग मीटर और उससे अधिक बिल्ट-अप क्षेत्र वाले व्यावसायिक संस्थापन।

अर्न्तगत म.प्र.प्र.नि.बो. के अनुमोदन के पश्चात् नगर निगम द्वारा अनुमति प्रदान की जानी थी। नियत निरीक्षण/विश्लेषण उपरांत सम्बंधित प्रोजेक्ट्स पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर दोनों शासकीय एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को सहमति तंत्र के अधीन लाने के लिये, म.प्र.प्र.नि.बो., नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा नगर निगमों के बीच बेहतर समन्वय के लिये प्रयास किये जाएंगे। स्थापना सहमति (सी.टी.ई.) दी गयीं परियोजनाओं के सम्बंध में शीघ्र ही क्षेत्र निरीक्षण किया जावेगा और उचित कार्रवाई की जावेगी।

2.1.9 जल अधिनियम

जल अधिनियम 1974, जल प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण के लिये तथा जल की सम्पूर्णता को बनाए रखने या पुनःस्थापित करने के लिये बनाया गया है। राज्य बोर्ड को सरिताओं और कुँओं के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना, उद्योगों को सहमति ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जारी करना जो वह जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उचित समझे तथा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन देखना अपेक्षित था।

2.1.9.1 राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम

सी.पी.सी.बी., राज्य बोर्डों के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एन.डब्ल्यू.एम.पी.) के अर्न्तगत देश में जल संसाधनों की जल गुणवत्ता का अनुवीक्षण करता है। हमने पाया कि म.प्र.प्र.नि.बो. विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स) के पांच स्टेशनों पर तथा भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति (मीनार्स) के 100 स्टेशनों पर एन.डब्ल्यू.एम.पी. कार्यक्रम के अर्न्तगत नदियों, झीलों, तालाबों और कुओं से लिये गये जल नमूनों में प्राचलों पी.एच., जैविक ऑक्सीजन मांग (बी.ओ.डी.), रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सी.ओ.डी.), विघटित ऑक्सीजन (डी.ओ.), कुल निलंबित ठोस (टी.डी.एस.) इत्यादि का मापन कर जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा था। इसके अतिरिक्त, सी.पी.सी.बी. ने निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के लिये मीनार्स के अर्न्तगत 50 नवीन स्टेशन स्वीकृत (दिसम्बर 2011) किये। प्रत्येक पहचान किये गये स्टेशन से नमूना लेने की आवृत्ति सी.पी.सी.बी. द्वारा निर्धारित की गयी थी।

कार्यक्रम के अर्न्तगत नमूना लेने के वर्ष-वार लक्ष्य और उपलब्धि तालिका-3 में दर्शाये गये हैं।

तालिका-3: एन.डब्ल्यू.एम.पी. के अर्न्तगत जल नमूनों के लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति

वर्ष	जेम्स		मीनार्स		कुल		
	लक्ष्य	परीक्षित नमूने	लक्ष्य	परीक्षित नमूने	लक्ष्य	परीक्षित नमूने	कमी (प्रतिशत)
2009-10	44	40	750	690	794	730	64 (8)
2010-11	44	36	750	752	794	788	06 (1)
2011-12	44	37	750	696	794	733	61 (8)
2012-13	50	48	1490	1059	1540	1107	433 (28)
2013-14	50	48	1490	1284	1540	1332	208 (14)
कुल	232	209	5230	4481	5462	4690	772 (14)

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)

इस प्रकार, अवधि 2009-14 के दौरान नमूने लेने के लक्ष्य के विरुद्ध कमी 14 प्रतिशत थी।

इस ओर इंगित किये जाने पर सदस्य सचिव ने कहा (अगस्त 2014) कि कमी का कारण गर्मियों में नदियों का सूख जाना तथा बारिश के मौसम में नमूना स्थल तक पहुंचने में कठिनाई होना है।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

एन.डब्ल्यू.एम.पी. के अंतर्गत जल के नमूने लेने में 14 प्रतिशत की कमी थी

2.1.9.2 प्राकृतिक जल स्रोतों का अनुवीक्षण

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान प्राकृतिक जल स्रोतों के नमूनों के संग्रहण और परीक्षण के लक्ष्य तथा उपलब्धि की स्थिति तालिका-4 में दी गई है।

तालिका-4: प्राकृतिक जल स्रोतों के लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लक्ष्य	2015	2197	2474	2810	2939
उपलब्धि	2869	3516	3838	3515	4632

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)

2011-12 की तुलना में 2012-13 में जल की गुणवत्ता 19 अनुवीक्षण स्थानों पर खराब हुयी थी और आठ स्थानों पर सुधार हुआ था

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान उपलब्धि लक्ष्यों से अधिक थी।

प्राकृतिक जल संसाधनों के अनुवीक्षण के परिणामों के आधार पर, म.प्र.प्र.नि.बो. ने जल के कई उपयोग के आधार पर जल की गुणवत्ता को ए, बी, सी, डी और ई के रूप में वर्गीकृत किया है। हमने पाया कि वर्ष 2011-12 की स्थिति से तुलना करने पर वर्ष 2012-13 में परिशिष्ट 2.4 में दर्शाये अनुसार 19 अनुवीक्षण स्थानों पर नदी जल की गुणवत्ता अवनत हुई थी और आठ स्थानों पर नदी जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ था।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि जिन स्थानों पर जल की गुणवत्ता अवनत हुई थी वहां इसके सुधार के प्रयास किये जा रहे थे।

2.1.9.3 घरेलू बहिःस्त्राव का अपर्याप्त उपचार

जल अधिनियम 1974 के प्रावधान 17 (1) (एफ) के अनुसार राज्य बोर्ड को मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव का, संकर्म और उपचार के लिये संयंत्रों का निरीक्षण और जल की अभिक्रिया और उसके शुद्धिकरण के लिये स्थापित संयंत्रों, संकर्मों से सम्बंधित योजनाओं, विनिर्देशों या अन्य आंकड़ों की समीक्षा करना अपेक्षित था।

अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च-जुलाई 2014) और चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदाय जानकारी के विश्लेषण में हमने पाया कि छः स्थानीय निकायों²³ द्वारा दस जलमल उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) स्थापित किये गये थे। चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदाय की गई जानकारी के अनुसार, 38 जिलों में जनित 1280.46 मिलियन लिटर प्रतिदिन (एम.एल.डी.) घरेलू अपशिष्ट में से केवल 260.31 एम.एल.डी. घरेलू अपशिष्ट 6 जिलों में 10 एस.टी.पी. के द्वारा उपचारित किया जा रहा था और बकाया 1020.15 एम.एल.डी. का उपचार के बिना निपटारा हो रहा था। यहां तक कि, जिन छः जिलों में एस.टी.पी. स्थापित थे वहां एस.टी.पी. की उपचार क्षमता जनित जलमल से कम थी। जलमल उत्सर्जन तथा उपचार क्षमता के बीच अन्तर 16 प्रतिशत से 79.57 प्रतिशत (परिशिष्ट-2.5) के बीच था। म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा एस.टी.पी. के निरीक्षण के लिये न तो कोई मापदण्ड निर्धारित किये गये थे और न ही कोई प्रभावी कार्रवाई की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय निकायों को नोटिस जारी किये जावेंगे तथा एस.टी.पी. के निरीक्षण के लिये मापदण्ड निर्धारित किये जावेंगे।

2.1.9.4 औद्योगिक दूषित जल का परिवीक्षण

प्रत्येक वर्ष म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को लाल श्रेणी के उद्योगों को प्रत्येक माह, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को वर्ष में छः बार और हरी श्रेणी के उद्योगों को वर्ष में कम से कम दो बार औद्योगिक दूषित जल का परिवीक्षण करने के निर्देशों के साथ एक

घरेलू बहिःस्त्राव के उपचार के लिये 32 जिलों में कोई भी एस.टी.पी. नहीं था। छः जिलों में एस.टी.पी. की उपचार क्षमता उत्पन्न बहिःस्त्राव से कम थी

²³ भोपाल (4), बुरहानपुर (1), ग्वालियर (1), इंदौर (2), उज्जैन (1) और विदिशा (1)।

निगरानी कार्यक्रम प्रस्तावित करने के लिये निर्देशित किया गया था। औद्योगिक अपशिष्ट जल की निगरानी के लिये प्रस्तावित उद्योगों की श्रेणी-वार संख्या तालिका-5 में दी गयी है।

तालिका-5: निगरानी के लिये प्रस्तावित उद्योगों की श्रेणी-वार संख्या

उद्योग की श्रेणी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लाल	365	401	410	428	430
नारंगी	222	151	211	202	160
हरा	158	183	185	161	161
कुल	745	735	806	791	751

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)

क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रस्तावों के आधार पर, म.प्र.प्र.नि.बो. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिये औद्योगिक दूषित जल के नमूनों के लक्ष्यों का निर्धारण करता है। निर्धारित लक्ष्य तथा म.प्र.प्र.नि.बो. के निर्देशों के अनुसार किए जाने वाले परिवीक्षण का वर्षवार विवरण तालिका-6 में दिया गया है।

तालिका-6: निर्धारित लक्ष्य, उपलब्धि और किये जाने वाले परीक्षणों की स्थिति

वर्ष	उद्योगों की संख्या	निर्धारित अनुसार ली जाने वाली नमूनों की कुल संख्या	किये जाने की संख्या	लक्षित नमूनों की संख्या	मापदण्डों की तुलना में लक्ष्य कमी (प्रतिशत)	कुल उपलब्धि (नमूनों की निर्धारित संख्या का प्रतिशत)
2009-10	745	6028	2714	3314 (55)	3464 (57)	
2010-11	735	6084	2958	3126 (51)	3645 (60)	
2011-12	806	6556	5055	1501 (23)	5542 (85)	
2012-13	791	6670	3923	2747 (41)	4681 (70)	
2013-14	751	6442	3729	2713 (42)	4141 (64)	

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)

यह देखा जा सकता है कि म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा निर्धारित से कम लक्ष्य नियत किये गये थे, यह वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 23 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक थे।

आगे, छ: क्षेत्रीय कार्यालयों²⁴ में वर्ष 2013-14 की औद्योगिक दूषित जल की परिवीक्षण रिपोर्टों की संवीक्षा में पाया गया कि 359 औद्योगिक इकाईयों की नमूना जांच में से, 53 औद्योगिक इकाईयों में उपचारित बहिःस्त्राव में जैविक ऑक्सीजन मांग (बी.ओ.डी.) और रासायनिक ऑक्सीजन की मांग (सी.ओ.डी.) निर्धारित मापदण्डों (बी.ओ.डी.: 30 मि.ग्रा./लि., सी.ओ.डी.: 250 मि.ग्रा./लि.) से अधिक पायी गयी थी। बी.ओ.डी., सी.ओ.डी. निर्धारित मानदण्ड से किस सीमा तक अधिक पायी गयी थी तालिका-7 में दिया गया है।

तालिका-7: उद्योगों द्वारा सीमा से अधिक प्राचल बी.ओ.डी., सी.ओ.डी. की स्थिति

स. क्र.	बी.ओ.डी.		सी.ओ.डी.	
	बी.ओ.डी. के विस्तार का स्तर (मि.ग्रा./लि. में)	उद्योगों की संख्या	सी.ओ.डी. के विस्तार का स्तर (मि.ग्रा./लि. में)	उद्योगों की संख्या
1	31-100	28	251-500	22
2	101-250	18	501-700	06
3	251-400	04	701-900	06
4	401-500	02	901-1200	04
5	501 और अधिक	01	1201 और अधिक	11
	कुल	53		49*

* क्षेत्रीय कार्यालय सतना में चार उद्योगों में उपकरणों के अभाव के कारण सी.ओ.डी. का मापन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि की और कहा कि स्टाफ और उपकरणों की कमी के कारण कम लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और स्थिति में सुधार के प्रयास किये जावेंगे।

²⁴ भोपाल, धार, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर और सतना।

म.प्र.प्र.नि.बो. नमूनों के संग्रहण और परीक्षण के लिए निर्धारित मानकों का पालन कर सकता है।

2.1.10 वायु अधिनियम

वायु अधिनियम 1981, वायु की गुणवत्ता के संरक्षण के द्वारा वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये बनाया गया है। राज्य बोर्ड को वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए योजना बनाना तथा उसका निष्पादन करना, उद्योगों को सहमति ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जारी करना जो वह वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उचित समझे तथा अधिरोपित शर्तों के अनुपालन को देखना था।

2.1.10.1 राष्ट्रीय परिवेशीय वायु निगरानी कार्यक्रम

सी.पी.सी.बी. द्वारा स्वीकृत (2009-10 से पूर्व) 26 परिवेशीय स्टेशनों में से, 10 शहरों के 25 स्टेशनों पर म.प्र.प्र.नि.बो. वायु निगरानी कर रहा था। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के अन्तर्गत सी.पी.सी.बी. ने राज्य में 13 नये परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन²⁵ स्वीकृत (अप्रैल 2011) किये और म.प्र.प्र.नि.बो. को निगरानी प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया था। वर्ष 2011-12 से परिवेशीय वायु में, अधिक स्वास्थ्य जोखिम का माना जाने वाला, एक नया प्रचालक PM_{2.5} (2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास का महीन कण) निगरानी के लिये शुरू किया गया था।

कार्यक्रम के अन्तर्गत, म.प्र.प्र.नि.बो. को प्रत्येक स्टेशन पर सप्ताह में दो बार परिवेशीय वायु का अनुवीक्षण करना था अर्थात् एक वर्ष में 104 मापन। उन्हें एक वर्ष²⁶ में प्रत्येक स्टेशन से सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के 624 नमूने, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकूलेट मैटर (आर.एस.पी.एम) के 312 नमूने और प्रचालक PM_{2.5} के 104 परिवेशीय वायु गुणवत्ता नमूने लेना थे।

25 कार्यशील स्टेशनों के लिये, सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिये 15,600 नमूनों, आर.एस.पी.एम के लिये 7,800 नमूनों और PM_{2.5} के लिये 2,600 नमूनों के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध, लिये गये और परीक्षण किये गये नमूनों की स्थिति तालिका-8 के अनुसार है।

तालिका-8: राज्य में एन.ए.एम.पी. स्टेशनों के लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति

वर्ष	सल्फर डाई ऑक्साइड (SO ₂)		नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO _x)		आर.एस.पी.एम		PM _{2.5}	
	लक्ष्य	परीक्षित नमूने (प्रतिशत)	लक्ष्य	परीक्षित नमूने (प्रतिशत)	लक्ष्य	परीक्षित नमूने (प्रतिशत)	लक्ष्य	परीक्षित नमूने (प्रतिशत)
2009-10	15,600	9,919 (64)	15,600	9,919 (64)	7,800	5,108 (65)	--	--
2010-11	15,600	10,064 (65)	15,600	10,100 (65)	7,800	5,418 (69)	--	--
2011-12	15,600	9,706 (62)	15,600	9,859 (63)	7,800	5,207 (67)	2,600	31 (01)
2012-13	15,600	9,527 (61)	15,600	9,529 (61)	7,800	5,067 (65)	2,600	115 (04)
2013-14	15,600	9,039 (58)	15,600	9,274 (59)	7,800	4,839 (62)	2,600	206 (08)
कुल	78,000	48,255 (62)	78,000	48,681 (62)	39,000	25,639 (66)	7,800	352 (05)
कमी		38 प्रतिशत		38 प्रतिशत		34 प्रतिशत		95 प्रतिशत

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)

इस प्रकार, सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के नमूनों में 38 प्रतिशत की कमी, आर.एस.पी.एम के नमूनों में 34 प्रतिशत की कमी थी जबकि पैरामीटर PM_{2.5} के नमूनों में 95 प्रतिशत की कमी थी। इसके अतिरिक्त, 13 नवीन स्वीकृत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन और एक पुराना स्टेशन (कटरा बाजार, सागर) कार्यशील नहीं थे।

²⁵ अमलाई: 2, भोपाल: 4, छिंदवाड़ा: 2, जबलपुर: 1, कटनी: 2 और पीथमपुर (इंदौर): 2।

²⁶ (क) SO₂ और NO_x - 104 माप X 6 (प्रति 4 घण्टा के अंतराल पर) = 624 माप,
(ख) आर.एस.पी.एम - 104 माप X 3 (प्रति 8 घण्टा के अंतराल पर) = 312 माप,
(ग) PM_{2.5} - 104 माप X 1 (24 घण्टा के अंतराल पर) = 104 माप।

निर्गम सम्मेलन में, अध्यक्ष ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि वाहन प्रदूषण की अनुवीक्षण रिपोर्ट्स आर.टी.ओ. को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गयी थी क्योंकि वह कार्यवाही करने के लिये प्राधिकारी है। आगे, अध्यक्ष ने कहा कि अनुवर्ती कार्रवाई के लिये मामले को आर.टी.ओ. के साथ लिया जावेगा।

तथ्यात्मक स्थिति यह थी कि आर.टी.ओ. के साथ अनुसरण की कमी के कारण, आर.टी.ओ. द्वारा की गयी कार्यवाही म.प्र.प्र.नि.बो./क्षेत्रीय कार्यालयों को पता नहीं थी।

2.1.10.3 औद्योगिक वायु के नमूनों का एकत्रण और परीक्षण

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य में औद्योगिक परिवेशीय वायु तथा चिमनियों के उत्सर्जन के नमूनों के लक्ष्य तथा उपलब्धि की स्थिति तालिका-10 में दी गयी है।

तालिका-10: औद्योगिक वायु के परीक्षण के लक्ष्य और उपलब्धि की स्थिति

वर्ष	परिवेशीय वायु			चिमनी		
	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी (प्रतिशत)
2009-10	2487	2040	447 (18)	793	661	132 (17)
2010-11	2768	2468	300 (11)	722	760	निरंक
2011-12	4234	2650	1584 (37)	843	796	47 (06)
2012-13	3678	2446	1232 (33)	841	883	निरंक
2013-14	3601	3648	निरंक	814	997	निरंक

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)

सदस्य सचिव ने कहा (अगस्त 2014) कि नमूनों के संग्रहण के समय उद्योगों का बंद पाया जाना और बारिश के कारण परिवेशीय वायु की निगरानी प्रभावित होना कमी के कारण थे।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नमूनों के संग्रहण कार्यक्रम की रूपरेखा जब उद्योग कार्य कर रहे थे तब बनाना चाहिए थी, जिससे पर्याप्त नमूने लेकर विश्लेषण किया जा सके।

आगे, छः नमूना जांच किये गये क्षेत्रीय कार्यालयों²⁷ द्वारा उपलब्ध कराई गयीं वर्ष 2013-14 की औद्योगिक वायु की निगरानी रिपोर्टों की नमूना जांच में हमने पाया कि 50 औद्योगिक इकाइयों में प्रचालक आर.एस.पी.एम. 100 $\mu\text{g}/\text{M}^3$ की अनुज्ञेय सीमा से अधिक पाये गये थे। इन इकाइयों में आर.एस.पी.एम. निर्धारित मानदण्ड से किस सीमा तक अधिक पाया गया, यह तालिका-11 में दर्शाया गया है।

तालिका-11: उद्योगों द्वारा प्रचालक आर.एस.पी.एम. के आधिक्य की स्थिति

क्रम संख्या	प्रचालक आर.एस.पी.एम. का विस्तार ($\mu\text{g}/\text{M}^3$)	निर्धारित सीमा से आधिक्य वाले उद्योगों की संख्या
1	101-200	22
2	201-300	06
3	301-400	13
4	401-500	03
5	501 और अधिक	06
कुल		50

निर्गम सम्मेलन में, अध्यक्ष ने तथ्यों और लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि की और कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण लक्षित नमूने एकत्रित और परीक्षित नहीं किये जा सके। लक्षित नमूने प्राप्त करने के प्रयास किये जावेंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निर्देशित किया जावेगा।

म.प्र.प्र.नि.बो. नमूनों के संग्रहण और परीक्षण के लिए निर्धारित मानकों का पालन कर सकता है।

²⁷ भोपाल, धार, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर और सतना।

2.1.10.4 ध्वनि प्रदूषण का परीक्षण

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 4 (3) के अर्न्तगत राज्य बोर्ड को ध्वनि प्रदूषण से सम्बंधित सांख्यिकीय और तकनीकी आंकड़ों को एकत्रित, संकलित और प्रकाशित करना था और इसके प्रभावी निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिये उपायों को खोजना था। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अर्न्तगत ध्वनि प्रदूषण के लिये क्षेत्र-वार मानक अधिसूचित किये गये थे।

राज्य में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान, पहचाने गये क्षेत्र/जोन²⁸ में म.प्र.प्र.नि. बो. द्वारा किये गये ध्वनि परीक्षणों तथा मानकों से अधिक ध्वनि की स्थिति तालिका-12 में दिये अनुसार है।

तालिका-12: संचालित किये गये और निर्धारित सीमा से अधिक पाये गये परीक्षणों की स्थिति

वर्ष	परीक्षणों की लक्षित संख्या	किये गये परीक्षणों की कुल संख्या	निर्धारित सीमा से अधिक मामलों की संख्या	सीमा से अधिक मामलों का प्रतिशत
2009-10	3,180	4,249	1,744	41
2010-11	4,320	4,608	2,283	50
2011-12	4,896	6,046	2,837	47
2012-13	5,184	5,822	2,757	47
2013-14	5,184	6,019	2,874	48
कुल	22,764	26,744	12,495	47

(स्रोत: म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े)

उपरोक्त तालिका भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों²⁹ से वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 41 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अधिक ध्वनि पाया जाना इंगित करती है।

आगे, चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों में पाया गया कि व्यावसायिक क्षेत्र में 65 प्रतिशत नमूनों में, शांत क्षेत्र में 59 प्रतिशत नमूनों में, आवासीय क्षेत्र में 56 प्रतिशत नमूनों में और औद्योगिक क्षेत्र में 25 प्रतिशत नमूनों में ध्वनि प्रदूषण मानकों से अधिक पाया गया था।

हमने पाया कि वर्ष 2013-14 के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक परीक्षणों की कुल संख्या क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में (87 प्रतिशत), क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर में (65 प्रतिशत) और क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन में (59 प्रतिशत) अधिक थी। चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों में ध्वनि प्रदूषण की क्षेत्र-वार स्थिति परिशिष्ट 2.7 में दर्शायी गयी है।

ध्वनि प्रदूषण के स्तर से सम्बंधित आंकड़ों का प्रकाशन नहीं करने के परिणाम स्वरूप प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के स्तर के बारे में हितधारक और आम जनता भी अनजान बने रहे।

निर्गम सम्मेलन में, अध्यक्ष ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के अनुवीक्षण प्रतिवेदन जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये थे, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के प्रकरणों में जिला प्रशासन प्राधिकृत प्राधिकारी हैं। भविष्य में प्रदूषण के स्तर को इंगित करते हुए ध्वनि प्रदूषण के तकनीकी आंकड़े प्रकाशित किये जावेंगे।

2.1.10.5 सीमेंट संयंत्रों में वायु प्रदूषकों का अधिक उत्सर्जन

वायु अधिनियम की धारा 21 के अर्न्तगत, सीमेंट संयंत्रों को उत्सर्जन के सभी बिन्दुओं पर उचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को बनाए रखने और उपकरण हमेशा काम करने की स्थिति में और हर समय चालू रहें यह सुनिश्चित करने की शर्त के साथ म.प्र. प्र.नि.बो. द्वारा सहमति प्रदान की गयी थी। इकाईयों को कण उत्सर्जन को जहां तक

²⁸ आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, शांत क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र।

²⁹ औद्योगिक क्षेत्र (दिन के समय: 75, रात्रि समय: 70), व्यावसायिक क्षेत्र (दिन के समय: 65, रात्रि समय: 55), आवासीय क्षेत्र (दिन के समय: 55, रात्रि समय: 45) और शांत क्षेत्र (दिन के समय: 50, रात्रि समय: 40) सीमायें dB (A) Leq में हैं।

47 प्रतिशत मामलों में ध्वनि प्रदूषण निर्धारित मानकों से अधिक था

संभव हो सीमित करने के प्रयास करना था। किसी भी समय चिमनियों से उत्सर्जन 50 mg/Nm³ से अधिक नहीं होना था। उद्योगों के परिसर की सीमा पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता भी निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होना चाहिए थी।

सीमेंट संयंत्र
अधिशेष प्रदूषकों
का उत्सर्जन कर
रहे थे और इस
प्रकार वायु प्रदूषण
कर रहे थे

सीमेंट संयंत्रों की निगरानी रिपोर्टों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि सीमेंट संयंत्रों के आसपास के पर्यावरण में वायु में निलम्बित आर.एस.पी.एम. (PM₁₀), पार्टिकूलेट मैटर (PM_{2.5}) तथा चिमनियों से पार्टिकूलेट उत्सर्जन अनुज्ञेय सीमा से अधिक था। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिये PM₁₀, PM_{2.5} तथा चिमनी के पार्टिकूलेट मैटर की पांच सीमेंट संयंत्रों में निगरानी स्थिति **परिशिष्ट-2.8** में दी गयी है। तीन सीमेंट संयंत्रों³⁰ में अधिशेष उत्सर्जन का प्रतिशत क्रमशः 110, 120 और 89 प्रतिशत तक था।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि जहां उत्सर्जन स्तर अनुज्ञेय सीमा से अधिक था उन सीमेंट संयंत्रों को उत्सर्जन स्तर को नीचे लाने के निर्देशों के साथ नोटिस जारी किये गये थे। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की क्षमता को बढ़ाकर उत्सर्जन स्तर को नीचे लाने के लिये, म.प्र.प्र.नि.बो. सुधारात्मक कार्यवाही करेगा।

2.1.11 अपशिष्ट प्रबंधन

अपशिष्टों के जल स्रोतों पर पहुंचने पर सतही जल प्रदूषित होता है जबकि अपशिष्ट के अवशेषों के भू-जल में रिसने से भू-जल प्रदूषित होता है। अपशिष्टों का प्रबंधन और हथालन (हैंडलिंग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसके अर्न्तगत बनाए गये नियमों अर्थात् जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम 1998; परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008; नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000 इत्यादि द्वारा नियंत्रित होता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बी.एम.डब्ल्यू.) मनुष्य या पशुओं के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान या अनुसंधान की गतिविधियों में उत्पन्न होता है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिये खतरनाक है अतः बी.एम.डब्ल्यू. का प्रबंधन स्वास्थ्य के देखभाल का अभिन्न हिस्सा है।

2.1.11.1 स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों (एच.सी.ई.) का प्राधिकार

बी.एम.डब्ल्यू. नियम के नियम 8 के अनुसार बी.एम.डब्ल्यू. का निपटान करने और/अथवा किसी अन्य ढंग से उनका हथालन करने वाले प्रत्येक अधिभोगी को बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना चाहिए। बी.एम.डब्ल्यू. नियम 1998 के नियम 7(7) के अनुसार प्राधिकार के लिये प्राप्त प्रत्येक आवेदन का विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा।

म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा सी.पी.सी.बी. को प्रस्तुत बी.एम.डब्ल्यू. के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच से यह उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2009 से 2013 के दौरान राज्य में कार्यरत 2280 से 2850 एच.सी.ई. में से, 808 से 1274 एच.सी.ई. प्राधिकार के बिना कार्य कर रही थीं और 782 से 1217 एच.सी.ई. ने प्राधिकार के लिये आवेदन नहीं किया था। एच.सी.ई. की कुल संख्या, प्राधिकार के लिये आवेदित एच.सी.ई. और म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा दिये गये प्राधिकार का वर्ष-वार विवरण **परिशिष्ट-2.9** में दर्शाया गया है।

चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों एवं म.प्र.प्र.नि.बो. मुख्यालय में प्राधिकार सम्बंधी अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि म.प्र.प्र.नि.बो. मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा

एच.सी.ई. को 9 से
623 दिनों के
विलम्ब से प्राधिकार
जारी किये गये थे

³⁰ प्रिज्म सीमेंट लिमि. सतना, मैहर सीमेंट, सतना और के.जे.एस. सीमेंट प्लांट, सतना ।

47 प्रकरणों³¹ में अधिभोगियों को प्राधिकार आदेश निर्धारित 90 दिनों से परे 9 से 623 दिनों की देरी के साथ जारी किये गये थे।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि भविष्य में देरी को टाला जावेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एच.सी.ई. को प्राधिकार तंत्र के तहत लाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

2.1.11.2 प्राधिकार नवीनीकरण के बिना एच.सी.ई. का कार्यरत रहना

बी.एम.डब्ल्यू. नियम 8 के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उत्सर्जन, संग्रहण, प्राप्तिकरण, भण्डारण, परिवहन, व्यवहार, निपटान करने और/अथवा किसी अन्य ढंग से उनका हथालन करने वाले संस्थान के प्रत्येक अधिभोगी को बी.एम.डब्ल्यू. का निपटान और हथालन करने के लिये म.प्र.प्र.नि.बो. से प्राधिकार प्राप्त करना चाहिए।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 में, अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान है।

प्राधिकार के नवीनीकरण के बिना 627 एच.सी.ई. कार्य कर रहे थे

एच.सी.ई. से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों में 627 एच.सी.ई., जिन्होंने प्रारम्भ में प्राधिकार प्राप्त किया था, बाद में प्राधिकार नवीनीकरण के बिना मार्च 2014 की स्थिति में कार्य कर रही थीं (परिशिष्ट-2.10)।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों की कमी की वजह से यह नहीं किया जा सका और एच.सी.ई. को प्राधिकार तंत्र के तहत लाने के लिये प्रयास किये जावेंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, म.प्र.प्र.नि.बो. ने अपनी जिम्मेदारी को नोटिस जारी करने तक ही सीमित रखा और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार चूककर्ता एच.सी.ई. पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाना नहीं पाया गया।

2.1.11.3 बी.एम.डब्ल्यू. पर सलाहकार समिति की अपर्याप्त बैठकें

बी.एम.डब्ल्यू. पर सलाहकार समिति की प्रत्येक तीन माह में एक मीटिंग के प्रावधान के विरुद्ध, 2011 से केवल एक मीटिंग आयोजित हुयी थी

राज्य सभा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, राज्य सरकार, ने बी.एम.डब्ल्यू. नियम के कार्यान्वयन से सम्बंधित मामलों पर राज्य सरकार और म.प्र.प्र.नि.बो. को सलाह देने के लिये एक सलाहकार समिति³² का गठन (जनवरी 2011) किया था। इस शीर्ष समिति को बी.एम.डब्ल्यू. नियम के प्रवर्तन के समन्वय के लिये प्रत्येक तीन महीने में एक बार मिलना था।

हमने पाया कि सलाहकार समिति केवल एक बार मार्च 2011 में मिली थी। समिति ने क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बी.एम.डब्ल्यू. के प्रबंधन के सम्बंध में अस्पताल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और ग्रामीण क्षेत्रों से सार्वजनिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा (सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ.) तक कचरे के परिवहन की स्थिति सहित बी.एम.डब्ल्यू. के प्रबंधन का अध्ययन करने के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने का निर्णय लिया था। इस कार्य के लिये, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जो वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, के साथ म.प्र.प्र.नि.बो. को समन्वय स्थापित करना था।

कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाले पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको) को डी.पी.आर. तैयार करने का काम दिया (जून 2011) गया था, लेकिन हमने पाया कि एफको द्वारा डी.पी.आर. तैयार नहीं किया गया था। अवधि 2011-14 के दौरान नौ क्षेत्रीय

³¹ एम.पी.पी.सी.बी. मुख्यालय: 03 प्रकरण (31-339 दिन), क्षेत्रीय कार्यालय: भोपाल 08 प्रकरण (9-240 दिन), धार: 04 प्रकरण (19-366 दिन), ग्वालियर: 06 प्रकरण (16-182 दिन), इंदौर: 08 प्रकरण (63-208 दिन), जबलपुर: 02 प्रकरण (27-221 दिन), सतना: 16 प्रकरण (9-623 दिन)।

³² प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में।

33	भापाल (01), गुना (01), खालियर (02), इंदौर (01), जबलपुर (01), रीवा (01), सागर (01), सतना (02) और उज्जैन (01)।
34	धार, कटनी, शहडोल और सिंगरौली।
35	क्षेत्रीय कार्यालय: भापाल, इन्दौर, जबलपुर और सतना।

भरमकों से उत्सर्जन के लिये निर्धारित प्रचालकों की जांच नहीं की गयी थी

- सीहोर स्थित सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. को बैरल और गुना जिलों, जो कि सीहोर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, को कवर करने के लिये प्राधिकृत किया गया था।
- इन्दौर स्थित भरमक द्वारा, क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत का परीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय सतना और जबलपुर द्वारा नहीं किया जा रहा था।
- राज्य में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (सी.ओ.सी.) का परीक्षण चारों क्षेत्रीय कार्यालयों में से किसी के द्वारा भी नहीं किया जा रहा था जबकि प्रचल एच.सी.एल. निगरानी रिपोर्टों की संवीक्षा में निम्नांकित उद्घाटित हुआ:-
नमूना जांच किये गये चार क्षेत्रीय कार्यालयों³³ में भरमकों से सम्बंधित अभिलेखों एवं राज्य में 15 सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. थे।

2.1.11.4 भरमकों के लिये भानदण्डों का परीक्षण

डी.एम.डब्ल्यू. पर सलाहकार समिति निर्धारित अंतराल पर बैठकें कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि उसकी सिफारिशें कार्यान्वित की गयी हैं।

राज्यीय तकनीकी सलाहकार समिति गठित की है।

लिये म.प्र.नि.बो. ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य सुविधा किया कि डी.एम.डब्ल्यू. के मुद्दों को सम्बंधित करने और आवधिक समीक्षा के प्रयास किये जायें और इसकी सिफारिशों को लागू किया जावेगा। उन्होंने यह भी निर्णय सम्मेलन में अद्यक्ष ने कहा कि समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने के उल्लेख किये जाने पर सदस्य सचिव ने कहा (अगस्त 2014) कि एफको को आवश्यक निधि प्रदान नहीं किये जाने के कारण उनका कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था।

सिफारिशें अगस्त 2014 की स्थिति में पूरी तरह से लागू नहीं की गयी थीं।

प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित नहीं की गयी थी। इस प्रकार, सलाहकार समिति की प्रशिक्षणों को प्रशिक्षण दिया गया। बचे हुए चार क्षेत्रीय कार्यालयों³³ में कोई कार्यालयों में केवल 11 प्रशिक्षण/कार्यशालाओं³³ आयोजित की गयी थीं जिसमें 1761

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि उपकरणों की कमी के कारण ये प्राचल (व्ही.ओ.सी. और एच.सी.एल.) परीक्षित नहीं किये जा सके। भविष्य में इनका परीक्षण किया जावेगा। उस क्षेत्र में किसी अन्य सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. के उपलब्ध न होने के कारण, 150 किमी की परिधि के बाहर सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. को प्राधिकार जारी किया गया था।

परिसंकटमय अपशिष्ट

परिसंकटमय अपशिष्ट से आशय, उस अपशिष्ट से है जो अपने किसी भौतिक, रासायनिक, पुनःअभिक्रिया, विषैले, ज्वलनशील, विस्फोटक या संक्षारक लक्षणों के कारण स्वास्थ्य या पर्यावरण को खतरा उत्पन्न करता है या खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। कुछ उद्योग अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं जो कि विषैली प्रकृति के रहते हैं और पर्याप्त नियंत्रण वांछित होता है।

2.1.11.5 अधिमोगियों को बिलम्ब से प्राधिकार जारी करना और प्राधिकार की शर्तों की पंजी का रखरखाव न करना

परिसंकटमय अपशिष्ट नियम 5 यह उपबंधित करता है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से जो परिसंकटमय अपशिष्ट को उत्पन्न करने, संग्रहण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, अन्तरण या उस प्रकार के कार्य में लगे हैं, राज्य बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने की अपेक्षा होगी। प्राधिकार के लिये सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य बोर्ड 120 दिनों के भीतर ऐसी शर्तों के अधीन प्राधिकार जारी करेगा, जो उसमें अधिकथित की जाएं।

प्राधिकार से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि 22 प्रकरणों³⁶ (नमूना जांच किये गये 220 प्रकरणों में से) में प्राधिकार 347 दिनों तक के बिलम्ब से जारी किये गये थे। तथापि, प्राधिकार आवेदन की तारीख से दिये गये थे। 22 प्रकरणों में से 13 प्रकरणों में 30 दिनों से अधिक का बिलम्ब था। इस प्रकार, इन अधिमोगियों को प्राधिकार जारी करने में बिलम्ब के फलस्वरूप, अधिमोगी बिलम्ब की अवधि में बिना प्राधिकार के कार्य कर रहे थे।

परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत अधिमोगियों को प्राधिकार देने में विलम्ब हुआ था

प्राधिकार देने की शर्तों की पंजी संघारित नहीं थी

हमने यह भी पाया कि नियम में अपेक्षित होने पर भी, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राधिकार देने/नवीनीकरण के दौरान अधिरोपित शर्तों की पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, प्राधिकार से प्रभावी व्यक्ति के लिये शर्तें खुली नहीं थीं।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकार जारी करने में बिलम्ब को टालने के प्रयास किये जावेंगे और क्षेत्रीय कार्यालयों को प्राधिकार देते समय शर्तों की पंजी को संघारित करने के लिये निर्देशित किया जावेगा।

नियम में निर्धारित अनुसार, म.प्र.प्र.नि.बो. को प्राधिकार देते समय अधिरोपित शर्तों की पंजी का संधारण सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.11.6 प्राधिकार नवीनीकरण के बिना उद्योगों का कार्यरत रहना

परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 2008 के नियम 5(4) के अनुसार, उद्योगों को कार्यकरण के लिये राज्य बोर्ड द्वारा दिया गया प्राधिकार पांच वर्षों की अवधि के लिये विधिमाम्य है और उद्योगों के अविच्छिन्न कार्य करने के लिये इसका नवीनीकृत होना अपेक्षित है।

परीक्षण किये गये चार क्षेत्रीय कार्यालयों में परिसंकटमय अपशिष्ट की इन्वेंट्री रिपोर्ट की नमूना जांच में पाया गया कि परिसंकटमय अपशिष्ट का उत्सर्जन कर रहे 625 उद्योगों

625 उद्योगों में से 76 उद्योग परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार के बिना कार्य कर रहे थे

³⁶ प्रकरणों की संख्या: भोपाल: 02 (32-158 दिन), धार: 05 (1-52 दिन), ग्वालियर: 06 (12-227 दिन), इन्दौर: 03 (1-28 दिन), जबलपुर: 01 (1 दिन), सतना: 05 (29-347 दिन)।

में से 76 औद्योगिक संस्थायें³⁷ मार्च 2014 की स्थिति में प्राधिकार नवीनीकरण के बिना संचालित थीं।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों की कमी की वजह से यह नहीं किया जा सका और उद्योगों को प्राधिकार तंत्र के तहत लाने के लिये प्रयास किये जावेंगे।

नगरीय ठोस अपशिष्ट

नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम.एस.डब्ल्यू.) में औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित बी.एम.डब्ल्यू. को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय क्षेत्रों में उत्पन्न वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट शामिल हैं।

2.1.11.7 एम.एस.डब्ल्यू. नियमों के तहत निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम के अनुसार नगर पालिकायें एम.एस.डब्ल्यू. के निपटान के लिये जिम्मेदार हैं और राज्य बोर्ड नियम में उल्लेखित मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिये जिम्मेदार हैं। नियम यह भी प्रावधानित करता है कि छः प्राचलों अर्थात् संग्रहण, भण्डारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन के सम्बंध में एम.एस.डब्ल्यू. का प्रबंधन और हथालन नियम (अनुसूची II) में निर्धारित अनुपालन मानदण्ड के अनुसार किया जाना चाहिए।

स्थानीय निकायों के दो प्रतिशत से भी कम के द्वारा एम.एस.डब्ल्यू. का प्रसंस्करण और व्ययन किया जा रहा था

म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा सी.पी.सी.बी. को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य में 338 से 365 स्थानीय निकाय (एल.बी.) थे। हमने पाया कि इन वर्षों में एम.एस.डब्ल्यू. का संग्रहण केवल 3 से 11 एल.बी., जबकि एम.एस.डब्ल्यू. का प्रसंस्करण और व्ययन केवल एक से पांच एल.बी. के द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार, एम.एस.डब्ल्यू. का प्रसंस्करण और व्ययन दो प्रतिशत से भी कम स्थानीय निकायों के द्वारा किया जा रहा था। अवधि 2009-14 के दौरान स्थानीय निकायों द्वारा छः प्राचलों के लिये मानदण्डों के अनुपालन की स्थिति **परिशिष्ट-2.11** में दी गयी है।

निर्गम सम्मेलन में, अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय निकायों को नोटिस जारी किये जा रहे थे। स्थिति में सुधार के लिये म.प्र.प्र.नि.बो. स्तर पर निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। क्योंकि, स्थानीय निकाय शासकीय निकाय हैं, इस मुद्दे को सरकार में उचित स्तर पर ध्यान में लाया गया था।

2.1.12 उद्योगों एवं एच.सी.ई. में प्रदूषण के नियंत्रण के लिये अनुवीक्षण

बी.एम.डब्ल्यू., परिसंकटमय अपशिष्ट और सहमति नियमों के अन्तर्गत जारी प्राधिकार और सहमति की विभिन्न शर्तों के अनुपालन के अनुश्रवण के लिये राज्य बोर्ड को प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करना अपेक्षित था। सहमति नियम, 1975 के नियम 6 के अनुसार राज्य में प्रदूषण की निरंतर जांच के क्रम में म.प्र.प्र.नि.बो. को एजेंसियों की आकस्मिक जांच और निरीक्षण भी करना था।

उद्योगों और एच.सी.ई. के निरीक्षण के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं थे

म.प्र.प्र.नि.बो. और क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पता चला कि सहमति/प्राधिकार जारी करने और उनके नवीनीकरण के समय उद्योगों तथा एच.सी.ई. का निरीक्षण किया गया था। अवधि 2009-14 के दौरान किए गए आकस्मिक निरीक्षण को दर्शाने वाला कोई अभिलेख नहीं था।

आर.ओ. ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि शिकायत के मामलों, यदि कोई हो, में भी निरीक्षण किये गये थे।

³⁷ भोपाल (06), धार (11), इन्दौर (51) और जबलपुर (08)।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि यादृच्छिक निरीक्षण के लिये सतर्कता टीम गठित की गई है।

म.प्र.प्र.नि.बो. उद्योगों और एच.सी.ई. के निरीक्षण के लिये उनके प्रदूषण संभाव्यता के आधार पर निरीक्षण के लिये मानदण्ड तय कर सकता है और उनका अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

2.1.13 कार्य-नियमावली तैयार न करना

विभागीय नियमावली, विभाग के प्रशासनिक कार्यों से सम्बंधित विस्तृत मार्गदर्शन के लिये स्थायी निर्देश हैं और किसी भी विभाग के सुचारु संचालन के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

हमने पाया कि, विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अन्तर्गत समय-समय पर बोर्ड को सौंपे गये उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिये, 1974 में स्थापित होने के बावजूद, म.प्र.प्र.नि.बो. ने कोई नियमावली तैयार नहीं की थी।

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने कहा कि कार्य-नियमावली तैयार करने के लिये समिति का गठन किया जा चुका है यह शीघ्र ही तैयार किया जाएगा।

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के लिये, प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हुए म.प्र.प्र.नि.बो. कार्य-नियमावली तैयार कर सकता है।

म.प्र.प्र.नि.बो. ने कार्य-नियमावली तैयार नहीं की थी

2.1.14 जनशक्ति प्रबंधन

31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, म.प्र.प्र.नि.बो. में विभिन्न श्रेणियों में, परिशिष्ट 2.12 में दर्शाये अनुसार, 303 कर्मचारियों (स्वीकृत पदों का 39 प्रतिशत) की कमी थी। हमने पाया कि सहमति/प्राधिकार और निरीक्षण के लिये जिम्मेदार तकनीकी सेवाओं में कर्मचारियों की कमी 45 प्रतिशत थी जबकि नमूनों के संग्रहण और परीक्षण तथा अनुसंधान कार्यों के लिये जिम्मेदार वैज्ञानिक सेवाओं में कर्मचारियों की कमी 41 प्रतिशत थी। कमी म.प्र.प्र.नि.बो. के कामकाज को विशिष्टतः नमूनों के संग्रहण और परीक्षण तथा निरीक्षणों के संचालन को प्रतिकूलतः प्रभावित करेगी।

म.प्र.प्र.नि.बो. में जनशक्ति की महत्वपूर्ण कमी थी

निर्गम सम्मेलन में अध्यक्ष ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया।

म.प्र.प्र.नि.बो. के कुशल संचालन के लिये रिक्त पदों को भरा जा सकता है।

2.1.15 निष्कर्ष

पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (म.प्र.प्र.नि.बो.) की कार्यप्रणाली पर्याप्त नहीं थी जैसा कि निम्न से परिलक्षित है:

- उद्योगों तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों को सहमति/प्राधिकार देने में उल्लेखनीय देरी हुई थी। नमूना जांच किये गये क्षेत्रीय कार्यालयों में, 2190 उद्योग, 280 स्थानीय निकाय और 28 निर्माण परियोजनायें जल अधिनियम/वायु अधिनियम के अन्तर्गत या तो सहमति प्राप्त किये बिना या सहमति के नवीनीकरण के बिना कार्य कर रहे थे। 625 उद्योगों में से 76 उद्योग परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार के नवीनीकरण के बिना कार्य कर रहे थे।

- प्रदूषण स्तर के अनुवीक्षण के लिये उद्योगों से नमूना संग्रहण और परीक्षण के लिये म.प्र.प्र.नि.बो. ने अपने मानदण्डों का पालन नहीं किया और मानदण्डों से कम लक्ष्य निर्धारित किए थे।

- चयनित आर.ओ. में 32 जिलों में, घरेलू बहिःस्त्राव/जलमल के उपचार के लिये कोई जलमल उपचार संयंत्र नहीं था। नदी के जल की गुणवत्ता 19 स्थानों पर अवनत हुई थी और आठ स्थानों पर सुधार हुआ था।
- 39 स्वीकृत स्टेशनों में से, 14 परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण स्टेशन कार्यात्मक नहीं थे। कार्यात्मक स्टेशनों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता के नमूनों में कमी 34 से 95 प्रतिशत के बीच थी।
- सीमेंट संयंत्र वायु प्रदूषकों का अधिक उत्सर्जन कर रहे थे।
- म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा उद्योगों और एच.सी.ई. के निरीक्षण के लिये निर्धारित मानदण्ड के अभाव में प्रदूषण के नियंत्रण का अनुवीक्षण सीमित रहा। जनवरी 2011 में गठित बी.एम.डब्ल्यू. पर शीर्ष समिति की बैठक 2011 में एक बार को छोड़कर कभी नहीं हुई।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

2.2 मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

कार्यपालन सारांश

कम कीमत पर जनता के लिये खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये और साथ ही गरीबों के लिये खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) सरकार की आर्थिक रणनीति का एक प्रमुख साधन है। यद्यपि देश में खाद्यान्न के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के साथ निहित है, राज्य सरकार राज्य में पी.डी.एस. के माध्यम से उसके प्रभावी वितरण के लिये जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया गया। राज्य सरकार ने अवधि 2009-14 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न सब्सिडी पर ₹ 2,055 करोड़ व्यय किया था। अवधि 2009-14 के दौरान मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- अवधि 2013-14 के दौरान निधियों के उपयोग में उल्लेखनीय कमी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियाकलापों को प्रभावित किया जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में उचित मूल्य की दुकानों एवं लीड समितियों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति, गोदामों/कवर्ड एण्ड प्लिन्थ भण्डारण के निर्माण एवं आयोडीनयुक्त नमक का वितरण।

(कड़िका 2.2.6.1)

- जारी किये गये बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई. राशनकार्डों की संख्या ऐसे परिवारों की संख्या से अधिक थी जो बोगस कार्डों का प्रचलित होना दर्शाता है। शासन ने बोगस राशनकार्डों की पहचान एवं उन्मूलन के लिये पहल की थी। लेकिन सर्वे सूची से बी.पी.एल./ए.ए.वाई. राशनकार्डों का मिलान नहीं किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण समय सीमा में नहीं हुआ था।

(कड़िका 2.2.7.1 से 2.2.7.3)

- विभाग ने 2009-14 की अवधि में 12.44 लाख एम.टी. गेहूं एवं 1.61 लाख एम.टी. चावल वितरण नहीं किया। 6.84 लाख एम.टी. ए.पी.एल. कोटा गेहूं बी.पी.एल. कार्डधारियों के लिये व्यपवर्तन किये जाने से अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

(कड़िका 2.2.8.1 से 2.2.8.2)

- भारी मात्रा में पी.डी.एस. वस्तुयें उचित मूल्य की दुकानों में अवितरित रहने से अवैध व्यपवर्तन हो सकता है।

(कड़िका 2.2.8.4)

- एकल एवं डबल एल.पी.जी. सिलेन्डर रखने वाले कार्डधारकों की पात्रता सुनिश्चित किये बगैर केरोसिन तेल वितरण किया गया था।

(कड़िका 2.2.8.7)

- ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की उल्लेखनीय कमी थी।

(कड़िका 2.2.9)

- कलेक्टर द्वारा उठाव एवं उचित मूल्य की दुकानों में पी.डी.एस. वस्तुओं के निर्गम की मासिक समीक्षा के आयोजन में कमी थी। खाद्यान्न के आवंटन, वितरण की समीक्षा हेतु सतर्कता समिति की बैठकें नियमित रूप से नहीं हुईं।

(कड़िका 2.2.10.2 एवं 2.2.10.3)

2.2.1 प्रस्तावना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) द्वारा गरीबों को कम कीमत पर खाद्यान्न के वितरण के लिये उचित मूल्य की दुकानों (एफ.पी.एस.) के माध्यम से राशनकार्ड धारकों (उपभोक्ताओं) के लिये आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। भारत सरकार(जी.ओ.आई.) द्वारा जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) की शुरूआत की गई थी जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बी.पी.एल.) प्रत्येक परिवार को रियायती दरों पर खाद्यान्न जारी किया जाना था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक केन्द्रित कर भारत सरकार ने देश में अतिगरीब लोगों के लिये अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति के लिये अन्त्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) को आरम्भ (दिसम्बर 2000) किया था।

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.पी.एस.सी.एस.सी.) पी.डी.एस. तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं में वितरण हेतु राज्य सरकार की ऐजेंसी के रूप में खाद्यान्न का उपाजन करता है। जी.ओ.आई. के आवंटन से अधिक उपाजन को भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को प्रदाय किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूँ, चावल, मोटा अनाज¹, शक्कर, केरोसीन तेल और नमक बी.पी.एल, ए.ए.वाई एवं गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) परिवारों को वितरित किये जाते हैं।

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क में कुल 22,165 उचित मूल्य की दुकानें (ग्रामीण: 18,041 एवं शहरी: 4,124) शामिल थीं। मार्च 2014 की स्थिति में, कुल परिवारों की संख्या 161.28 लाख (बी.पी.एल.: 58.20 लाख, ए.पी.एल.: 85.49 लाख, ए.ए.वाय.: 17.59 लाख) थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एन.एफ.एस.ए.)² के अनुसार राज्य ने पी.डी.एस. वस्तुओं को मार्च 2014 से पात्र परिवारों के व्यक्तियों यानी प्राथमिकता परिवार (पी.एच.) तथा अन्त्योदय अन्न योजना को देना शुरू किया। मार्च 2014 की स्थिति में, कुल सत्यापित अन्त्योदय अन्न योजना की परिवार संख्या 16.88 लाख एवं प्राथमिकता परिवार संख्या 74.94 लाख थी।

2.2.2 संगठनात्मक संरचना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन का समस्त उत्तरदायित्व खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) विभाग (विभाग) का होता है जिसका शीर्षस्थ अधिकारी प्रमुख सचिव होता है। आवश्यकताओं के आकलन, जिलेवार कोटे के आवंटन एवं कार्यान्वयन ईकाइयों यानि मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को अनुदान/ऋण/सब्सिडी के भुगतान के लिये आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) नोडल अधिकारी हैं।

यह ईकाइयां खाद्यान्न के उपाजन, उनका भण्डारण तथा म.प्र.स्टेट वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन (एम.पी.एस.डब्ल्यू.एल.सी.) की सहायता से उपभोक्ताओं को वितरण हेतु उत्तरदायी हैं। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (डी.सी.सी.बी.) पी.डी.एस. संचालन हेतु लीड/लिक समितियों को वित्तीय सहयोग देता है।

जिला आपूर्ति अधिकारी/जिला आपूर्ति नियंत्रकों (डी.एस.ओ./डी.एस.सी.) की सहायता से जिलों के लिये खाद्यान्न की आवश्यकता का आकलन, और एफ.पी.एस. को पुनः

¹ मक्का एवं ज्वार

² अधिनियम में जनसाधारण को कम कीमत पर गुणवत्तापरक खाद्य की पर्याप्त मात्रा की पहुंच सुनिश्चित कर खाद्य तथा पीस्टिकता सुरक्षा के लिये प्रावधान किया गया है।

आवंटन के लिये जिला कलेक्टर जिम्मेदार हैं। वे जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के समग्र नियंत्रण एवं निगरानी के लिये उत्तरदायी हैं। ब्लाक स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) राजस्व एवं तहसीलदार क्रमशः उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन तथा राशनकार्ड जारी करने में डी.एस.ओ./डी.एस.सी. की सहायता करते हैं।

2.2.3 लेखा परीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- हितग्राहियों की पहचान और चयन मानदण्डों के अनुसार किया गया था;
- पी.डी.एस. वस्तुओं की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु वितरण व्यवस्था प्रभावी थी; एवं
- उपयुक्त अनुवीक्षण/निरीक्षण तन्त्र के माध्यम से योजना संचालन की विभिन्न क्रियान्वयन इकाइयों पर प्रभावी सतर्कता बरती गयी थी।

2.2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखा परीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये:

- राशनकार्डों का जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों का संचालन, वितरण, पी.डी.एस. वस्तुओं का आवंटन एवं भंडारण साथ ही साथ निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 (जी.ओ.आई.) तथा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एम.पी.पी.डी.एस.) (नियंत्रण) आदेश, 2009 के प्रावधान।
- हितग्राहियों की पहचान से संबंधित भारत सरकार के दिशा निर्देश।
- राशनकार्ड जारी करने, फर्जी राशनकार्डों को हटाने एवं उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज पर निगरानी संबंधी भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेश/निर्देश।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्न की निर्गम पैमाना एवं निर्गम दर।
- राज्य शासन एवं जी.ओ.आई नियंत्रण आदेशों एवं अनुदेशों के तहत निर्धारित निगरानी तन्त्र।

2.2.5 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

2009-14 की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की नवम्बर 2013 और अगस्त 2014 के मध्य कार्यालय आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.), एम.पी.एस.सी. एस.सी., मार्कफेड, एम.पी.एस.डब्ल्यू.एल.सी. मुख्यालय एवं चयनित जिला कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच एवं एकत्रित किये गये आंकड़ों का विश्लेषण कर समीक्षा की गई। राज्य के 51 जिलों³ में से 14 जिलों⁴ का चयन प्रतिस्थापन पद्धति के बिना यादृच्छिक परिचयन (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) द्वारा किया गया। प्रत्येक चयनित जिले में तीन विकासखण्ड और प्रत्येक विकासखण्ड में चार उचित मूल्य की दुकानों का चयन जिला स्तर पर किया गया।

³ एक जिला (आगर-मालवा) अगस्त 2013 में बना था।

⁴ बड़वानी, भोपाल, धार, इंदौर, कटनी, खण्डवा, खरगौन, रायसेन, रतलाम, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और उज्जैन।

चयनित जिलों में जिला प्रबंधक (डी.एम.) एम.पी.एस.सी.एस.सी., जिला विपणन अधिकारी (डी.एम.ओ.) मार्कफेड के अभिलेखों के साथ-साथ चयनित विकासखण्ड के वेयर हाउस/गोदाम, लीड/लिंग सोसाइटी, थोक विक्रेता और उचित मूल्य की दुकानों के अभिलेखों की भी नमूना जांच की गई। प्रवेश सम्मेलन 21 मई 2014 को विभाग के प्रमुख सचिव के साथ आयोजित किया गया जिसमें लेखा परीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं पद्धति के बारे में चर्चा की गई। निर्गम सम्मेलन 5 नवम्बर 2014 को प्रमुख सचिव के साथ आयोजित किया गया; विभाग के विचारों को समीक्षा में उपयुक्त स्थानों पर उचित रूप से शामिल किया गया।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

2.2.6 वित्तीय स्थिति

2.2.6.1 बजट प्रावधान और व्यय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान किये गये बजट प्रावधानों एवं व्यय तालिका-1 में और घटकवार विवरण परिशिष्ट 2.13 में दिखाया गया है।

तालिका-1: बजट प्रावधान के विरुद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत (प्रतिशत)
2009-10	619.45	524.44	95.01 (15.34)
2010-11	718.79	692.44	26.35 (3.67)
2011-12	1,143.52	1,120.66	22.86 (2.00)
2012-13	2,029.47	1,972.74	56.73 (2.80)
2013-14	2,303.69	1,844.60	459.09 (19.93)
योग	6,814.92	6,154.88	660.04(9.69)

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि महत्वपूर्ण बचत (15 प्रतिशत) अवधि 2009-10 में और 2013-14 में (20 प्रतिशत) थी। 2013-14 में धन के उपयोग में कमी मुख्यतः 'सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न के विक्रय में हानि की प्रतिपूर्ति' (₹ 15 करोड़), 'अन्त्योदय अन्न योजना' (₹ 67.81 करोड़), 'कम्प्यूटरीकरण' (₹ 20.50 करोड़), 'अस्थायी रूप से निर्मित कवर्ड एण्ड प्लिन्थ⁵ (कैप) भण्डारण में हानि की प्रतिपूर्ति' (₹ 45 करोड़), 'गोदाम निर्माण' (₹ 67 करोड़) एवं 'आयोडीनयुक्त नमक के वितरण' (₹ 42.22 करोड़) घटकों में हुआ था। यह आयुक्त (एफ.सी. एण्ड सी.पी.) द्वारा बजटीय एवं व्यय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने वित्त विभाग द्वारा आहरणों पर प्रतिबंध लगाने एवं समितियों द्वारा दावे प्रस्तुत न किये जाने के कारण बचत होना बताया।

2.2.7 हितग्राहियों की पहचान

भारत सरकार ने सितम्बर 2002 में बी.पी.एल. परिवार जो कि सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न गरीबी विरोधी कार्यक्रमों में सहायता प्राप्त कर सकते हैं, के पहचान के लिये एक बेहतर कार्यप्रणाली निर्धारित की थी। इस प्रयोजन के लिये, हितग्राहियों के

⁵ खुले में पॉलीथीन से ढका हुआ भण्डारण।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिये और प्रत्येक परिवार के कुल स्कोर गणना के लिये 13 स्कोरेवल संकेतक निर्धारित किये गये थे। जिन परिवारों के 14 प्राप्तांक (13 संकेतक के कुल 52 प्राप्तांक में से) थे वे बी.पी.एल परिवारों के रूप में पहचान किये गये।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों में निर्धारित था कि राज्यों द्वारा इस तरह से बी.पी.एल. परिवारों की पहचान की जा सकती है कि पहचान किये गये कुल हितग्राहियों की संख्या, योजना आयोग द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिये अनुमानित बी.पी.एल. परिवारों की संख्या और उसके 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। राज्य में वर्ष 2002-03 के दौरान बी.पी.एल./ए.ए.वाई. हितग्राहियों की पहचान ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के स्तरों पर की गयी थी और बी.पी.एल सूची इन स्तरों पर प्रदर्शित की गयी थी।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित 37.13 लाख के विरुद्ध, फरवरी 2008 में म.प्र.शासन ने भारत सरकार को राज्य में 'कट ऑफ पाइन्ट' के आधार पर 44.59 लाख बी.पी.एल. परिवारों की संख्या सूचित की थी। बी.पी.एल. सूची में नाम शामिल होना एक सतत प्रक्रिया है और मार्च 2014 के अंत में राज्य में बी.पी.एल सर्वे सूची के अनुसार 75.79 लाख बी.पी.एल. परिवार थे।

2.2.7.1 राशनकार्ड जारी करना

मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के खण्ड 3 के उपबंध एक के प्रावधान अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ए.पी.एल. राशन कार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के नामित अधिकारियों⁶ द्वारा जारी किये जाते हैं। अप्रैल 2013 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) जनपद पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कार्ड जारी करने के लिये अधिकृत किया गया था। म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रावधान अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई कार्ड तहसीलदार द्वारा और शहरी क्षेत्रों के लिये डी.एस. ओ./डी.एस.सी. कार्यालय के सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा जारी किये जाते हैं।

विभाग द्वारा जारी निर्देशों (दिसम्बर 2009) के अनुसार डी.एस.ओ./डी.एस.सी. द्वारा प्रत्येक माह मौजूदा राशन कार्ड का विवरण स्थानीय निकाय के अधिकारियों को सूचित किया जाना था, जिनके द्वारा राशन कार्ड की संख्या, सर्वेक्षण सूची में दर्शाये गये बी.पी.एल. परिवारों की संख्या से अधिक न हो, यह सुनिश्चित करना था। इसके बाद स्थानीय निकायों द्वारा मौजूदा बी.पी.एल./ए.ए.वाई. कार्डों की संख्या आयुक्त (एफ.सी. एण्ड सी.पी.) को प्रत्येक माह सूचित करनी थी। इसके अलावा, आयुक्त द्वारा जिला कलेक्टरों को फर्जी कार्ड को कम करने के लिये कार्ड जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों और स्थानीय निकायों के अधिकारियों की मासिक बैठक उनके अभिलेखों के मिलान हेतु आयोजित करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया (अक्टूबर 2012) गया था।

हमने देखा कि 2009-14 के दौरान राज्य में जारी राशन कार्डों की संख्या बी.पी.एल. परिवारों की संख्या से भिन्न थी, जोकि **तालिका-2** में दिखाया गया है।

⁶ पंचायत सचिव, नगर पालिका तथा नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगरपालिका निगम क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी/सहायक आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से नगर पालिका आयुक्त।

तालिका-2: बी.पी.एल. परिवार, जारी किये गये बी.पी.एल तथा ए.ए.वाई. राशनकार्ड की संख्या (संख्या लाख में)

वर्ष	बी.पी.एल. संख्या	परिवार	जारी किये गये बी.पी.एल एवं ए.ए.वाई. राशनकार्ड की संख्या	आधिक्य(+)/कमी (-)
2009-10	66.57		68.75	(+)2.18
2010-11	66.57		68.78	(+)2.21
2011-12	66.57		70.48	(+)3.91
2012-13	70.90		70.60	(-)0.30
2013-14	70.90		75.79	(+)4.89

(स्रोत: आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

राज्य में बी.पी.एल./ए.ए.वाई. कार्डधारकों की संख्या बी.पी.एल. परिवारों की संख्या से अधिक थी

राज्य में 2009-10 से 2011-12 और 2013-14 में जारी किये गये राशनकार्ड, बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई. परिवारों की संख्या से अधिक होना फर्जी कार्ड के प्रचलन का संकेत देता है। 2012-13 के दौरान जिन परिवारों को कार्ड जारी नहीं किये गये, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पाने से वंचित रहे।

नमूना जांच किये गये जिलों में हमने देखा कि अभिलेखों के मिलान के लिए कार्ड जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों और स्थानीय निकायों के अधिकारियों की मासिक बैठकें आयोजित नहीं की गईं। इसके अलावा डी.एस.ओ./डी.एस.सी. द्वारा स्थानीय निकायों के अधिकारियों को राशनकार्ड के बारे में जानकारी नहीं भेजी गई थी। स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा कार्ड प्रचलन का मासिक प्रतिवेदन आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) को नहीं भेजा गया। हमने पुनः देखा कि जनगणना 2011 में उल्लेखित परिवारों की तुलना में राज्य में सभी श्रेणियों के 6.64 लाख (चार प्रतिशत) अतिरिक्त राशनकार्ड प्रचलन में थे। चयनित 14 में से पांच जिलों⁷ में अतिरिक्त प्रचलन चार से 22 प्रतिशत था। शासन के दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण विसंगतियां थीं।

म.प्र.सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के तहत आवश्यक रूप में राशनकार्ड का डाटाबेस संचालनालय स्तर और जिला स्तर पर संधारित किया जाना था। जिला कलेक्टरों के द्वारा हर साल जारी किये गये राशनकार्डों के 20 प्रतिशत का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाना था। हमने देखा कि राशनकार्डों का डाटाबेस संधारित नहीं किया गया और कलेक्टरों द्वारा राशनकार्डों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड के अभिलेखों एवं सर्वेक्षण सूची के मिलान हेतु जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया जायेगा।

2.2.7.2 फर्जी राशनकार्डों का उन्मूलन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 इंगित करता है कि राज्य सरकार द्वारा फर्जी राशनकार्ड और राशनकार्ड में फर्जी ईकाइयों को हटाने के लिये सतत प्रयास होना चाहिए।

राज्य में अवधि 2009-14 के दौरान 1,06,911 बोगस राशनकार्ड हटाये गये थे। घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) के अभिलेखों की जांच में पता चला कि बोगस राशनकार्ड हटाने के लिये की गई कार्यवाही से सूचित करवाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी (जून 2008) होने के बावजूद, विभाग द्वारा अगस्त 2009 तक पहल नहीं की गई। भारत सरकार द्वारा एक गहन अभियान चलाकर बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई. की सूची एवं राशनकार्ड की समीक्षा कर बोगस राशनकार्ड को समाप्त करने के लिये अगस्त 2009 में जारी निर्देशों के उपरान्त ही राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को अभियान

⁷ बड़वानी: 54,665 (22 प्रतिशत), धार: 48,495 (11 प्रतिशत), खण्डवा: 50,246 (19 प्रतिशत), रतलाम: 12,988 (चार प्रतिशत) एवं उज्जैन: 41,290 (11 प्रतिशत)।

चलाने हेतु दिशा निर्देश जारी (सितम्बर 2009) किये थे। आयोजित अभियान (2009-11) के दौरान, 70,168 फर्जी राशनकार्ड राज्य में समाप्त किये गये, जैसा आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) ने राज्य सरकार को सूचित (जुलाई 2012) किया था।

पुनः, समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर विज्ञापन के दो सप्ताह के भीतर बोगस राशनकार्ड समर्पण करने हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देश (सितम्बर 2010) के संदर्भ में आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) द्वारा सभी कलेक्टरों को अक्टूबर 2010 में निर्देशित किया गया था तथा दो सप्ताह पूर्ण होते ही अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। विज्ञापन के बाद (अक्टूबर से दिसम्बर 2010), 35,428 बोगस राशनकार्ड समर्पित तथा निरस्त किये गये थे। उज्जैन जिले को छोड़कर, नमूना जांच किये गये जिलों में हमने देखा कि विज्ञापन के दो सप्ताह समाप्ति के बाद राशनकार्ड की पुनः समीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था।

इसके अलावा, जून और अक्टूबर 2012 में आयुक्त ने जिला आपूर्ति अधिकारी और जिला कलेक्टरों को रेण्डम आधार पर 40 जिलों⁸ में से प्रत्येक के एक उचित मूल्य की दुकान के जांच करने हेतु और बी.पी.एल./ए.ए.वाई. राशनकार्ड अभिलेखों को बी.पी.एल. सर्वेक्षण सूची के साथ एवं 2011 जनगणना के अनुमानित परिवारों के साथ कुल राशनकार्ड धारकों को मिलान कर बोगस कार्डधारकों का पता लगाने हेतु निर्देशित किया था। अन्तर होना यदि पाया जाता, तो घर-घर जाकर राशनकार्डधारियों का भौतिक सत्यापन कर पता लगाया जाना था।

रेण्डम जांच के दौरान 1,315 बोगस राशनकार्ड का पता चला और कार्डधारकों से उनके द्वारा पूर्व में लिये गये राशन के लिये ₹ 14.62 लाख की वसूली अवधि 2012-14 के दौरान की गई।

हमने देखा कि केवल चयनित तीन जिलों यथा खण्डवा, सतना एवं सीधी में इस अवधि में राशनकार्डों का मिलान किया जाना पाया गया। हालांकि, उनके द्वारा मिलान के दौरान पाये गये अन्तर को व्यवस्थित करने हेतु घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। इस प्रकार राज्य में फर्जी राशनकार्ड के अस्तित्व की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा शासन के निर्देशों के पालन में ढिलाई बरतना तथा आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) के द्वारा निगरानी की कमी को इंगित करता है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा, कि शासन द्वारा फर्जी राशनकार्ड रद्द करने के लिये पर्याप्त प्रयास किया गया था और बोगस राशनकार्ड हटाने के लिये राशनकार्ड की आवधिक जांच करना सुनिश्चित किया जावेगा।

अपात्र और फर्जी राशनकार्ड हटाने के लिये राशनकार्ड की आवधिक जांच जारी रखा जाना चाहिए।

2.2.7.3 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण में विलम्ब

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु भारत सरकार ने मार्गदर्शिका तैयार की थी एवं राज्य सरकार को कार्य योजना बनाने हेतु निर्देशित (अक्टूबर 2011) किया था। कम्प्यूटरीकरण के प्रथम घटक में शामिल राशनकार्ड/हितग्राही एवं अन्य डाटाबेस के डिजीटाइजेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कम्प्यूटरीकरण, ट्रांसपेरेंसी पोर्टल एवं शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना वर्ष 2012-13 के दौरान की जानी थी तथा दूसरे घटक (उचित मूल्य दुकान स्तर पर संचालनों का कम्प्यूटरीकरण) को वर्ष 2013-14 में पूर्ण किया जाना था।

⁸ 10 जिलों को छोड़कर जहां पर पूर्व में जांच की गई थी।

हमने देखा कि राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2013 में प्रस्तावित मांग ₹ 58.51 करोड़ के विरुद्ध जी.ओ.आई. ने ₹ 57.80 करोड़ स्वीकृत (मार्च 2013) किये थे एवं ₹ 17.34 करोड़ प्रथम घटक के क्रियाकलापों हेतु अगुधि 2012-14 के दौरान जारी किये थे। यद्यपि राज्य सरकार ने ₹ 8.55 करोड़ जिलों में राशनकार्डों के डिजीटाइजेशन एवं सप्लाइ चैन मैनेजमेन्ट के लिये हार्डवेयर उपार्जन इत्यादि हेतु वर्ष 2012-13 (₹ 3.11 करोड़) एवं 2013-14 (₹ 5.44 करोड़) में व्यय किया था। जी.ओ.आई. को भेजे गये प्रगति प्रतिवेदन(जुलाई 2014) के अनुसार हितग्राहियों के डिजीटाइजेशन एवं सप्लाइ चैन मैनेजमेन्ट कार्य प्रगति पर था।

इस प्रकार उचित मूल्य की दुकान से राज्य स्तर तक कम्प्यूटरीकरण के लिए जुलाई 2014 तक प्रथम घटक के अंतर्गत क्रियाकलापों का भी कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया। निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा कि हितग्राहियों का डिजीटाइजेशन एक सतत प्रक्रिया है एवं 116 लाख परिवारों का डिजीटाइजेशन किया जा चुका है। सप्लाइ चैन मैनेजमेन्ट का कम्प्यूटरीकरण प्रगति पर है।

2.2.8 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वस्तुओं का वितरण

खरीद और भारतीय खाद्य निगम से उठाया गया खाद्यान्न, शक्कर कारखानों से उठाई गई शक्कर एवं खुले बाजार से क्रय किया गया नमक, प्राधिकृत नामित एम.पी.एस.सी. एस.सी. द्वारा किराये पर लिये गये वेयरहाउस में रखा गया था। एम.पी.एस.सी.एस.सी. द्वारा पी.डी.एस. वस्तुओं को वेयरहाउस से लीड/लिक समितियों⁹ के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को वितरण के लिये प्रदाय किया गया। आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) के आवंटन आदेश के आधार पर तेल कंपनियों द्वारा थोक व्यापारियों को केरोसिन प्रदाय किया गया था। थोक व्यापारियों ने लीड समितियों/अर्द्ध थोक व्यापारियों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को केरोसिन प्रदाय किया था। कार्ड धारकों को पी.डी.एस. वस्तुओं के वितरण हेतु मार्च 2014 की स्थिति में एम.पी.एस.सी.एस.सी. के 189 निर्गम केन्द्र जिले एवं उपजिले स्तर पर, 5.560 लीड समितियाँ एवं लिक समितियाँ और 22,165 उचित मूल्य की दुकानें थीं।

भारत सरकार द्वारा त्रैमासिक/वार्षिक आवंटित किये गये पी.डी.एस. वस्तुओं को आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) द्वारा जिले के डी.एस.ओ./डी.एस.सी. को मासिक रूप से पुनर्आवंटित किया गया था। डी.एस.ओ./डी.एस.सी. ने विकासखण्डवार/उचित मूल्य की दुकानवार आवंटन आदेश जारी किये थे। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2002 से ए.पी.एल, बी.पी.एल एवं ए.ए.वाय कार्डधारकों के लिये खाद्यान्न का निर्गम पैमाना प्रति कार्डधारक 35 किलोग्राम निर्धारित किया था। मार्च 2008 में राज्य शासन ने बी.पी.एल. परिवारों के लिये खाद्यान्न की मात्रा कम कर 20 किलोग्राम प्रति कार्डधारक को की थी तथा उपभोक्ता कीमत की दरों¹⁰ को घटाया था। राज्य में ए.पी.एल. कार्डधारकों के लिये कोई निश्चित निर्गम पैमाना नहीं था।

हालांकि, राज्य सरकार ने ए.पी.एल. कार्डधारकों के लिये गेहूँ एवं चावल का उपभोक्ता मूल्य बढ़ाया¹¹ (मई 2011) था। शक्कर का वितरण बी.पी.एल. तथा ए.ए.वाय. परिवारों को रियायती दर ₹ 13.50 प्रति किलोग्राम से किया गया था। भारत सरकार की

⁹ "लीड सोसाइटी" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी जिसे कलेक्टर द्वारा नियंत्रित आवश्यक वस्तुओं को निर्गम केन्द्र से उठाव करने तथा उसका परिवहन कर अभिहित उचित मूल्य की दुकान को देने हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई है। "लिक समिति" से अभिप्रेत है, कोई प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, लघु वनोपज सहकारी समिति तथा विपणन या थोक उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उचित मूल्य की दुकान चलाये जाने हेतु विभाग द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

¹⁰ गेहूँ का उपभोक्ता कीमत ₹ 5 से ₹ 3 प्रति किलोग्राम और चावल ₹ 6.50 से ₹ 4.50 प्रति किलोग्राम कम हुआ।

¹¹ गेहूँ का मूल्य ₹ 7 से ₹ 9 प्रति किलोग्राम और चावल ₹ 9.20 से ₹ 11.00 प्रति किलोग्राम बढ़ा।

सब्सिडी (₹ 18.50 प्रति किलोग्राम) से अधिक वित्तीय बोझ राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया था। बी.पी.एल./ए.ए.वाय. परिवारों को एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर पर राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से नमक वितरित किया गया।

2009-14 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न के निर्गम मूल्य की सब्सिडी पर बी.पी.एल. के लिये ₹ 1,891.14 करोड़ एवं ए.ए.वाय. के लिये ₹ 163.97 करोड़ का व्यय भारत सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी से अधिक किया गया था।

एन.एफ.एस.ए. 2013 लागू होने से, मार्च 2014 से प्राथमिकता परिवारों को प्रति कार्ड प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मान से एवं ए.ए.वाय. कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम के मान से प्रति माह खाद्यान्न जारी किया जाना था। राज्य स्तर से उचित मूल्य की दुकान तक पी.डी.एस. वस्तुओं का रेखांकित प्रवाह रेखाचित्र में दर्शाया गया है (परिशिष्ट 2.14)।

पी.डी.एस. वस्तुओं का आवंटन, उठाव, वितरण एवं हथालन (handling) में पाई गई कमियों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है

2.2.8.1 बी.पी.एल. हितग्राहियों के लिये ए.पी.एल. कोटे गेहूं का व्यपवर्तन

पी.डी.एस.(नियंत्रण) आदेश, 2001 प्रावधानित करता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारत सरकार द्वारा किये गये आवंटन को राज्य सरकार द्वारा अन्य योजनाओं में वितरण करने के लिये व्यपवर्तन नहीं करना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवारों की कुल संख्या 75.79 लाख पहचान (मार्च 2014) की गई थी। हालांकि, भारत सरकार द्वारा केवल 41.25 लाख बी.पी.एल. परिवारों¹² के लिये खाद्यान्न आवंटित किया गया था। आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) द्वारा आवंटित किये गये खाद्यान्न के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने देखा कि, 6.84 लाख एम.टी. ए.पी.एल. कोटे के गेहूं बी.पी.एल. परिवारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये व्यपवर्तन किया गया था। नतीजतन, वर्ष 2009-14 के दौरान व्यपवर्तन किये गये कुल खाद्यान्न की मात्रा के लिये राज्य सरकार को केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सी.आई.पी.)¹³ और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई उपभोक्ता राशि की दशा में ₹ 507.96 करोड़¹⁴ का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ा। इस प्रकार ए.पी.एल. कोटे के गेहूं का व्यपवर्तन कर भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया गया।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि बी.पी.एल. में कम आवंटन होने के वजह से ए.पी.एल. कोटे के गेहूं का व्यपवर्तन किया गया एवं अधिक वित्तीय बोझ राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया।

2.2.8.2 गेहूं एवं चावल के वितरण में कमी

भारत सरकार द्वारा गेहूं एवं चावल का आवंटन तथा राज्य सरकार द्वारा एम.पी.एस.सी. एस.सी. के माध्यम से वितरण, अवधि 2009-14 के दौरान निम्न प्रकार था:


¹² योजना आयोग (जी.ओ.आई.) के द्वारा गणना की गई संख्या अनुसार।

¹³ पी.डी.एस. के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु जी.ओ.आई. द्वारा अधिसूचित किये गये कीमत।

¹⁴ सी.आई.पी. में अंतर ₹ 1,950 प्रति एम.टी. (₹ 6,100 ए.पी.एल. गेहूं के लिये - ₹ 4,150 बी.पी.एल. गेहूं के लिये) × 6,83,873 एम.टी. = ₹ 13,335.52 लाख + राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उपभोक्ता मूल्य में अंतर ₹ 37,460.60 लाख (2009-11, ₹ 4,000 प्रति एम.टी. × 2,80,806 एम.टी. = ₹ 11,232.24 लाख + 2011-13, ₹ 6,000 प्रति एम.टी. × 2,77,800 एम.टी. = ₹ 16,668.00 लाख + 2013-14, ₹ 6,000 प्रति एम.टी. × 23,050 एम.टी. = ₹ 1,383 लाख + ₹ 8,000 प्रति एम.टी. × 1,02,217 एम.टी. = ₹ 8,177.36 लाख)।

ए.पी.एल. कोटे में
6.84 लाख एम.टी.
गेहूं के बी.पी.एल.
कार्डधारियों के
लिये व्यपवर्तन से
₹ 507.96 करोड़
अतिरिक्त वित्तीय
बोझ पडा

गेहूँ एवं चावल का आवंटन एवं वितरण (लाख मेट्रिक टन में)



अवधि 2009-14 के दौरान विभाग ने 12.44 लाख एम.टी. गेहूँ और 1.61 लाख एम.टी. चावल वितरित नहीं किया।

भारत सरकार के आवंटन के विरुद्ध राज्य द्वारा गेहूँ वितरण का प्रतिशत, 97 प्रतिशत (2009-10) एवं 86 प्रतिशत (2011-12) के मध्य था। चावल वितरण का प्रतिशत, शत प्रतिशत (2009-10) एवं 85 प्रतिशत (2013-14) के मध्य था। विभिन्न श्रेणी के कार्डधारियों के लिये जी.ओ.आई. आवंटन के विरुद्ध खाद्यान्न वितरण का विवरण परिशिष्ट 2.15 में दर्शाया गया है।

विभिन्न श्रेणी के कार्डधारियों के लिये जी.ओ.आई. आवंटन के विरुद्ध गेहूँ एवं चावल का वितरण 2009-14 की अवधि में तालिका-3 में दर्शाया गया है

तालिका-3: ए.पी.एल./बी.पी.एल./ए.ए.वाई. कार्डधारियों को जी.ओ.आई. आवंटन के विरुद्ध गेहूँ एवं चावल का वितरण

वर्ष	श्रेणी	(लाख मेट्रिक टन में)					
		ए.पी.एल.		बी.पी.एल.		ए.ए.वाई.	
		वस्तुएँ	आवंटन	वितरण (प्रतिशत)	आवंटन	वितरण (प्रतिशत)	आवंटन
2009-10	गेहूँ	9.33	8.65(93)	11.48	11.48(100)	5.60	5.60(100)
	चावल	0	0	1.19	1.19(100)	1.04	1.04(100)
2010-11	गेहूँ	10.98	7.35(67)	10.01	10.92(109)	5.60	5.49(98)
	चावल	0.66	0.33(50)	3.54	3.54(100)	1.04	1.02(98)
2011-12	गेहूँ	9.99	6.33(63)	12.74	12.95(102)	5.92	5.46(92)
	चावल	0.19	0	3.88	3.93(101)	1.16	1.01(87)
2012-13	गेहूँ	10.04	6.90(69)	12.95	14.20(110)	6.23	5.94(95)
	चावल	0	0	3.68	3.36(91)	1.16	1.11(96)
2013-14	गेहूँ	9.20	5.95(65)	9.78	10.34(106)	5.14	5.14(100)
	चावल	0	0	2.73	2.15(79)	0.95	0.94(99)

(स्रोत: एम.पी.एस.सी.एस.सी. द्वारा दी गई जानकारी)

तालिका से यह सिद्ध होता है कि जी.ओ.आई. आवंटन के विरुद्ध ए.पी.एल. गेहूँ का वितरण 63 से 93 प्रतिशत के मध्य था। अवधि 2010-11 से 2013-14 के दौरान बी.पी.एल. गेहूँ का वितरण आवंटन से अधिक था। ए.ए.वाई. गेहूँ का 92 से शत प्रतिशत और चावल का 87 से शत प्रतिशत के मध्य वितरण था।

एन.एफ.एस.ए. 2013 के अंतर्गत हितग्राहियों को माह मार्च 2014 में आवंटन के विरुद्ध 92 प्रतिशत गेहूँ और 91 प्रतिशत चावल प्रदाय किया गया।

एम.पी.एस.सी.एस.सी. ने गेहूँ एवं चावल के वितरण में कमी के कारण नहीं बताये।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने ए.पी.एल. कार्डधारकों को खाद्यान्न का कम वितरण, बाजार मूल्य और उपभोक्ता मूल्य में कम अंतर के कारण उपभोक्ताओं द्वारा नहीं पहुंचने को जिम्मेदार ठहराया।

ए.पी.एल. कार्डधारकों को खाद्यान्न का कम वितरण करने का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ए.पी.एल. गेहूं बी.पी.एल. कार्डधारकों को संचालनालय स्तर पर व्यपवर्तित किया गया और ए.पी.एल. कार्डधारकों को कम मात्रा में गेहूं का आवंटन किया गया।

गरीबों के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आवंटित पी.डी.एस. वस्तुओं की पूरी मात्रा उठाव करने के लिये प्रयास किया जाना चाहिए।

2.2.8.3 लीड समितियों को वितरण हेतु कम दरों पर गेहूं का विक्रय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एम.पी.एस.सी.एस.सी. द्वारा केरोसीन को छोड़कर अन्य वस्तुओं का शासन द्वारा निर्धारित दरों पर लीड/लिंक समितियों को विक्रय किया जाता है तथा इन समितियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों को उनके लिये निर्धारित विक्रय दरों पर वस्तुओं का विक्रय किया जाता है।

लीड समितियों को कम दरों पर गेहूं की बिक्री होने से ₹ 1.78 करोड़ की हानि हुई

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2010) लागत पत्रक¹⁵ के अनुसार लीड समितियों के लिये तदर्थ/अतिरिक्त गेहूं का बिक्री मूल्य शहरी क्षेत्रों के लिये ₹ 930 प्रति क्विंटल एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ₹ 921 प्रति क्विंटल था। अक्टूबर 2010 में दरें संशोधित कर कमशः ₹ 963 एवं ₹ 957 की गयी थीं। हालांकि यह स्पष्ट किया गया (अक्टूबर 2010) था कि यदि गेहूं पुरानी दरों पर वितरित कर दिया गया हो, तो दरों में अंतर संबंधित लीड समितियों से वसूल किया जाना चाहिये।

हमने पाया कि नमूना जांच किये गये जिलों में एम.पी.एस.सी.एस.सी. ने 87,902 एम.टी. आवंटन के खिलाफ, 51,479 एम.टी. गेहूं (शहरी 24,442 एम.टी. और ग्रामीण 27,037 एम.टी.) संशोधित दरों के स्थान पर पुरानी दरों से लीड समितियों को बिक्री किया था। कम दरों पर बिक्री के परिणामस्वरूप ₹ 1.78 करोड़ की हानि हुई (परिशिष्ट 2.16)।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा कि लीड समितियों से वसूली करने के लिये निर्देश जिला कार्यालयों को जारी कर दिये गये हैं।

2.2.8.4 उचित मूल्य की दुकान में पीडीएस वस्तुओं का अवितरित रहना

भारी मात्रा में पी.डी.एस.वस्तुओं का उचित मूल्य की दुकान स्तर पर अवितरित रहने से अवैध व्यपवर्तन हो सकता है

म.प्र. पी.डी.एस. (नियंत्रण) आदेश, 2009 प्रावधानित करता है कि डी.एस.ओ./डी.एस.सी. को उचित मूल्य की दुकान पर पिछले महीने की शेष मात्रा को घटाने के बाद उचित मूल्य की दुकान को वस्तुओं का आवंटन करना चाहिये। लेकिन, डी.एस.ओ./डी.एस.सी. द्वारा उचित मूल्य की दुकान पर पिछले महीने के अंतिम स्टॉक को हिसाब में न लेते हुए खाद्यान्न आवंटित किया गया। नमूना जांच किये गये नौ जिलों में आवंटन एवं उचित मूल्य की दुकान द्वारा किये गये वितरण का मासिक प्रतिवेदन (एम-1) में देखा गया कि 31 मार्च 2014 की स्थिति में, उचित मूल्य की दुकान स्तर पर 3,693 किलो लीटर (के.एल.) केरोसिन और 20,971 एम.टी. खाद्यान्न/शक्कर तथा नमक मूल्य ₹ 10.56 करोड़ अवितरित पड़ा था (परिशिष्ट 2.17)। इनमें 1,575 एम.टी., ए.पी.एल. खाद्यान्न शामिल था जो एन.एफ.एस.ए. 2013 लागू होने से वितरित नहीं किया गया था।

भारी मात्रा में पी.डी.एस.वस्तुओं का स्टाक उचित मूल्य की दुकान स्तर पर अवितरित रहने से रियायती वस्तुओं का अवैध व्यपवर्तन हो सकता है।

¹⁵ लीड समितियों और उपभोक्ताओं के लिये निर्धारित बिक्री मूल्य दर्शाने वाला पत्रक।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि अवितरित ए.पी.एल. स्टॉक 4,181.7 एम. टी. का आवंटन ए.पी.एल. दर पर कैदियों के लिये कारागारों को किया गया और वर्तमान में संचालनालय स्तर से खाद्यान्न का आवंटन उचित मूल्य की दुकान पर बचे मात्रा को समायोजित करते हुए जारी किया जा रहा है।

2.2.8.5 पी.डी.एस. के लिये क्षतिग्रस्त/निम्न गुणवत्ता का चावल स्वीकार करना

भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट चावल की गुणवत्ता पी.डी.एस. में वितरण से पहले सुनिश्चित की जानी थी। डी.एम., एम.पी.एस.सी.एस.सी. खण्डवा के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया कि रैक मूवमेन्ट प्लान(मालगाड़ी से) के अनुसार जबलपुर से 49,756 बैग (24,224.84 क्विंटल) चावल केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) खण्डवा में फरवरी 2013 में प्राप्त हुआ। प्रबंधक सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा (फरवरी 2013) डी. एम. खण्डवा को सूचित किया गया था कि प्राप्त 250 बैग चावल पानी से प्रभावित, क्षतिग्रस्त स्टॉक और 215 बैग में कोयला, सीमेन्ट और धूल मिला हुआ चावल है जो कि मानव उपभोग के लिये उपयोगी नहीं था। चूंकि, वैगन को बिना साफ किये एवं फर्श पर पॉलिथीन बिछाये बिना चावल के बैगों को रखा गया था। जिला प्रबंधक, खण्डवा द्वारा भी डी.एम. जबलपुर को निम्नतर गुणवत्ता के चावल प्राप्ति के संबंध में सूचित (फरवरी 2013) किया गया था तथा ₹ 4.24 लाख मूल्य के 465 बैग (229.80 क्विंटल) चावल स्वीकार किया गया।

इसी प्रकार, दिसम्बर 2013 में रैक मूवमेन्ट के तहत सी.डब्ल्यू.सी. खण्डवा में प्राप्त 161 बैग (70.78 क्विंटल) चावल मूल्य ₹ 1.38 लाख सीमेन्ट मिश्रित होना पाया गया। जिला प्रबंधक खण्डवा द्वारा कहा गया (मई 2014) कि मुख्यालय स्तर पर निम्नतर गुणवत्ता के चावल के निपटान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने कहा कि आवश्यक कार्यवाही करने के बाद लेखा परीक्षा को सूचित किया जावेगा।

2.2.8.6 शक्कर कारखानों द्वारा शक्कर आपूर्ति न किया जाना

शक्कर के आवंटन और उठाव के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि म.प्र. के पांच शक्कर कारखानों को भारत सरकार द्वारा पी.डी.एस. के तहत 3,936.6 एम.टी. अवधि जून से अगस्त 2012 के लिये प्रदाय करने हेतु निर्देशित (अप्रैल से जून 2012) किया गया था। 2,746.40 एम.टी. की लेवी शक्कर कम प्रदाय होने से, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा शक्कर जब्त करने और आवश्यक वस्तु (ई.सी.) अधिनियम 1955 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी (जनवरी एवं जून 2013) किये गये थे। अगस्त 2014 की स्थिति में चार कारखानों द्वारा 2,398.40 एम.टी. शक्कर की आपूर्ति नहीं की गई।

इसी तरह, 12 शक्कर कारखानों द्वारा 23,114.40 एम.टी. शक्कर की कम आपूर्ति संबंधी एम.पी.एस.सी.एस.सी. के प्रतिवेदन (अप्रैल 2013) के आधार पर भारत सरकार द्वारा संबंधित शक्कर कारखानों के स्टॉक जब्त करने के लिये निर्देश जारी (अप्रैल 2013) किये गये थे। अगस्त 2014 की स्थिति में, म.प्र. के चार कारखानों (328.90 एम.टी.) और महाराष्ट्र के आठ कारखानों (11,671.72 एम.टी.) द्वारा 12,000.62 एम.टी. शक्कर की कम आपूर्ति की गई।

जिले के अधिकारियों द्वारा शक्कर जब्ती के लिये की गई कार्यवाही दिखाने के लिये कोई अभिलेख नहीं था।

शक्कर कारखानों द्वारा शक्कर प्रदाय न करने से गरीबों को शक्कर वितरण किया जाना प्रभावित हुआ।

2012-14 अवधि में 14,399 एम.टी. शक्कर प्रदाय न करने वाले चूककर्ता शक्कर कारखानों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि संबंधित शक्कर कारखानों से शक्कर प्रदाय न करने के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी जिला कलेक्टरों से प्राप्त करने के बाद लेखा परीक्षा को सूचित किया जायेगा।

2.2.8.7 कॅरोसीन तेल का वितरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बी.पी.एल. कार्डधारियों के लिये प्रति माह पांच लीटर एवं ए.पी.एल. कार्डधारियों के लिये चार लीटर कॅरोसीन पाने की पात्रता है, यदि इनके पास तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) कनेक्शन न हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एल.पी.जी. डबल बौटल कनेक्शन (डी.बी.सी.) कार्डधारकों को कॅरोसीन पाने की पात्रता नहीं थी एवं सिंगल बौटल कनेक्शन (एस. बी.सी.) कार्डधारकों को पात्रता से आधा प्राप्त होगा। इसके अलावा जिला कलेक्टरों को शासन द्वारा जारी किये गये निर्देश अनुसार अपात्र कार्डधारकों को कॅरोसीन के वितरण को रोकने के लिये डी.बी.सी. या एस.बी.सी. के रूप में राशन कार्ड में मुहर लगी होनी चाहिये।

हमने देखा कि मार्च 2014 की स्थिति में 35.01 लाख डी.बी.सी. और 35.03 लाख एस. बी.सी. थे। हालांकि, एक या दो एल.पी.जी. सिलेडरों वाले कार्डधारकों के बारे में और मुहर लगी या बिना मुहर लगी राशन कार्ड की जानकारी संचालनालय में उपलब्ध नहीं थी। नमूना जांच किये गये 14 जिलों में से, छः¹⁶ के पास गैस कनेक्शनों की जानकारी थी। केवल खरगौन जिले के पास मुहर लगी/मुहर नहीं लगी कार्डधारकों की जानकारी थी। हालांकि, सभी डी.एस.ओ./डी.एस.सी. ने कार्डधारकों की वास्तविक पात्रता सुनिश्चित किये बगैर कॅरोसीन आवंटित किया था। परिणामस्वरूप, डी.बी.सी. कार्डधारकों एवं सिंगल कनेक्शन धारकों को उनकी पात्रता से अधिक कॅरोसीन के वितरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

कॅरोसीन का वितरण दो/एक एल.पी.जी. सिलेडर रखने वाले कार्डधारकों के लिये प्रतिबंधित नहीं किया गया

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया कि तेल कंपनियों से एल.पी.जी. कनेक्शन धारकों का डाटा प्राप्त किया गया है एवं परिवारों की पात्रता के अनुसार कॅरोसीन का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

शासन को अपात्र कार्ड धारकों को कॅरोसीन की आपूर्ति को खत्म करने के लिये राशन कार्ड में एल.पी.जी. कनेक्शन विवरण के मुद्रांकन में तेजी लाने की जरूरत है।

2.2.8.8 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयोडिन मात्रा को सुनिश्चित किये बिना नमक का वितरण

आयुक्त (एफ.सी. एण्ड सी.पी.) ने 89 आदिवासी विकास खण्डों में प्रत्येक परिवार को प्रति किलोग्राम 1 रुपये के मान से प्रति माह नमक वितरण हेतु निर्देश जारी (नवम्बर 2006) किये थे। मई 2013 में, विभाग ने ए.पी.एल. कार्डधारकों को छोड़कर सभी जिलों में नमक वितरण करने का निर्णय किया। अर्वाधि 2009-14 के दौरान 2.10 लाख एम.टी. नमक आवंटन के विरुद्ध 1.68 लाख एम.टी. (80 प्रतिशत) वितरित किया गया था। नमूना जांच किये गये जिलों में 0.74 लाख एम.टी. में से 0.66 लाख एम.टी. नमक अर्वाधि 2009-14 के दौरान वितरित हुआ।

एम.पी.एस.सी.एस.सी. ने प्रीवेन्शन ऑफ फूड अडल्ड्रेशन एक्ट (पी.एफ.ए.एक्ट) 1954 में निर्धारित 30 पी.पी.एम. आयोडिन मात्रा नमक में सुनिश्चित करने हेतु कार्डधारकों को वितरण हेतु नमक में से रेण्डम सैम्पल लेकर जांच किट के माध्यम से आयोडिन की मात्रा की नियमित जांच हेतु निर्देश जारी (फरवरी 2008) किये थे। जिला प्रबंधक एवं खाद्य नियंत्रक के प्रतिनिधि के माध्यम से संयुक्त रूप से रेण्डम सैम्पल माह में दो बार

नमूना जांच किये गये जिलों में निर्धारित आयोडिन मात्रा को सुनिश्चित किये बगैर नमक वितरित किया गया

- प्राण पी.डी.एस. वरगुओं का भौतिक सत्यापन सतर्कता समितियों के सदस्यों द्वारा 146 उचित मूल्य की दुकानों में नहीं किया गया।
- 2009-14 की अवधि में 133 उचित मूल्य की दुकानों द्वारा रोकड़ बही का सधारण नहीं किया गया।
- कोई भी उचित मूल्य की दुकान ने बचे जाने वाले खाद्यान्न का सील सेमल प्रदर्शित नहीं किया था।
- पधपन उचित मूल्य की दुकानों के विकला ने संचित किया कि वे एक सप्ताह में छः दिन से कम दुकान खोलते हैं।

नमूना जांच किच
राजीव क्षेत्रों में
गामीण क्षेत्रों में
982 उचित मूल्य
की दुकानों एवं
शहरी क्षेत्रों में
295 उचित मूल्य
की दुकानों की
कमी थी

निम्नानुसार है:
प्राण जी कि परिशिष्ट 2.19 और 2.20 में दिखाये गये हैं। महत्वपूर्ण आक्षेप (नियंत्रण) आदेश 2009 में विहित नियम और शर्तों के अनुपालन न होने का दृष्टान्त दुकानें तथा 54 लीड/लिक समितियों में हमने म.प्र.सांख्यिक विवरण प्रणाली विवरण परिशिष्ट 2.18 में दिया गया है। नमूना जांच की गई 168 उचित मूल्य की दुकानों और शहरी क्षेत्रों में 295 उचित मूल्य की दुकानों की कमी थी। जिले-वार नमूना जांच किच गये जिलों में हमने पाया कि, गामीण क्षेत्रों में 982 उचित मूल्य की

गामीण क्षेत्रों में थी।
गाम पंचायतों में 1.11 करोड़ गामीण परिवारों के लिये 18,041 उचित मूल्य की दुकानें (परिवार) के लिये 4,124 उचित मूल्य की दुकानें शहरी क्षेत्रों में थी। इसी प्रकार 23,006 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार, राज्य में 2.01 करोड़ शहरी आबादी (40.13 लाख

मार्च के सातवीं तारीख तक लीड समितियों को भेजा जाना था।
जाना चाहिए और एक पी.एस. द्वारा आवंटन एवं विवरण की मासिक रिपोर्टिंग आगामी खाद्यान्न का एक पी.एस.स्तर पर सतर्कता समिति के दो सदस्यों द्वारा सत्यापित किया मुख्यालय पर डी.एस.ओ. द्वारा किया जाता है। एक पी.एस. के लिये आवंटन किच गये ब्लॉक स्तर पर उचित मूल्य की दुकान का आवंटन एस.डी.ओ. (राजस्व) द्वारा जिला

आबादी के लिये एक उचित मूल्य की दुकान होना चाहिए।
की दुकान नहीं है और कम से कम 200 काड्डधारक हैं। शहरी क्षेत्रों में हर 5,000 की वहाँ खोली जा सकती जहाँ काड्डधारकों के लिये तीन किलोमीटर के भीतर उचित मूल्य (जी.पी.) में एक उचित मूल्य की दुकान होना चाहिए, दूसरी उचित मूल्य की दुकान आदेश, 2009 में निर्धारित प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हर गाम पंचायत उचित मूल्य की दुकानों का संचालन मध्यप्रदेश सांख्यिक विवरण प्रणाली (नियंत्रण) अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत है, सहकारी समितियों द्वारा चलायी जा रही है। सभी लीड समितियाँ और उचित मूल्य की दुकानें जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी

2.2.9 लीड समितियाँ और उचित मूल्य की दुकानों का कार्यकलाप

गणवत्ता सनिश्चित करने हेतु जिलों को निर्देश जारी किच जायेंगे।
की निम्नतर ठहराया। उन्हींने कहा कि गणवत्ता जांच किच प्रदाय किच जायेंगे एवं निर्णय सम्मेलन में प्रमुख संचित ने कमी को ए.पी.एल. हितग्राहियों द्वारा क्रय न करने सनिश्चित किच वॉर पी.डी.एस. में विवरित होना इंगित करता है।
गया था। यह प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय किच गये नमक में आयोजन की मात्रा को का कोई भी सेमल नहीं लिया गया था और प्रयोगशाला को विश्लेषण हेतु नहीं भेजा मुख्यालय को भेजा जाना था। नमूना जांच किच गये 13 जिलों में पाया गया कि नमक नियंत्रक खाद्य एवं औषधि को भेजना था। विश्लेषण प्रतिवेदन एम.पी.एस.सी.एस.सी. विश्लेषण एवं औषधि को भेजना था। विश्लेषण प्रतिवेदन एम.पी.एस.सी.एस.सी.

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने कहा कि कम परिवार संख्या वाली पंचायतों में आर्थिक व्यवहार्यता के कारण उचित मूल्य की दुकान संचालित करने में सक्षम नहीं होने की वजह से प्रत्येक पंचायत में उचित मूल्य की दुकान संचालित नहीं की जा सकी है और द्वार प्रदाय प्रणाली पूरे राज्य में लागू करने के बाद ही कमियों का निराकरण हो जायेगा।

2.2.9.1 लीड समितियों और उचित मूल्य की दुकान को हानि की प्रतिपूर्ति न होना

लीड समितियों एवं उचित मूल्य की दुकान को राशि ₹ 8.51 करोड़ को हानि की प्रतिपूर्ति न होना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति लीड समितियों एवं उचित मूल्य की दुकान को करने के लिये सहकारिता विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने दरें निर्धारित (सितम्बर 2000) की थीं। उचित मूल्य की दुकानों को प्रतिपूर्ति राशि प्रति उचित मूल्य की दुकान प्रति वर्ष ₹ 6,500 और लीड समिति के लिये यह ₹ 1.00 लाख या उनके व्यवसायिक लेनदेन का एक प्रतिशत जो भी कम हो निर्धारित किया गया। आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 29 जिलों में 220 लीड समितियों को (₹ 2.13 करोड़) एवं 30 जिलों में 10,102 उचित मूल्य की दुकानों को (₹ 6.38 करोड़) अवधि 2006-13 के दौरान राशि ₹ 8.51 करोड़ हानि की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी थी, यद्यपि इस उद्देश्य के लिये ₹ 15 करोड़ 2013-14 के दौरान प्रावधानित थे।

आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) ने वित्त विभाग द्वारा आहरण पर रोक लगाने से भुगतान न होना बताया (मई 2014)।

2.2.10 निगरानी एवं सर्तकता तंत्र

2.2.10.1 पी.डी.एस. वस्तुओं के परिवहन वाहन में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम¹⁷ (जी.पी.एस.) का परिचालन

राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 में संशोधन (जनवरी 2012) किया और जिला कलेक्टर और प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.सी.एस.सी. को छः माह के भीतर पी.डी.एस. वस्तुओं के परिवहन में लगे सभी वाहनों में जी.पी.एस. उपकरण संस्थापित करने हेतु निर्देशित (फरवरी 2012) किया। पुनः, एक संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई जनहित याचिका के उत्तर में सरकार ने मार्च 2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि जी.पी.एस. उपकरण की संस्थापना का कार्य प्रगति पर था।

आयुक्त (एफ.सी.एण्ड सी.पी.) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि म.प्र.राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.एस.ई.डी.सी.) को जिले स्तर पर वाहन मालिकों द्वारा लगाये गये जी.पी.एस. उपकरणों की निगरानी के लिये साफ्टवेयर विकसित करना था। आयुक्त ने अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 के मध्य ₹ 1.22 करोड़ का भुगतान एम.पी.एस.ई.डी.सी. को किया। हालांकि, आयुक्त द्वारा बताया गया (अगस्त 2014) कि मुख्यमंत्री के साथ 23 मई 2014 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जी.पी.एस. प्रणाली को न अपनाने के लिए निर्णय लिया गया।

¹⁷ रेडियो तरंगों पर आधारित मार्ग-निर्देशन की ऐसी प्रणाली है जिससे भूमि, समुद्र और वायु वाहित में इस्तेमाल करने वाली विश्व के किसी भी भाग में, सभी मौसम में उसकी स्थिति, वेग(गति) और दिन के 24 घंटे की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

इस प्रकार, जी.पी.एस. के माध्यम से परिवहन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के लीकेज एवं व्यपवर्तन की निगरानी के उद्देश्य पूर्ण नहीं हुए। शपथ पत्र के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिले का पालन नहीं किया गया।

2.2.10.2 वितरण एजेंसियों का निरीक्षण

मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 के खण्ड आठ के अनुसार, जिले का कलेक्टर खाद्य, सहकारिता और राजस्व विभाग के कार्यपालिक अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों की तीन माह में कम से कम एक बार निरीक्षण एवं लीड समितियों का एक माह में कम से कम दो बार निरीक्षण हेतु रोस्टर तैयार करेगा। कलेक्टर प्रतिमाह उठाव एवं उचित मूल्य की दुकान को आपूर्ति किये जाने वाले पी.डी.एस. सामग्री की समीक्षा करेगा।

नमूना जांच किये गये जिलों में, हमने पाया कि उचित मूल्य की दुकानों एवं लीड समिति के निरीक्षण हेतु रोस्टर कमशः छः¹⁸ जिलों और एक जिला (खरगौन) में तैयार किया गया। इसके अलावा केवल पांचा¹⁹ नमूना जांच किये गये जिलों में कलेक्टर द्वारा मासिक समीक्षा की गई। आयोजित समीक्षा का प्रतिवेदन भी संधारित नहीं किया गया। तथापि संचालनालय में जिलों में किये गये निरीक्षण संबंधी कोई जानकारी नहीं थी।

आगे, हमने देखा कि एम.पी.एस.सी.एस.सी. मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा जिला कार्यालयों के निरीक्षण में 2009-10 से 2013-14 के दौरान निर्धारित रोस्टर/मानदंड की तुलना में 25 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक कमी थी। जिला प्रबंधक द्वारा किये गये निरीक्षण का मासिक प्रतिवेदन एम.पी.एस.सी.एस.सी. मुख्यालय को निरन्तर नहीं भेजे जाने से जिला प्रबंधकों द्वारा वास्तव में किये गये निरीक्षण एम.पी.एस.सी.एस.सी. द्वारा सुनिश्चित नहीं किये गये। यह जिलों के अधिकारियों द्वारा की गयी पी.डी.एस. गतिविधियों पर नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। एम.डी.एम.पी.एस.सी.एस.सी. ने बताया कि मुख्यालय में कर्मचारियों की कमी थी।

साथ ही, विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों में निरीक्षण के दौरान पी.डी.एस. वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल एवं केरोसीन इत्यादि के भण्डार में दुर्विनियोजन/कमी पाई गयी। निर्धारित अभिलेख जैसे स्टॉक पंजी, विक्रय पंजी निरीक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं था। विवरण **परिशिष्ट 2.21** में दिखाया गया है।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण एवं निगरानी को शिकायत निवारण तंत्र एवं अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण द्वारा मजबूत किया जायेगा।

अपात्र व्यक्तियों को वस्तुओं का वितरण एवं खाद्यान्न का व्यपवर्तन, यदि हो, को रोकने के लिये विभाग को उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज पर निरीक्षण तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

2.2.10.3 सतर्कता समिति की बैठकों का आयोजन

राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समिति (वी.सी.)²⁰के गठन एवं बैठक के आयोजन हेतु फरवरी 2004 में अनुदेश जारी किये थे। जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठक और ब्लाक एवं उचित मूल्य की दुकान स्तर पर मासिक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये।

¹⁸ धार, खण्डवा, खरगौन, रायसेन, रतलाम और सतना।

¹⁹ खण्डवा, रीवा, सतना, सीधी और उज्जैन।

²⁰ विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर अध्यक्ष, सदस्य सचिव और अन्य सदस्य, उचित मूल्य की दुकान स्तर पर अध्यक्ष, समन्वयक तथा अन्य सदस्य।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.3 समग्र स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान का कार्यान्वयन

कार्यपालन सारांश

उचित स्वच्छता सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारने तथा महिलाओं को निजता तथा प्रतिष्ठा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत शासन ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया। भारत सरकार ने केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में 1999 में संशोधन करते हुए योजना को "समग्र स्वच्छता अभियान" (टी.एस.सी.) नाम दिया। समग्र स्वच्छता अभियान का नाम 1 अप्रैल 2012 से पुनः परिवर्तित कर "निर्मल भारत अभियान" (एन.बी.ए.) कर दिया गया। एन.बी.ए. में निर्मल ग्राम पंचायतों के निर्माण की दृष्टि से संतृप्तीकरण परिणाम के लिए सम्पूर्ण समुदाय का समावेशन विहित है।

- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) को राज्यांश जारी करने में 81 दिन तक का अत्यधिक विलम्ब हुआ। टी.एस.सी. की निधियों को एन.बी.ए. की निधियों में अंतरित नहीं किया गया था तथा निधियाँ जनपद पंचायतों के बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी हुई थीं।

(कड़िका 2.3.6.2 तथा 2.3.6.3)

- वार्षिक कार्यान्वयन योजना बनाने में सामुदायिक संतृप्तीकरण दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया तथा नीचे स्तर से प्रस्ताव प्राप्त कर उनका विभिन्न स्तरों पर संकलन (बॉटमअप एप्रोच) नहीं किया गया। राज्य स्तरीय मिशन तथा जिला स्तरीय मिशन की बैठकों का आयोजन पर्याप्त नहीं था।

(कड़िका 2.3.7.2)

- संतृप्तीकरण तथा खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या वर्ष 2022 तक निर्मल भारत बनाने के दृष्टिकोण की प्राप्ति के अनुरूप नहीं थी। वर्ष 2012-14 की अवधि में संतृप्तीकरण हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों की तुलना में मात्र 13 प्रतिशत ग्राम पंचायतों का संतृप्तीकरण किया जा सका।

(कड़िका 2.3.8.3)

- योजना के विभिन्न घटकों में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की गई थी। वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (11 से 69 प्रतिशत) तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (66 से 90 प्रतिशत) के निर्माण में लक्ष्यों की प्राप्ति में अत्यधिक कमी रही।

(कड़िका 2.3.8.1)

- सूचना शिक्षा तथा सम्प्रेषण क्रियाकलाप पूरे वर्ष भर नहीं किये गए तथा आई.ई.सी. क्रियाकलापों हेतु ग्राम पंचायतों को कोई राशियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।

(कड़िका 2.3.9.1)

- नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में स्वच्छता दिवस तथा ग्राम स्वच्छता सभा का आयोजन नहीं किया गया था जिससे योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा प्रभावित हुई।

(कड़िका 2.3.10.2 तथा 2.3.10.3)

2.3.1 प्रस्तावना

उचित स्वच्छता सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारने तथा महिलाओं को निजता तथा प्रतिष्ठा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत शासन ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया। भारत सरकार ने केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में 1999 में संशोधन करते हुए योजना को "समग्र स्वच्छता अभियान"(टी.एस.सी.) नाम दिया। समग्र स्वच्छता अभियान का नाम 1 अप्रैल 2012 से "निर्मल भारत अभियान" (एन.बी.ए.) कर दिया गया था।

समग्र स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन ग्राम पंचायतों, विकास खण्डों एवं जिलों को प्रदान किया गया था जो पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं। टी.एस.सी./एन.बी.ए. का उद्देश्य स्वच्छता दायरे में तेजी लाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन के स्तर में सुधार लाना है ताकि वर्ष 2022 तक सभी ग्राम पंचायतों के लिए निर्मल स्थिति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

सूचना, शिक्षा तथा संप्रेषण (आई.ई.सी.), आरंभिक गतिविधियाँ तथा क्षमता निर्माण, वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आई.एच.एच.एल.) का निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, विद्यालयों सहित संस्थागत शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना के प्रमुख घटक हैं।

2.3.2 संगठनात्मक संरचना

समग्र स्वच्छता अभियान/एन.बी.ए. योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2005 में एक पंजीकृत संस्था राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) का गठन किया गया था। एस.डब्ल्यू.एस.एम. की शीर्ष समिति के प्रमुख, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री होते हैं तथा विकास आयुक्त सदस्य सचिव होते हैं। कार्यकारी समिति के प्रमुख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव होते हैं। राज्य कार्यक्रम अधिकारी एन.बी.ए. राज्य में समग्र स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन हेतु सम्पूर्ण रूप से उत्तरदाई हैं। इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड जल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां हैं।

इन समितियों में, राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम अधिकारी, जिला स्तर पर जिला समन्वयक, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समन्वयक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव योजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदाई हैं।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना था कि:

- विभिन्न स्तरों पर योजना कार्यान्वयन हेतु आयोजना पर्याप्त तथा प्रभावी थी;
- योजना की मार्गदर्शिका के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा निधियों को जारी किया गया, लेखांकन किया गया तथा उपयोग किया गया;
- योजना के विभिन्न घटकों में निर्धारित लक्ष्य योजना के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त थे;
- योजना के अन्तर्गत सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से टी.एस.सी./एन.बी.ए. सेवाओं की मांग के सृजन हेतु सूचना, शिक्षा तथा संप्रेषण कार्यनीति प्रभावशाली थी; और

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा डी.डब्ल्यू.एस.एम. को जारी राशि, डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा किए गए व्यय तथा अवधिगत ऋण का विवरण **तालिका-1** में दिया गया है-

2.3.6.1 जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) द्वारा उपलब्ध राशियों का उपयोग

टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना निधि में घटकवार कन्दोश, राज्यांश तथा पारिवारिक/पंचायत का अंश (वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर हेतु) होता है। टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधि पर आवंटित व्यय को राशि योजना निधि का ही हिस्सा है।

2.3.6 वित्तीय प्रबंधन

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ दिनांक 2 जून 2014 को लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदण्ड तथा लेखापरीक्षा क्षेत्र पर चर्चा हेतु प्रवेश सम्मेलन किया गया था। दिनांक 5 नवम्बर 2014 को निर्णय सम्मेलन के दौरान शासन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर चर्चा की गई तथा शासन के अभिमत को निष्पादन लेखापरीक्षा में यथावत रूप से सम्मिलित किया गया है।

शाम स्तर	231 ग्राम पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति
स्तर	
विकासखण्ड	27 विकास खण्ड स्तरीय समन्वय केंद्र/जनपद पंचायत
जिला स्तर	13 जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.)
राज्य स्तर	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.)

कूल 51 जिलों में से 13 जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से 2009-14 की अवधि के लिए टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई (जून से अगस्त 2014), जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.23** में दिया गया है। हमने निम्न स्तरों पर लेखापरीक्षा की :-

2.3.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

- टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना के कार्यान्वयन से संबंधित केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देश।
 - ग्राम पुरस्कार की मार्गदर्शिका;
 - योजना की मार्गदर्शिका, सूचना, शिक्षा तथा सम्बंधन की मार्गदर्शिका तथा निर्मित भारत सरकार द्वारा जारी की गई टी.एस.सी. योजना की मार्गदर्शिका, एन.बी.ए. योजना की मार्गदर्शिका, सूचना, शिक्षा तथा सम्बंधन की मार्गदर्शिका तथा निर्मित
- निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु मानदण्ड निम्न स्तरों से लिए गए थे:-

2.3.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

- योजना के अन्वेषण हेतु समुचित व्यवस्था थी तथा कार्यक्रम के परिणामों का मूल्यांकन किया गया था।

तालिका-1 : राज्य में टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधियों के प्रवाह का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	कुल प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	व्यय का प्रतिशत	अन्तिम शेष
1	2	3	4	5	6 (5/4 * 100)	7
2009-10	96.80	135.51	232.31	148.12	64	84.19
2010-11	84.19	246.85	331.04	145.73	44	185.31
2011-12	185.31	223.29	408.60	245.68	60	162.92
2012-13	162.92	367.30	530.22	317.37	60	212.85
2013-14*	212.85	804.16	1017.01	544.05	54	472.96
योग		1777.11	1873.91	1400.95		472.96

(स्रोत-एस.डब्ल्यू.एस.एम.भोपाल के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे 2009-10 से 2012-13)

*एस.डब्ल्यू.एस.एम. भोपाल द्वारा प्रदत्त जानकारी (आंकड़े लेखापरीक्षित नहीं हैं)

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना की अत्यधिक मात्रा में राशि अव्ययित रही

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता था कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि में डी.डब्ल्यू.एस.एम.के पास उपलब्ध कुल राशि का उपयोग 44 प्रतिशत से 64 प्रतिशत के मध्य रहा तथा ₹ 84.19 करोड़ से लेकर ₹ 472.96 करोड़ डी.डब्ल्यू.एस.एम. के बैंक खातों में वर्ष के अंत तक अव्ययित रहे। योजना निधि का कम उपयोग होने के कारण योजना के विभिन्न घटकों में प्रगति धीमी रही। हमने देखा कि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लक्ष्यों की प्राप्ति में उल्लेखनीय कमी रही जैसा कि कंडिका 2.3.8.1 में चर्चा की गई है।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने उत्तर में बताया कि राशियां वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त होने के कारण राशियों का उपयोग उस वित्त वर्ष में नहीं किया जा सका। यह कार्यक्रम मानव व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है, अतः प्रगति धीमी रही।

योजना के कार्यान्वयन हेतु निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.3.6.2 एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा राशि जारी करने में विलंब

टी.एस.सी./एन.बी.ए. के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय अनुदान प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्राप्त केन्द्रीय अनुदानों के साथ राज्यांश को डी.डब्ल्यू.एस.एम. को जारी करना था।

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को राज्यांश जारी करने में छः दिन से लेकर 81 दिन का विलंब हुआ

हमने देखा कि 2009-14 की अवधि में डी.डब्ल्यू.एस.एम. को राज्यांश जारी करने में छः दिन से लेकर 81 दिन का विलंब हुआ, विवरण परिशिष्ट 2.24 में दिया गया है।

कार्यान्वयन अभिकरणों को राशियां जारी करने में विलम्ब के फलस्वरूप योजना के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति हुई।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने स्वीकार किया कि वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्ति में विलंब के कारण तथा राज्य बजट में राशि उपलब्ध न होने के कारण राज्यांश जारी करने में विलंब हुआ।

2.3.6.3 जनपद पंचायतों में राशियों का अप्रयुक्त पड़े रहना।

टी.एस.सी. योजना के वित्तीय प्रबन्धन के अनुसार डी.डब्ल्यू.एस.एम. ने जनपद पंचायतों को राशियां जारी की जिसे जनपद पंचायत ने योजना कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को जारी किया। अप्रैल 2012 से टी.एस.सी. योजना का नाम एन.बी.ए. कर दिया गया। एन.बी.ए. योजनान्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन के अनुसार एस.डब्ल्यू.एस.एम. से प्राप्त राशियों को डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा सीधे ग्राम पंचायतों को जारी किया जाना था।

एन.बी.ए. योजना प्रारंभ होने के उपरान्त जनपद पंचायतों पर रखी राशियों को डी.डब्ल्यू. एस.एम. को समर्पित किया जाना था ताकि एन.बी.ए. योजनान्तर्गत राशियां ग्राम पंचायतों को जारी की जा सकें।

22 जनपदों में योजना की बड़ी राशि अप्रयुक्त पड़ी रही

हमने देखा कि नमूना जांच की गई 27 जनपद पंचायतों में से 22 जनपद पंचायतों में टी.एस.सी. योजना की राशि ₹ 6.58 करोड़ मार्च 2014 की स्थिति में बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी थी। इस प्रकार योजना निधि को दो वर्षों से अधिक समय तक अवरूद्ध रखा गया। विवरण **परिशिष्ट-2.25** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि जनपद पंचायतों के पास रखी राशियों को डी.डब्ल्यू.एस.एम.को वापस कर दिया जाएगा ताकि उन्हें एन.बी.ए. के पुनरीक्षित वित्तीय मानदण्ड अनुसार ग्राम पंचायतों को जारी किया जा सके।

2.3.6.4 योजना निधियों को सावधि जमा के रूप में रखना

एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों की कड़िका 13.2.2 के अनुसार डी.डब्ल्यू.एस.एम. को एस.डब्ल्यू.एस.एम. से राशियां प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर राशियों को सीधे ग्राम पंचायतों को अंतरित करना था। राशियों को स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण हेतु उपयोग किया जाना था तथा सावधि जमा के रूप में अवरूद्ध नहीं रखा जाना था।

नमूना जांच की गई दो जनपदों में योजना राशि ₹ 81.50 को सावधि जमा के रूप में रखा गया

जिला उज्जैन के जनपद बड़नगर तथा जिला बालाघाट के जनपद बालाघाट के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि ₹ 81.50 लाख की राशि सावधि जमा के रूप में रखी गई थी (अगस्त 2014)।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि जनपद पंचायतों के पास रखी राशियों को एन.बी.ए. के पुनरीक्षित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार ग्राम पंचायतों को जारी करने हेतु डी.डब्ल्यू.एस.एम. को वापिस किया जाएगा। यदि कोई जिला/जनपद पंचायत द्वारा एन.बी.ए. योजना की राशि को सावधि जमा के रूप में रखा जा रहा था, तो तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जनपद पंचायतों के पास रखी राशियों को एन.बी.ए. के पुनरीक्षित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार ग्राम पंचायतों को जारी करने हेतु डी.डब्ल्यू.एस.एम. को वापिस किया जाना चाहिये।

2.3.6.5 विकास खण्ड स्तर पर टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि का लेखांकन न किया जाना

टी.एस.सी. तथा एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एन.बी.ए. निधियों पर अर्जित ब्याज राशि को एन.बी.ए. संसाधन के भाग के रूप में समझा जायेगा। डी.डब्ल्यू.एस.एम. को अनुवर्ती किस्तों के लिये दावे/दावों के साथ एन.बी.ए. निधियों पर अर्जित ब्याज के उपयोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। इन राशियों में जनपद पंचायत स्तर पर अर्जित ब्याज की राशि को सम्मिलित किया जाना चाहिये तथा कुल राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों में दर्शाया जाना चाहिये था।

टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि का जनपद पंचायत स्तर पर लेखांकन नहीं किया गया

हमने देखा कि नमूना जांच की गई 23 जनपद पंचायतों में 2009-10 से 2012-13 की अवधि में टी.एस.सी./एन.बी.ए. पर अर्जित ब्याज ₹ 74.17 लाख का लेखांकन नहीं किया गया। इस प्रकार डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा एस.डब्ल्यू.एस.एम. को भेजे गये उपयोगिता प्रमाण पत्रों में जनपद पंचायत स्तर पर टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधियों पर

2 जिला बालाघाट की जनपद बालाघाट में दिनांक 31.03.2014 को ₹ 70.00 लाख तथा जिला उज्जैन की जनपद बड़नगर में दिनांक 14.03.2014 को ₹ 10.00 लाख तथा दिनांक 31.03.2013 को ₹ 1.50 लाख जमा किये गये।

अर्जित ब्याज की राशि को नहीं दर्शाया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.26** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधियों पर जनपद पंचायत स्तर पर अर्जित ब्याज को डी.डब्ल्यू.एस.एम. के खाते में लेखांकित किया जायेगा।

2.3.6.6 ग्रामीण स्वच्छता बाजार को प्रदान किये गये ऋण की वसूली न होना

एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 5.5.1 के अनुसार ग्रामीण स्वच्छता बाजार एक ऐसा केन्द्र है जिसमें स्वच्छ शौचालयों, सोखता तथा कम्पोस्ट पिट्स, वर्मी कम्पोस्टिंग, आदि के निर्माण के लिये आवश्यक सामग्रियाँ, हार्डवेयर एवं डिजाइन उपलब्ध होती है। ग्रामीण स्वच्छता बाजार बनाने का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न प्रकार के शौचालय बनाने के लिये आवश्यक सामग्रियाँ, सेवाएं तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना तथा स्वच्छ पर्यावरण के लिये अन्य स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना था।

ग्रामीण स्वच्छता बाजार की स्थापना हेतु जिले पर उपलब्ध परिक्रामी निधि से ₹ 3.50 लाख का ब्याज रहित ऋण दिया जा सकता था। ऋण की, ऋण भुगतान की दिनांक से एक वर्ष बाद 12-18 किशतों में वसूली की जानी थी।

अनुपपुर, देवास, सागर तथा शहडोल जिलों के डी.डब्ल्यू.एस.एम. के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि 16 ग्रामीण स्वच्छता बाजारों की स्थापना हेतु स्वयं सहायता समूहों को राशि ₹ 16.50 लाख का ऋण दिया गया था। इनमें से मात्र एक ग्रामीण स्वच्छता बाजार (शक्ति स्वयं सहायता समूह, टोंकखुर्द जिला देवास) क्रियाशील था (अगस्त 2014) तथा मात्र दो ग्रामीण स्वच्छता बाजार ने ऋण स्वीकृति के दिनांक से 9 वर्षों बाद ₹ 2.25 लाख का पुनर्भुगतान किया। शेष राशि ₹ 14.25 लाख वसूली हेतु बकाया थी (अगस्त 2014 तक)। विवरण **परिशिष्ट -2.27** में दिया गया है।

चूँकि ग्रामीण स्वच्छता बाजार अक्रियाशील थे तथा विभिन्न प्रकार के शौचालयों तथा अन्य स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण हेतु सामग्री, सेवायें तथा मार्गदर्शन देने में असमर्थ थे, ग्रामीण स्वच्छता बाजार की स्थापना पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि ग्रामीण स्वच्छता बाजार की स्थापना हेतु प्रदान किये गये ऋण की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2.3.6.7 उपयोगिता प्रमाण पत्र में व्यय को बढ़ाकर दर्शाया जाना

डी.डब्ल्यू.एस.एम., शहडोल के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि वर्ष 2010-11 में डी.डब्ल्यू.एस.एम. ग्वालियर को राशि ₹ 2.00 करोड़ अग्रिम के रूप में अंतरित किये गये थे, जिसे मई 2014 में वापस कर दिया गया था, परंतु डी.डब्ल्यू.एस.एम. शहडोल द्वारा इसे वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखों में अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि डी.डब्ल्यू.एस.एम. ग्वालियर द्वारा जिला शहडोल से प्राप्त राशि को केन्द्रांश के रूप में (अंतर जिला अन्तरण) दर्शाया तथा उसके विरुद्ध 2010-11 में सरकार को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र में व्यय दर्शाया गया।

इस प्रकार वर्ष 2010-11 के लिए सरकार को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्रों में ₹ 2.00 करोड़ का अधिक व्यय दर्शाया गया।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया कि भविष्य में अंतर जिला अन्तरण की राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्रों में अग्रिम/ऋण के रूप में दर्शाया जाएगा।

ग्रामीण स्वच्छता बाजार के स्थापना हेतु दिये गये ऋण राशि ₹ 14.25 लाख वसूली हेतु बकाया (अगस्त 2014) था

2.3.6.8 विद्यालय शौचालयों में फोर्स लिफ्ट पम्प की स्थापना पर अलाभकारी व्यय

टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, एन.बी.ए. अन्तर्गत विद्यालय शौचालय के निर्माण की इकाई लागत ₹ 35,000 थी। पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार (फरवरी 2011), विद्यालय शौचालय निर्माण की इकाई लागत ₹ 27,000 निर्धारित की गई। शेष ₹ 8,000 का उपयोग विद्यालय शौचालयों में पानी की उपलब्धता हेतु फोर्स लिफ्ट पम्प की स्थापना हेतु किया जाना था।

जिला शहडोल की डी.डब्ल्यू.एस.एम. तथा 23 नमूना जांच किये गये ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि इन ग्राम पंचायतों की 43 विद्यालय-शौचालयों में स्थापित 43 फोर्स लिफ्ट पम्प अक्रियाशील थे जिसके परिणामस्वरूप इनकी स्थापना पर किया गया व्यय ₹ 2.91 लाख अलाभकारी रहा।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने उत्तर दिया कि फोर्स लिफ्ट पम्प के सुचारु रूप से संचालन तथा रख रखाव तथा सुरक्षा हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किये जाएंगे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि फोर्स लिफ्ट पम्प के अक्रियाशील रहने से इन विद्यालय शौचालयों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी।

2.3.7 योजना

2.3.7.1 परियोजना कार्यान्वयन योजना का पुनरीक्षण

योजना के कार्यान्वयन हेतु परियोजना कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) लम्बी अवधि की योजना है। टी.एस.सी./निर्मल भारत अभियान के दिशानिर्देशों के अनुसार जिले पर प्रत्येक परियोजना अधिकारी को परियोजना कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) को पुनरीक्षित करना था एवं वित्तीय मानदण्डों में परिवर्तन के उपरान्त एक पुनरीक्षित परियोजना तैयार करनी थी। प्रस्ताव की शुरूआत ग्राम पंचायत से होनी थी, जिसका संकलन ब्लॉक स्तर पर तत्पश्चात डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा जिले स्तर पर किया जाना था।

वित्त पोषण संबंधी मानदण्ड परिवर्तन के उपरान्त परियोजना कार्यान्वयन योजना में पुनरीक्षण नहीं किया गया

2009-14 की अवधि के दौरान वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वित्तपोषण मानदण्डों को तीन³ बार परिवर्तन किया गया था। हमने देखा कि जिला छिंदवाड़ा के अतिरिक्त जहाँ पी.आई.पी. में चार बार पुनरीक्षण किया गया, अन्य 12 जिलों द्वारा वित्तपोषण संबंधी मानदण्डों में परिवर्तन के उपरान्त पी.आई.पी. में पुनरीक्षण नहीं किया गया। जिला खण्डवा में पी.आई.पी. का दो बार पुनरीक्षण किया गया तथा 2009-14 की अवधि के दौरान आठ⁴ जिलों की परियोजना कार्यान्वयन योजना में मात्र एक बार पुनरीक्षण किया गया। शेष तीन जिलों द्वारा पुनरीक्षण नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट-2.28 में दिया गया है।

पी.आई.पी. में पुनरीक्षण न होने के कारण पी.आई.पी. में निर्धारित लक्ष्य प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित समयवधि में निर्मल स्थिति प्राप्त करने के अनुरूप नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार ने बताया कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जब कभी भी मानदण्ड बदले थे, राज्यवार परियोजना लागत एवं परियोजना कार्यान्वयन योजना को पुनरीक्षित कर दिया गया था एवं तदनुसार परियोजना कार्यान्वयन योजना स्वतः अद्यतन हो गयी थी।

3 2008-09, 2011-12 एवं 2012-13।

4 अनुपपुर, देवास, धार, रतलाम, सागर, सतना शहडोल एवं उज्जैन।

उत्तर सही नहीं था क्योंकि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन योजना में पुनरीक्षण ग्राम पंचायत स्तर से होने थे एवं डी.डब्ल्यू.एस.एम. एवं एस.डब्ल्यू.एस.एम. से गुजरने के पश्चात भारत सरकार द्वारा अभिपुष्टि की जानी थी। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा परियोजना कार्यान्वयन योजना के स्वतः अद्यतन होने का कोई प्रावधान नहीं था।

वित्तपोषण संबंधी मानदण्डों में परिवर्तन के उपरांत पी.आई.पी. में पुनरीक्षण किया जाना चाहिये ताकि पी.आई.पी. में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की वास्तविक आवश्यकता को दर्शाया जा सके।

2.3.7.2 राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) द्वारा वार्षिक कार्यान्वयन योजना (ए.आई.पी.) को तैयार किया जाना

टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एस.डब्ल्यू.एस.एम. को जिलों द्वारा दी गई प्रगति के अनुसार प्रत्येक जिले के लिये वार्षिक कार्यान्वयन योजना तैयार करना, लाइन विभागों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना, विशिष्ट परियोजना जिलों के लिये निर्धारित केन्द्र से सहायता अनुदान प्राप्त करना और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को निधियों का सवितरित करना था। एस.डब्ल्यू.एस.एम. की बैठकों में पूर्व वर्ष एवं वर्तमान आगामी वर्ष के लिये योजना कार्यान्वयन की समीक्षा करनी थी।

टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक कार्यान्वयन योजना को परियोजना गतिविधियाँ प्राप्त करने के लिये समर्पित होने वाली ग्राम पंचायतों का निर्धारण करके तैयार किया जाना चाहिये था। इन ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना को संकलित कर ब्लॉक कार्य योजना तत्पश्चात जिला कार्यान्वयन योजना तैयार की जानी चाहिये। राज्य कार्यान्वयन योजना तैयार करने हेतु एस.डब्ल्यू.एस.एम. को डी.डब्ल्यू.एस.एम. की कार्ययोजना को संकलित करना चाहिये। इस हेतु एस.डब्ल्यू.एस.एम. की बैठकें छः माह में कम से कम एक बार होनी चाहिये।

टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार डी.डब्ल्यू.एस.एम. को जिला परियोजना का आयोजन तथा कार्यान्वयन करना चाहिये। इसे कार्यक्रम कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करनी चाहिये ताकि जिला वार्षिक कार्य योजनाओं के उद्देश्य को हासिल किया जा सके और इसके परिणामस्वरूप निर्मल ग्राम पंचायतें बन सकें। डी.डब्ल्यू.एस.एम.की बैठक कम से कम हर तीसरे महीने में होनी चाहिये थी। बैठकों के दौरान, पूर्व वर्ष में योजना की प्रगति का मूल्यांकन तथा आगामी वर्ष हेतु कार्ययोजना तैयार की जानी थी।

● हमने देखा कि वार्षिक कार्यान्वयन योजना ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर तैयार न करके केवल जिला स्तर पर तैयार की गई थी।

● ग्राम पंचायतों को चिन्हित करते हुए सामुदायिक संतृप्तीकरण दृष्टिकोण को जो वर्ष के दौरान अथवा आगामी वर्षों में "निर्मल" स्थिति का निर्माण कर सके, को नहीं अपनाया गया था जैसा कि पैरा 2.3.8.3 में उल्लेख किया गया है।

● 2009-14 की अवधि में एस.डब्ल्यू.एस.एम. की निर्धारित 10 बैठकों के विरुद्ध मात्र चार⁵ बैठकें आयोजित की गईं। वर्ष 2011-12 तथा 2013-14 में एस.डब्ल्यू.एस.एम. की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। यह राज्य स्तर पर योजना के अनुवीक्षण व आयोजन में कमी को दर्शाता है।

वार्षिक कार्ययोजना बनाने में ग्राम पंचायतों के योजना को जनपद एवं जिला स्तर पर संकलन (बाटमअप एप्रोच) एवं सामुदायिक संतृप्तीकरण का दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया

5 बैठकें दिनांक 19.05.2009, 06.02.2010, 06.09.2010 तथा 18.06.2012 को आयोजित की गई थी।

- 2009-14 की अवधि में डी.डब्ल्यू.एस.एम. की निर्धारित संख्या में बैठकें आयोजित नहीं की गई थी। अनुपपुर, बालाघाट तथा रतलाम जिलों में वर्ष 2010-11 में डी.डब्ल्यू.एस.एम. की मात्र एक बैठक आयोजित की गई थी तथा धार जिले में वर्ष 2011-12 में मात्र दो बैठकें आयोजित की गईं। विवरण **परिशिष्ट-2.29** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव ने स्वीकार किया कि ए.आई.पी. तैयार करने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्ययोजना का संकलन 2014-15 से किया गया है। बैठकों के आयोजन के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं। हालांकि अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि एस.डब्ल्यू.एस.एम. तथा डी.डब्ल्यू.एस.एम. की नियमित बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

वर्ष 2022 तक निर्मल भारत की स्थिति को प्राप्त करने हेतु ए.आई.पी. तैयार करने हेतु संतुष्टीकरण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये तथा कार्ययोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर संकलन किया जाना चाहिये।

2.3.8 योजना कार्यान्वयन

2.3.8.1 लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

एन.बी.ए. का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना तथा देश में सभी पंचायतों द्वारा निर्मल स्थिति प्राप्त करने के साथ 2022 तक निर्मल भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिये स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना है। उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं विद्यालयों में शौचालय का निर्माण किया जाना था।

हमने देखा कि योजना के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत ए.आई.पी. में निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों को पूरी तरह नहीं प्राप्त किया गया था जिसकी चर्चा नीचे की गई है :-

(अ) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत रूप से पूरा किए गये पारिवारिक स्वच्छता शौचालय में ऊपरीढांचा सहित एक मूल निम्न लागत शौचालय इकाई होगी। शौचालय पूर्ण होने तथा इस्तेमाल होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान बी.पी.एल. तथा ए.पी.एल. परिवारों हेतु वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी निम्नानुसार रही:-

तालिका- 2 : वैयक्तिक शौचालयों के निर्माण के लक्ष्यों की पूर्ति में कमी

वर्ष	बी.पी.एल. परिवारों के लिये वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति में कमी			ए.पी.एल. परिवारों के लिये वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति में कमी		
	लक्ष्य	कमी	प्रतिशत	लक्ष्य	कमी	प्रतिशत
2009-10	10,64,259	4,50,715	42	14,09,582	6,20,780	44
2010-11	6,98,278	76,535	11	8,67,482	3,23,209	37
2011-12	7,44,240	2,71,719	37	7,16,461	2,60,281	36
2012-13	7,76,638	4,37,356	56	7,87,842	5,68,935	72
2013-14	9,07,293	6,27,448	69	9,92,368	7,56,630	76

(स्रोत: एस.डब्ल्यू.एस.एम. का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (2009-14))

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि बी.पी.एल परिवारों हेतु वैयक्तिक शौचालयों के निर्माण में लक्ष्यों के विरुद्ध कमी 11 से 69 प्रतिशत के मध्य तथा ए.पी.एल. परिवारों हेतु लक्ष्य के विरुद्ध कमी 36 से 76 प्रतिशत के मध्य रही।

राज्य में योजना के विभिन्न घटकों में निर्धारित लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया गया

2.3.8.2 ग्राम पंचायतों के माध्यम से वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण

निर्मल भारत अभियान के दिशानिर्देशों की कंडिका 5.4.1 के अनुसार वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण कार्य परिवार द्वारा स्वयं ही किया जायेगा और शौचालय बन जाने तथा उपयोग प्रारंभ हो जाने पर नकद वित्तीय प्रोत्साहन परिवार की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाना था।

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई "मर्यादा अभियान" के दिशानिर्देशों के अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराया जाना अनुमत्य नहीं था।

नमूना जांच की गई 231 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि 13 जिलों की 221 ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि अंतरित करने के बजाए शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया गया।

221 ग्राम पंचायतों में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा कराया गया

निर्गम सम्मेलन में, सरकार ने बताया कि राज्य ने वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि जारी करने हेतु दो तरीके अपनाये अर्थात् यदि हितग्राही एन.बी.ए. की राशि का अनुरोध करता है तो उन्हें शौचालय निर्माण के उपरांत प्रोत्साहन की राशि सीधे जारी कर दी जाएगी। परंतु यदि हितग्राही मनरेगा योजना के अभिसरण से वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय चाहता है तो ग्राम पंचायत को शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी।

उत्तर योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि हितग्राहियों को निर्माण सामग्री का स्वयं क्रय करना था तथा स्वयं की पसंद के अनुसार शौचालय निर्माण करना था जिससे उन्हें वंचित रखा गया था।

2.3.8.3 संतृप्तीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति न होना

एन.बी.ए. के दिशानिर्देशों की कंडिका 2.1 के अनुसार, एन.बी.ए. योजना का मुख्य उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों का संतृप्तीकरण करना था ताकि वर्ष 2022 तक निर्मल भारत के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

एस.डब्ल्यू.एस.एम. के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2012-14 की अवधि में संतृप्तीकरण हेतु लक्षित राज्य की ग्राम पंचायतों की संख्या तथा लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि निम्नानुसार थी:-

तालिका-5 : संतृप्तीकरण हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों तथा उपलब्धि का विवरण

वर्ष	राज्य की ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	संतृप्तीकरण हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	संतृप्त ग्राम पंचायत की संख्या	संतृप्त ग्राम पंचायत का प्रतिशत
2012-13	23,006	5,800	772	13
2013-14	23,006	1,815	228	13
योग		7,615	1,000	

(स्रोत- एस.डब्ल्यू.एस.एम. भोपाल द्वारा प्रदत्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एन.बी.ए. योजना प्रारम्भ होने के उपरांत वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में संतृप्तीकरण तथा खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या वर्ष 2022 तक निर्मल भारत बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं थी। हमने देखा कि खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु लक्षित 7,615 ग्राम पंचायतों के विरुद्ध मात्र 1,000 (13 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों का संतृप्तीकरण किया जा सका। इस प्रकार एन.बी.ए. आरंभ होने के उपरांत मार्च 2014 की स्थिति में राज्य की कुल ग्राम पंचायतों (23,006) का मात्र चार प्रतिशत ग्राम पंचायतों का संतृप्तीकरण किया जा सका था।

योजना कार्यान्वयन की इस गति के साथ वर्ष 2022 तक राज्य को "निर्मल" बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की सम्भावना सुदूर है।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि इस कार्यक्रम में गति तभी लायी जा सकती है जब व्यवहार परिवर्तन हो तथा समुदाय द्वारा मांग की जाये। चूंकि यह धीमी तथा कठिन प्रक्रिया है, इसलिये योजना की प्रगति धीमी है।

2.3.8.4 निर्मल ग्राम पुरस्कार की द्वितीय किस्त जारी न किया जाना तथा पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों का स्लिप बैक होना

निर्मल ग्राम पुरस्कार (एन.जी.पी.) की मार्गदर्शिका 2010 के अनुसार, चयनित ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार की राशि दो समान किस्तों में जारी की जायेगी। ग्राम पंचायत का पुरस्कार हेतु चयन होने के तत्काल बाद प्रथम किस्त जारी की जायेगी। एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों की छः माह बाद यादृच्छिक जांच की जानी थी। यदि निर्मल ग्राम एवं खुले में शौच से मुक्त स्थिति निरन्तर पाई गई हो तो डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा द्वितीय किस्त जारी की जायेगी। अन्यथा राज्य से पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों को निर्मल स्थिति में लाने हेतु आवश्यक उपाय किए जाएंगे। बार-बार निर्मल स्थिति बनाये रखने में असफल होने वाली ग्राम पंचायतों से निर्मल ग्राम पुरस्कार की राशि वसूली जानी थी।

ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुसार पुरस्कार की राशि ₹ 0.50 लाख से पांच लाख के मध्य है। निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों द्वारा पुरस्कार राशि का उपयोग खुले में शौच से मुक्त स्थिति बनाये रखने, ग्राम में अतिरिक्त स्वच्छता सुविधाओं का सृजन करने, ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) एवं एस.एल.डब्ल्यू.एम. के लिये भूमि क्रय करने हेतु किया जाना था।

एस.डब्ल्यू.एस.एम. के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य की 212 ग्राम पंचायतों का चयन एन.जी.पी. हेतु हुआ था जिन्हें प्रथम किस्त की राशि ₹ 1.35 करोड़ (मई 2012) में जारी की गई थी परंतु उन्हें द्वितीय किस्त की राशि जारी नहीं की गई (सितम्बर 2014)। लेखापरीक्षा द्वारा प्रश्न करने पर एस.डब्ल्यू.एस.एम. ने बताया कि डी.डब्ल्यू.एस.एम. से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण द्वितीय किस्त जारी नहीं की गई। यह भी देखा गया कि निर्मल एवं खुले में शौच से मुक्त स्थिति को अभिनिश्चित करने हेतु एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा उन ग्राम पंचायतों की यादृच्छिक जांच नहीं की गई थी।

पुरस्कार की सम्पूर्ण राशि जारी न होने से स्वच्छता की वर्तमान सुविधाओं के रख रखाव पर विपरीत प्रभाव पड़ा एवं अतिरिक्त स्वच्छता सुविधाओं का सृजन प्रभावित हुआ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार ने बताया कि एन.जी.पी. पुरस्कार राशि के प्रथम किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने एवं पुरस्कृत ग्राम पंचायतों में निर्मित शौचालयों की संख्या में अंतर होने के कारण द्वितीय किस्त जारी नहीं की गई।

उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि एस.डब्ल्यू.एस.एम. ने निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण सुनिश्चित नहीं किया तथा समय पर द्वितीय किस्त जारी नहीं की।

- डी.डब्ल्यू.एस.एम. शहडोल के अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि जनवरी 2008 से दिसम्बर 2011 के अवधि में निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त 33 ग्राम पंचायतों में से मात्र एक ग्राम पंचायत (पोंगरी जनपद सोहागपुर) को एन.जी.पी. की द्वितीय किस्त जारी की गई एवं शेष 32 ग्राम पंचायतों को द्वितीय किस्त की राशि ₹ 17.50 लाख इन ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मल स्थिति बनाये न रखने के कारण जिलों द्वारा (अगस्त 2014)

निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु चयनित 212 ग्राम पंचायतों को प्रथम किस्त की राशि जारी की गई परंतु इन ग्राम पंचायतों को पुरस्कार की द्वितीय किस्त की राशि जारी नहीं की गई

शहडोल जिले की निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त 32 ग्राम पंचायतों ने निर्मल स्थिति नहीं बनाये रखी

जारी नहीं की गई। इससे यह दर्शित हुआ कि इन ग्राम पंचायतों में निर्मल ग्राम स्थिति निरंतर बनाये रखना सुनिश्चित करने हेतु डी.डब्ल्यू.एस.एम. ने पर्याप्त सर्वेक्षण नहीं किये। इस प्रकार, ग्राम पंचायतों में निर्मल स्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, सरकार ने बताया कि एन.जी.पी. पुरस्कृत ग्राम पंचायतों में नियमित सर्वेक्षण/अनुवीक्षण/मूल्यांकन सुनिश्चित किया जायेगा ताकि यह अभिनिश्चित किया जा सके कि इन ग्राम पंचायतों ने खुले में शौच से मुक्त स्थिति को बनाए रखा था।

निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतों में नियमित अंतराल से सर्वेक्षण किये जाने चाहिये ताकि इन ग्राम पंचायतों में निर्मल स्थिति को बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके।

2.3.8.5 टोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम) का कार्यान्वयन न किया जाना।

टी.एस.सी./एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार टोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) योजना का एक प्रमुख घटक है। इस घटक के अंतर्गत कम्पोस्टपिट, वर्मी कम्पोस्टिंग, कम लागत वाली निकासी, सोकैज चैनल/गड्ढा अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली, घरेलू कचरे के संग्रहण अलग-अलग करना तथा उसका निपटान करने की प्रणाली इत्यादि जैसे क्रियाकलाप किये जाने थे। निर्मल स्थिति हेतु चयनित ग्राम पंचायत तथा एन.जी.पी. प्राप्त ग्राम पंचायतों में एस.एल.डब्ल्यू.एम. परियोजना को प्राथमिकता दी जानी थी।

एस.डब्ल्यू.एस.एम. के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा 2009-14 की अवधि में एस.एल.डब्ल्यू.एम. के अंतर्गत कोई कार्य नहीं किया गया, यहाँ तक कि इस हेतु न तो ग्राम पंचायतों की पहचान की गई और न ही उन्हें कोई धन राशि आवंटित की गई।

एस.एल.डब्ल्यू.एम. का कार्यान्वयन न होने के फलस्वरूप ग्रामीण जनता के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि प्रथम चरण के अंतर्गत 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली 31 ग्राम पंचायतों की एस.एल.डब्ल्यू.एम. कार्यान्वयन हेतु पहचान की गई है। कुशल एजेन्सियों के माध्यम से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाये जा रहे थे एवं शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

उत्तर तक संगत नहीं है क्योंकि अवधि 2009-14 के दौरान एस.एल.डब्ल्यू.एम. का कोई कार्य नहीं किया गया। यहाँ तक कि एन.जी.पी. पुरस्कृत ग्राम पंचायतों में भी एस.एल.डब्ल्यू.एम. परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विचार नहीं किया गया।

एन.जी.पी. पुरस्कृत ग्राम पंचायतों में टोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये।

2.3.9 सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण (आई.ई.सी.) क्रियाकलाप

2.3.9.1 सूचना, शिक्षा तथा सम्प्रेषण (आई.ई.सी.) क्रियाकलापों में कमी होना आई.ई.सी. क्रियाकलापों का लक्ष्य व्यावहारिक बदलाव के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घरों, विद्यालयों, आंगनवाड़ियों एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में स्वच्छता सुविधाएँ एवं मांग पैदा करना है। आई.ई.सी. क्रियाकलापों को निरंतर वर्ष भर सभी तीनों स्तरों यथा जिला, विकास खण्ड तथा ग्राम पंचायतों पर किया जाना चाहिये। दिशानिर्देशों के अनुसार आई.ई.सी. सामग्रियों का प्रभावी तरीके से प्रसार करने के लिये ब्लॉकों तथा

टोस एवं तरल
अपशिष्ट प्रबंधन
घटक के अंतर्गत
कोई कार्य नहीं किया
गया

ग्राम पंचायतों को कार्यों के निष्पादन के लिये इन घटक के तहत धन राशि दी जानी चाहिये।

आई.ई.सी. क्रियाकलापों को वर्ष भर जारी नहीं रखा गया। आई.ई.सी. क्रियाकलापों हेतु ग्राम पंचायतों को राशि प्रदाय नहीं की गई थी

हमने देखा कि आई.ई.सी. क्रियाकलाप डी.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा किये गये थे। नमूना जांच किये गये विकास खण्डों अथवा ग्राम पंचायतों को आई.ई.सी. घटक में पृथक से धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

नमूना जांच किये गये 231 ग्राम पंचायतों के सचिवों से प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण में पाया गया कि:-

- 218 ग्राम पंचायतों (94 प्रतिशत) के सचिवों ने बताया कि आई.ई.सी. क्रियाकलाप निरन्तर पूरे वर्ष नहीं किये गये।
 - सभी 231 ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया कि आई.ई.सी. क्रियाकलापों हेतु ग्राम पंचायतों को कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई।
 - 224 ग्राम पंचायतों (97 प्रतिशत) के सचिवों ने बताया कि विकास खण्ड समन्वयकों को ग्राम पंचायत हेतु आई.ई.सी. क्रियाकलापों की रणनीति बनाने हेतु सम्मिलित नहीं किया गया था।
 - 225 ग्राम पंचायतों (97 प्रतिशत) ने बताया कि आई.ई.सी. कर्मियों को क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।
- उपर्युक्त से स्पष्ट है कि नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में आई.ई.सी. गतिविधियों की कमी रही। जिसके फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका। संयुक्त भौतिक सत्यापन में हमें शौचालयों को ईंधन की लकड़ियों एवं अन्य सामग्रियों को रखने हेतु उपयोग किये जाने के उदाहरण देखने में आये जैसा कि निम्न फोटोग्राफ में दर्शाया गया है:-



श्री बुद्धीलाल, ग्राम पंचायत बरहाटोला जनपद ब्योहारी, शहडोल का वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय ईंधन की लकड़ियाँ रखने हेतु उपयोग किया जा रहा था।



श्री शिवप्रसाद अकाली, ग्राम पंचायत मऊ जनपद ब्योहारी, शहडोल का वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय मंडार कक्ष के रूप में उपयोग किया जा रहा था।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन.बी.ए. ने बताया कि राज्य स्तर पर ग्रामीण जनता पर आई.ई.सी. गतिविधियों के मूल्यांकन के प्रभाव का आकलन नहीं किया गया।

डी.डब्ल्यू.एस.एम. शहडोल द्वारा आई.ई.सी. निधि से ₹ 12.92 लाख मुद्रण कार्य हेतु व्यय किये गये

इसके अतिरिक्त, हमने देखा कि डी.डब्ल्यू.एस.एम. शहडोल द्वारा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के कार्रवाई विवरण रजिस्टर, अनुवीक्षण रजिस्टर, माप पुस्तिका, मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के प्रारूपों के मुद्रण हेतु आई.ई.सी. की राशि से ₹ 12.92 लाख का भुगतान किया गया।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि पूरे वर्ष नियमित एवं गहन आई.ई.सी., आपसी बातचीत, व्यवहार परिवर्तन संचार, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण गतिविधियों हेतु योजना

तैयार की गई थी एवं जिसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। शासन ने यह भी बताया कि भविष्य में आई.ई.सी. निधियों का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के नए दिशानिर्देशों के अनुरूप केवल आई.ई.सी. क्रियाकलापों हेतु किया जायेगा।

आई.ई.सी. गतिविधियां वर्ष भर निरंतर की जानी चाहिए तथा ग्राम पंचायतों को आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए।

2.3.10 अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

2.3.10.1 राज्य समीक्षा मिशन

एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 16.1 के अनुसार राज्य सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में शासन के अन्य संबद्ध विभागों के कम से कम तीन सदस्यों तथा स्वच्छता के क्षेत्र में नामी संगठनों से स्वतंत्र प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर राज्य समीक्षा मिशन का गठन किया जाना था। राज्य को विभिन्न एन.बी.ए. जिलों के आवधिक समीक्षा करने के लिये राज्य स्तर पर एक विशेषज्ञों का पैनल भी गठित करना था।

राज्य स्तर पर राज्य समीक्षा मिशन तथा विशेषज्ञों का पैनल गठित नहीं किया गया था

एस.डब्ल्यू.एस.एम. के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने देखा कि राज्य स्तर पर राज्य समीक्षा मिशन तथा विशेषज्ञों का पैनल गठित नहीं किया गया था। इस प्रकार योजना कार्यान्वयन के मूल्यांकन एवं सुधारात्मक उपाय करने हेतु जिला परियोजना की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि राज्य समीक्षा मिशन के गठन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

2.3.10.2 स्वच्छता दिवस

एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 17.2.1 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को पिछले महीने की उपलब्धियों को रिकार्ड करने, मांग आधारित वैयक्तिक स्वच्छता सुविधाओं का निर्धारण करने, ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण, शुरु की गई आई.ई.सी., प्रशिक्षण हेतु मासिक कार्ययोजना तैयार करने, वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के अंतर्गत निचली श्रेणी में लौट आई बसाहटों की पहचान करने, विगत माह में विभिन्न गतिविधियों में हुए व्यय की समीक्षा हेतु महीने के किसी विशेष दिवस को स्वच्छता दिवस के रूप में निर्धारित करना था।

नमूना जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता दिवस आयोजित नहीं किया गया

सभी नमूना जांच की गई 231 ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया कि 2009-14 की अवधि में किसी भी ग्राम पंचायत में स्वच्छता दिवस का आयोजन नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने उत्तर में बताया कि ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से स्वच्छता दिवस आयोजित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए थे।

2.3.10.3 सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु ग्राम स्वच्छता सभा का संचालन

एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 17.3.1 के अनुसार विभिन्न मासिक योजनाओं के अंतर्गत की गई प्रगति तथा ग्राम पंचायत में आयोजित किए गए स्वच्छता दिवस की कार्रवाईयों की समीक्षा करने के लिए सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक छः महीनों में "ग्राम स्वच्छता सभा" के रूप में ग्राम सभा का आयोजन किया जाना था। डी.डब्ल्यू.एस.एम./जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदाई थे कि समय सारणी के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा समीक्षा समय पर हुई थी।

सभी नमूना जांच की गई 231 ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया कि 2009-14 की अवधि में नमूना जांच की गई किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम स्वच्छता सभा का आयोजन नहीं किया गया था।

नमूना जांच की गई
ग्राम पंचायतों में
किसी में भी ग्राम
स्वच्छता सभा
आयोजित नहीं गई
थी

ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता दिवस तथा ग्राम स्वच्छता सभा का आयोजन न होने के कारण योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से ग्राम स्वच्छता सभा आयोजित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये थे।

योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा स्वच्छता दिवस एवं ग्राम स्वच्छता सभा का नियमित आयोजन किया जाना चाहिये।

2.3.10.4 राज्य स्तर पर डाटा की विश्वसनीयता का सत्यापन करने हेतु प्रणाली का न होना

एन.बी.ए. योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 19.1 के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने निर्मल भारत अभियान के लिए एक ऑन लाईन अनुवीक्षण प्रणाली विकसित की थी। एन.बी.ए. वेबसाइट पर अपलोड किये गये डाटा की विश्वसनीयता के सत्यापन हेतु राज्य शासन के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन.बी.ए. ने बताया कि डाटा की विश्वसनीयता के सत्यापन हेतु कोई प्रणाली नहीं थी तथा वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदन के डाटा एवं एन.बी.ए. वेबसाइट पर लोड किये गये डाटा की दुतरफा जांच नहीं की गई थी। यद्यपि डाटा की विश्वसनीयता हेतु प्रणाली विकसित की जा रही थी। निर्गम सम्मेलन में सरकार ने बताया कि वर्ष 2014-15 से राज्य स्तर पर आउटपुट (निर्मित शौचालयों की संख्या) तथा आउटकम (शौचालयों का उपयोग) आधारित अनुवीक्षण प्रारंभ कर दिया गया था। राज्य में "समग्र" डाटाबेस तैयार किया गया था जिसमें शौचालय युक्त परिवारों की प्रविष्टि की गयी थी। भविष्य में, इस डाटाबेस को भारत सरकार के डाटाबेस से जोड़ दिया जायेगा।

डाटा के मिलान की व्यवस्था न होने के कारण डाटा की विश्वसनीयता अभिनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

2.3.11 निष्कर्ष

- एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा डी.डब्ल्यू.एस.एम. को राज्यांश जारी करने में 81 दिवस तक का अत्यधिक विलंब हुआ था। टी.एस.सी. योजना की धन राशि को एन.बी.ए. योजना निधि में अंतरित नहीं किया था एवं यह राशि जनपद पंचायतों के बैंक खातों में अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।
- वार्षिक कार्यान्वयन योजना बनाने में सामुदायिक संतृप्तीकरण दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया तथा विभिन्न स्तरों पर संकलन (बॉटमअप एप्रोच) नहीं किया गया।
- संतृप्तीकरण तथा खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या वर्ष 2022 तक निर्मल भारत बनाने के दृष्टिकोण की प्राप्ति के अनुरूप नहीं थी।
- योजना के विभिन्न घटकों हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की गई थी। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति में अत्यधिक कमी थी।
- स्वच्छता सुविधाओं की मांग सृजित करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण क्रियाकलाप पूरे वर्ष भर नहीं किये गये तथा सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण क्रियाकलापों हेतु ग्राम पंचायतों को राशियां उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिम जाति विकास विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग

2.4 बालिकाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन

कार्यपालन सारांश

पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाने एवं आत्मविकास के द्वारा बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार ने किशोरी शक्ति योजना एवं राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला) (15 जिलों में) कार्यान्वित की। बालिकाओं में साक्षरता दर बढ़ाने एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निरंतर शिक्षा हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित की गई।

- किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य जांच प्रदान करने हेतु पृथक से सर्वेक्षण किए बिना बालिकाओं की पहचान की गई थी। इस प्रकार, किशोरी शक्ति योजना में बालिकाओं को शामिल करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। तथापि, चयनित बालिकाओं की पात्रता संबंधी जांच भी ग्राम सभा द्वारा नहीं कराई गई थी। सबला योजनान्तर्गत बालिकाओं की पहचान हेतु सर्वेक्षण किया गया।

(कंडिका 2.4.7.1 एवं 2.4.8.2)

- किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था एवं सबला के अंतर्गत, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण तथा जीवन कौशल शिक्षा पर मार्गदर्शन एवं परामर्श उपलब्ध कराने में कमी थी।

(कंडिका 2.4.7.2 एवं 2.4.8.4)

- किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी, सबला के अंतर्गत नमूना जांच किए गए 79 आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी एवं नमूना जांच किए गए 68 आंगनवाड़ी केन्द्रों में आयरन फौलिक एसिड (आई.एफ.ए.) का सम्पूरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। अन्य विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण भी नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.4.7.3, 2.4.8.6 एवं 2.4.8.8)

- किशोरी शक्ति योजना एवं सबला के अंतर्गत अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं था क्योंकि जिला एवं परियोजना स्तर पर अनुवीक्षण समिति की आवश्यक बैठकों की अत्यधिक कमी थी, जिसका प्रभाव योजना के कार्यान्वयन पर पड़ा।

(कंडिका 2.4.7.4 एवं 2.4.8.10)

- कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, प्रोत्साहन राशि छात्राओं को पात्रता मानदण्ड सुनिश्चित किए बिना उपलब्ध कराई गई थी। पात्र प्रकरणों में प्रोत्साहन राशि के वितरण में 18 माह तक का विलम्ब था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निरंतर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य की पूर्णतः प्राप्ति नहीं हुई थी। योजना का किसी भी स्तर पर अनुवीक्षण नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.4.9.2, 2.4.9.3, 2.4.9.5 एवं 2.4.9.6)

2.4.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश में, जनगणना 2001 के अनुसार महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत तथा जनगणना 2011 के अनुसार 60 प्रतिशत थी, यह जनगणना 2011 के राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत से कम थी। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, शिक्षा एवं आत्म-विकास हेतु अनेक प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की। 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर प्रतिवेदन में *लाइली लक्ष्मी योजना*¹, *गांव की बेंटी योजना*² तथा *प्रतिभा किरण योजना*³ के कार्यान्वयन पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किए गए थे। इन्हीं उद्देश्यों के साथ राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित तीन अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया:

किशोरी शक्ति योजना (के.एस.वाई.) एवं राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला):

भारत सरकार ने (वर्ष 2000 में) एकीकृत बाल विकास सेवायें (आई.सी.डी.एस.) के घटक के रूप में किशोरी बालिकाओं को आत्म-विकास, पोषण के बारे में जागरूकता, स्वास्थ्य एवं परिवार देखभाल तथा जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने हेतु "किशोरी शक्ति योजना" प्रारंभ की। इन्हीं उद्देश्यों के साथ राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला) राज्य के 15 जिलों⁴ में किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर दिसम्बर 2010 से प्रारंभ की गई। किशोरी शक्ति योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सबला अंतर्गत, पोषण की लागत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वहन की जाती है। गैर पोषण घटक पर भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं को दिया जाता है।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (के.एस.पी.वाई.):

राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षा छठवीं की अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की बालिकाओं के नामांकन एवं महिला साक्षरता दर में वृद्धि के उद्देश्य से कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ (1986-87) की गई। वर्ष 2003 से, शासन द्वारा कक्षा नौवीं एवं कक्षा ग्यारहवीं की अ.जा./अ.ज.जा. की छात्राओं को भी उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निरंतर विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिये योजना में सम्मिलित किया गया था। इस योजनान्तर्गत अ.जा./अ.ज.जा. की छात्राओं को विद्यालय में नामांकन के समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

2.4.2 कार्यान्वयन व्यवस्था

किशोरी शक्ति योजना एवं सबला का कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके शीर्ष अधिकारी प्रमुख सचिव हैं। आयुक्त विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है जिसकी जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन आदिम जाति विकास विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके शीर्ष अधिकारी प्रमुख सचिव हैं। आयुक्त, आदिम जाति विकास एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रशासकीय प्रमुख हैं। सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास द्वारा 26 जिलों में एवं

¹ शैक्षणिक स्तरों में प्रोत्साहन, परिवार नियोजन एवं बाल विवाह पर रोक

² गांव की मेधावी बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

³ शहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मेधावी बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

⁴ बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, मोपाल, दमोह, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, नीमच, राजगढ़, रीवा, सागर, श्यांपुर, सीधी एवं टीकमगढ़

जिला संयोजक आदिवासी कल्याण द्वारा 24 जिलों में योजना का कार्यान्वयन माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से करते हैं।

2.4.3 लेखा परीक्षा के उद्देश्य

लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि:

- योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन एवं पहचान योजना के दिशानिर्देश के अनुसार किया गया;
- योजनाओं का वित्तीय प्रबंधन दक्षतापूर्ण था;
- योजनाओं का कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया एवं बालिकाओं का आत्म-विकास, पोषण के बारे में जागरूकता, स्वास्थ्य एवं परिवार देखभाल एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का विकास के अर्न्तनिहित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था; और
- योजनाओं का अनुवीक्षण पर्याप्त एवं प्रभावी था।

2.4.4 लेखा परीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षा हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों में दिए गए मानक, मानदण्ड एवं प्रक्रिया को अपनाया गया:

- योजनाओं के दिशानिर्देश;
- योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश;
- मध्यप्रदेश कोषालय संहिता, भाग-1 (एमपीटीसी वोल्यूम 1); और
- निर्धारित अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन तंत्र।

2.4.5 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखा परीक्षा में, 2009-14 की अवधि के लिए किशोरी शक्ति योजना एवं कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन को शामिल किया गया है एवं जनवरी 2011 से वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए सबला योजना को सम्मिलित किया गया है। राज्य के 51 जिलों में से 13 जिलों⁵ जिनमें 4 जिले⁶ जहां सबला योजना कार्यान्वित की जा रही थी, का चयन प्रतिस्थापन पद्धति के बिना यादृच्छिक परिचयन (एस.आर.एस. डब्ल्यू.ओ.आर.) द्वारा किया गया।

प्रत्येक चयनित जिले में 4 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं तथा प्रत्येक परियोजना में 10 आंगनवाड़ी केन्द्र जहां सबला योजना लागू है, का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया था। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 5 माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों की नमूना जांच की गई थी। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित इकाईयों की सूची **परिशिष्ट 2.31** में दी गई है।

लेखा परीक्षा के उद्देश्य, मानदण्ड एवं लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र पर विचार विमर्श हेतु प्रवेश सम्मेलन मार्च 2014 में प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव, आदिम

⁵ एक जिला (आगर-मालवा) अगस्त 2013 से निर्मित हुआ।

⁶ बालाघाट, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, डिण्डौरी, ग्वालियर, होशंगाबाद, झाबुआ, मंडला, मंदसौर, नीमच, सागर, सिवनी एवं उमरिया।

⁷ बालाघाट, झाबुआ, नीमच एवं सागर।

जाति कल्याण विभाग एवं आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग के साथ आयोजित हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ नवम्बर एवं दिसम्बर 2014 में आयोजित निर्गम सम्मेलन में लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई; विभाग के विचार समीक्षा में सम्मिलित कर लिए गए हैं।

2.4.6 बजट एवं व्यय

वर्ष 2009-14 की अवधि में विभिन्न योजनाओं में बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण तालिका-1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1: 2009-14 की अवधि के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

योजना	आवंटन	व्यय
किशोरी शक्ति योजना (के.एस.वाई.)	21.54	19.82
राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला)	418.64	403.57
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (अ.जा.)	135.51	122.00
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (अ.ज.जा.)	120.43	119.70
योग	696.12	665.09

(स्रोत-विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार बजट आवंटन, व्यय एवं बचत का विवरण कड़िका 2.4.7, 2.4.8.1 एवं 2.4.9 में दिया गया है।

योजनाओं का कार्यान्वयन

2.4.7 किशोरी शक्ति योजना (के.एस.वाई.)

किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत, 11 से 18 वर्ष के समूह की बालिकाओं को संतुलित भोजन, स्वास्थ्य चेतना एवं आर्थिक सशक्तिकरण के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना था। इसके अतिरिक्त, बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच एवं उन्हें आयरन फौलिक एसिड की गोलियों का प्रदाय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहायक नर्स दाई द्वारा किया जाना था। वर्ष 2010-11 तक योजना 51 जिलों में तथा वर्ष 2011-12 से 36 जिलों में कार्यान्वित की गई थी।

योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष ₹ 1.10 लाख प्रत्येक एकीकृत बाल विकास सेवाएं परियोजना को दिए गए। वर्ष 2009-14 के दौरान किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत जारी कुल राशि ₹ 21.54 करोड़ के विरुद्ध ₹ 19.82 करोड़ व्यय किए गए। इस तरह, ₹ 1.72 करोड़ की बचत मुख्यतः 'प्रशिक्षण' के अंतर्गत हुई। वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका-2: 2009-14 की अवधि के दौरान वर्षवार बजट आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
आवंटन	4.98	4.98	4.98	3.30	3.30	21.54
व्यय	4.24	4.68	4.67	3.12	3.11	19.82
बचत	0.74	0.30	0.31	0.18	0.19	1.72

(स्रोत-विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

2.4.7.1 पात्र बालिकाओं की पहचान एवं चयन

किशोरी शक्ति योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 11 से 18 वर्ष के समूह की बालिकाओं की पहचान के लिये आंगनवाड़ीवार सर्वेक्षण पृथक से किया जाना था। सर्वेक्षित बालिकाओं की सूची आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं परियोजना कार्यालयों में रखी जानी थी। यह देखा गया कि किशोरी शक्ति योजना हेतु आंगनवाड़ी स्तर पर पृथक से सर्वेक्षण नहीं किया गया था एवं न ही पृथक से सूची तैयार की गई थी। इस प्रकार, परियोजना कार्यालयों में योजना के लिये पहचान की गई बालिकाओं की सूची नहीं थी। इस तरह सर्वेक्षण के माध्यम से हितग्राहियों का चयन, जैसा कि योजना के दिशानिर्देशों में निहित है, नहीं किया गया।

किशोरी शक्ति योजना के उद्देश्य हेतु पृथक से सर्वेक्षण का आयोजन तथा बालिकाओं की सूची तैयार नहीं की गई

इसके अतिरिक्त, पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए बालिकाओं का चयन, गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) जीवन यापन करने वाले परिवारों से तथा विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाओं को उनके उम्र के घटते क्रम में प्राथमिकता दी जानी थी। चयनित किशोरी बालिकाओं की सूची परियोजना कार्यालयों द्वारा पर्यवेक्षकों एवं ग्राम सभा की स्वास्थ्य समिति को पात्रता की पुष्टि करने हेतु प्रेषित की जानी थी। परन्तु चयनित परियोजना कार्यालयों ने सूचित किया कि प्रशिक्षण के लिये चयनित बालिकाओं की सूची पात्रता की जांच हेतु ग्राम सभा को नहीं भेजी गई थी।

बालिकाओं के चयन के लिए मानकों के अनुवर्तन को सुनिश्चित नहीं किया गया था

हमने देखा कि वर्ष 2009-14 के दौरान, 34 परियोजनाओं में 1.97 लाख बालिकाओं का चयन (नमूना जांच किए गए 36 परियोजना कार्यालयों के 2.10 लाख बालिकाओं में से) तीन दिवसीय प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मापदण्डों का अनुवर्तन सुनिश्चित किए बिना किया गया। दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र बालिकाओं की प्राथमिकता के संबंध में परियोजना कार्यालयों द्वारा अथवा ग्राम सभा की स्वास्थ्य समिति के द्वारा कोई अभिलेख संधारित नहीं किये गए थे। उनमें से, 21 परियोजना कार्यालयों में पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण 395 ऐसी बालिकाओं को दिया गया जो 11 से 18 वर्ष समूह की नहीं थीं।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बताया गया कि रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण आंगनवाड़ी एवं परियोजना कार्यालयों पर बालिकाओं की सर्वेक्षण सूची उपलब्ध नहीं थी। वर्ष 2014-15 से सर्वेक्षण डाटा रजिस्टर में संधारित किया जाएगा।

योजनान्तर्गत हितग्राहियों की पात्रता अभिनिश्चित करने के लिये विभाग एवं परियोजना कार्यालयों को 11 से 18 वर्ष समूह की बालिकाओं का डाटाबेस संधारित करना चाहिए।

2.4.7.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

किशोरी शक्ति योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, संतुलित भोजन, स्वास्थ्य चेतना एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर दो दिवसीय खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण बाल विकास परियोजना अधिकारियों, महिला चिकित्सक, सहायक परियोजना अधिकारी / जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के पर्यवेक्षकों, सहायक नर्स दाई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र से दो किशोरी बालिकाओं को मास्टर्स ट्रेनर्स बनाने के लिए दिया जाना था।

इन मास्टर्स ट्रेनर्स द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण पंचायत स्तर पर बालिका हितग्राहियों को उपरोक्त विषयों पर तीन माह के अंतराल में दिया जाना था (प्रत्येक तीन माह में एक दिन)। बालिकाओं के लिए ग्राम पंचायतवार प्रशिक्षण कार्यक्रम का रोस्टर, महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक तथा स्वास्थ्य विभाग के सहायक नर्स दाई द्वारा तैयार कर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया जाना था।

हमने देखा कि योजना के अंतर्गत बालिकाओं को सम्मिलित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। फिर भी, वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में 14.21 लाख बालिकाओं को संतुलित भोजन, स्वास्थ्य चेतना एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित बालिकाओं की संख्या कम होकर वर्ष 2011-12 के दौरान 9.39 लाख तथा अगले दो वर्षों में 2012-13 एवं 2013-14 में 9.42 लाख थी। इन वर्षों में कमी का कारण 15 जिलों में किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर सबला योजना का लागू होना था।

वर्ष 2009-14 के दौरान नमूना जांच किए गए परियोजना कार्यालयों में सम्मिलित की गई पंचायतों एवं हितग्राहियों की संख्या को तालिका-3 में दर्शाया गया है।

तालिका-3 चयनित परियोजनाओं में पंचायत स्तरीय प्रशिक्षणों की संख्या तथा प्रशिक्षित बालिकाओं की संख्या

वर्ष	चयनित परियोजना कार्यालयों के पंचायतों की संख्या	पंचायतों की संख्या जहां पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ	बालिकाओं की संख्या जिनको प्रशिक्षण दिया गया
2009-10	2,206	1,967	39,678
2010-11	2,290	2,075	41,658
2011-12	2,293	2,139	43,809
2012-13	2,246	2,092	42,483
2013-14	2,246	2,092	41,903
योग	11,281	10,365	2,09,531

(स्रोत:-परियोजना कार्यालयों के द्वारा प्रदत्त जानकारी)

हमने निम्नानुसार पाया:

- नमूना जांच किए गए 36 परियोजना कार्यालयों में से 26 परियोजना कार्यालयों⁸ द्वारा प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम के रोस्टर तैयार नहीं किए गए तथा न ही जिला कार्यक्रम अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रेषित किए गए।

- खण्ड स्तर पर मास्टर्स ट्रेनर्स तैयार करने हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण नमूना जांच किए गए सभी परियोजना कार्यालयों में दिया गया था। परन्तु, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा नमूना जांच किए गए 36 परियोजना कार्यालयों में से किसी भी खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया गया। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए 36 परियोजना कार्यालयों में से केवल 8 परियोजना कार्यालयों⁹ में महिला चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य चेतना संबंधी प्रशिक्षण दिया गया था।

- वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान, पंचायत स्तर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण बालिकाओं को नमूना जांच किए गए 36 परियोजना कार्यालयों में से 33 परियोजना कार्यालयों में दिया गया। परियोजना कार्यालय डिण्डौरी में, वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि राशि का विकास खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण में उपयोग कर लिया गया। इसी प्रकार, सीतामऊ (2009-10) एवं मल्हारगढ़ (2009-11 एवं 2012-14) जिला मंदसौर में बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण आंगनवाडी केन्द्रों से बालिकाओं की सूची प्राप्त न होने के कारण आयोजित नहीं किया गया। अतः सम्पूर्ण राशि समर्पित कर दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार, तीन दिवसीय पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के उपरांत पर्यवेक्षक द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाई गई बालिकाओं की सूची तैयार करनी थी एवं उनके नाम परियोजना कार्यालय को अग्रेषित करने थे। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा बालिकाओं की सूची संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से आयुक्त को भेजी जानी थी।

हमने पाया कि किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत, नमूना जांच किए गए किसी भी परियोजना कार्यालयों में पर्यवेक्षकों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु बालिकाओं का चयन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसा कि योजना में निहित था प्रदान नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया एवं बताया कि मैदानी अधिकारियों को कार्रवाई करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

⁸ अमरपुर, बजाग, बिछुआ, बीजाडांडी, बुरहानपुर ग्रामीण, छिंदवाडा ग्रामीण, डिण्डौरी, ग्वालियर शहरी एक, ग्वालियर शहरी तीन, घुघरी, होशंगाबाद शहरी, होशंगाबाद ग्रामीण, इटारसी, करंजिया, केसला, खकनार, मानपुर, मंडला, मल्लहारगढ़, मोहगाँव, मोहखेड, नेपानगर, पाली, सीतामऊ, तामिया एवं उमरिया एक।

⁹ बुरहानपुर शहरी, ग्वालियर शहरी दो, होशंगाबाद शहरी, इटारसी, खकनार, मल्लहारगढ़, सीतामऊ एवं उमरिया दो।

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं सहायक परियोजना अधिकारियों ने ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया

किशोरी शक्ति योजना अंतर्गत बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया

किशोरी शक्ति योजना अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का रोस्टर तैयार करना तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं सहायक परियोजना अधिकारियों का खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण में भाग लेना सुनिश्चित किया जाए।

2.4.7.3 स्वास्थ्य जांच एवं आयरन फौलिक एसिड का सम्पूर्ण

योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आयरन फौलिक एसिड का सम्पूर्ण सहायक नर्स दई के द्वारा किया जाना था एवं यदि कोई बालिका गंभीर बीमार प्रतीत होती है, तो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा जाना था।

हमने देखा कि नमूना जांच किए गए किसी भी जिले, जहां किशोरी शक्ति योजना लागू की जा रही थी, में न तो स्वास्थ्य जांच की गई एवं न ही आयरन फौलिक एसिड का सम्पूर्ण दिया गया। लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर, बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम के आयोजन की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को नहीं दी गई थी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.4.7.4 अनुवीक्षण

किशोरी शक्ति योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले में एवं प्रत्येक खण्ड में एक 'समीक्षा समिति' का गठन किया जाना था, जो योजना कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा प्रति तिमाही एक बार करेगी। तथापि, योजना कार्यान्वयन के सम्पूर्ण अनुवीक्षण के लिये राज्य स्तर पर समिति के गठन का कोई प्राक्धान दिशानिर्देशों में नहीं किया गया था।

अनुवीक्षण
समितियों की
बैठकें आयोजित
नहीं की गईं

हमने देखा कि नमूना जांच किए गए नौ जिलों में केवल जिला कार्यक्रम अधिकारी, उमरिया द्वारा केवल वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में बैठकें आयोजित कीं। अन्य आठ जिलों में कोई बैठक नहीं की गई। इसी प्रकार, नमूना जांच किए गए 36 परियोजनाओं में से केवल चार परियोजनाओं¹⁰ में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान बैठकों का आयोजन किया गया।

इस तरह, योजना के अनुवीक्षण में सभी स्तरों पर कमी थी जिसका प्रतिकूल प्रभाव योजना के कार्यान्वयन पर पड़ा।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तथ्य स्वीकार किया एवं बताया कि दिशानिर्देशों के अनुसार अनुवीक्षण समितियों के बैठकों का आयोजन करने के निर्देश दिए जाएंगे।

2.4.8 राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला)

योजना का उद्देश्य किशोरियों को आत्म-विकास के लिए शक्तिशाली बनाना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य, सफाई, पोषण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (ए.आर.एस.एच) और परिवार एवं बाल देख-रेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, उनके घरेलू कौशल एवं जीवन कौशलों का उन्नयन करना, पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा की ओर वापस लाना एवं विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त पात्र किशोरियों को पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाना है। सबला योजना का कार्यान्वयन राज्य के 15 जिलों में किया जा रहा है।

10. होशंगाबाद ग्रामीण (जिला-होशंगाबाद), अमरपुर (जिला-डिण्डोरी), खकनार (जिला-बुरहानपुर) एवं तामिया (जिला-छिन्दवाड़)।

2.4.8.1 निधियों का उपयोग

सबला योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष ₹ 3.80 लाख प्रति एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं को गैर पोषण घटक हेतु दिए गए। इस घटक के लिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-14 में जारी कुल राशि ₹ 15.75 करोड़ के विरुद्ध ₹ 12.51 करोड़ का उपयोग किया गया। इसी तरह, पोषण घटक में, आयुक्त द्वारा ₹ 402.89 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹ 391.06 करोड़ का उपयोग किया गया; बचत मुख्यतः वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में हुई, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका-4: 2009-14 की अवधि के दौरान वर्षवार बजट आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन			व्यय			बचत
	गैर पोषण घटक	पोषण घटक	योग	गैर पोषण घटक	पोषण घटक	योग	
2010-11	0.00	10.00	10.00	0.00	9.95	9.95	0.05
2011-12	4.13	100.00	104.13	4.10	99.99	104.09	0.04
2012-13	5.81	145.00	150.81	5.55	141.08	146.63	4.18
2013-14	5.81	147.89	153.70	2.86	140.04	142.90	10.80
योग	15.75	402.89	418.64	12.51	391.06	403.57	15.07

(स्रोत-विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 के दौरान पोषण एवं गैर पोषण घटक दोनों में ही अत्यधिक बचत थी।

हमने देखा कि 11 नमूना जांच किये गये परियोजना कार्यालयों¹¹ द्वारा सबला के गैर पोषण घटक की विभिन्न गतिविधियों जैसे-किशोरी दिवस आयोजन, जीवन कौशल शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आवंटित राशि का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया। इन गतिविधियों के लिये कुल आवंटित राशि ₹ 31.90 लाख में से वास्तविक व्यय ₹ 24.52 लाख था (परिशिष्ट 2.32)।

इसके अतिरिक्त, हमने देखा कि आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 28 मार्च 2012 एवं 31 मार्च 2013 में सबला प्रशिक्षण किट एवं सबला पंजी की अधिप्राप्ति हेतु राशि क्रमशः ₹ 3.06 करोड़ एवं ₹ 0.48 करोड़ बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए आहरित कर सिविल जमा में रखा गया। इसमें से, वर्ष 2012-13 में ₹ 3.06 करोड़ व्यय किए गए जबकि ₹ 0.48 करोड़ नवम्बर 2014 तक सिविल जमा में रखे गए। योजना की राशि को अवरुद्ध रखने से योजना का कार्यान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति प्रभावित हुआ।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया एवं बताया कि आयरन फौलिक एसिड गोलियां स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदाय की जाती हैं एवं कुछ जिलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वी.टी.पी.) का चयन न होने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि सिविल जमा में रखी राशि का उपयोग शीघ्र ही कर लिया जाएगा।

2.4.8.2 हितग्राहियों का समावेशन

सबला योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न घटकों के लिये किशोरी बालिकाओं के चयन हेतु सभी 15 जिलों में बेस लाइन सर्वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। सबला योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत शामिल की गई हितग्राहियों की संख्या एवं कमी निम्नानुसार थी:

11 परियोजना कार्यालयों द्वारा कार्यक्रम की गतिविधियों के लिए आवंटित निधि का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.48 करोड़ सिविल जमा में थे

¹¹ जावद, झाबुआ, लालबर्सा, मनासा, मेघनगर, नीमच शहरी, नीमच ग्रामीण, पेटलाबद, सागर शहरी एक, सागर शहरी दो एवं थान्दला।

तालिका-5: सबला अंतर्गत बालिकाओं के समावेशन में घटकवार कमी

घटक	बेस लाईन सर्वे के अनुसार किशोरी बालिकाओं की संख्या	2011-12		2012-13		2013-14	
		लामान्वित बालिकाएं	कमी (प्रतिशत में)	लामान्वित बालिकाएं	कमी (प्रतिशत में)	लामान्वित बालिकाएं	कमी (प्रतिशत में)
आयरन फोलिक एसिड (आई.एफ.ए.)	3,36,081 ¹²	2,01,506	1,34,575 (40)	2,05,850	1,30,231 (39)	2,15,850	1,20,231 (36)
स्वास्थ्य जांच	3,36,081	98,329	2,37,752 (71)	1,12,305	2,23,776 (67)	1,14,850	2,21,231 (66)
सबला अंतर्गत बालिकाओं को दिया गया प्रशिक्षण ¹³	3,36,081	1,10,100	2,25,981 (67)	1,15,090	2,20,991 (66)	1,15,800	2,20,281 (66)
सबला अंतर्गत बालिकाओं को दिया गया पोषण	10,07,594 ¹⁴	8,00,758	2,06,836 (21)	8,92,666	1,14,928 (11)	8,97,000	1,10,594 (11)

(स्रोत-विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े एवं भारत सरकार को प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन)

सबला अंतर्गत बालिकाओं को सेवाएं प्रदाय करने में अत्यधिक कमी पाई गई

सात परियोजनाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया

सबला योजना के विभिन्न घटकों में अत्यधिक कमी का विश्लेषण पैरा 2.4.8.4, 2.4.8.6 एवं 2.4.8.9 में किया गया है। विभाग द्वारा बताया गया कि योजना के कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्षों में होने से योजना के अंतर्गत समावेशन में कमी थी एवं हितग्राहियों एवं सेवा प्रदाता में जागरूकता आवश्यक थी।

2.4.8.3 व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन

सबला दिशानिर्देशों की कंडिका 6.8 के अनुसार, 16 से 18 वर्ष समूह की बालिकाओं को उनके कौशल विकास एवं रोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वी.टी.पी.) द्वारा प्रदान किया जाना था। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रति परियोजना ₹ 30,000/- की राशि व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु दी गई। हमने देखा कि नमूना जांच की गई 36 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाओं¹⁵ में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ने टिप्पणियों को स्वीकार किया।

2.4.8.4 मार्गदर्शन/परामर्श उपलब्ध कराना

सबला के अंतर्गत, विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं को 'पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा' पर प्रति तिमाही में न्यूनतम दो सत्र, 'परिवार कल्याण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य' (ए.आर.एस.एच) पर प्रति तिमाही कम से कम तीन सत्र तथा 'जीवन कौशल शिक्षा' पर प्रति तिमाही न्यूनतम दो सत्र मार्ग दर्शन/परामर्श दिया जाना था।

वर्ष 2011-14 के दौरान चार चयनित जिलों के नमूना जांच किए गए 160 आंगनवाड़ी केन्द्रों में मार्गदर्शन/परामर्श सत्र आयोजन की स्थिति तालिका-6 में दी गई है।

तालिका-6: चयनित आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शन एवं परामर्श की स्थिति

जिले का नाम	नमूना जांच की गई आंगनवाड़ियों की संख्या	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा		परिवार कल्याण एवं अर्थ		जीवन कौशल शिक्षा	
		आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिया गया मार्गदर्शन	कमी (प्रतिशत)	आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिया गया मार्गदर्शन	कमी (प्रतिशत)	आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिया गया मार्गदर्शन	कमी (प्रतिशत)
बालाघाट	40	40	0(0)	36	4(10)	31	9(23)
झाबुआ	40	27	13(33)	04	36(90)	11	29(73)
नीमच	40	24	16(40)	01	39(97)	21	19(47)
सागर	40	19	21(53)	17	23(57)	25	15(38)
योग	160	110	50(31)	58	102(64)	88	72(45)

(स्रोत-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं पर्यवेक्षकों द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

नमूना जांच किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों में मार्गदर्शन एवं परामर्श सत्र के आयोजन में कमी पाई गई

¹² 11-18 वर्ष के समूह की विद्यालय न जाने वाली बालिकाएं।

¹³ तीन प्रकार के दिए गए प्रशिक्षण (i)पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (एन.एच.ई.) (ii) परिवार कल्याण एवं बच्चों की देखभाल एवं (iii) जीवन कौशल शिक्षा।

¹⁴ 11-14 वर्ष के समूह की विद्यालय न जाने वाली बालिकाएं तथा 15-18 वर्ष के समूह की सभी बालिकाएं।

¹⁵ झाबुआ (2011-12), जावद (2012-13), लालबर्सा (2013-14), मनासा (2011-12 एवं 2013-14), नीमच शहरी (2012-13), नीमच ग्रामीण (2013-14) एवं पेटलाबद (2012-13)।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि केवल बालाघाट जिले में कमी न्यूनतम (0 से 23 प्रतिशत) थी, जबकि अन्य नमूना जांच किए गए जिलों में मार्गदर्शन और परामर्श में कमी 33 प्रतिशत (एन.एच.ई.) से 97 प्रतिशत (परिवार कल्याण एवं अर्शी) थी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि प्रारंभिक वर्षों में होने से योजनान्तर्गत समावेशन में कमी थी।

दिशानिर्देशों के अनुसार, बालिकाओं को मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया जाए।

2.4.8.5 प्रशिक्षण किटों का वितरण

सबला दिशानिर्देशों की कंडिका 5.2 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण किट की अधिप्राप्ति करने हेतु प्रत्येक वर्ष ₹ 1,000/- प्रति संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में बालिकाओं को विभिन्न स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों को समझाने के लिये दिया गया था। हमने देखा कि सचालनालय द्वारा वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान प्रशिक्षण किट उपलब्ध नहीं कराई गई थी। वर्ष 2012-13 के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रशिक्षण किट दो बार उपलब्ध कराई गई जो वर्तमान वर्ष एवं विगत वर्ष की थी क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 2011-12 में विलम्ब से दी गई थी। जिला कार्यालयों को विलम्ब से आवंटन दिए जाने के कारण वर्ष 2013-14 में भी प्रशिक्षण किट आंगनवाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रशिक्षण किट प्रदाय नहीं की गई

हमने यह भी देखा कि नमूना जांच किए गए सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण राशि (₹ 60.06 लाख¹⁶) समर्पित की गयी थी, क्योंकि राशि वर्ष के अंत में प्राप्त हुई थी। परिणामस्वरूप बालिकाएं विभिन्न स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों के व्यावहारिक ज्ञान से वंचित रहीं, जो उन्हें किट के माध्यम से प्राप्त हो सकता था।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि प्रशासनिक स्वीकृति में विलम्ब के कारण प्रशिक्षण किट आंगनवाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

2.4.8.6 स्वास्थ्य जांच एवं आयरन फौलिक एसिड सम्पूर्ण

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच एवं आयरन फौलिक एसिड का सम्पूर्ण सहायक नर्स दाई के द्वारा किया जाना था और यदि किशोरियों को किसी विशेष उपचार की आवश्यकता है, तो चिकित्सा अधिकारी उनको जिला अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अभिनिर्देशित करेंगे।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच नहीं की गई

चयनित 4 जिलों, जहां सबला योजना लागू थी, के नमूना जांच किए गए 160 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 79 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच एवं 68 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बालिकाओं को आयरन की गोलियों का सम्पूर्ण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बताया गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।

परियोजना कार्यालय स्तर पर बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच एवं आयरन फौलिक एसिड की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

2.4.8.7 किशोरी कार्ड का संधारण

सबला योजना के दिशानिर्देशों की कंडिका 5.4 के अनुसार, प्रत्येक बालिका हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों पर किशोरी कार्ड संधारित किए जाने थे। कार्ड में वजन, बोडी मास सूचकांक, आयरन फौलिक एसिड सम्पूर्ण तथा सेवाएं जैसे-परामर्श सत्र, प्राप्त किया

16

बालाघाट (₹ 16.50 लाख), झाड़ुआ (₹ 12.00 लाख), नीमच (₹ 9.57 लाख) एवं सागर (₹ 21.99 लाख)।

गया टेक होम राशन (टी.एच.आर.) इत्यादि के बारे में जानकारी होती है। हमने देखा कि 15.44 लाख किशोरी कार्डों¹⁷ की आवश्यकता के विरुद्ध आयुक्त द्वारा जुलाई 2011 में 12.00 लाख कार्डों की आपूर्ति के आदेश दिए। आपूर्ति जिलों को अक्टूबर 2012 में की गई थी।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में किशोरी कार्डों का कम वितरण (40 प्रतिशत)

हमने देखा कि नमूना जांच किए गए 4 जिलों में, आवश्यक 3.89 लाख किशोरी कार्ड के विरुद्ध 2.34 लाख कार्ड (60 प्रतिशत) की अधिप्राप्ति की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

तालिका-7: उपलब्ध किशोरी कार्ड की उपलब्धता की स्थिति

जिले का नाम	नामांकित बालिकाएँ	आपूर्ति किए गए किशोरी कार्ड	कमी (प्रतिशत)
सागर	1,51,419	75,350	76,069 (50)
नीमच	49,960	44,595	5,365 (11)
बालाघाट	1,07,447	66,871	40,576 (38)
झाबुआ	80,395	47,515	32,880(41)
योग	3,89,221	2,34,331	1,54,890 (40)

(स्रोत-जिला कार्यालयों एवं संचालनालय द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, नमूना जांच किए गए 160 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 31 आंगनवाड़ी केन्द्रों ने कोई किशोरी कार्ड प्राप्त नहीं किए, 86 आंगनवाड़ी केन्द्रों ने अपेक्षित किशोरी कार्ड प्राप्त नहीं किए तथा केवल 43 आंगनवाड़ी केन्द्रों को उनकी आवश्यकता अनुसार किशोरी कार्ड प्राप्त हुए थे। किशोरी कार्डों के कम वितरण करने से आयरन फौलिक एसिड सम्पूरण, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सत्रों में उपस्थिति एवं प्रत्येक बालिका को टेक होम राशन उपलब्ध कराने से संबंधित जानकारी आंगनवाड़ी केन्द्रों में संधारित नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2011-12 के लिए जिलों को किशोरी कार्ड बेस लाईन डाटा के आधार पर उपलब्ध कराए गए।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि किशोरी कार्डों के लिये दिया गया आदेश जिलों के बेसलाईन सर्वे डाटा के अनुसार आवश्यकता से कम था।

2.4.8.8 विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण

सबला योजना के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं को एकीकृत रूप से देना था जिसे विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न स्तर पर संभालना था। योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन हेतु जिला/परियोजना अधिकारियों द्वारा इस योजना की सेवाओं के साथ शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, युवा मामले विभाग, श्रम विभाग तथा पंचायती राज संस्थानों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का अभिसरण किया जाना था।

विभिन्न विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों का अभिसरण जिला/परियोजना स्तर पर नहीं किया गया

जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों से अभिसरण के कोई अभिलेख, यदि कोई हो, लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। तथापि, जिला कार्यक्रम अधिकारी नीमच द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभागों से अभिसरण किया गया। इस तरह, बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के मध्य प्रभावशाली समन्वय एवं कार्यान्वयन को प्राप्त करने का सबला का उद्देश्य अपूर्ण रहा।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तथ्य स्वीकार किया गया एवं बताया गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ अभिसरण के अभिलेख रखने के निर्देश दिए जाएंगे।

¹⁷

15 जिलों के बेसलाईन डाटा के अनुसार जहां सबला कार्यान्वित थी।

योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सभी स्तरों पर विभिन्न सेवाओं को एकीकृत रूप देना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाए।

2.4.8.9 बालिकाओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना

भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार, 11 से 14 वर्ष की आयु समूह की 'विद्यालय न जाने वाली' बालिकाओं तथा 15 से 18 वर्ष की आयु समूह की सभी बालिकाओं को टेक होम राशन पूरक पोषण आहार के रूप में वर्ष में 300 दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाना था। योजनान्तर्गत, 900 ग्राम की सोया बर्फी/खिचड़ी के टेक होम राशन पैकेट बालिकाओं को प्रति सप्ताह दिए गए थे। वर्ष में 300 दिन टेक होम राशन उपलब्ध कराने के लिए, प्रत्येक बालिका को वर्ष में कम से कम 50 पैकेट (6 दिन के लिये एक पैकेट) दिया जाना था।

पोषक आहार घटक के अंतर्गत लाभार्थियों का समावेशन कम था

हमने पाया कि राज्य में सबला योजना के अंतर्गत टेक होम राशन उपलब्ध कराने में 11 प्रतिशत से 21 प्रतिशत की कमी थी, जैसा कि तालिका-5 में दर्शाया गया है। टेक होम राशन की भंडार पंजी, पूरक पोषण आहार अभिलेख तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी नीमच द्वारा प्रदत्त बालिकाओं के पूरक पोषण आहार हेतु दर्ज आंकड़ों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान टेक होम राशन सभी नामांकित बालिकाओं को उपलब्ध कराने के लिए कुल आवश्यक मात्रा 42.07¹⁸ लाख पैकेट के स्थान पर 30.08 लाख पैकेट (72 प्रतिशत) आपूर्ति की गई थी। परिणामस्वरूप 23,957 बालिकाएं (28 प्रतिशत) या तो पूरक पोषण आहार से वंचित रहीं या 84,131 बालिकाओं को 300 दिनों से कम टी.एच.आर उपलब्ध कराया गया, जैसा कि तालिका-8 में दर्शाया गया है।

तालिका-8: नीमच जिले में टेक होम राशन उपलब्ध कराने में कमी

वर्ष	पूरक पोषण आहार नामांकित बालिकाएं	पोषण हेतु आवश्यक टी.एच.आर. पैकेट	प्राप्त टी.एच.आर. पैकेटस	टी.एच.आर. की कमी	टी.एच.आर.कम होने से वंचित बालिकाओं की संख्या	वंचित बालिकाओं का प्रतिशत
2011-12	28,753	14,37,650	9,37,460	5,00,190	10,004	37
2012-13	26,754	13,37,700	11,03,800	2,33,900	4,678	17
2013-14	28,624	14,31,200	9,67,440	4,63,760	9,275	32
योग	84,131	42,06,550	30,08,700	11,97,850	23,957	28

(स्रोत-जिला कार्यक्रम अधिकारी नीमच द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

लेखा परीक्षा में अन्य चयनित जिलों में कमी नहीं देखी गई एवं वजन, लागत, मात्रा तथा पोषण गुणवत्ता भारत सरकार के दिशानिर्देशों के समान थे।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बताया गया कि शत प्रतिशत बालिकाओं को टी.एच.आर. से लाभान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि बालिकायें जो सभ्रांत परिवार से थी, उनके द्वारा टी.एच.आर. नहीं लिया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि सबला योजना के पोषण घटक अंतर्गत नामांकित सभी बालिकाओं को मानक के अनुरूप पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाना था। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा उत्तर के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.4.8.10 अनुवीक्षण

सबला अंतर्गत, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक राज्य स्तरीय अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन किया जाना था जिनकी तिमाही रूप से या जब आवश्यक हो, बैठक आयोजित की जानी थी। राज्य स्तरीय समिति का गठन मार्च 2011 में किया गया था। तथापि, जुलाई 2014 तक कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई।

¹⁸ 84,131 बालिकाएं x 50 पैकेटस = 42,06,550।

अनुवीक्षण
समिति की
बैठकों का
आयोजन नहीं
किया गया था

जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति एवं परियोजना स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाना था। जिनकी क्रमशः प्रत्येक त्रैमासिक एवं एक मास में एक बैठक आयोजित की जानी थी। हमने देखा कि सागर जिले में परियोजना स्तर एवं जिला स्तर पर अनुवीक्षण समिति का गठन नहीं किया गया। नीमच एवं झाबुआ जिलों में यद्यपि दोनों स्तरों पर समितियों का गठन (क्रमशः मार्च 2011 एवं मई 2011 में) किया गया, लेकिन पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण के लिये त्रैमासिक बैठक आयोजित नहीं की गई थी। बालाघाट जिले में, वर्ष 2011-14 के दौरान जिला स्तर पर निर्धारित 12 बैठकों के स्थान पर केवल 4 बैठकों का आयोजन किया गया। 16 नमूना जांच किए गए परियोजनाओं में से, केवल वारासिवनी एवं कटंगी परियोजनाओं में मासिक बैठकें आयोजित की गईं।

इस प्रकार, सभी स्तरों पर अनुवीक्षण अपर्याप्त था जिससे योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तथ्य स्वीकार किया गया एवं बताया गया कि दिशानिर्देश में निर्धारण के अनुसार अनुवीक्षण समितियों को बैठकों का आयोजन करने हेतु निर्देश दिए जाएंगे।

दिशानिर्देशों के अनुसार योजना की प्रगति की समीक्षा एवं सुधारक कदम उठाने के लिये, यदि आवश्यक हो, तो सभी स्तरों पर अनुवीक्षण समितियों का गठन एवं नियमित बैठकों का आयोजन किया जाए।

2.4.9 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (के.एस.पी.वाई.)

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, राज्य प्रवर्तित योजना, राज्य के सभी 51 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को, विद्यालयों में उनके नामांकन के समय जिनके माता-पिता आयकर दाता नहीं हैं, कक्षा छठवीं के लिये ₹ 500, कक्षा नौवीं के लिये ₹ 1000 एवं कक्षा ग्यारहवीं के लिये ₹ 3000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। प्रोत्साहन राशि हितग्राही के बैंक खाते में भुगतान की जानी थी। तथापि, प्रोत्साहन राशि के नगद में भुगतान हेतु उन्हीं संस्थाओं को अनुमति दी गई थी, जहां बैंक उपलब्ध नहीं थे।

योजना के अंतर्गत, 2009-14 की अवधि के दौरान आवंटित ₹ 255.94 करोड़ में से ₹ 241.70 करोड़ व्यय किए गए, जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका-9: 2009-14 की अवधि के दौरान वर्षवार बजट आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	योग
आवंटन	34.75	41.71	51.72	60.74	67.02	255.94
व्यय	34.24	40.18	51.45	57.26	58.57	241.70
बचत	0.51	1.53	0.27	3.48	8.45	14.24

(स्रोत: विभागों द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

2009-14 की अवधि के दौरान, नमूना जांच किए गए 13 जिलों में, प्रावधानित ₹ 67.98 करोड़ के विरुद्ध ₹ 65.60 करोड़ व्यय किए गए थे। हमने देखा कि जिला कार्यालयों द्वारा जारी किए गए ₹ 65.60 करोड़ में से ₹ 1.25 करोड़ की कुल राशि छः जिलों में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्राचार्यों के बैंक खातों में पड़ी हुई थी, जैसा कि परिशिष्ट 2.33 में दर्शाया गया है और जो कि शासकीय खाते में जमा नहीं कराई गई थी।

2.4.9.1 हितग्राहियों का समावेशन

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के लिये पहचान की गई बालिकाओं की संख्या या संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का कोई अभिलेख नहीं था। इस योजना के अंतर्गत शामिल हुए हितग्राहियों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार थी:

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास/
विकास खण्ड शिक्षा
अधिकारियों/प्राचार्यों
के बैंक खातों में ₹ 1.
25 करोड़ प्रोत्साहन
राशि पड़ी हुई थी

तालिका-10: कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत उपलब्धियों की स्थिति

(आंकड़े लाख में)

कक्षा	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा छठवीं, नौवीं एवं ग्यारहवीं में सम्मिलित हुई विद्यार्थियों की संख्या														
	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
	अ. जा.	अ.ज. जा.	योग	अ. जा.	अ.ज. जा.	योग	अ. जा.	अ.ज. जा.	योग	अ. जा.	अ.ज. जा.	योग	अ. जा.	अ.ज. जा.	योग
6	1.19	1.23	2.42	1.33	1.46	2.79	1.42	1.78	3.20	1.62	1.83	3.45	1.40	1.87	3.27
9	0.57	0.38	0.95	0.67	0.51	1.18	0.92	0.75	1.67	1.06	0.93	1.99	0.91	1.01	1.92
11	0.18	0.14	0.32	0.25	0.20	0.45	0.30	0.25	0.55	0.30	0.28	0.58	0.28	0.36	0.64
योग	1.94	1.75	3.69	2.25	2.17	4.42	2.64	2.78	5.42	2.98	3.04	6.02	2.59	3.24	5.83

(स्रोत-विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

योजनान्तर्गत, नमूना जांच किए गए 13 जिलों में, 2.79 लाख अनुसूचित जाति एवं 4.19 लाख अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की पहचान की गई थी, इनमें से 2.76 लाख अनुसूचित जाति (99 प्रतिशत) एवं 4.13 लाख अनुसूचित जनजाति (99 प्रतिशत) छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया था।

2.4.9.2 अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त किये बिना लाभ दिए गए

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की स्वीकृति के लिये पात्रता मानदंड अनुसार ही योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी।

राज्य छात्रवृत्ति नियम (1972) एवं आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा जारी निर्देश (जुलाई 2011) के अनुसार, पात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि जारी करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र एवं माता-पिता के आयकर दाता न होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।

हमने देखा कि चयनित 13 जिलों में से 9 जिलों में बालिकाओं की पात्रता सुनिश्चित किए बिना 9,189 बालिकाओं को ₹ 1.48 करोड़ प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया गया। 8 जिलों¹⁹ की 7,354 बालिकाओं को (13 विद्यालयों के) आवेदन पत्र एवं आय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना लाभ दिया गया जबकि 2009-14 की अवधि के दौरान 3 जिलों²⁰ में 1,835 छात्राओं को (चार विद्यालयों की) जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना लाभ दिया गया, जैसा कि परिशिष्ट 2.34 में दर्शाया गया है। अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में बालिकाओं की पात्रता लेखा परीक्षा में अभिनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

विद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा तथ्य स्वीकार किया एवं बताया कि आवेदन-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए जा सके थे एवं भविष्य में प्राप्त किए जाएंगे।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिवों, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि जिला अधिकारियों को मानदण्डों के अनुसार अभिलेखों को संधारित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

2.4.9.3 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का विलंब से वितरण किया जाना

हमने देखा कि जिला प्राधिकारियों के पास राशि उपलब्ध होने के बावजूद विद्यालयों को 02 से 15 माह तक के विलंब से राशि जारी की गई थी। चयनित 62 माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 34 विद्यालयों (12 जिलों) में 10,332 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं से संबंधित प्रोत्साहन राशि ₹ 1.25 करोड़ का 02 से 18 माह तक के विलंब से भुगतान किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 2.35 में दर्शाया गया है। विलंब का कारण संस्था प्रमुखों द्वारा स्वीकृतियां/प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत न करना एवं जिला कार्यालयों द्वारा विलंब से राशि जारी करना था।

पात्रता के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किये बिना बालिकाओं को लाभान्वित किया गया

प्रोत्साहन राशि के वितरण में 2 से 18 माह का विलंब था

19 बालाघाट, बुरहानपुर, छिंदवाडा, डिण्डौरी, होशंगाबाद, नीमच, सागर एवं सिवनी।
20 बुरहानपुर, डिण्डौरी एवं ग्वालियर।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिवों, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि प्रोत्साहन राशि के विलम्ब से वितरण का मुख्य कारण बालिकाओं के बैंक खाता न खुल पाना, जिला कार्यालयों द्वारा आवंटन का देरी से आहरण करना तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से वास्तविक मांग के अनुसार अतिरिक्त राशि प्रदाय करने में विलम्ब था।

विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन एवं प्रतिधारण पर प्रतिकूल प्रभाव को टालने के लिए विभाग को प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

2.4.9.4 प्रोत्साहन राशि का नगद भुगतान

नमूना जांच किए गए 13 जिलों के अंतर्गत भुगतान प्रमाणकों की जांच में पाया गया कि 2009-14 की अवधि के दौरान, 6 जिले²¹ के 841 विद्यालयों²² में 69,348 छात्राओं को ₹ 6.82 करोड़ नगद भुगतान किया गया, जैसा कि परिशिष्ट-2.36 में दर्शाया गया है। इन प्रकरणों में राशि का दुरुपयोग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। 7 अन्य जिलों में हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि का बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किया गया था।

इस ओर इंगित किए जाने पर, शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों ने बताया कि छात्राओं के बैंक खाते न खुल पाने के कारण प्रोत्साहन राशि का नगद में भुगतान किया गया।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिवों, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014-15 से प्रोत्साहन राशि स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से छात्राओं/उनके माता-पिता के बैंक खाते में भुगतान की जावेगी।

2.4.9.5 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में बालिकाओं की संख्या में कमी होना

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की साक्षरता में सुधार एवं उनकी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में निरंतर शिक्षा के लिए प्रारम्भ की गई थी।

हमने पाया कि 2009-14 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के नामांकन में सुधार हुआ था। हितग्राहियों की संख्या में वर्ष 2009-10 में 1.94 लाख (अ.जा.) एवं 1.75 लाख (अ.ज.जा.) से वर्ष 2013-14 तक 2.59 लाख (अ.जा.) एवं 3.24 लाख (अ.ज.जा.) क्रमिक वृद्धि हुई थी (जैसा विवरण तालिका-10 में दिया गया है)।

इसके अतिरिक्त, हमने देखा कि वर्ष 2009-10 के दौरान छठवीं कक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्राओं की संख्या 2.42 लाख थी। वर्ष 2012-13 के दौरान नौवीं कक्षा में बालिकाओं की समान संख्या उपलब्ध होनी चाहिए थी। हमने पाया कि वर्ष 2012-13 के दौरान नौवीं कक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की वास्तविक संख्या 1.99 लाख थी अर्थात् 18 प्रतिशत की कमी हुई।

वर्ष 2010-11 में छठवीं कक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की संख्या (2.79 लाख) के विरुद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान नौवीं कक्षा में बालिकाओं की संख्या (1.92 लाख) काफी कम थी जो 31 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है।

इसी प्रकार, वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान नौवीं कक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की संख्या क्रमशः 0.95 लाख, 1.18 लाख

²¹ छिंदवाड़ा (3), झाबुआ (4), मंडला (825+5), नीमच (1), सिवनी (1) एवं उमरिया (2)।

²² नमूना जांच किए गए 65 विद्यालयों में से सम्मिलित 16 विद्यालयों एवं मंडला जिले के 825 अन्य विद्यालयों (902 विद्यालयों में से) जिनके भुगतान प्रमाणक की पृथक से जांच की गई।

हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि का नगद में भुगतान किया गया

एवं 1.67 लाख थी। वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान 11 वीं कक्षा में बालिकाओं की संख्या समान उपलब्ध होनी चाहिए थी। हमने देखा कि इन वर्षों के दौरान 11 वीं कक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की संख्या क्रमशः 0.55 लाख, 0.58 लाख एवं 0.64 लाख थी जो 11 वीं कक्षा में बालिकाओं की 42 प्रतिशत, 51 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

इस तरह, यद्यपि राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के कुल नामांकन में वृद्धि हुई थी, परन्तु माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्राओं की संख्या में कमी हुई।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने बताया कि बालिकाओं द्वारा विद्यालय छोड़ने को कम करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग ने बताया कि योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के नामांकन में वृद्धि हुई थी। परन्तु, उच्चतर कक्षाओं में छात्राओं की संख्या में कमी के संदर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

तथ्य यह है कि योजना के उद्देश्य की पूर्णतः प्राप्ति नहीं हुई थी।

2.4.9.6 अनुवीक्षण

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देश (अक्टूबर 1986) के अनुसार, जनपद के विकास खण्ड अधिकारी एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से योजना की प्रगति की समीक्षा के लिये उत्तरदाई हैं एवं योजना का मूल्यांकन आदिम जाति विकास एवं अनुसंधान संस्था द्वारा किया जाना था। हमने पाया कि वर्ष 2009-14 के दौरान योजना का किसी भी स्तर पर अनुवीक्षण नहीं किया गया था। निर्धारित स्तरों पर अनुवीक्षण नहीं किए जाने से छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का विलम्ब से वितरण, सभी स्तरों पर राशि का अवरुद्ध रहना ध्यान में नहीं आया।

इसके अतिरिक्त, योजना का मूल्यांकन आदिम जाति विकास एवं अनुसंधान संस्था द्वारा नहीं किया गया था।

शासन द्वारा बताया गया कि योजना का मूल्यांकन आदिम जाति विकास एवं अनुसंधान संस्था के माध्यम से कराया जाएगा।

योजना के प्रभावकारी असर के लिये, निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यान्वयन का अनुवीक्षण किया जाए।

2.4.10 निष्कर्ष

● किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत, आंगनवाड़ीवार सर्वेक्षण के माध्यम से बालिकाओं की पहचान नहीं की गई थी। चयनित बालिकाओं की सूची भी पात्रता की जांच हेतु ग्राम सभा को नहीं भेजी गई थी। किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत बालिकाओं के समावेशन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य जांच कहीं भी नहीं की गई।

● सबला के अंतर्गत, बालिकाओं के लिये 'पोषण' घटक के लागू होने से कार्यक्रम में सुधार हुआ; 79 प्रतिशत से 89 प्रतिशत चयनित बालिकाएं लाभान्वित हुईं। फिर भी, सबला के अंतर्गत प्रारम्भ किए गए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण एवं जीवन कौशल शिक्षा पर 'मार्गदर्शन एवं परामर्श' घटक का समावेशन लक्ष्य की तुलना में काफी कम था। चयनित 160 आंगनवाड़ियों में से 79 में स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी।

● कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निरंतर अध्ययन हेतु

प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का अनुवीक्षण किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था।

- विशेषी शक्ति योजना एवं सवला कार्यक्रमों का अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण पूर्णतः नहीं था, क्योंकि अनुवीक्षण समितियों की बैठकों की अत्यधिक कमी थी। कन्या साक्षरता विधीय सहायता देने में 18 महीनों तक का विलम्ब हुआ था।

प्रोत्साहित करने का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि बालिकाएं उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर में और आगे उच्चतर माध्यमिक स्तर में कम हुईं। छात्राओं को

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

2.5 आदिवासी जिलों में स्वास्थ्य योजनाओं का कार्यान्वयन

2.5.1 परिचय

आदिवासी उप योजना (टी.एस.पी.) भारत सरकार द्वारा आदिवासी (अनुसूचित जन जाति) एवं अन्य लोगों के बीच विकास के अंतर को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या, कुल जनसंख्या (7.26 करोड़) का 21 प्रतिशत है। योजना आयोग द्वारा विकसित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों को वार्षिक योजना प्रस्तावों में टी.एस.पी. के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में (स्वास्थ्य क्षेत्र सहित) उचित निधि का प्रावधान सुनिश्चित करना था। तथापि टी.एस.पी. निधि के लिए पृथक लेखा संधारण हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत टी.एस.पी. की निधियों का प्रवाह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) की 21 योजनाओं एवं गैर एन.आर.एच.एम. की सात योजनाओं में था। दो गैर एन.आर.एच.एम. योजनाएं यथा- राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं आघात रोकथाम-नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) एवं राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एन.पी.एच.सी.ई.) का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2011-14 के लिए किया गया।

असंचारी रोगों यथा- कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं आघात की घटनाओं को कम करने की दृष्टि से एन.पी.सी.डी.सी.एस. वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2010 में प्रारंभ किए गए एन.पी.एच.सी.ई. का उद्देश्य राज्य की विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों पर वरिष्ठ नागरिकों को पृथक एवं विशिष्टीकृत व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इन कार्यक्रमों को राज्य के पांच आदिवासी जिलों¹ में लागू किया गया।

राज्य स्तर पर विभाग के प्रमुख सचिव कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदाई हैं, जिनकी सहायता संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा मिशन संचालक, राज्य स्वास्थ्य समिति (रा.स्वा.स.) के द्वारा की जाती है। दोनों कार्यक्रमों के समग्र कार्यान्वयन व निगरानी के लिए राज्य स्तर पर राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ, जिसके प्रमुख उप संचालक तथा जिला स्तर पर जिला असंचारी रोग प्रकोष्ठ, जिसके प्रमुख मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं, स्थापित किए गए थे।

2.5.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा के व्यापक उद्देश्य यह देखना था कि:

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजना अच्छी तरह डिजायन की गई थी;
- टी.एस.पी. अंतर्गत समुचित वित्तीय प्रावधान निर्धारित किया गया था;
- कार्यक्रमों के अनुरूप स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं कुशलता पूर्वक प्रदाय की गई थी; और
- प्रभावी निगरानी तंत्र उपलब्ध था।

1 (i) राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं आघात रोकथाम-नियंत्रण कार्यक्रम (ii) राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (iii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (iv) ट्रोमा केयर की क्षमता निर्माण हेतु राज्यों को सहायता (v) स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन (vi) राज्य औषध नियामक पद्धति का सुदृढीकरण (vii) राज्य खाद्य नियामक पद्धति का सुदृढीकरण।

2 छिदवाड़ा, धार, होशंगाबाद, झाड़ुआ तथा रतलाम।

2.5.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

इन कार्यक्रमों को राज्य के 21 आदिवासी जिलों में से पांच जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा था। हमने समीक्षा के लिए चयनित राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ के अतिरिक्त छिंदवाड़ा, धार और रतलाम जिलों में स्थापित तीन जिला असंचारी रोग प्रकोष्ठ, 32 में से नौ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र³ (सी.एच.सी.), 138 में से 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) तथा 858 में से 34 उप स्वास्थ्य केन्द्रों (एच.एस.सी.) के अभिलेखों की नमूना जांच की।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (डी.एच.एस.)/संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के साथ जून 2014 में आयोजित प्रवेश सम्मेलन में लेखापरीक्षा के उद्देश्य एवं पद्धति पर चर्चा की गई। प्रमुख सचिव तथा संबंधित अधिकारियों के साथ नवम्बर 2014 में निर्गम सम्मेलन किया गया था। विभाग के मतों को संबंधित कंडिकाओं में सम्मिलित किया गया है।

2.5.4 वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2011-14 के दौरान राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल बजट आवंटन का मात्र सात प्रतिशत टी.एस.पी. (स्वास्थ्य क्षेत्र) हेतु आवंटित किया गया था। एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. कार्यक्रमों के अंतर्गत टी.एस.पी. के अंतर्गत आवंटन कुल आवंटन का क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत था।

एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2011-14 की अवधि में उपलब्ध निधि एवं व्यय का वर्षवार ब्यौरा तालिका-1 के अनुसार थे—

तालिका-1: एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत उपलब्ध निधियां एवं किया गया व्यय
(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	केन्द्रीय अंश			राज्य अंश	ब्याज एवं अन्य प्राप्तियां	राज्य असंचारी रोग सेल स्तर पर उपलब्ध कुल निधियां	वर्ष के दौरान किया गया व्यय ⁴	अंतिम शेष (प्रतिशत)
		सामान्य एवं अनुसूचित जाति उप योजना	आदिवासी उप योजना	कुल					
एन.पी.सी.डी.सी.एस.									
2011-12	1.27	6.75	1.70	8.45	1.92	0.13	11.77	0.03	11.74 (100)
2012-13	11.74	0.07	0	0.07	0.32	0.43	12.56	2.93	9.63 (77)
2013-14	9.63	3.68	0.94	4.62	0.09	0.12	14.46	3.18	11.28 (78)
कुल		10.5	2.64	13.14	2.33	0.68	17.42	6.14	11.28
एन.पी.एच.सी.ई.									
2011-12	1.04	1.68	0	1.68	0.68	0.27	3.67	0.20	3.47 (94)
2012-13	3.47	3.78	0.79	4.57	1.14	0.20	9.38	1.51	7.87 (84)
2013-14	7.87	0	0	0	0	0	7.87	2.37	5.50 (70)
कुल		5.46	0.79	6.25	1.82	0.47	9.58	4.08	5.50

(स्रोत : राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ)

- एन.पी.सी.डी.सी.एस. के अंतर्गत क्रमशः 77 से 100 प्रतिशत तथा एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत 70 से 94 प्रतिशत निधियों का अल्प उपयोग हुआ था। जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न गतिविधियां यथा-वृद्धावस्था क्लीनिक एवं वार्ड की स्थापना,

³ दमुआ, धनौरा, हरई, जमई, कुशी, नामली, पिथमपुर, सैलाना तथा तामिया।

⁴ राज्य एवं जिला स्तर पर।

मशीनरी, उपकरण, औषधियों की अधिप्राप्ति, मानव संसाधन की तैनाती, प्रशिक्षण तथा जन जागरूकता संचालित नहीं की गई, जैसा कि पैरा 2.5.6 एवं 2.5.7 में उल्लिखित है।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान एन पी सी डी सी एस एवं एन पी एच सी ई में क्रमशः 77 से 100 प्रतिशत एवं 70 से 97 प्रतिशत निधियों का उपयोग नहीं किया गया था

● भारत सरकार द्वारा तीन घटकों यथा-सामान्य शीर्ष, आदिवासी उप योजना, अनुसूचित जाति उप योजना में निधियां जारी की गई थी। तथापि इन तीन घटकों की राशियों को एक समूह कोष में मिला दिया गया तथा राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ द्वारा टी.एस.पी. निधि चिन्हित किए बिना जिलों को उसमें से राशि ₹ 3.43 करोड़ (₹ 2.64 करोड़ एन.पी.सी.डी.सी.एस. के अंतर्गत एवं ₹ 0.79 करोड़ एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत) जारी की गई थी। इसके साथ ही किसी भी स्तर पर व्यय के पृथक अभिलेख संधारित नहीं किए गए थे और ना ही टी.एस.पी. अंतर्गत भारत सरकार को पृथक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए गए थे।

● वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत टी.एस.पी. घटक के अंतर्गत निधि क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत, जारी कुल केन्द्रांश में से थी। हमने पाया कि जिन पांच जिलों, में ये कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहे थे, उनमें आदिवासी जनसंख्या 44 प्रतिशत थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (नवम्बर 2014) कि निधियों का अनुपयोगी रहने का मुख्य कारण मानव संसाधन की कमी थी। यह भी बताया कि टी.एस.पी. के लिए पृथक से योजना नहीं बनाई गई थी तथा न ही टी.एस.पी. के लिए पृथक लेखा संधारण के लिए भारत सरकार से कोई निर्देश प्राप्त हुए थे।

उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.5.5 योजना

कार्यक्रम को दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में दोनों कार्यक्रमों की विभिन्न गतिविधियों की समग्र योजना, कार्यान्वयन, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन तथा निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य एवं जिला असंचारी रोग प्रकोष्ठ उत्तरदायी थे। हमने पाया कि:

राज्य एवं जिला कार्य योजना तथा भौतिक, वित्तीय एवं महामारी प्रोफाइल पर डाटाबेस तैयार नहीं किया गया

● वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान राज्य कार्य योजना या जिला कार्य योजना तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के लिए डाटाबेस तैयार नहीं किए गए थे। वर्ष 2013-14 के लिए राज्य कार्य योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी गई थी, जिसका अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त नहीं (जुलाई 2014) हुआ था। दिशा निर्देश के अनुसार, कार्य योजना में प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए वित्तीय, भौतिक एवं महामारी प्रोफाइल के आंकड़े राज्य एवं जिला स्तर पर संधारित करने थे। तथापि, इस प्रकार के कोई आंकड़े राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ अथवा नमूना परीक्षित जिला असंचारी रोग प्रकोष्ठ द्वारा संधारित नहीं किए गए थे।

● दिशानिर्देश के अनुसार प्रभावकारी रोकथाम, जांच, रेफरल एवं उपचार रणनीति के लिए समुदायों के बीच व्यापक ज्ञान आधार के लिए एन.आर.एच.एम., एन.टी.सी.पी.⁵ तथा आयुर्षु⁶ इत्यादि योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा पृष्ठे जाने पर राज्य असंचारी रोग सेल द्वारा बताया गया कि एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. की गतिविधियों का अन्य संबंधित कार्यक्रमों से अभिसरण करने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की गई थी।

⁵ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम।

⁶ आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन में तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (नवम्बर 2014) कि अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण हेतु आगामी वर्ष के कार्य योजना तैयार करते समय ध्यान रखा जाएगा।

2.5.6 एन.पी.सी.डी.सी.एस. का कार्यान्वयन

एन.पी.सी.डी.सी.एस. के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाकर रोकथाम, शीघ्र निदान, उपचार, मानव संसाधन क्षमता निर्माण, निगरानी एवं अनुवीक्षण के लिए रणनीतियाँ अपनाई जानी थी।

2.5.6.1 असंचारी रोग के बारे में जन जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ

असंचारी रोगों के जोखिम वाले कारणों की रोकथाम के लिए, असंचारी रोगों के बारे में समूह माध्यम (mass media), सामुदायिक शिक्षा एवं अंतर्वैयक्तिक संवाद के द्वारा जन जागरुकता लाते हुए व्यवहार परिवर्तन किया जाना था। दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय असंचारी रोग प्रकोष्ठ को असंचारी रोगों के बारे में जनसमुदाय को जोखिम वाले कारणों को बताने तथा उपलब्ध सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट माध्यम से सूचित करने के लिए आदर्श सूचना (prototype information), शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) सामग्री तैयार करना था। ये सामग्री राज्यों को प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्रीय असंचारी रोग प्रकोष्ठ द्वारा प्रदाय की जानी थी। इसके साथ राज्य, जिला एवं सी.एच. सी. स्तर पर स्वास्थ्य उन्नयन एवं असंचारी रोगों की रोकथाम के लिए संचार संदेश, मुद्रित सामग्री वितरण तथा सामाजिक गतिशीलता के द्वारा जन जागरुकता लाई जानी थी।

जन-जागरुकता के लिए आई ई सी गतिविधियाँ आयोजित नहीं की गई

● जैसा कि राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अवधि 2011-14 के दौरान कोई आई.ई.सी. सामग्री केन्द्रीय असंचारी रोग प्रकोष्ठ से प्राप्त नहीं हुई। इसके साथ राज्य एवं सी.एच.सी. स्तर पर कोई आई.ई.सी. गतिविधियाँ आयोजित नहीं की गई थी। तथापि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान जिला स्तर पर कुछ गतिविधियाँ आयोजित की गई थीं, जिन पर उपलब्ध कुल निधि ₹ 6.13 लाख के विरुद्ध ₹ 1.86 लाख का व्यय हुआ। हमने पाया कि चयनित जिलों में नर्स, परामर्शदाता, देखभाल समन्वयक की अनुपलब्धता/कमी के कारण वर्ष 2011-12 के दौरान कोई अंतर्वैयक्तिक संवाद अभियान आयोजित किया गया था। तथापि नमूना परीक्षित जिलों में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान मात्र दो अभियान आयोजित किए गए थे, जिनमें 403 प्रतिभागी सम्मिलित हुए थे।

● जिला स्तर पर जन जागरुकता के लिए जन-संचार एवं सामुदायिक शिक्षा हेतु बैनर्स, पोस्टर्स इत्यादि राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ से प्राप्त नहीं हुए थे तथा नमूना परीक्षित दो जिलों यथा- धार एवं रतलाम में कोई संदेश रेडियो या दूरदर्शन से प्रसारित नहीं किया गया था।

इस प्रकार आई.ई.सी. गतिविधियाँ परिकल्पना के अनुसार आयोजित नहीं की गई थी तथा व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से असंचारी रोगों की रोकथाम का उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (नवम्बर 2014) कि मानव संसाधन की व्यापक कमी के कारण आई.ई.सी. गतिविधियाँ संतोषजनक रूप से संपन्न नहीं की जा सकी।

असंचारी रोगियों के बीच व्यवहार परिवर्तन के लिए जन जागरुकता लाई जानी चाहिए।

2.5.6.2 शीघ्र निदान की रणनीति

दीर्घ कालिक असंचारी रोगों के शीघ्र निदान के लिए जिला अस्पताल, सी.एच.सी. एवं एस.एच.सी. स्तर पर उपयुक्त परख करनी थी तथा सदिग्ध मामलों में या तो जांच की जानी थी अथवा उन्हें उच्च स्तर के स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर भेजना था। हमने निम्नानुसार पाया:

दो नमूना जांच किए गए जिलों में परख शिविर आयोजित नहीं किए थे तथा विद्यालय आधारित मधुमेह परख कार्यक्रम पर प्रारंभिक अध्ययन आयोजित नहीं किया गया

- वर्ष 2011-14 की अवधि में धार तथा रतलाम जिलों में परख शिविर आयोजित नहीं किए गए थे। छिंदवाड़ा जिले में वर्ष 2013-14 में परख शिविर आयोजित किए गए थे, जिनमें 7.39 लाख व्यक्तियों की असंचारी रोगों के लिए की परख की गई थी।

- भारत सरकार द्वारा (2011-12) रतलाम जिले में प्रारंभिक अध्ययन के लिए विद्यालय स्तर पर मधुमेह के लिए परख कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। परख कार्यक्रम में पांच से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करना था। हमने पाया कि रतलाम जिले में निधियों की उपलब्धता के बावजूद प्रारंभिक अध्ययन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (नवम्बर 2014) कि मानव संसाधन की कमी के कारण परख गतिविधियां नहीं की जा सकी तथा प्रारंभिक अध्ययन की अव्ययित निधि भारत सरकार को वापस की जाएगी।

इस प्रकार मानव संसाधन की कमी के कारण असंचारी रोगों के शीघ्र निदान की रणनीति असफल रही।

2.5.6.3 जांच सुविधाओं का अभाव

दिशा निर्देशों के अनुसार जिला असंचारी रोग क्लीनिक पर नौ प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थीं। हमने पाया कि जांच सुविधाओं की अधिप्राप्ति के लिए वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में आवंटित ₹ 8.13 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 4.29 करोड़ का ही उपयोग किया जा सका। जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक जांच सुविधाएं जिनमें मुख्यतः कैंसर रोग की जांच के लिए यथा- कॉलपोस्कोपी एवं मेमोग्राफी जिला असंचारी रोग क्लीनिकों पर उपलब्ध नहीं थी, जैसा कि परिशिष्ट-2.37 में वर्णित है। इसके साथ दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिला असंचारी रोग क्लीनिक पर कीमोथैरपी सुविधा उपलब्ध रहनी थी। हमने पाया कि यह सुविधा तीन नमूना परीक्षित जिला असंचारी रोग क्लीनिकों में उपलब्ध नहीं थी।

जिला एवं सी.एच.सी. स्तर के असंचारी रोग क्लीनिकों में आवश्यक जांच सुविधाओं का अभाव था

दिशा निर्देशों के अनुसार पांच प्रकार की आवश्यक जांच सुविधाएं⁷ सी.एच.सी. स्तर के असंचारी रोग क्लीनिकों पर उपलब्ध होनी चाहिए थी। हमने पाया कि अल्ट्रासाउंड सुविधा नमूना परीक्षित किसी भी सी.एच.सी. क्लीनिक पर उपलब्ध नहीं थी। इसके साथ आठ सी.एच.सी.⁸ में लिपिड प्रोफाइल सुविधा, चार सी.एच.सी.⁹ में एक्स-रे सुविधा तथा छः सी.एच.सी.¹⁰ में ई.सी.जी. सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जैसा कि परिशिष्ट-2.38 में वर्णित है। नमूना परीक्षित जिलों एवं सी.एच.सी. क्लीनिकों द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि अनुपलब्ध सुविधाओं के लिए बाह्य स्रोतों का उपयोग नहीं किया गया तथा आम हृदय रोग, मधुमेह एवं आघात के प्रकरणों के प्रबंधन की सुविधा पांच सी.एच.सी.¹¹ क्लीनिकों पर उपलब्ध नहीं थी।

⁷ रक्त शर्करा, लिपिड प्रोफाइल, गुर्दे कार्य परीक्षण, यकृत कार्य परीक्षण, ई सी जी, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, कॉलपोस्कोपी एवं मेमोग्राफी।

⁸ रक्त शर्करा, ई.सी.जी., लिपिड प्रोफाइल, अल्ट्रासाउंड एवं एक्स-रे।

⁹ दमुआ, धनौरा, जमई, कुशी, नामली, पिथमपुर, सैलाना तथा तामिया।

¹⁰ दमुआ, धनौरा, नामली तथा तामिया।

¹¹ दमुआ, धनौरा, जमई, कुशी, सैलाना तथा तामिया।

¹² दमुआ, धनौरा, कुशी, पिथमपुर तथा सैलाना।

2.5.6.4 हृदय उपचार इकाई का सुदृढीकरण

दिशा निर्देशों के अनुसार, अभिनिर्देशित किए गए रोगियों को समय पर तथा आकस्मिक देखभाल के लिए सात प्रकार के उपकरण¹³ जिला हृदय उपचार इकाई के सुदृढीकरण हेतु उपलब्ध कराए जाने थे। हमने पाया कि हृदय रोगियों के लिए आवश्यक उपकरण यथा- 12 चैनल स्ट्रेस ई.सी.जी. जांच उपकरण ट्रेडमिल धार तथा रतलाम जिलों में तथा डेफीब्रिलेटर सहित कार्डियक मॉनीटर रतलाम जिले में उपलब्ध नहीं था। इसके साथ, रतलाम जिले में पृथक हृदय उपचार इकाई स्थापित न होने के कारण अगस्त 2012 से मार्च 2014 के मध्य ₹ 41 लाख की लागत से अधिप्राप्ति किए गए मशीन एवं उपकरण अनुपयोगी पड़े हुए थे। अतः, असंचारी रोगों के मरीजों को गहन हृदय उपचार देखभाल प्रदान नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने तथ्यों पर सहमति व्यक्त करते हुए बताया (नवम्बर 2014) कि एक समय-सीमा निर्धारित कर दी गई, जिसके अनुसार मानव संसाधन की भर्ती, उपकरणों की प्राप्ति तथा सिविल कार्य क्रमशः दिसम्बर 2014, जून 2015 तथा दिसम्बर 2015 तक तक पूर्ण कर लिए जाएंगे।

2.5.6.5 आवश्यक औषधियों की कमी

दिशा निर्देशों के अनुसार मधुमेह, हृदय रोग तथा आघात घटक के अंतर्गत 38 प्रकार की औषधियां तथा कैंसर घटक के अंतर्गत 22 प्रकार की औषधियां जिला असंचारी रोग क्लीनिकों पर उपलब्ध रहनी थी। हमने पाया कि मधुमेह, हृदय रोग तथा आघात घटक के अंतर्गत 29 से 45 प्रतिशत औषधियां तथा कैंसर घटक के अंतर्गत 91 से 100 प्रतिशत औषधियां तीन नमूना परीक्षित जिला असंचारी रोग क्लीनिकों पर उपलब्ध नहीं थी (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2.39 में)। इस प्रकार जिला असंचारी रोग क्लीनिक, असंचारी रोग के मरीजों को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाय करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (नवम्बर 2014) कि शेष औषधियां जिला असंचारी रोग क्लीनिकों पर उपलब्ध करा दी जाएंगी।

2.5.6.6 विशेष कैंसर देखभाल के लिए तृतीयक कैंसर केन्द्र

राज्य सरकार द्वारा तृतीयक कैंसर केन्द्र (टी.सी.सी.) योजना के अंतर्गत कैंसर की विशेष देखभाल के लिए, समस्त प्रकार के कैंसरों के संबंध में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सुविधाओं सहित, आंचलिक रेफरल कैंसर केन्द्र के रूप में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों/जिला अस्पतालों/शासकीय संस्थानों की वित्तीय सहायता प्रदाय किए जाने के उद्देश्य से पहचान की जानी थी। हमने पाया कि राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2011-14 की अवधि में किसी भी चिकित्सा संस्थान की पहचान टी.सी.सी. के रूप में नहीं की गई थी। अतः विशेष उपचार प्रदाय करने के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (नवम्बर 2014) कि विदिशा जिले में टी.सी.सी. के रूप में पहचान की कार्रवाई प्रगति पर है।

मवन एवं उपकरण की कमी के कारण हृदय उपचार इकाई का सुदृढीकरण नहीं किया जा सका

जिला असंचारी क्लीनिकों में मधुमेह, हृदय रोग एवं आघात घटक अंतर्गत 29 से 45 प्रतिशत तथा कैंसर घटक अंतर्गत 91 से 100 प्रतिशत औषधियों की कमी पाई गई

सरकार द्वारा टी.सी.सी. के लिए किसी भी चिकित्सा संस्थान की पहचान नहीं की गई थी

¹³ कम्यूटराइज्ड ई.सी.जी. मशीन, ऑडिनरी ई.सी.जी. मशीन, 12 चैनल स्ट्रेस ई.सी.जी. टेस्ट इक्यूपमेंट ट्रेडमिल, कार्डियक मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर विथ डेफिब्रिलेटर, वेरिटेलेटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर।

2.5.6.7 मानव संसाधन का क्षमता निर्माण

दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य एवं जिले स्तर के असंचारी रोग प्रकोष्ठों में सहायता हेतु संविदा कर्मियों को पदस्थ करना था। हमने पाया कि आवश्यक चार पदों¹⁴ के विरुद्ध कोई भी स्टाफ राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ में तैनात नहीं था।

जिला असंचारी रोग क्लीनिकों पर (85 प्रतिशत) तथा सी एच सी असंचारी रोग क्लीनिकों पर (81 प्रतिशत) मानव संसाधन की कमी थी

आगे, प्रत्येक जिला असंचारी रोग प्रकोष्ठ पर एक जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी.पी.ओ.), एक कार्यक्रम सहायक (पी.ए.), एक वित्त सह तार्किक अधिकारी (Finance cum Logistic Officer) एवं एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता थी। हमने पाया कि धार एवं रतलाम में डी.पी.ओ. तथा छिंदवाड़ा, धार एवं रतलाम जिलों में पी.ए. के पद रिक्त थे।

दिशा निर्देशों के अनुसार जिला एवं सी.एच.सी. असंचारी रोग क्लीनिकों के प्रबंध हेतु संविदा आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती की जानी थी। पांच जिलों तथा 45 सी.एच.सी. केन्द्रों पर मानव संसाधन की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका-2: विभिन्न स्तर पर कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति

क्रम सं.	पद का नाम	मानक अनुसार आवश्यक	के कायरत	कमी
जिला असंचारी रोग क्लीनिक				
1	डाइबिटोलॉजिस्ट/हृदय रोग विशेषज्ञ/एम डी फिजिशियन	5	0	5
2	मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट	5	0	5
3	साइटो पैथोलॉजिस्ट	5	0	5
4	साइटो पैथोलॉजी तकनीशियन	5	0	5
5	नर्स	20	5	15
6	फिजियोथेरेपिस्ट	5	3	2
7	काउंसलर	10	1	9
8	डाटा एंट्री ऑपरेटर	5	1	4
9	देखभाल समन्वयक	5	0	5
	कुल	65	10	55 (85 प्रतिशत)
सी एच सी असंचारी रोग क्लीनिक				
1	चिकित्सक	45	1	44
2	नर्स	90	21	69
3	काउंसलर	45	15	30
4	डाटा एंट्री ऑपरेटर	45	6	39
	कुल	225	43	182 (81 प्रतिशत)

(स्रोत: राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिला असंचारी रोग क्लीनिकों पर 85 प्रतिशत तथा सी.एच.सी. असंचारी रोग क्लीनिकों पर 81 प्रतिशत मानव संसाधन की कमी थी। इसके अतिरिक्त जिला स्तर के क्लीनिकों में विशेषज्ञों तथा चिकित्सकों के सभी पद रिक्त थे तथा सी.एच.सी. स्तर के 44 क्लीनिकों में चिकित्सकों के पद रिक्त थे।

क्लीनिकों में विशेषज्ञों/चिकित्सकों तथा परा चिकित्सा कर्मचारियों की व्यापक कमी के कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

¹⁴ राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ- राज्य कार्यक्रम अधिकारी (1), कार्यक्रम सहायक (1), वित्त सह तार्किक अधिकारी (1) तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर (1)।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (नवम्बर 2014) कि मानव संसाधन की तैनाती के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा दिसम्बर 2014 तक पूर्ण कर ली जाएगी।

सभी रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाए, जिससे स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदाय की सके।

2.5.7 एन.पी.एच.सी.ई. का कार्यान्वयन

एन.पी.एच.सी.ई. के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामुदायिक शिक्षा तथा जन जागरुकता, उपचार सुविधा का विस्तार, चिकित्सा एवं परा चिकित्सा पेशेवरों की क्षमता निर्माण तथा कार्यक्रम का सतत् अनुवीक्षण की रणनीति अपनाई जानी थी।

2.5.7.1 सामुदायिक शिक्षा एवं जन जागरुकता

एन.पी.एच.सी.ई. के दिशा निर्देशों में भी एन.पी.सी.डी.सी.एस. कार्यक्रम के अनुसार जन जागरुकता उत्पन्न करने की आवश्यकता परिकल्पित की गई थी। तथापि, केंद्रीय एन.सी.डी. प्रकोष्ठ से कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी तथा आई.ई.सी. गतिविधियां आयोजित नहीं की गई थी, जैसा कि पूर्व में ही पैरा 2.5.6.1 में चर्चा की जा चुकी है।

2.5.7.2 क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण आयोजित न होना

एन.पी.एच.सी.ई. के दिशा निर्देशों के परिच्छेद 2.3.6 के अनुसार, राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न सुविधाओं के कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान, अवधि, पाठ्यक्रम आदि का वर्णन करते हुए कार्यक्रम की योजना बनानी थी। हमने पाया कि मानव संसाधन की तैनाती न होने के कारण 2012-14 के दौरान प्रस्तावित 3225 के विरुद्ध 1391 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया था। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2.40 में दिया गया है। इस प्रकार वर्ष 2012-14 के दौरान उपलब्ध कुल निधि ₹ 37.88 लाख के विरुद्ध मात्र ₹ 16.59 लाख का उपयोग किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (नवम्बर 2014) कि दिशा निर्देशों के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों को प्रशिक्षण देने के लिए चिन्हित किया जाएगा।

2.5.7.3 वृद्धावस्था वार्ड तथा क्लीनिकों की अनुपलब्धता

दिशा निर्देशों के अनुसार जिला चिकित्सालय (डी.एच.) स्तर पर अंतः रोगियों की देखभाल हेतु 10 बिस्तरों वाले वृद्धावस्था वार्ड की स्थापना की जानी थी तथा प्रत्येक डी.एच., सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. स्तर पर पृथक वृद्धावस्था क्लीनिक स्थापित की जानी थी। इस प्रयोजन हेतु वर्ष 2012-14 में उपलब्ध निधि ₹ 3.40 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 1.31 करोड़ का ही उपयोग किया गया था। हमने देखा कि तीनों नमूना परीक्षित जिलों में से धार जिला अस्पताल में वृद्धावस्था वार्ड एवं क्लीनिक स्थापित नहीं थे। नमूना परीक्षित नौ में से आठ सी.एच.सी. में तथा 16 पी.एच.सी. में से किसी में भी वृद्धावस्था क्लीनिक स्थापित नहीं किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, नमूना परीक्षित नौ में से आठ सी.एच.सी. में फिजियोथेरेपी व परामर्श हेतु पुनर्वास इकाई उपलब्ध नहीं थी। नमूना परीक्षित 16 में से सात पी.एच.सी. में बुजुर्गों को उपलब्ध कराने हेतु कैलीपर्स व सहायक उपकरण ए.एन.एम. को प्रदाय नहीं किए गए थे। (विवरण परिशिष्ट-2.41 में)

इस प्रकार, कार्यक्रम के अनुरूप बुजुर्गों के इलाज के लिए समर्पित स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित नहीं किया गया था।

प्रस्तावित 3225 कर्मियों के विरुद्ध केवल 1391 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया

वृद्ध लोगों के लिये जिला एवं सी एच सी स्तर पर वृद्धावस्था वार्ड एवं क्लीनिक स्थापित नहीं किए गए थे

2.5.7.4 मानव संसाधन की कमी

दिशा निर्देशों के अनुसार वृद्धावस्था क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी होने पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों जैसे जनरल मेडीसिन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ की सेवाओं का जिला अस्पताल के वृद्धावस्था वार्ड व क्लीनिकों में उपयोग किया जाना था। अतिरिक्त कर्मी जैसे मेडीसिन कंसल्टेंट, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट इत्यादि की नियुक्ति सविदा आधार पर की जानी थी। हमने देखा कि नमूना परीक्षित तीन जिला चिकित्सालयों में 39 अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता के विरुद्ध 24 की कमी थी। इसके साथ नमूना परीक्षित नौ में से आठ सी.एच.सी.¹⁵ में पुनर्वास कर्मी की नियुक्ति नहीं की गई थी, जैसा कि परिशिष्ट-2.42 में दर्शित है।

2.5.7.5 बुजुर्गों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण

दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राम स्तर पर सभी बुजुर्गों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण पी.एच.सी./ सी.एच.सी. द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कर करना था तथा वृद्धों की जानकारी मानक स्वास्थ्य कार्ड में अद्यतन रूप से रखनी थी।

हमने देखा कि नमूना परीक्षित नौ में से किसी भी सी.एच.सी. में तथा 16 में से 15 पी.एच.सी.¹⁶ में बुजुर्गों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया था।

2.5.8 एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. के तहत पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण

केंद्रीय असंचारी रोग प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों, जिला एवं राज्य असंचारी सेल द्वारा अभिलेखन व रिपोर्टिंग हेतु मानक प्रारूप निर्धारित किए गए थे। जानकारी को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली भी विकसित करनी थी। राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में अवरोधों पर चर्चा हेतु त्रैमासिक आधार पर समीक्षा बैठक आयोजित की जानी थी।

हमने देखा कि एस.एच.सी.से.सी.एच.सी., सी.एच.सी. से जिला असंचारी रोग प्रकोष्ठ तथा जिला से राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ को रिपोर्टिंग की जा रही थी। तथापि केवल जांच किए गए मरीजों व संदिग्ध प्रकरणों की रिपोर्टिंग इन प्रारूपों में की जा रही थी। असंचारी रोग क्लीनिकों में इलाज किए गए कुल मरीजों की संख्या, रोगियों का विवरण, जिनका अनुवर्तन किया गया, फिजियोथेरेपी, गृह आधारित देखभाल तथा दिए गए परामर्श की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी। राज्य स्तर पर तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित नहीं की जा रही थी तथा केंद्रीय असंचारी रोग सेल को तिमाही प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किए जा रहे थे।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव ने बताया (नवम्बर 2014) कि दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित तंत्र का पालन किया जाएगा।

कार्यक्रमों के प्रभावी तथा कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण के लिए निर्धारित तंत्र का पालन किया जाए।

2.5.9 निष्कर्ष

- राज्य एवं जिला स्तर पर एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. के लिए वार्षिक कार्य योजना तथा वित्तीय, भौतिक एवं महामारी प्रोफाइल के लिए डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था।

¹⁵ दमुआ, धनौरा, हरई, जमई, कुशी, नामली, सैलाना तथा तामिया।

¹⁶ बरेलीपाए, बटकाखापा, बिलपाक, बुरीबुर्द, चिंदी, डेहरी, डेलाखेड़ी, धामनोद, दुंगरिया, हल्दी, हनौतिया, नालछा, सांगोर, सरवन तथा शिवगढ़।

- राज्य एवं जिला स्तर पर असंचारी रोगों संबंधी जन जागरुकता के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां आयोजित नहीं की गई थी।
- असंचारी रोग क्लीनिकों में मुख्यतः निधियों के अल्प उपयोग के कारण वृद्धावस्था वार्ड, क्लीनिक, आवश्यक औषधियां, मशीनरी तथा उपकरण की कमी रही थी।
- चिकित्सीय एवं परा चिकित्सीय कर्मियों की कमी के कारण कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं कुशलता पूर्वक प्रदाय नहीं की जा सकी थी।

स्कूल शिक्षा विभाग

2.6 शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत जनजातीय उपयोगना का कार्यान्वयन

2.6.1 प्रस्तावना

आदिवासी उप योजना (टी.एस.पी.) भारत सरकार द्वारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शुरू की गयी थी। टी.एस.पी. को केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य के सभी विभागों में सीधे योजना स्रोतों से कम से कम अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या के समानुपात एवं अनुसूचित जन जाति एवं अन्य के मध्य विकास के अंतर को जोड़ने हेतु महत्वपूर्ण रूप में देखा गया। भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिये मध्यप्रदेश में टी.एस.पी. के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.एम.डी.एम.) एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) के कार्यान्वयन हेतु धन आवंटित किया था।

06 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, विशेष रूप से बालिकाओं पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (यू.ई.ई.) के कार्यान्वयन हेतु सर्व शिक्षा अभियान (2003) प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। एन.पी.एम.डी.एम. शालाओं में बच्चों को पोषक तत्व प्रदाय करने एवं उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रारम्भ (1995) की गई थी। आर.एम.एस.ए. (2009 से प्रारम्भ) के अन्तर्गत 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, विशेषरूप से बालिकाओं के नामांकन एवं अनुसूचित जाति (एस.सी.) एवं अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के बच्चों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्यान्वित किया गया था।

आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र (आर.एस.के.) एस.एस.ए. के मिशन संचालक हैं एवं इसके कार्यान्वयन के लिये राज्य स्तर पर उत्तरदायी हैं। जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक जिला कलेक्टर (जिला मिशन संचालक) के पर्यवेक्षण में एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परियोजना संचालक) एस.एस.ए. का कार्यान्वयन करते हैं। इसके साथ विकास खण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक विकास खण्ड स्तर पर और समूह स्त्रोत केन्द्र समन्वयक ग्रामीण स्तर पर एस.एस.ए. के कार्यान्वयन में सम्मिलित हैं।

राज्य स्तर पर एन.पी.एम.डी.एम. मध्यप्रदेश मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद समिति (एम.पी.एम.बी.के.पी.एस.) द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जिसके प्रमुख विकास आयुक्त हैं, जिन्हें जिला स्तर पर जिला पंचायत (जेड.पी.) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहयोग करते हैं।

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति (एम.पी.एम.एस.ए.एस.) के आयुक्त आर.एम.एस.ए. के मिशन संचालक हैं एवं राज्य स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी हैं। जिला स्तर पर, जिला परियोजना समन्वयक (आर.एम.एस.ए.) जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला पंचायत) के पर्यवेक्षण के अधीन कार्यक्रम का कार्यान्वयन करते हैं।

2.6.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- योजनाएं भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार आयोजित थीं;
- केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निधियां जनजातीय जिलों हेतु पूरी तरह उपयोग की गयीं;

- प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित योजना के अनुरूप था; और
- अधोसंरचना विकास पर्याप्त था।

2.6.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु राज्य के 21 आदिवासी जिलों में से 10 जिले¹ एवं उनके 88 जनजातीय विकासखण्डों में से 21 विकासखण्डों² की वर्ष 2011 से 2014 की अवधि के लिए नमूना जांच की गई। चयनित 21 विकासखण्डों की 84 शालाओं³ की नमूना जांच की गई। एस.एस.ए. हेतु आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र एवं जिला परियोजना समन्वयकों के अभिलेखों की लेखा परीक्षा की गयी। एन.पी.एम.डी.एम. के लिये सर्व शिक्षा अभियान के लिय चयनित विद्यालयों की एन.पी.एम.डी.एम. के लिय भी जांच की गई एवं हमने आयुक्त एन.पी.एम.डी.एम. एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालिक अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की। आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत एम.पी.एम.एस.ए.एस. एवं जिला परियोजना समन्वयकों (आर.एम.एस.ए.) के अभिलेखों की नमूना जांच और प्रत्येक चयनित जिले से एक उच्च माध्यमिक विद्यालय (एच.एस.) एवं एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (एच.एस.एस.) के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। विवरण परिशिष्ट 2.43 में दर्शाया गया है।

प्रवेश सम्मेलन (जून 2014) के दौरान एन.पी.एम.डी.एम. के लिये आयुक्त, आरएसके एवं सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग तथा संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय एवं आर.एम.एस.ए. के संयुक्त संचालक के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदण्ड एवं कार्यक्षेत्र के संबंध में चर्चा की गयी। स्कूल शिक्षा विभाग (एस.ई.डी.) एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.) के अपर मुख्य सचिवों (एस.सी.एस.) के साथ निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2014) सम्पन्न हुआ। विभाग के विचारों को संबंधित कांडिकाओं में सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.6.4 वित्तीय प्रबंधन

इन योजनाओं के लिये सामान्य शीर्ष, आदिवासी उप योजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना (एस.सी.एस.पी.) के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार ने पृथक से निधियां जारी कीं। हालांकि कार्यान्वयन के दौरान इस प्रकार केन्द्र एवं राज्य द्वारा जारी संपूर्ण राशि को मिलाकर एक कॉर्पस निधि में रखा गया। एस.एस.ए. और आर.एम.एस.ए. के अन्तर्गत निधियों को जिलों के सामान्य शीर्ष, आदिवासी उप योजना एवं अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत अलग से न दर्शाते हुए जारी किया गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यय की गयी राशि के पृथक अभिलेखों का किसी भी स्तर पर संधारण नहीं किया गया। हालांकि, यह पाया गया कि एन.पी.एम.डी.एम. के अन्तर्गत टी.एस.पी. निधि को जिलों को अलग से जारी किया गया।

इन योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार उपलब्ध निधि के विरुद्ध व्यय परिशिष्ट 2.44 में दिया गया है। हमने देखा कि:

सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जारी राशि को सामान्य, एस.सी.एस.पी. और टी. एस.पी. के रूप में निर्धारित नहीं किया गया। एस.एस.ए., आर. एम.एस.ए. और एन.पी. एम.डी.एम. के अन्तर्गत राशि पूरी तरह उपयोग नहीं की गई थी

1 बडवानी, बालाघाट, बैतुल, छिंदवाडा, धार, डिंडोरी, खरगोन, मंडला, रतलाम एवं सिवनी।

2 **बडवानी:** राजपुर, सेंघवा, **बालाघाट:** बैहर, परसवाडा, **बैतुल:** मेंसदेही, घोडाडोंगरी, **छिंदवाडा:** हर्ई, जुन्नारदेव, तामिया, **धार:** धार, कुशी **डिंडोरी:** डिंडोरी, शाहपुरा, **खरगोन:** झिरिन्या, भगवानपुरा, **मंडला:** बिछिया, घुघरी, **रतलाम:** रतलाम, सैलाना, **सिवनी:** घन्सीर, लखनादीन।

3 दो प्राथमिक एवं दो माध्यमिक शालाओं को प्रत्येक विकासखण्ड से।

● एस.एस.ए. के अन्तर्गत वर्ष 2011-14 की अवधि में कुल उपलब्ध राशि ₹ 12,191.07 करोड़ (राशि ₹ 2,404.60 करोड़ प्रारम्भिक शेष दिनांक 01 अप्रैल 2011 को शामिल कर) थी। जिसमें से राशि ₹ 10,304.19 करोड़ उपयोग की गई एवं राशि ₹ 1,886.88 करोड़ (15 प्रतिशत) अव्ययित शेष बचा रहा। वर्ष 2011-2014 की अवधि के दौरान उपयोग की गई निधि का प्रतिशत 63 से 72 प्रतिशत के मध्य रहा। अतः उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। टी.एस.पी. घटक के लिए उपलब्ध निधि, कुल निधि का 18 से 20 प्रतिशत के मध्य थी। किन्तु लेखों का संधारण अलग से न किया जाने के कारण टीएसपी के अन्तर्गत किये गये व्यय को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

● एन.पी.एम.डी.एम. के अन्तर्गत एम.डी.एम. परिषद द्वारा वार्षिक लेख तैयार नहीं किये थे, अतः प्रारम्भिक एवं अंतिम शेष एवं अन्य प्राप्तियों के विवरण लेखापरीक्षा को प्रदाय नहीं किये गये। हालांकि, कुल उपलब्ध केन्द्रांश एवं राज्यंश ₹ 3,031.95 करोड़ में से राशि ₹ 3,041.24 करोड़ व्यय की गई थी। योजना के अन्तर्गत टी.एस.पी. निधि के लिए पृथक से लेख संधारित किए गए थे। हमने देखा कि 2011-14 के दौरान कुल उपलब्ध निधि के विरुद्ध टी.एस.पी. निधि का 83 प्रतिशत उपयोग किया गया था।

● वर्ष 2011-14 की अवधि में हमने पाया कि, आर.एम.एस.ए. में उपलब्ध कुल राशि ₹ 1,601.02 करोड़ (राशि ₹ 76.99 करोड़ प्रारम्भिक शेष दिनांक 1 अप्रैल 2011 को शामिल कर) थी। जिसमें से राशि ₹ 1,484.01 करोड़ उपयोग की गई थी एवं राशि ₹ 117.01 करोड़ (7 प्रतिशत) अव्ययित अंतिम शेष था। इस अवधि में भारत सरकार द्वारा टी.एस.पी. के अन्तर्गत प्रदाय राशि 5 से 14 प्रतिशत के मध्य थी। किन्तु लेखाओं के अलग से संधारण न करने से टी.एस.पी. धन का व्यय अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन के दौरान अपर मुख्य सचिव (एस.ई.डी.) द्वारा बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बचत भारत सरकार द्वारा अधिक राशि जारी करने के कारण हुई है। आर.एम.एस.ए. के संबंध में निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव (एस.ई.डी.) द्वारा बताया गया कि अक्टूबर 2013 से दिसम्बर 2013 एवं मार्च 2014 से मई 2014 तक चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण बचत हुई।

अव्ययित शेषों के संबंध में शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आचार संहिता की अवधि के मध्य भी 3 माह की एक अवधि के दौरान भी राशि जारी/उपयोग की जा सकती थी।

प्रत्येक घटक में निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.6.5 योजना

एन.पी.एम.डी.एम. की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार इन योजनाओं के अंतर्गत समग्र आयोजना, विभिन्न गतिविधियों का अनुवीक्षण एवं कार्यान्वयन एवं भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति राज्य एवं जिले स्तर पर की जानी थीं। इस संबंध में लेखापरीक्षा के दौरान निम्न लिखित कमियाँ पाई गईं :-

हमने देखा कि, वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी.) मध्यान्ह भोजन परिषद द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को वर्ष 2011-14 अवधि के दौरान 39 से 45 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. देरी से अनुमोदित किया जा सका और राशि देरी से जारी की जा सकी। विवरण **परिशिष्ट 2.45** में दर्शाया गया है।

एन.पी.एम.डी.एम.
के अन्तर्गत
वार्षिक
कार्ययोजना एवं
बजट समय पर
प्रस्तुत नहीं किये
गये

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव (पी.आर.डी.डी) ने आश्वस्त किया कि भविष्य में समय का अनुपालन किया जावेगा।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट समय से तैयार कर प्रस्तुत किया जाना चाहिये ताकि समय पर धनराशि जारी की जा सके।

कार्यक्रम कार्यान्वयन

2.6.6 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

एस.एस.ए. के लक्ष्य हैं (i) सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन, (ii) उच्च प्राथमिक स्तर में सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक अवधारित करना और (iii) नामांकन, शिक्षा एवं अवधारण इत्यादि में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को दूर करना।

2.6.6.1 बच्चों का विद्यालय से बाहर रहना

सर्व शिक्षा अभियान की मार्गदर्शिका एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 06 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदाय की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के फ्रेमवर्क में दर्शाये मानकों के अनुसार, 'विद्यालय से बाहर' रहने वाले बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा में लाया जायेगा।

हमने पाया कि राज्य स्तर पर वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान 0.03 प्रतिशत से 0.90 प्रतिशत बच्चे 'विद्यालय के बाहर' थे। विस्तृत विवरण तालिका-1 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1: राज्य स्तर पर 'शाला के बाहर' बच्चों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

(बच्चों की संख्या लाख में)

वर्ष	बच्चों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या	विद्यालय के बाहर बच्चों का प्रतिशत
2011-12	139.33	138.06	1.26	0.90
2012-13	138.71	137.97	0.74	0.53
2013-14	138.31	137.67	0.64	0.03

(डाटा स्रोत: राज्य शिक्षा केन्द्र के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट)

इसी प्रकार राज्य के 21 आदिवासी जिलों में वर्ष 2011-12 से 2013-14 के मध्य 'विद्यालय के बाहर' बच्चों का प्रतिशत 0.68 से 1.34 और 10 चयनित जिलों में 0.75 से 1.28 प्रतिशत रहा। विस्तृत विवरण तालिका-2 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2: 21 आदिवासी जिलों एवं 10 चयनित जिलों में 'विद्यालय के बाहर' बच्चों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

(बच्चों की संख्या लाख में)

वर्ष	21 आदिवासी जिले				10 चयनित जिले			
	बच्चों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या	मुख्यधारा में शामिल बच्चे (प्रतिशत)	बच्चों की संख्या	नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या	मुख्यधारा में शामिल बच्चे (प्रतिशत)
2011-12	51.24	50.56	0.68 (1.34)	0.16 (24)	28.54	28.18	0.36 (1.28)	0.12 (33)
2012-13	51.07	50.66	0.41 (0.81)	0.45 (110)	28.32	28.11	0.21 (0.75)	0.27 (129)
2013-14	49.10	48.78	0.33 (0.68)	0.20 (61)	27.60	27.39	0.21 (0.77)	0.11 (52)

(डाटा स्रोत: राज्य शिक्षा केन्द्र के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट)

सभी 'विद्यालय के बाहर' बच्चों को वर्ष 2011-14 की अवधि में मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जा सका

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 21 आदिवासी जिलों में 2011-12 के दौरान मुख्य धारा में लाए गए बच्चे मात्र 0.16 लाख (24 प्रतिशत) थे एवं 2013-14 के दौरान यह मात्र 0.20 लाख (61 प्रतिशत) थे। इस प्रकार मार्च 2014 की स्थिति में 13,000 बच्चों को मुख्य धारा में नहीं लाया जा सका था। इसी प्रकार 10 चयनित जिलों में 2011-12 के दौरान मात्र 0.12 लाख बच्चे (33 प्रतिशत) एवं 2013-14 के दौरान 0.11 लाख (52 प्रतिशत) बच्चों को मुख्य धारा में लाया गया था।

2.6.6.2 चयनित विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों का शाला त्यागी रहना

10 चयनित जिलों के 84 नमूना जांच किए गए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार 2011-14 की अवधि के दौरान 49,291 विद्यार्थी नामांकित हुए थे जिनमें से 33,722 (68 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के थे। विद्यालयों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार 689 विद्यार्थी शाला त्यागी थे, इनमें से अनुसूचित जनजाति के कुल 619 (कुल शाला त्यागी बच्चों का 90 प्रतिशत) बच्चे शाला त्यागी थे। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शालात्यागी दर सामान्य वर्ग के बच्चों से अधिक थी। विवरण परिशिष्ट 2.46 में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव (एस.ई.डी.) ने कहा कि, 'शाला के बाहर' के बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने की प्रक्रिया 'स्कूल चलें हम' के माध्यम से प्रगति पर है।

2.6.6.3 शिक्षकों का गैर-युक्तिकरण

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों⁴ एवं माध्यमिक विद्यालयों⁵ में शिक्षकों की नियुक्ति के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। विद्यालय में 200 से अधिक छात्र होने पर छात्र और शिक्षक अनुपात 40:1 होना चाहिए।

दस चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच करने पर देखा गया कि कुल 4,227 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एवं 931 माध्यमिक विद्यालय शिक्षक 3474 प्राथमिक विद्यालयों और 882 माध्यमिक विद्यालयों में आर.एस.के. द्वारा अतिरिक्त घोषित किये गये थे। हमने पाया कि इन अतिरिक्त शिक्षकों के वेतन पर प्रतिमाह ₹ 2.58 करोड़⁶ का व्यय किया गया।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव (एस.ई.डी.) ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के युक्तिकरण के लिये एक आदेश (सितम्बर-2014) जारी किया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शिक्षकों की स्थायी स्वीकृत संख्या, अधिशेष शिक्षकों की स्थिति निर्धारित विद्यार्थी शिक्षक अनुपात को प्रभावित कर सकती है।

2.6.6.4 बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता

सर्व शिक्षा अभियान की मार्गदर्शिका के अनुसार, बुनियादी सुविधाओं की स्थिति जैसे बिना कक्षाओं के स्कूल, पीने के पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, लड़कियों के शौचालय, पहुँचने के लिए रेंप, चारदीवारी, बिना प्रधान अध्यापकों (एच.एम.) के कमरों वाले माध्यमिक विद्यालयों एवं कक्षा के कमरों की कमी आदि को विद्यालयों की बुनियादी ढाँचे की कमी के आकलन की योजना में शामिल किया जाना था।

शिक्षकों की नियुक्ति आर.टी.ई. मानकों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों में नहीं की गई थी

प्राथमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता थी

⁴ पीएस: 60 विद्यार्थियों तक: 02 शिक्षक, 61-90 विद्यार्थियों तक :03 शिक्षक, 91-120 विद्यार्थी तक:04 शिक्षक, 121-200 विद्यार्थियों तक (05 शिक्षक)।

⁵ यूपीएस: 35 विद्यार्थियों पर कम से कम एक शिक्षक।

⁶ एमईआर के अनुसार एक शिक्षक का मासिक न्यूनतम वेतन ₹ 5,000 के आधार पर गणना की गई है (न्यूनतम वेतन @ ₹ 5,000 × 5,158 शिक्षक = 2,57,90,000)।

लाख थी। जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.48 में दिया गया है।
 शामिल किए गए विद्यालयों की संख्या क्रमशः 20.10 लाख, 18.66 लाख एवं 18.27 लाख किए गए जिलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कमी नहीं पायी गई। वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान 10 नर्सिंग किया गया था। नर्सिंग जांच किए गए विद्यालयों में मध्याह्न भोजन प्रदाय करने में कोई कि योजना के अंतर्गत स्कूल में उपस्थित समस्त विद्यालयों को मध्याह्न भोजन प्रदाय वर्ष 2011-12 से 2013-14 के वार्षिक कार्य योजनाओं की जांच करने पर पाया गया विद्यालय छोड़ने की दर कम करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है।

एन.पी.एम.डी.एम. की शिक्षा के सर्वव्यापीकरण, छात्रों को पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदाय कर पोषण स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना एवं बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना एवं

2.6.7 मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

विद्यालयों को प्रदाय किया गया था।
 दौरान देखा गया कि कक्षा पहली से आठवीं तक प्राथमिक स्तर के बच्चों का सेंटर समी जांच हेतु चयन किया था। लेखापरीक्षा को प्रदाय जानकारी का विश्लेषण करने के दो कक्षाओं एवं चार कक्षाओं वाली बालिका विद्यालय का यादविका (एडम) आधार पर में सभी बच्चों को निर्णय प्रत्येक प्रदान की जानी थी। हमने 71 शालाओं की सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार/स्थानीय निकाय के स्कूलों

2.6.5 पाठ्य पुस्तकों का विवरण

नामांकन एवं अवधारण की स्थिति में सुधार हो सक।
 विद्यालयों में अधीक्षक/अधीक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे छात्रों को उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस.एस.ए. में अव्यक्त राशि उपलब्धता के उपरान्त भी अधीक्षक/अधीक्षक की कमी थी जो योजना की कमी को दर्शाता है।

सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित थी।
 सदस्य/विधानसभा सदस्य की निधि से करवाया जाएगा और कमीवर के लिये भारत ग्रामीण प्रयत्न योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। शौचालय निर्माण संसद निर्माण समान में, अपर मुख्य सचिव (एस.ई.डी.) द्वारा कहा गया कि पानी की संधि किया।
 इस प्रकार, बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता ने बच्चों की अवधारण दर को प्रभावित किया।

(स्रोत: राज्य शिक्षा केन्द्र)

कुल विद्यालय	विद्यालय की संख्या	1738 (5.81)	3725 (12.44)	3442 (11.50)	12283	(41.03)	(66.40)	(45.11)
विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)	विद्यालय की संख्या (प्रतिशत)	विद्यालय की संख्या (प्रतिशत)	विद्यालय की संख्या (प्रतिशत)	विद्यालय की संख्या (प्रतिशत)	विद्यालय की संख्या (प्रतिशत)
विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या
विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या	विद्यालय की संख्या

तालिका-3: अधीक्षक/अधीक्षक की स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक

10 चयनित जिलों के 29,939 विद्यालयों की जानकारी और अभिलेखों की जांच में शालाओं में बुनियादी सुविधाओं एवं अधीक्षक/अधीक्षक की उपलब्धता का पता चला जिसे तालिका-3 में नीचे दर्शाया गया है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 2.47 में दर्शाया गया है।

2.6.7.1 रसोई-सह-भण्डार निर्माण में विलम्ब

चयनित 10 जिलों में से चार लेखापरीक्षित जिलों⁷ में देखा गया कि मथान्ह भोजन परिषद द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान आवंटित धनराशि (₹ 7.61 करोड़) जारी नहीं की गई जबकि केन्द्र से धनराशि की प्राप्ति सितम्बर 2012 में हुई थी। इस राशि को मई 2013 में जारी किया गया। जिसके परिणामस्वरूप चार जिलों में 376 रसोई-सह-भण्डार⁸ का निर्माण मार्च 2014 तक अपूर्ण रहा।

रसोई-सह-भंडार निर्माण के लिये राशि देरी से जारी की गई थी

हमने यह भी देखा कि, दस जिलों के 84 चयनित विद्यालयों में, 30 विद्यालयों में भंडार कक्ष उपलब्ध नहीं था, पीने के पानी की व्यवस्था 6 स्कूलों में उपलब्ध नहीं थी और 28 विद्यालयों में आवश्यक बर्तनों की उपलब्धता नहीं थी, विवरण **तालिका-4** में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका-4: एम.डी.एम. के अन्तर्गत अधोसंरचना की अनुपलब्धता की स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक

स.क	जिले का नाम	विद्यालयों की संख्या	अधोसंरचना के बिना विद्यालयों की संख्या	वर्तन
1	बालाघाट	8	2	0
2	बड़वानी	8	2	0
3	बैतूल	8	2	2
4	छिन्दवाड़ा	12	4	0
5	धार	8	1	0
6	झिण्डोशी	8	3	0
7	खरगोन	8	2	0
8	मण्डला	8	4	0
9	रतलाम	8	6	1
10	सिवनी	8	4	3
	योग	84	30	6
				28

(स्रोत: चयनित विद्यालयों से प्राप्त आंकड़ों से)

निर्गम सम्मेलन में, अपर मुख्य सचिव (पी.आर.डी.डी.) ने कहा कि देरी का कारण रसोई-सह-भंडार के निर्माण का नया लेखा शीर्ष खोलना था। बर्तनों के क्रय के लिये जिलों को निधियाँ शीघ्र जारी की जायेंगी।

एन.पी.एम.डी.एम. के अन्तर्गत मथान्ह भोजन वितरण के लिए अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2.6.8 अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

राष्ट्रीय मथान्ह भोजन कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य ने विद्यालयों में परोसे जाने वाले मथान्ह भोजन के निरीक्षण हेतु जिला पंचायत स्तर पर मासिक लक्ष्य निर्धारित किए थे। प्राप्त प्रतिपुष्टि (फीडबैक) के माध्यम से निरीक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण एम.पी.एम.बी.के.पी.एस. द्वारा किया जाना था। प्रत्येक तिमाही में 25 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों का औसतन निरीक्षण किया जाना था।

विद्यालयों के निरीक्षणों में 71 प्रतिशत की कमी थी

84 चयनित विद्यालयों का परीक्षण करने पर पाया कि वर्ष 2011-14 में आवश्यक 3024 निरीक्षणों के विरुद्ध केवल 885 निरीक्षण किए गए। इस प्रकार 2,139 (71 प्रतिशत) निरीक्षणों की कमी पाई गई। यह भी देखा गया कि अन्य किसी एजेन्सी द्वारा जांच किए गए विद्यालयों का कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया।

आगे, राष्ट्रीय मथान्ह भोजन कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तर पर विकास आयुक्त और अपर मुख्य सचिव एवं उपाध्यक्ष एम.पी.एम.बी.के.पी.एस. की अध्यक्षता में योजना के कार्यान्वयन के निरीक्षण करने के लिए संचालन एवं अनुवीक्षण

⁷ बालाघाट - ₹ 0.79 करोड़, बैतूल - ₹ 3.42 करोड़, छिन्दवाड़ा - ₹ 1.89 करोड़, डिंडोशी - ₹ 1.51 करोड़।

⁸ बालाघाट - 100, बैतूल-46, छिन्दवाड़ा - 118 एवं झिण्डोशी-112।

समिति की स्थापना की जानी आवश्यक थी। भारत सरकार द्वारा जारी (अगस्त 2010) किए गए निर्देशों के अनुसार राज्य स्तर पर संचालन समिति की बैठक छः महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थी।

राज्य स्तर समिति के अभिलेखों में देखा गया कि, वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में केवल एक बैठक आयोजित की गई थी। इस प्रकार, राज्य स्तर पर कार्यान्वित योजना का अनुवीक्षण पर्याप्त नहीं था।

अपर मुख्य सचिव (पी.आर.डी.डी.) में कहा कि निरीक्षण के संचालन के लिए जिला पंचायतों को पुनः निर्देश जारी किए जाएंगे एवं संचालन समिति की बैठक का आयोजन करने के भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन भविष्य में किया जाएगा।

2.6.9 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

आर.एम.एस.ए. का मुख्य उद्देश्य 14 से 18 आयुवर्ग के सभी युवाओं को अच्छी गुणवत्ता की, सुलभ एवं किफायती शिक्षा उपलब्ध कराना है ताकि 2017 तक सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

2.6.9.1 हाई स्कूल की अनुपलब्धता

आर.एम.एस.ए. के अन्तर्गत राज्य द्वारा 5 किलोमीटर की परिधि में हाईस्कूल एवं 7-10 किलोमीटर की परिधि में हायर सैकेन्डरी स्कूल उपलब्ध करवाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि मार्च 2014 की स्थिति में 19,409 बसाहटों में से 13,438 बसाहटों को हाई स्कूल के साथ आच्छादित किया गया और 1,970 (13 प्रतिशत) बसाहट पांच किलोमीटर की परिधि की दूरी पर हाई स्कूल के बिना थे। दो जिले खरगोन और बालाघाट द्वारा सूचना प्रदान नहीं की गई। विस्तृत विवरण तालिका-5 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-5: हाईस्कूल विद्यालय की अनुपलब्धता को दर्शाने वाला पत्रक

जिलों का नाम	बसाहटों की संख्या	आच्छादित की जाने वाली बसाहट	आच्छादित बसाहटें	कमी (प्रतिशत)
बडवानी	2640	2299	1891	408 (18)
बैतूल	1874	1600	1358	242 (15)
छिन्दवाड़ा	3036	2524	2413	111 (4)
धार	3514	2519	2104	415 (16)
डिण्डोरी	1681	1481	1377	104 (7)
मण्डला	3222	2065	2021	44 (2)
रतलाम	1419	1419	965	454 (32)
सिवनी	2023	1501	1309	192 (13)
योग	19409	15408	13438	1970 (13)

(स्रोत: जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा प्रदाय आंकड़े)

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव (एस.ई.डी.) ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया और कहा कि पहुँच में एक बड़ा अन्तर बना रहता है। भारत सरकार द्वारा 2012-13 से नए विद्यालयों की स्वीकृति प्रदाय नहीं की गई है।

2.6.9.2 अनुवीक्षण

आर.एम.एस.ए. के फ्रेमवर्क के पैरा 9.1.1 के अनुसार शाला प्रबन्धन एवं विकास समिति (एस.एम.डी.सी.)/ ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों को विद्यालय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुवीक्षण करना था।

10 जिलों के 20 चयनित विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार 16 विद्यालयों में एस.एम.डी.सी./ग्राम पंचायत द्वारा कोई अनुवीक्षण नहीं किया गया। हालांकि बालाघाट एवं धार जिलों के दो विद्यालयों में एस.एम.डी.सी. द्वारा अनुवीक्षण करना पाया गया

1970 पात्र बसाहटों में हाईस्कूल की अनुपलब्धता थी

किन्तु सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। डिण्डोरी एवं खरगोन जिले के दो विद्यालयों ने कोई उत्तर नहीं दिया।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव (एस.ई.डी.) ने उत्तर में बताया कि, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं परिणाम संकेतकों का अनुवीक्षण नियमित रूप से किया जा रहा था। तथ्य यह है कि, एस.एम.डी.सी./ग्राम पंचायत की ओर से अनुवीक्षण की कमी थी।

2.6.10 निष्कर्ष

- अर्वाधि 2011-14 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और मध्यान्ह भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में लगातार बचतें देखी गईं एवं निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट तैयार करने और भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार से धनराशि समय पर प्राप्त नहीं हुई।
- सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के उपरान्त भी आदिवासी जिलों में वर्ष 2013-14 के दौरान 33,000 बच्चे शाला के बाहर थे, इनमें से 13,000 बच्चे मुख्यधारा में वर्ष 2013-14 के दौरान शामिल नहीं हो सके। नमूना जाँच किए गए विद्यालयों में, सभी वर्गों के बच्चों की अपेक्षा आदिवासी बच्चों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक थी।
- सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत मूलभूत एवं बुनियादी सुविधाएं जैसे - पीने के पानी की व्यवस्थाएं, बालिका शौचालय, बर्तन, फर्नीचर इत्यादि की विद्यालयों में कमी थी।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत, मार्च 2014 की स्थिति में 13 प्रतिशत बसाहटों में 5 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय नहीं था।

- 3.1 नियमों, आदेशों, प्रक्रियाओं इत्यादि का अनुपालन न किया जाना
- 3.2 असावधानी/प्रशासनिक नियंत्रण में विकलता

लेनदेन लेखापरीक्षा

रीसरा अध्याय

तीसरा अध्याय: लेनदेन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों, उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं तथा स्वशासी निकायों की लेखापरीक्षा से संसाधनों के प्रबंधन में कमी तथा नियमितता, औचित्य एवं मितव्ययिता के मानकों के पालन में विफलता के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। इन्हें व्यापक उद्देश्यों के शीर्षकों के अंतर्गत आगामी कड़िकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

3.1 नियमों, आदेशों, प्रक्रियाओं इत्यादि का अनुपालन न किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी के आदेशों के अनुरूप हो, इससे न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोजन तथा धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायता भी मिलती है। नियमों तथा विनियमों के अनुपालन न किए जाने से संबंधित कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.1.1 अमानक औषधियों की अधिप्राप्ति एवं वितरण

आपूर्तिकर्ताओं से अधिप्राप्त की गई औषधियों का विभाग द्वारा वितरण से पूर्व परीक्षण नहीं किया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा किए गए परीक्षण के द्वारा ₹ 65.95 लाख की अधिप्राप्त की गई औषधियां अमानक गुणवत्ता की पाई गई।

मध्य प्रदेश राज्य दवा नीति 2009 के अनुसरण में अगस्त 2010 से दवा की अधिप्राप्ति के लिए विकेंद्रीकृत प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया था। दवा नीति के अनुसार जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन को चयनित एजेंसी तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम के साथ नामिकागत (एम्पेनल्ड) दवा कंपनियों से कुल आवश्यकता की 80 प्रतिशत दवाएं एवं आपात वितरण के लिए 20 प्रतिशत दवा स्थानीय वितरक से अधिप्राप्त करनी थी। औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु फर्मों (तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम एवं स्थानीय) द्वारा प्रदान की गई औषधियों के प्रत्येक बैच के नमूनों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन द्वारा प्राप्ति के तीन दिवस के अंदर चयनित अधिकृत प्रयोगशालाओं पर भेजा जाना होता था। परीक्षण एवं निरीक्षण की संपूर्ण लागत आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वहन की जाएगी। इसके अतिरिक्त खाद्य एवं दवा प्रशासन का दवा निरीक्षक प्राप्त किए गए औषधि के प्रत्येक बैच से जिला स्तर के भंडार/स्वास्थ्य संस्थानों से आकस्मिक रूप से नमूने ले सकता है। जिनका शासकीय प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराया जा सकता है।

परीक्षण के दौरान यदि प्रदाय की गई दवा/चिकित्सा सामग्री अमानक पायी जाती है, तो संपूर्ण बैच को बदला जाएगा या दवा का मूल्य स्वास्थ्य संस्थानों को वापस किया जायेगा एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री का संपूर्ण बैच आपूर्ति के 30 दिवस के अंदर उठाना होता था। साथ ही फर्म को काली सूची में डाला जाएगा।

19 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ सिविल सर्जन/ अस्पताल अधीक्षकों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2010-13 की अवधि के दौरान ₹ 21.70 करोड़ मूल्य की औषधियों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ सिविल सर्जन/ अस्पताल अधीक्षकों (परिशिष्ट 3.1 में दी गई सूची अनुसार) द्वारा जिला अस्पतालों/ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वितरण हेतु अधिप्राप्त किया गया था। हमने देखा कि दवाओं के वितरण से पूर्व, अधिकृत प्रयोगशालाओं से

1. औषधि के गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए तमिलनाडु मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन (टी.एन.एम.एस.सी.) के सहायता से चयनित प्रयोगशालाएं।

परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करते हुए दवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने संबंधी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जनों ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन के दवा निरीक्षक द्वारा परीक्षण हेतु नमूने लिए गए थे, लेकिन दवाओं के वितरण से पहले परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल के अभिलेखों की जांच (नवम्बर 2013) के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2010-13 की अवधि के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन/अस्पताल अधीक्षकों को प्रदाय किए गए औषधियों के 222 नमूने उनके द्वारा परीक्षण किए जाने पर अमानक पाए गए। इनमें से, हमने 45 नमूनों/बैचों की दवाओं की दवा परीक्षण रिपोर्टों का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन/अस्पताल अधीक्षकों² द्वारा अधिप्राप्त औषधियों के अभिलेखों से दुतरफा सत्यापन (जनवरी-फरवरी 2014) किया। यह देखा गया कि वर्ष 2010-13 की अवधि के दौरान, 28 बैचों में तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम फर्मा द्वारा प्रदाय की गई ₹ 55.49 लाख की औषधियां (परिशिष्ट 3.2 (अ)³ एवं (ब)⁴) नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अमानक पाई गई थीं। हमने यह भी देखा कि 17 बैचों में स्थानीय वितरक से क्रय की गई ₹ 10.46 लाख की औषधियां नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अमानक पाई गई थी। विवरण **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है।

इस तरह औषधियों के वितरण के पूर्व उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के मध्य समन्वय एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जनों द्वारा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने में समन्वय की कमी के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन/अस्पताल अधीक्षकों द्वारा गुणवत्ता की पुष्टि किए बिना ₹ 65.95 लाख की अमानक औषधियां स्वीकार कर ली/वितरित कर दी गई।

इस ओर इंगित किए जाने पर, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने स्वीकार किया (नवम्बर 2014) कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन/अस्पताल अधीक्षकों द्वारा नमूने अधिकृत प्रयोगशालाओं को नहीं भेजे गए थे एवं यह भी सूचित किया गया कि संबंधित तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम फर्मा से ₹ 42.65 लाख तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना, श्योपुर एवं सिविल सर्जन अशोक नगर द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रय औषधियों के लिए ₹ 32,542 की वसूली कर ली गई थी। संबंधित जिलों को शेष राशि की वसूली हेतु निर्देश जारी कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, संचालक स्वास्थ्य सेवा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जनों को औषधियों के परीक्षण से संबंधित दवा नीति के प्रावधानों का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किये (नवम्बर 2014) एवं दोषी स्टोर कीपर/फार्मासिस्टों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (मई एवं नवम्बर 2014)। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

² मु.चि. एवं स्वा.अ.- अनुपपुर, बालाघाट, बड़वानी, छिंदवाड़ा, दतिया, श्योपुर, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, मंडला तथा रीवा, सि.स.- अशोकनगर, बालाघाट, भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मंडला तथा उमरिया, अ.अधी.- बैरागढ़, भोपाल, टी.बी. अस्पताल, भोपाल।

³ संबंधित मु.चि. एवं स्वा.अ./सि.स./अ.अधी. के अभिलेखों की संवीक्षा के आधार पर।

⁴ संचालक, स्वास्थ्य सेवाओं से प्राप्त सूचना के आधार पर।

3.1.2 औषधियों की आपूर्ति न किए जाने पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जाना

औषधियों/सामग्री की आपूर्ति नहीं किए जाने पर, आपूर्तिकर्ताओं पर अनुबंध खंड का उल्लंघन करते हुए ₹ 2.37 करोड़ की शास्ति का आरोपण नहीं किया गया।

राज्य की नई दवा नीति 2009, जिसका कार्यान्वयन अगस्त 2010 में किया गया था, के अनुसार विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति की जानी थी। तदनुसार, संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षकों को उनकी आवश्यकता अनुसार तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम, चेन्नई के अंतर्गत पैनल में शामिल दवा कंपनियों को आपूर्ति आदेश जारी करने थे तथा उनके द्वारा भुगतान किया जाना था। इस दवा नीति की कंडिका 18.1.2 के अनुसार “यदि आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों में 60 दिन से अधिक का विलंब होता है तब शेष सामग्रियों/दवाओं पर 20 प्रतिशत शास्ति की कटौती की जाएगी एवं आपूर्ति आदेश को स्वतः निरस्त समझा जाएगा। फर्म को राज्य स्तर से एक नोटिस जारी किया जाएगा एवं उनके बयाना जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा।”

तदनुसार खरीद आदेश की शर्तों में एक खंड (16.3) सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार, “अनिष्पादित आदेश के मूल्य पर 20 प्रतिशत शास्ति आरोपित की जानी थी जो कि आपूर्तिकर्ता को भुगतान योग्य किसी भी राशि से वसूल की जानी थी।”

आपूर्ति आदेशों, प्राप्ति की गई सामग्रियों, आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए देयकों एवं जुलाई से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान 17 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/सिविल सर्जनों⁵ के कार्यालयों में किए गए भुगतानों एवं इसके अतिरिक्त संग्रहीत की गई जानकारी (जून 2014) की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम के साथ नामिकागत (empanelled) कंपनियों ने 310 आपूर्ति आदेशों के विरुद्ध ₹ 2.60 करोड़ की औषधियां/सामग्री प्रदान की तथा 1718 आपूर्ति आदेश, मूल्य ₹ 11.87 करोड़ (परिशिष्ट 3.4) के विरुद्ध कोई आपूर्ति नहीं की गई थी। औषधियों की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण अभिनिश्चित करने हेतु कोई अभिलेख नहीं था। हमने देखा कि क्रय नीति 2009 को कंडिका 18.1.2 और क्रय आदेश के खंड 16.3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/सिविल सर्जनों ने लंबित देयकों/उत्तरवर्ती देयकों पर प्रदाय नहीं की गई औषधि/सामग्री पर ₹ 2.37 करोड़ (₹ 11.87 करोड़ का बीस प्रतिशत) की शास्ति का आरोपण नहीं किया। विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाये गए हैं। कोई देयक लंबित नहीं होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों/सिविल सर्जनों को प्रकरण को संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रतिवेदित करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया था।

प्रकरण को जुलाई 2014 में शासन को प्रतिवेदित किया गया एवं निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ चर्चा की गई (नवम्बर 2014)। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि संबंधित अधिकारियों को तत्काल वसूली के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जो अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

⁵ मु.चि. एवं स्वा.अ. भोपाल (सितम्बर-2013), दमोह (अक्टूबर-2013), देवास (सितम्बर-2013), डिंडोरी (सितम्बर-2013), होशंगाबाद (सितम्बर-2013), खंडवा (जुलाई-2013), नरसिंहपुर (अक्टूबर-2013), रतलाम (सितम्बर 2013), सतना (अक्टूबर-2013), शिवपुरी (सितम्बर-2013), सि.स.- दमोह (नवंबर-2013), डिंडोरी (सितंबर-2013), हरदा (अगस्त-2013), जबलपुर (अक्टूबर-2013), शाजापुर (अक्टूबर-2013), मंडला (नवंबर-2013) तथा मंदसौर (अगस्त-2013)।

3.1.3 मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण करना एवं पट्टा विलेखों का पंजीकरण न कराना

रोगी कल्याण समितियों द्वारा पट्टा विलेखों का पंजीयन न कराए जाने एवं कम मुद्रांक शुल्क का आरोपण किए जाने से शासन ₹ 1.02 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के उपबंधानुसार निर्धारित किए गए भाड़ों के अतिरिक्त प्रीमियम पर प्रदाय किए जाने पर पट्टा विलेख हस्तांतरण पर आठ प्रतिशत⁶ की दर से मुद्रांक शुल्क का आरोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंजीकरण अधिनियम 1908⁷ के अनुसार ऐसे विलेखों पर मुद्रांक शुल्क का तीन चौथाई पंजीयन शुल्क प्रभावी है। पंजीकरण अधिनियम के अनुसार जहां पट्टे की अवधि एक वर्ष से अधिक है वहां पट्टा विलेख का पंजीकरण आवश्यक है।

हमने सात सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षकों⁸ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन के अंतर्गत सिविल अस्पताल नागदा एवं झारदा के अभिलेखों की संवीक्षा में देखा (नवम्बर 2013) कि जिला अस्पतालों में सिविल सर्जन के अंतर्गत रोगी कल्याण समितियों ने दुकानों का निर्माण कर निजी व्यक्तियों को प्रीमियम पर किराए पर दिया था। संबंधित रोगी कल्याण समितियों द्वारा 1997 से 2012 की अवधि के दौरान 222 दुकानों को 35 महीनों से 30 वर्ष की अवधि के लिए, अवधि के विस्तार एवं किराए के पुनरीक्षण के प्रावधान के साथ किराए पर दिया गया। इन प्रकरणों में आवंटन निर्धारित किराए के अतिरिक्त प्रीमियम/ऑफसेट मूल्य पर किया गया था। भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार, इन लिखतों पर प्रीमियम/ऑफसेट मूल्य (₹41,000 से ₹ 20,00,000 के मध्य) के पांच प्रतिशत से आठ प्रतिशत पर कुल ₹ 58.27 लाख मुद्रांक शुल्क देय था। तथापि, हमने देखा कि ये लिखतें केवल ₹ 50 से ₹ 1,200 के मुद्रांक पेपर पर निष्पादित की गई थीं एवं कुल मुद्रांक शुल्क ₹ 29,220 का आरोपण किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 58 लाख का कम मुद्रांक शुल्क लगाया गया था। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि पट्टा विलेखों का पंजीकरण नहीं कराया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 43.70 लाख का पंजीकरण शुल्क नहीं लगाया जा सका। इस तरह भारतीय मुद्रांक अधिनियम एवं पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने से सरकार ₹ 1.02 करोड़ के राजस्व से वंचित रही, जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है। इससे संबंधित सिविल सर्जन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम के संबंध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर पाना दर्शित हुआ। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पट्टा विलेखों का पंजीकरण न कराये जाने के कारण शुल्कों का कम आरोपण पंजीयन विभाग के ध्यान में नहीं आ सका।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014) एवं निर्गम सम्मेलन में चर्चा की गई। प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2014) में तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी सिविल सर्जन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कम मुद्रांक शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क की वसूली करने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

⁶ 1 अप्रैल 2008 से 7.5 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल 2011 से 5.0 प्रतिशत पुनरीक्षित।

⁷ अनुसूची 1 अ के अनुभाग 33 (स)।

⁸ पंजीयन शुल्क के तालिका के अनुच्छेद-II।

⁹ गुना (सितम्बर 2013), हरदा (अगस्त 2013), जबलपुर (अक्टूबर 2013), मंदसौर, (अगस्त 2013), सतना, शाजापुर, उज्जैन (अक्टूबर 2013)।

3.1.4 गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मरीजों के उपचार के लिए सहायता का अनियमित भुगतान

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मरीजों के उपचार के लिए राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों को ₹ 1.01 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

राज्य बीमारी सहायता निधि योजना मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 1997 में 20 अधिसूचित बीमारियों¹⁰ के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के मरीजों के उपचार के लिए प्रारंभ की गई थी। जिला स्तर समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण ₹ 1 लाख तक एवं राज्य स्तरीय समिति¹¹ द्वारा ₹ 2 लाख तक की वित्तीय सहायता स्वीकृति हेतु आर्थिक सीमा निर्धारित की गई थी। राशि मान्यता प्राप्त अस्पतालों द्वारा प्रमाणित अनुमानित लागत के आधार पर चयनित नामिकागत स्वास्थ्य संस्था को अग्रिम रूप से सीधे देय थी। इसके अतिरिक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत लाभों का विस्तार करने के उद्देश्य से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार, जिसमें पति, पत्नी, अवयस्क बच्चे, आश्रित मां और पिता, आश्रित विधवा या परित्यक्त/तलाकशुदा पुत्री सम्मिलित है, को परिभाषित करते हुए निर्देश जारी किए (नवम्बर 2010)। अतः गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार का कोई अन्य सदस्य एवं गैर बी पी एल परिवारों के सदस्य इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं थे।

सात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी¹² के कार्यालयों में राज्य बीमारी सहायता निधि योजना से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2013 तथा जनवरी 2014) में प्रकट हुआ कि योजनांतर्गत ₹ 1.01 करोड़ की निधियां मई 2011 से जनवरी 2014 के मध्य 106 अपात्र हितग्राहियों¹³ को संस्वीकृत की गई थीं, क्योंकि वे संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं के 2010 के आदेश में परिभाषित बी पी एल परिवार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते थे, जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2014) एवं निर्गम सम्मेलन में चर्चा की गई। प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2014) में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए प्रकरणों में उपयुक्त कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा योजना के उद्देश्यों के लिए परिवार की परिभाषा पर पुनः परिभाषित/पुनः विचार किया जाएगा।

तथ्य यह है कि परिवार की विद्यमान परिभाषा के अंतर्गत अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया जाना अनियमित था।

10 कैंसर, रेनल सर्जरी एवं रेनल ट्रांसप्लांटेशन, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ब्रेन इंज्युरी, स्पाइनल सर्जरी, रेटीनल डिटेचमेंट, पोस्ट डिलीवरी कम्प्लीकेशन, हार्ट सर्जरी, थोरासिक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, एम डी आर, पेस मेकर, वस्कुलर सर्जरी, कर्डीनेटल मेल फार्मेशन, अप्लास्टिक अनेमिया, बर्न एवं पोस्ट बर्न कंडक्टर, क्रोनिक रेनल डिस्बीज, स्वाइन फ्लू (पी कटेगरी)।

11 शासन के पुनरीक्षित आदेश के अनुसार प्रकरणों की स्वीकृति संभागीय आयुक्त द्वारा दिया जाना था। (सितम्बर 2012)।

12 भोपाल, दमोह, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, शिवपुरी एवं टीकमगढ़।

13 सास-सशुर-19; वयस्क पुत्र -68; अवयस्क पोता/पोती -8; वयस्क भाई-5; साला/साली-4; बी पी एल कार्ड के बिना -1; राशन कार्ड में आवेदक का नाम नहीं -1।

महिला एवं बाल विकास विभाग

3.1.5 परिवहन प्रभार का अनियमित भुगतान

पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए ₹ 80.46 लाख के परिवहन प्रभार का अनियमित भुगतान किया गया।

मध्य प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग ने नगरीय क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी किए थे (अगस्त 2009)। विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों (अगस्त 2009) के अनुसार स्व सहायता समूहों को पके हुए भोजन की आपूर्ति आंगनबाड़ी केंद्रों पर करनी थी, जिसके लिए परिवहन प्रभार का भुगतान नहीं किया जाना था।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग मंदसौर, रीवा तथा शहडोल के कार्यालयों में फरवरी 2013 से जनवरी 2014 के दौरान आपूर्ति किए गए पूरक पोषण आहार के लिए किए गए भुगतान से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा तथा इसके अतिरिक्त संग्रहीत (मई 2014) जानकारी से प्रकट हुआ कि अप्रैल 2010 से नवम्बर 2013 के दौरान नगरीय क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार की आपूर्ति के लिए स्व सहायता समूहों को जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ₹ 80.46 लाख¹⁴ का परिवहन प्रभार के रूप में भुगतान किया गया। विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आदेश अक्टूबर 2009, जिसके अनुसार स्व सहायता समूहों को परिवहन प्रभार देय था को अंगीकृत करते हुए परिवहन प्रभार का भुगतान किया गया था। यह विभाग द्वारा अगस्त 2009 में नगरीय क्षेत्रों के लिए जारी निर्देशों का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किए जाने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी मंदसौर ने उत्तर (अगस्त 2014) दिया कि संपूर्ण राशि की वसूली कर ली गई है, जिला कार्यक्रम अधिकारी रीवा ने बताया (अगस्त 2014) कि ₹ 36.82 लाख की वसूली कर ली गई है तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी शहडोल द्वारा ₹ 13 लाख की वसूली (मई एवं सितम्बर 2014) कर ली गयी है तथा यह भी बताया कि शेष राशि की वसूली जारी है। इस तरह ₹ 80.46 लाख में से ₹ 25.33 लाख की वसूली अभी की जानी शेष थी (सितम्बर 2014)।

संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्य प्रदेश, भोपाल ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं सभी कलेक्टरों को निर्देश (मई 2014) दिए कि नगरीय आंगनवाड़ी केंद्रों में स्व सहायता समूहों को परिवहन प्रभार का भुगतान अनियमित है एवं इसकी तत्काल वसूली की जानी चाहिए।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2013 एवं जून 2014) एवं अनुस्मारक जारी किया गया (अक्टूबर 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

3.2 असावधानी/प्रशासनिक नियंत्रण में विफलता

सरकार का दायित्व है कि वह जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करे। जिसके लिए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास तथा अधोसंरचना एवं लोक सेवा के उन्नयन के क्षेत्र आदि में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कार्य करती है। तथापि लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए जिनमें समुदाय के लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के लिए सरकार द्वारा दी गई निधियां अप्रयुक्त/अवरुद्ध रहीं और/अथवा विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्रवाई के अभाव के कारण निष्फल/अनुत्पादक सिद्ध हुईं। कुछ ऐसे प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया गया है।

¹⁴

शहडोल ₹ 31.59 लाख, रीवा ₹ 43.56 लाख एवं मंदसौर ₹ 5.31 लाख।

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

3.2.1 आवासीय परियोजनाओं पर अतिरिक्त व्यय

मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड द्वारा एक आवासीय परियोजना के अपूर्ण कार्य को अन्य ठेकेदार को पुनः प्रदान करने के कारण ₹ 1.07 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया। ठेकेदार के साथ अनुबंध में कमी के कारण, चूककर्ता ठेकेदार से केवल ₹ 48.73 लाख की वसूली की जा सकी थी।

मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड (बोर्ड) ने निर्माण कार्यों के लिए मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग नियमावली 1983 को अंगीकृत किया (नवम्बर 1990)। नियमावली की कंडिका 2.089 के अनुसार मानक फार्म पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार के अनुमोदन से संशोधित किये जाने थे।

नियमावली के संविदा खंड 3 (अ) द्वारा संविदा का रद्द करना एवं संविदा की प्रतिभूति जमा कर जब्त किया जाना उपबंधित था। इसी नियमावली के खंड 3 (स) के अनुसार “ठेकेदार के कार्य को मापने और उससे कार्य के अनिष्पादित भाग को वापिस लेने और पूर्ण करने के लिए दूसरे ठेकेदार को देने की स्थिति में कोई व्यय जो मूल ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि यदि पूरा कार्य उसके द्वारा किया गया होता से अधिक हो, (आधिक्य राशि जिसका संभागीय अधिकारी द्वारा लिखित प्रमाण पत्र अंतिम और निश्चयात्मक होगा) मूल ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा और शासन द्वारा उसको अनुबंध के अंतर्गत अथवा अन्यथा देय किसी भी राशि से अथवा उसकी सुरक्षा जमा अथवा उससे संबद्ध विक्रय से प्राप्त राशि या उसके पर्याप्त अंश से काटा जाएगा।”

बोर्ड ने जबकि मध्य प्रदेश निर्माण कार्य विभाग नियमावली को अपनाया, राज्य सरकार की सहमति प्राप्त किए बिना ही संविदा की शर्त खंड 3 (सी) को विलोपित कर दिया (फरवरी 2002)। हमने देखा कि संविदा की शर्तों में खंड 3 (सी) के स्थान पर चूककर्ता ठेकेदार से अतिरिक्त लागत की वसूली, यदि कोई हो, हेतु अन्य कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया।

कार्यपालन यंत्री, बोर्ड डिवीजन इंदौर के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2013) एवं आगे संग्रहीत की गई जानकारी (अप्रैल 2014) से प्रकट हुआ कि राऊ जिला इंदौर में 75 ई.डब्ल्यू.एस. आवासों तथा 75 एल आई जी आवासों के निर्माण कार्य ठेकेदार 'अ' को ₹ 4.61 करोड़ में 15 माह अर्थात् अक्टूबर 2011 तक पूर्ण करने हेतु दिया गया (जुलाई 2010) था जिसे मार्च 2013 तक बढ़ा दिया गया था। ठेकेदार कार्य को बढ़ी हुई अवधि में भी पूर्ण करने में असफल रहा। कार्यपालन यंत्री बोर्ड डिवीजन, इंदौर ने अनुबंध के खंड 3 (अ) के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन में देरी के कारण को बताते हुए संविदा को निरस्त कर दिया (जनवरी 2013)। किए गये कार्य का मूल्य ₹ 2.50 करोड़ था। मूल ठेकेदार द्वारा छोड़े गए शेष कार्य मूल्य ₹ 2.11 करोड़¹⁵ को ठेकेदार 'ब' को ₹ 3.18 करोड़ में अर्थात् ₹ 1.07 करोड़ बढ़ोत्तरी के साथ दिया गया (सितम्बर 2013) था।

यह देखा गया कि अतिरिक्त सचिव, मण्डल भोपाल द्वारा मूल ठेकेदार द्वारा छोड़े गए शेष कार्य के लिए निविदा का अनुमोदन (अगस्त 2013) करते हुए कार्यपालन यंत्री, मण्डल संभाग, इंदौर को चूककर्ता ठेकेदार के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने एवं

¹⁵ पूर्ण कार्यों का अनुबंध लागत ₹ 4.61 करोड़ - ₹ 2.50 करोड़ जनवरी 2013 तक किए गए कुल कार्यों की लागत।

अतिरिक्त लागत (₹ 106.53 लाख) की वसूली करने हेतु कानूनी सलाह लेने के निर्देश दिए। संभाग ने ठेकेदार की प्रतिभूति जमा राशि ₹ 48.73 लाख¹⁶ जब्त कर ली (अगस्त 2013)। तथापि अप्रैल 2014 तक ठेकेदार से शेष राशि ₹ 57.80 लाख की वसूली नहीं की जा सकी। कानूनी सलाह के अनुसार (अक्टूबर 2013) अनुबंध में आवश्यक प्रावधानों के अभाव में कार्य की अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं की जा सकी।

बोर्ड ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि ₹ 48.73 लाख की वसूली कर ली गई थी एवं संविदा से खंड 3 (सी) हटा दिए जाने के कारण ठेकेदार से शेष राशि (₹ 57.80 लाख) की वसूली संभव नहीं थी। यह भी बताया गया कि संपत्तियों का विक्रय मूल्य बोर्ड द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित किया जाता है, बोर्ड को हानि का प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि बोर्ड के मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के खण्ड 3 (सी) को हटाए जाने के निर्णय से ठेकेदार को ₹ 57.80 लाख का वित्तीय लाभ हुआ। इसके परिणामस्वरूप संपत्तियों की बढ़ी हुई कीमत में रूप में हितग्राहियों पर वित्तीय भार पड़ सकता है।

तथापि, दिसम्बर 2014 में मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड ने सूचित किया कि मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनरीक्षित निविदा फार्म अंगीकृत किया गया है (नवम्बर 2014), जिसमें मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत भू-राजस्व के रूप में ठेकेदारों से वसूली का खंड सम्मिलित है।

प्रकरण को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी एवं जून 2014) तथा स्मरण पत्र जारी किये गये (अगस्त एवं अक्टूबर 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.2.2 विद्युत प्रभार पर परिहार्य व्यय

उच्च संविदा मांग के लिए अनुबंध का निष्पादन तथा औसत मासिक ऊर्जाकारक का संधारण न करने के कारण बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर ने विद्युत प्रभार पर ₹ 1.04 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

अधिष्ठाता, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर ने महाविद्यालय के लिए 2200 के व्ही ए उच्च दाब विद्युत की आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड¹⁷ के साथ फरवरी 2010 में एक अनुबंध निष्पादित किया। संविदा मांग बाद में (फरवरी 2013) 2200 के व्ही ए से कम करते हुए 1200 के व्ही ए कर दी गई। महाविद्यालय द्वारा आवश्यक लोड का आकलन न्यूनतम मांग एवं म.प्र.आवास बोर्ड द्वारा दिये गये लोड के आधार पर किया गया था।

अनुबंध एवं लागू उच्च दाब प्रशुल्क के अनुसार, यदि ऊर्जा का उपभोग संविदा मांग से 90 प्रतिशत से कम था, महाविद्यालय को संविदा मांग का न्यूनतम 90 प्रतिशत प्रभार का भुगतान करना आवश्यक था। इसी तरह, महाविद्यालय को 90 प्रतिशत औसत मासिक ऊर्जा कारक को बनाये रखना आवश्यक था। आवश्यक ऊर्जा कारक को बनाये रखने में असफल होने पर अतिरिक्त प्रभार लगाया जायेगा।

इसके अतिरिक्त, उच्च दबाव प्रशुल्क की सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, महाविद्यालय को उस श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट संविदा मांग के प्रत्येक के व्ही ए के लिए

¹⁶ धरोहर राशि ₹ 2.38 लाख; सुरक्षा निधि ₹ 12.44 लाख; निष्पादन गारंटी ₹ 9.22 लाख; विविध जमा (धीमी गति से प्रगति इत्यादि) ₹ 4.30 लाख एवं अंतिम भुगतान राशि ₹ 20.39 लाख।

¹⁷ एसेल विद्युत वितरण सागर प्राइवेट लिमिटेड (जनवरी 2013 से)।

यूनिटों की संख्या के आधार पर चाहे वर्ष के दौरान ऊर्जा की खपत हुई हो या नहीं गारंटित वार्षिक न्यूनतम खपत बिल (के डब्लू एच) दिया जाना था। यदि वास्तविक खपत उपर्युक्त वर्णित न्यूनतम खपत से कम हो तो उपभोक्ता को प्रत्येक माह उसकी श्रेणी के लिए (निर्धारित) गारंटित वार्षिक न्यूनतम खपत (के डब्लू एच) का 1/12 बिल दिया जाना था। यदि माह के दौरान वास्तविक खपत वार्षिक न्यूनतम खपत के बराबर या अधिक होती है तो वित्त वर्ष के अनुवर्ती माहों में मासिक न्यूनतम खपत का बिल नहीं दिया जाएगा। संबंधित श्रेणी के प्रशुल्क अनुसूची की विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुसार गारंटित वार्षिक न्यूनतम खपत निश्चित की गई थी।

भुगतान किए गए देयकों एवं महाविद्यालय के संबंधित अभिलेखों की जांच (मई 2013) एवं इसके अतिरिक्त संग्रहीत जानकारी (अप्रैल 2014) से प्रकट हुआ कि महाविद्यालय द्वारा विद्युत का उपभोग मूल एवं अनुपूरक अनुबंधों में निर्धारित मांग के 90 प्रतिशत की सीमा से कम था। महाविद्यालय को वास्तविक विद्युत उपभोग और आपूर्ति की अनुबंधित मांग के मध्य अंतर के लिए ₹ 70.27 लाख का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त छह माह¹⁸ में मासिक औसत विद्युत कारक निर्धारित 90 प्रतिशत से कम था, औसत मासिक विद्युत कारक का अनुरक्षण नहीं किए जाने के कारण ₹ 1.57 लाख शास्त्रित के रूप में भुगतान किए गए थे। विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दर्शाए गए हैं। इससे यह दर्शित हुआ कि मूल अनुबंध आवश्यकता के सही आकलन पर आधारित नहीं था एवं अनुपूरक अनुबंध भी पिछले वास्तविक उपभोग पर आधारित नहीं था।

इसके अतिरिक्त अप्रैल और मई 2013 को छोड़कर अगस्त 2012 से जुलाई 2013 के दौरान कम उपभोग होने के कारण गारंटित वार्षिक न्यूनतम उपभोग भी प्राप्त नहीं किया जा सका जिसके कारण ₹ 31.85 लाख¹⁹ का अधिक भुगतान हुआ। विवरण **परिशिष्ट 3.8** में दर्शाए गए हैं। इस तरह, सही विद्युत लोड, औसत मासिक विद्युत कारक एवं गारंटित वार्षिक न्यूनतम खपत को बनाए रखने में असफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 1.04 करोड़ (₹ 70.27 लाख + ₹ 1.57 लाख + ₹ 31.85 लाख) का परिहार्य व्यय हुआ। इससे महाविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई न करना दर्शित हुआ क्योंकि विद्युत उपभोग को सुधारने एवं कैपेसिटर के उपयोग द्वारा विद्युत कारक को सुधारने के लिए प्रयास नहीं किए गए थे।

सरकार ने बताया (जुलाई 2014) कि महाविद्यालय के पास तकनीकी स्टाफ न होने से भार (load) का आकलन मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया गया था। बोर्ड द्वारा महाविद्यालय भवन के निर्माण में देरी के कारण, चिकित्सा महाविद्यालय के साथ संलग्न अस्पताल को पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं बनाया जा सका था एवं आवश्यक उपकरण/यंत्र स्थापित नहीं किए जा सके थे। अतः विद्युत भार का पूर्णतः उपयोग नहीं हुआ था। तथापि बोर्ड को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) सागर को भी वास्तविक खपत का आकलन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं (मई 2014)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भार (load) का आकलन क्रियाशील गतिविधियों के आधार पर किया जाना चाहिए था। संविदा मांग 2200 के व्ही ए से 1200 के व्ही ए कम करते हुए भी महाविद्यालय ने इस पहलू पर विचार नहीं किया परिणामस्वरूप अधिक भुगतान हुआ।

¹⁸ अगस्त 2012, सितम्बर 2012, फरवरी 2013, मार्च 2013, अप्रैल 2013 एवं मई 2013।

¹⁹ कंपनी द्वारा देयक में ₹ 11.55 लाख 'शैक्षणिक संस्था' के स्थान पर गलती से 'अन्य' टेरिफ शामिल किया गया था।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3.2.3 राज्य बोर्ड को कर्मकार कल्याण उपकर का प्रेषण नहीं किया जाना

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को कर्मकार कल्याण उपकर ₹ 3.84 करोड़ का प्रेषण नहीं किया गया।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये कर्मकारों को आवासों के निर्माण, बच्चों की शिक्षा, मुख्य बीमारियों के उपचार के लिये चिकित्सा व्यय एवं अन्य कल्याण उपाय के लिये कर्ज एवं अग्रिम के उद्देश्यों के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु म.प्र.शासन ने केन्द्रीय अधिनियम 1996 के अनुसरण में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार का नियमन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2002 बनाये। अप्रैल 2003 में, सरकार ने म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया, जिसके अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। मई 2003 में, ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों से संबंधित राशि पर एक प्रतिशत कर्मकार कल्याण उपकर लगाना अनिवार्य कर दिया था। संबंधित विभागों द्वारा इस तरह संग्रहीत किया गया उपकर संग्रहण/कटौती के एक माह के अंदर म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि में डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा कराया जाना था।

छः कार्यपालन यंत्रियों²⁰, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभिलेखों की नमूना जांच एवं इसके अतिरिक्त इन कार्यालयों से संग्रहीत जानकारी (मई और जून 2014) से प्रकट हुआ कि दिसम्बर 2006 से अप्रैल 2014 की अवधि के दौरान ₹ 3.84 करोड़²¹ के कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती ठेकेदारों के निर्माण बिलों से की गई थी। तथापि, किसी भी कार्यपालन यंत्री ने, बोर्ड को उपकर प्रेषित नहीं किया, जो कि मई 2003 के आदेशों के तहत आवश्यक था। कार्यपालन यंत्रियों ने धन को सिविल जमा/राजस्व शीर्ष 'श्रम एवं रोजगार -0230' के तहत रखा था।

इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा द्वारा किये गये सत्यापन (मई, जून एवं नवम्बर 2014) से प्रकट हुआ कि लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने के पश्चात पांच कार्यपालन यंत्रियों अशोकनगर, बुरहानपुर, देवास, खरगौन एवं सतना ने ₹ 1.55 करोड़²² बोर्ड को प्रेषित किये थे, शेष राशि ₹ 2.29 करोड़ प्रेषित की जानी थी।

इस तरह, कार्यपालन यंत्रियों द्वारा सरकार के मई 2003 के आदेशों के पालन न करने के कारण, संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि उपकर की राशि से वंचित रहा।

सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (नवम्बर 2014) कि राजस्व शीर्ष श्रम विभाग के 0230 में जमा की गई उपकर की राशि को वापस लेने एवं इसे बोर्ड को अंतरित करने की कार्रवाई जारी है। सभी कार्यपालन यंत्रियों को उपकर की राशि को निर्धारित अवधि में बोर्ड में जमा करवाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। विलम्ब की स्थिति में, श्रम विभाग द्वारा शास्ति अधिरोपित की जायेगी एवं उपकर की राशि जमा न कराने पर जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी एवं शास्ति संबंधित कार्यपालन यंत्री से वसूली जायेगी।

²⁰ अशोक नगर (जुलाई 2013), बुरहानपुर (दिसम्बर 2013), देवास (जुलाई 2013), झाबुआ (अक्टूबर 2013), खरगौन (अप्रैल 2013) तथा सतना (अक्टूबर 2013)।

²¹ अशोक नगर (12/06 से 6/13) ₹ 50.68 लाख, बुरहानपुर (01/10 से 4/14) ₹19.94 लाख, देवास (4/12 से 3/14) ₹ 55.26 लाख, झाबुआ (7/10 से 4/14) ₹ 23.47 लाख, खरगौन (7/10 से 3/14) ₹ 2.06 करोड़ एवं सतना (9/11 से 9/13) ₹ 28.15 लाख।

²² अशोक नगर (₹ 50.68 लाख), बुरहानपुर (₹ 10.65 लाख), देवास (₹ 52.14 लाख), खरगौन (₹ 13.58 लाख) एवं सतना (₹ 28.15 लाख)।

शिवल सज्जन सह अस्पताल अधीक्षक, मदरस (अगस्त 2013); मुख्य शिक्षिका एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सु वि खा अ), नीमच एवं सी एच सी मनासा सु वि खा अ के अधीन, नीमच (अक्टूबर 2013); सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, (वि खा स), नीमच (अक्टूबर 2013) एवं शिवल सज्जन, टीकमगढ़ (नवम्बर 2013)।

23

स. क्र.	इकाई का नाम	दुकानों की संख्या	संगठित प्रीमियम राशि (₹ लाख में)
1	शिवल सज्जन, मदरस	56	243.19
2	सी.एम.एच.ओ., नीमच	10	16.53
3	सी.एच.सी., मनासा, सी.एम.एच.ओ., नीमच	05	44.27
4	सचिव, डी.एच.एस., नीमच	32	82.42
5	शिवल सज्जन, टीकमगढ़	30	48.42
	योग	133	434.83

वाहिए था, विवरण निम्नानुसार है:

राज्य सरकार की समिति से आय को राज्य की सचिव निधि में जमा कराया जाना इतिपूर्णा तरीके से रोगी कल्याण समिति के बैंक खाते में जमा करा दिया गया है, जबकि द्वारा दुकानों का पट्टे पर देकर संगठित किये गये प्रीमियम राशि ₹ 4.35 करोड़ अनाधिकतम रूप से दुकानें निजी व्यक्तियों को पट्टे पर दे दी। रोगी कल्याण समिति यथापि, समिति का स्वामित्व राज्य सरकार के पास था, रोगी कल्याण समिति ने कॉम्प्लैक्स का निर्माण कर भूमि के उपयोग को अनाधिकतम रूप से बदल दिया गया। दौरान ₹ 4.35 करोड़ प्रीमियम का संग्रहण किया। इस तरह, अस्पताल भूमि पर शीपिंग अस्पताल की भूमि पर दुकानों का निर्माण कराया एवं 1998 से 2013 की अवधि के जब (अगस्त-नवम्बर 2013) में प्रकट हुआ कि रोगी कल्याण समिति ने शासकीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत चार कार्यालयों के अभिलेखों की नर्माना गणित्यक उद्देश्यों हेतु आतिरिक्त निधियाँ जुटाने हेतु कर सकती है।

को न बदलते हुए रोगी कल्याण समिति अस्पताल की अत्युत्तम भूमि का उपयोग निर्धारित किया गया था कि अस्पताल की मूल क्षमताओं तथा अस्पताल भूमि के उपयोग पूर्णतः समिति है। रोगी कल्याण समिति की गतिविधियों के नियम 3 के अनुसार, यह रोगी कल्याण समिति, मध्यप्रदेश समिति पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत एक मरीजों के कल्याण एवं शासकीय अस्पतालों में सुविधाओं के उन्मयन के उद्देश्यों हेतु सकती है।

महल द्वारा बैंक विनियोग परचाल सहायता अनुदान के रूप में राशि वापस दी जा विसे सरकारी संस्था से संबंधित किसी कार्य का दायित्व सौंपा गया है, उसे विधान की समिकत निधि के बाहर रखा जाए। यह भी कि यदि कोई निकाय अथवा व्यक्ति यह अपेक्षा न करे कि राज्य के राजस्व के रूप में उसके द्वारा प्राप्त कोई भी धन राज्य और राज्य की समिकत निधि में समाविष्ट किया जाएगा। सरकार का कोई भी विभाग अथवा सार्वजनिक धन कोषालय अथवा बैंक में पूरा का पूरा आविर्ब जमा किया जाएगा को दिया गया संपूर्ण धन अथवा राज्य सरकार द्वारा संचित अथवा प्राप्त किया गया धन म.प्र.कोषालय सचिवा के नियम 7(1) में यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा प्राप्त अथवा

करोड़ इतिपूर्णा तरीके से प्रतिधारित रखे।

रोगी कल्याण समिति ने शीपिंग कॉम्प्लैक्स निर्माण के लिये शासकीय भूमि का अनाधिकतम उपयोग किया एवं राज्य की सचिव निधि से बाहर ₹ 4.35

3.2.4 रोगी कल्याण समिति द्वारा शासकीय भूमि का अनाधिकतम उपयोग एवं प्राप्ति का इतिपूर्णा प्रतिधारण

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

इस तरह, रोगी कल्याण समितियों द्वारा शासकीय भूमि का निधियों के स्रोत के रूप में अनाधिकृत उपयोग किया। चूंकि शासकीय भूमि जिस पर ये दुकानें बनाई गई थीं, सरकार द्वारा रोगी कल्याण समिति को पट्टे पर नहीं दी गई थी, रोगी कल्याण समिति द्वारा उसे निजी व्यक्तियों को उप पट्टे पर दिया जाना अधिकृत नहीं था।

इस ओर इंगित किये जाने पर, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ ने पुष्टि की (अगस्त 2014) कि रोगी कल्याण समिति केवल भूमि के उपयोग को बदले बिना अस्पताल भूमि का उपयोग करने के लिये अधिकृत थी एवं न तो रोगी कल्याण समिति को भूमि का पट्टा दिया गया था और न ही रोगी कल्याण समिति शासकीय भूमि को उप पट्टे पर देने हेतु अधिकृत थी। निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2014) में, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने बताया कि अस्पतालों की भूमि के उपयोग के रोगी कल्याण समिति के अधिकार को निलंबित करने हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं। भविष्य में दुकानों का निर्माण/आवंटन नहीं किया जायेगा एवं अस्पताल परिसर का उपयोग वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु नहीं किया जायेगा तथा केवल अस्पताल विस्तार हेतु उपयोग किया जायेगा। बेदखली एवं अन्य सख्त कार्रवाई की जावेगी।

इन दुकानों पर प्रीमियम के माध्यम से रोगी कल्याण समिति द्वारा संग्रहीत की गई धनराशि जिसे रोगी कल्याण समिति ने अपने पास रखा हुआ था एवं शासकीय खाते में जमा नहीं किया था, के संबंध में सरकार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया।

3.2.5 ट्रामा केयर केन्द्रों (टी.सी.सी.) का संचालन

उपकरणों (₹1.05 करोड़) का उपाजन न करने/निष्क्रियता, निधियों का उपयोग अमान्य मदों (₹ 0.71 करोड़) पर किए जाने, एम्बुलेन्सों का संचालन न किए जाने तथा मानव-शक्ति की कमी के कारण मध्य प्रदेश में स्थापित ट्रामा केयर केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं थे।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आपात सेवाओं के संवर्धन तथा उन्नयन हेतु, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1997-2007) के दौरान पॉयलट परियोजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को पांच जिला चिकित्सालयों²⁴ तथा दो चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालयों²⁵ के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-2012) के दौरान पूर्व से चिन्हित दो चिकित्सालयों (ग्वालियर एवं शिवपुरी) को स्तर-II के उन्नयन के लिए तथा तीन नए जिला चिकित्सालयों (नरसिंहपुर, सागर तथा सिवनी) को टी.सी.सी. के विकास के लिए चयनित किया गया था।

पांच टी.सी.सी.²⁶ (मई से सितम्बर 2014) के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने उपकरण तथा मानव-शक्ति की कमी पायी जिसने टी.सी.सी. के संचालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, जिन पर नीचे चर्चा की गई है:

टी.सी.सी. की स्थापना के लिए भारत सरकार की निधियां भवन, उपकरण, मानव-शक्ति तथा एम्बुलेन्स घटकों के अन्तर्गत प्रदान की गई थी। उपकरण के रखरखाव, अमले का वेतन, संविदा अमले का दायित्व (2011-12 के पश्चात), स्वच्छता कार्य इत्यादि पर व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाना था। हमने पाया कि अवधि 2010-14 के दौरान ग्वालियर, रतलाम तथा शिवपुरी टी.सी.सी. द्वारा भारत सरकार के अनुदान से ₹ 70.80 लाख का व्यय अमान्य मदों पर किया गया था जैसे संविदा अमले का वेतन, उपकरणों का रखरखाव, सफाई तथा सुरक्षा, छपाई कार्य इत्यादि। विवरण परिशिष्ट 3.9 में दिया गया है।

²⁴ गुना, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी तथा उज्जैन।

²⁵ ग्वालियर तथा इन्दौर।

²⁶ ग्वालियर, इन्दौर, रतलाम, शिवपुरी तथा उज्जैन।

दसवीं योजना अवधि के दौरान भारत सरकार ने प्रत्येक टी.सी.सी. के लिए 10 आवश्यक उपकरणों की अधिप्राप्ति निर्धारित की थी। तदनुसार वर्ष 2005-11 के दौरान सिविल सर्जन, शिवपुरी द्वारा टी.सी.सी. के लिए ₹ 64.33 लाख मूल्य के उपकरण/ सामग्री की अधिप्राप्ति की। हमने पाया कि फरवरी से मार्च 2006 के दौरान अधिप्राप्ति किए गए ₹ 35.11 लाख मूल्य के सात उपकरणों²⁷ को मात्र जुलाई से अक्टूबर 2013 के दौरान टी.सी.सी. को जारी किया गया अर्थात् उपार्जन के दिनांक से सात से आठ वर्षों के विलम्ब के पश्चात्, जिसने टी.सी.सी. के संचालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इस ओर इंगित किए जाने पर सिविल सर्जन, शिवपुरी ने कहा कि विलम्ब मुख्य रूप से मानव-शक्ति की कमी के कारण था।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने स्तर-II टी.सी.सी. के लिए 30 आवश्यक उपकरणों की अधिप्राप्ति निर्धारित की थी। हमने देखा कि टी.सी.सी. ग्वालियर में 14 निर्धारित आवश्यक उपकरण तथा टी.सी.सी. शिवपुरी में 12 निर्धारित आवश्यक उपकरण उनके पास क्रमशः राशि ₹ 2.20 करोड़ तथा ₹ 2.06 करोड़ की उपलब्धता के बावजूद अधिप्राप्ति नहीं की गयी थी (परिशिष्ट 3.10)।

हमने यह भी देखा (जुलाई 2014) कि टी.सी.सी. ग्वालियर में सितम्बर 2011 में अधिप्राप्ति किए गए ₹ 70.26 लाख मूल्य के उपकरण²⁸ अक्टूबर-नवम्बर 2012/ फरवरी 2013 से कार्यशील नहीं थे। हमने देखा कि यद्यपि वारंटी अवधि सितम्बर 2014 तक वैध थी, उपकरणों की आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मरम्मत नहीं कराई गयी थी। अतः, टी.सी.सी. के संचालन के लिए आवश्यक उपकरण करीब दो वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं थे। विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दर्शाया गया है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा ग्वालियर तथा शिवपुरी के प्रत्येक टी.सी.सी. के लिए एक जीवन रक्षक एम्बुलेन्स प्रदान (अप्रैल 2013) की गई थी। अभिलेखों की जांच ने उद्घाटित किया कि एम्बुलेन्सों के संचालन के लिए कोई मानव-शक्ति स्वीकृत तथा तैनात नहीं की गई थी तथा इनका उपयोग मुख्य रूप से सामान्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। इसने ट्रामा मरीजों के परिवहन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

दसवीं तथा ग्यारहवीं योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार के दिशानिर्देशों ने विशेषज्ञों²⁹ तथा सहायक अमले³⁰ के लिए मानदण्ड निर्धारित किए थे तथा विभिन्न स्तरों के टी.सी.सी. के लिए मानव-शक्ति³¹ निर्धारित की थी। हमने देखा कि मार्च 2014 की स्थिति में विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य अमले के स्वीकृत पदों में निर्धारित मानदण्डों की तुलना में 11 से 100 प्रतिशत तक की कमी थी। स्वीकृत पदों के विरुद्ध भी वास्तविक कार्यरत मानव-शक्ति में 15 से 100 प्रतिशत के मध्य तक की कमी थी। मानव-शक्ति की कमी ने उपकरणों के उपयोग तथा एम्बुलेन्सों के संचालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। मानव-शक्ति की स्थिति **परिशिष्ट 3.12** में दी गई है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2014) में, शासन ने बताया कि आवश्यक उपकरणों की जून 2015 तक अधिप्राप्ति की जाएगी एवं आवश्यक मानव शक्ति मार्च 2015 तक स्वीकृत की जायेगी तथा भरी जायेगी। यह भी बताया गया कि सुसज्जित एम्बुलेन्सों को

27 एनास्थिसिया मशीन, सी.आर्म मोबाइल इमेज इंटेन्सीफायर, कॉर्डेक मॉनीटर, फुली ऑटोमेटिक क्लोनिकली केमिस्ट्री एनॉलाइजर, ओ.टी. लाइट सीलिंग माउन्टेड 80000 लक्स, सलाइन स्टैंड तथा वेंटिलेटर।

28 ऑटो ब्रेड गैस एनालाइजर तथा वेंटिलेटर।

29 दसवीं पंचवर्षीय योजना: 24 घण्टे की उपलब्धता के लिए जनरल सर्जरी, मेडिसिन तथा एनास्थिसिया के विशेषज्ञ।

30 दसवीं पंचवर्षीय योजना: 24 घण्टे की उपलब्धता के लिए नर्सिंग तथा अन्य तकनीकी स्टाफ (ईसीजी तकनीशियन, ओ.टी. सहायक/तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन)।

31 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना: स्तर-II टी.सी.सी.: नौ विशेषज्ञ, आठ चिकित्सा अधिकारी, 67 पैरा-मैडीकल स्टाफ तथा 15 अन्य स्टाफ।

“जननी एकसप्रेस” नियंत्रण कक्ष से संबद्ध करने तथा उन्हें मात्र अभीष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के निर्देश जारी किए जा चुके थे।

तथ्य यह है कि आवश्यक उपकरणों की अधिप्राप्ति न किए जाने, उपकरणों का उपयोग न किए जाने तथा आवश्यक मानव-शक्ति की कमी के कारण टी.सी.सी. पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं बनाए जा सके जिससे टी.सी.सी. की स्थापना के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

3.2.6 अकार्यशील प्रशिक्षण केंद्रों के स्टाफ को वेतन एवं भत्तों का भुगतान

प्रशिक्षित बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) (एम.पी.एच.डब्ल्यू) उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया गया था एवं 36 महीनों से 141 महीनों से कार्यशील नहीं रहे प्रशिक्षण केंद्रों पर तैनात स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 6.26 करोड़ का व्यय किया गया।

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में सात³² बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना (अगस्त 1988) की थी। जिला स्तर पर प्रशिक्षण केंद्रों का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं राज्य स्तर पर आयुक्त, स्वास्थ्य सेवा में निहित था। प्रत्येक केंद्र के लिए विभिन्न कैडरों³³ में 27 पद संस्वीकृत किए गए थे एवं वेतन तथा भत्तों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जानी थी। प्रत्येक केंद्र पर प्रत्येक वर्ष 60 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लोक स्वास्थ्य महत्व की बीमारियों के रोकथाम एवं नियंत्रण, स्वास्थ्य शिक्षा, महामारी प्रवण बीमारियों के पता लगाने एवं नियंत्रण इत्यादि के क्षेत्र में आधारभूत गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना था।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन (नवम्बर 2013), बड़वानी (दिसम्बर 2013) के अभिलेखों की नमूना जांच तथा इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन, बड़वानी एवं विदिशा से संग्रहीत की गई जानकारी (मई-जून 2014) से प्रकट हुआ कि इन केंद्रों पर कमशः अप्रैल 2009, जुलाई 2002 एवं अप्रैल 2011 से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए गए थे। हमने देखा कि संबंधित अवधि के दौरान (36 माह से 141 माह), उज्जैन में 18 स्टाफ, बड़वानी में 20-25 एवं विदिशा में 16 स्टाफ की पदस्थापना की गई थी एवं मार्च 2014 तक ₹ 6.26 करोड़ का व्यय उनके वेतन एवं भत्तों पर किया गया। जिलेवार एवं अवधिवार व्यय का विवरण निम्नानुसार था:

स. क्र.	जिले का नाम	अवधि	जिनको प्रशिक्षण दिया जाना था	प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	निरंक	प्रशिक्षण केंद्रों में स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर किया गया व्यय	पदस्थ पर
1	उज्जैन	4/2009 से 03/2014	300	निरंक		2.06	
2	बड़वानी	07/2002 से 03/2014	720	निरंक		2.96	
3	विदिशा	04/2011 से 03/2014	180	निरंक		1.24	
	योग		1200			6.26	

(स्रोत: संबंधित सी एम एच और द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

हमने यह भी देखा कि संचालनालय, स्वास्थ्य सेवा ने जिला प्रशिक्षण केंद्रों में पांच³⁴ बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता केंद्रों के स्टाफ का विलय करने/समायोजित करने का

32 बड़वानी, छिंदवाड़ा, गुना, रीवा, सागर, उज्जैन एवं विदिशा।

33 प्रमारी चिकित्सा अधिकारी-1, पब्लिक हेल्थ ट्यूटोर-2, हेल्थ एजुकैटर-2, सिनियर सैनिटरी इसपेक्टर-2, उच्च श्रेणी लिपिक-1, निम्न श्रेणी लिपिक-3, प्रशिक्षण केंद्र के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-6 तथा हॉस्टल के लिए-10।


34 बड़वानी, रीवा, सागर, उज्जैन एवं विदिशा।

निर्णय लिया (दिसम्बर 2013) एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस संबंध में प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देश दिए। तदनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बड़वानी ने संचालनालय को एक प्रस्ताव भेजा (जनवरी 2014), प्रस्ताव की स्वीकृति मई 2014 तक प्राप्त नहीं हुई थी।

इस तरह, इन तीन केन्द्रों में पदस्थ स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 6.26 करोड़ व्यय किए जाने के बावजूद, प्रशिक्षित बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था। ₹ 6.26 करोड़ के संपूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की गई थी।


प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2014) एवं निर्गम सम्मेलन में चर्चा की गई। प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2014) में तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि सरकार ने सागर और बड़वानी के प्रशिक्षण केन्द्रों को छोड़कर पांच प्रशिक्षण केन्द्रों को बंद करने एवं इन प्रशिक्षण केन्द्रों में तैनात स्टाफ के फेरबदल करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

ग्वालियर
दिनांक 25 फरवरी 2015


(सौरभ कुमार मल्लिक)
महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 26 फरवरी 2015


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ: कडिका 1.7, पृष्ठ 3)
30 सितम्बर 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की वर्षवार स्थिति

सं.क.	विभाग	वर्ष 2008-09 तक		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		योग	
		नि.प्र.	कडिका	नि.प्र.	कडिका	नि.प्र.	कडिका	नि.प्र.	कडिका	नि.प्र.	कडिका	नि.प्र.	कडिका	नि.प्र.	कडिका
	सामान्य क्षेत्र														
1.	गृह	27	48	06	10	09	13	23	96	46	134	05	33	116	334
2.	सामान्य प्रशासन	518	1207	11	55	81	223	81	289	53	188	67	318	811	2280
3.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	03	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03	05
4.	राजस्व	10	17	04	08	04	05	04	06	03	15	01	07	26	58
5.	जन सम्पर्क	4	7	0	0	0	0	01	05	0	0	02	03	07	15
6.	विधि और विधायी कार्य	89	127	09	22	14	33	08	12	01	02	01	02	122	198
7.	जेल	06	07	03	05	02	08	10	21	45	140	23	130	89	311
8.	योजना एवं सांख्यिकी	25	73	02	09	0	0	09	15	15	61	03	20	54	178
9.	वित्त	51	70	60	97	11	23	07	12	08	14	24	42	161	258
	योग	733	1561	95	206	121	305	143	456	171	554	126	555	1389	3637
	सामाजिक क्षेत्र														
10.	श्रम	38	58	06	16	02	08	05	36	12	48	01	04	64	170
11.	महिला एवं बाल विकास	319	556	75	139	61	119	65	180	146	590	98	548	764	2132
12.	पुनर्वास	09	22	01	02	01	03	0	0	0	0	01	01	12	28
13.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	214	577	19	59	09	35	10	29	09	39	27	115	288	854
14.	अनुसूचित जाति कल्याण	14	21	04	05	15	42	18	57	24	132	18	129	93	386
15.	अनुसूचित जनजाति कल्याण	155	246	34	65	57	122	51	151	80	306	56	309	433	1199
16.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	42	87	08	16	10	35	01	03	0	0	02	03	63	144
17.	खेल एवं युवा कल्याण	14	28	06	17	09	20	01	02	16	57	05	15	51	139
18.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	266	714	26	71	25	95	31	126	37	215	31	188	416	1409
19.	संस्कृति	26	55	10	14	06	11	05	14	14	70	01	13	62	177
20.	सामाजिक न्याय	158	360	07	27	21	73	25	116	13	82	04	24	228	682
21.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	401	1405	73	376	60	311	29	171	06	39	37	237	606	2539
22.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	300	515	71	254	65	145	21	49	151	780	155	1039	763	2782
23.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (आर.ई.एस.)	73	130	11	21	17	34	15	29	30	128	44	389	190	731
24.	स्कूल शिक्षा	1820	4054	108	297	68	200	49	102	45	194	61	470	2151	5317
25.	विकित्सा शिक्षा	69	150	10	32	11	41	6	7	16	65	16	68	128	363
26.	उच्च शिक्षा	363	806	14	35	33	172	12	87	23	192	36	344	481	1636
	योग	4281	9784	483	1446	470	1466	344	1159	622	2937	593	3896	6793	20688
	महायोग	5014	11345	578	1652	591	1771	487	1615	793	3491	719	4451	8182	24325

(स्रोत : कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: कंडिका 1.9, पृष्ठ 4)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र में सम्मिलित कंडिकाओं पर प्राप्त विभागीय उत्तरों की स्थिति

वर्ष	विभाग	31 अक्टूबर 2014 की स्थिति में लम्बित विभागीय उत्तर	राज्य विधानसभा में प्रस्तुति का दिनांक	विभागीय उत्तर प्राप्त होने का निर्धारित दिनांक
2005-06	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	01	26-7-2007	26-10-2007
	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	01	26-7-2007	26-10-2007
2008-09	राजस्व	01	28-7-2010	28-10-2010
2010-11	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	03	12-12-2012	12-03-2013
2011-12	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	01	11-1-2014	11-4-2014
	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	02		
	संस्कृति	01		
	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	01		
	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	01		
	सामाजिक न्याय	01		
	सामान्य प्रशासन	01		
	चिकित्सा शिक्षा	01		
	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	01		
	2012-13	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		
उच्च शिक्षा	01			
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	02			
आयुष	01			
महिला एवं बाल विकास	02			
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	03			
सामाजिक न्याय	01			
आवास एवं पर्यावरण	01			
स्कूल शिक्षा	01			
सामान्य प्रशासन	01			
चिकित्सा शिक्षा	01			
	योग	31		

(स्रोत : विधान सभा सचिवालय से प्राप्त पुष्टित आंकड़)

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: कडिका 2.1.8, पृष्ठ 11)

उद्योगों के श्रेणी-वार वर्गीकरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

लाल श्रेणी	नारंगी श्रेणी	हरा श्रेणी
सीमेंट	कपास कताई और बुनाई	खनिजीकृत जल (मिनरलाइज्ड जल)
ताप विद्युत संयंत्र	होटल और रेस्तरां	दाल मिलें
किण्वन सहित आसवानी उद्योग	शीतल पेय	बेकरी उत्पाद, बिस्कुट मिठाई
एल्युमिनियम स्मेल्टर	खाद्य यौगिक, पोषक तत्व और जायके	द्रुतशीतन संयंत्र और शीतगृह
टेनरीज	जैविक पोषक तत्व	कपास और ऊनी होजरी
उर्वरक	स्टोन क्रशर	हथकरघा बुनाई
इस्पात और लौह	आटा मिल (घरेलू आटा चक्की को छोड़कर)	खेल का सामान
संश्लेषित राल (सिंथेटिक रेजिन)	पीसने की इकाईयां (पलवेराइजिंग इकाईयां)	फाउंटेन पेन
चूना उत्पादन	मत्स्य प्रसंस्करण	सूटकेस और इस्पात के बक्से का निर्माण
बिजली उत्पादन संयंत्र (डी.जी. सैट्स को छोड़कर)	माल्टेड खाद्य पदार्थ	अनाज का दुरारोहण और प्रसंस्करण
फास्फोरस और उसके यौगिक	ऑटोमोबाइल सर्विसिंग और मरम्मत स्टेशन	वैज्ञानिक और गणितीय उपकरण
दुग्ध प्रसंस्करण और डेयरी उत्पाद	औद्योगिक इत्र और सुगन्ध	थर्मामीटर बनाना
हॉट मिक्स संयंत्र	शीट ग्लास से दर्पण का निर्माण	जूते (रबर)
चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उत्पाद	फल और सब्जी प्रसंस्करण सहित खाद्य	जल नरमीकरण और अखनिजीकृत संयंत्र
गोंद और जिलैटिन	एन.पी.के. उर्वरक/दानेदार बनाने का कार्य	ऑप्टिकल फ्रेम
बूचड़खाने और मांस प्रसंस्करण इकाईयां	फार्मास्यूटिकल्स सूत्रीकरण	खिलौने
सिंथेटिक डिटर्जेंट और साबुन	कॉफी बीन्स की लुगदी और किण्वन	रबर सामान उद्योग
अस्पताल	प्रयोगशाला बरतन	प्रिंटिंग प्रेस
भस्मीकरण संयंत्र	प्रयोगशाला रसायन	प्लास्टिक प्रसंस्कृत सामान

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: कंडिका 2.1.8.3, पृष्ठ 12)

नमूना जांच किये गये क्षेत्रीय कार्यालयों के अर्न्तगत म.प्र.प्र.नि.बो. की वैध सहमति के बिना कार्य कर रहे स्थानीय निकायों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्थानीय निकायों की कुल संख्या	बिना सहमति के कार्यरत स्थानीय निकायों की संख्या	सहमति के नवीनीकरण के बिना कार्यरत स्थानीय निकायों की संख्या	सहमति के नवीनीकरण के लिये प्राप्त होने वाली लम्बित राशि (₹ लाख में)
धार	18	10	02	0.31
ग्वालियर	32	14	16	1.21
इन्दौर	30	21	08	1.03
जबलपुर	48	34	14	3.46
सागर	50	18	31	0.48
सतना	11	02	07	0.45
उज्जैन	57	37	19	4.51
भोपाल	47	35	12	2.30
कुल	293	171	109	13.75

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: कडिका 2.1.8.5, पृष्ठ 13)

2009-10 से 2013-14 के दौरान नगर निगमों द्वारा स्वीकृत बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और सहमति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	नगर निगम का नाम	बिल्डिंग प्रोजेक्ट का नाम	निर्माण क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	परियोजना का विवरण	परियोजना की स्थिति (नगर निगम द्वारा सूचित किये अनुसार)	म.प्र.प्र.नि.बो. की सहमति की स्थिति
1.	ग्वालियर	मैसर्स साक्षी कंस्ट्रक्शन्स, ग्राम मेहरा, ग्वालियर	38951	आवासीय	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
2.		डी.पी.एस. प्रोजेक्ट, ग्राम ओहदपुर, ग्वालियर	20344.39	आवासीय	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
3.		मैसर्स श्री कृष्ण ग्रह निर्माण, ओहदपुर, ग्वालियर	32793	आवासीय	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
4.		मैसर्स राज बिल्डर्स, ओहदपुर, ग्वालियर	28310.60	आवासीय	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
5.		मैसर्स सालासर बालाजी रियल ईस्टेट प्राय. लिमि., ओहदपुर, ग्वालियर	41841.64	आवासीय	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
6.		मैसर्स केशर इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेसकोर्स रोड, ग्वालियर	109889	वाणिज्यिक एवं आवासीय	निर्माणाधीन	सी.टी.ई. 16.04.2013 को दी गयी
7.		मैसर्स सनलाइफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, डोंगरपुर, ग्वालियर	107108.48	आवासीय	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
8.		मैसर्स ग्रेविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ओहदपुर, ग्वालियर	23113	आवासीय	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
9.		मैसर्स भास्कर हाईराइजिंग डेवलपर्स कं. प्रायवेट लिमि., मेहरा, ग्वालियर	97383.36	आवासीय	निर्माणाधीन	सी.टी.ई. 20.04.2012 को दी गयी
10.		मैसर्स रॉयल ऑटोमोबाइल्स प्रायवेट लिमि. शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर	4138.18	वाणिज्यिक	पूर्ण	नहीं ली गयी
11.	इन्दौर	मैसर्स पुष्परतन रीयलिटी प्राय. लिमि., ग्राम खजराना, इन्दौर	24925	आवासीय एवं वाणिज्यिक	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
12.		होप टैक्सटाइल लिमि., संचालक श्री कान्तीलाल 282/2 काछी मोहल्ला, इन्दौर	65411	वाणिज्यिक	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
13.		मैसर्स परिणय रिसोर्ट्स प्राय. लिमि., स्कीम न. 54, इन्दौर	8628	वाणिज्यिक	परिचलित	नहीं ली गयी
14.		मैसर्स आनन्द ट्रेडर्स, स्कीम न. 54, इन्दौर	4944	वाणिज्यिक	परिचलित	नहीं ली गयी
15.		मैसर्स कोरल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राय. लिमि., ग्राम कबीरखेड़ी	30118	आवासीय ग्रुप हाउसिंग	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
16.		मैसर्स हनीवेल प्रॉपरटीज प्राय. लिमि., ग्राम खजराना, इन्दौर	27830	वाणिज्यिक	----	नहीं ली गयी

17	इन्दौर	श्रीमती प्रीति सन्तोष भण्डारी, खजराना इन्दौर	2300	वाणिज्यिक	परिचलित	नहीं ली गयी
18		मैसर्स अमरदीप बिल्डर्स, निरंजनपुर, इन्दौर	31942	आवासीय	----	नहीं ली गयी
19		मैसर्स नाकोडा कन्स्ट्रक्शन्स, निरंजनपुर, इन्दौर	30687	आवासीय	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
20		लक्ष्मण नगर ग्रह निर्माण सहकारी संस्था, खजराना	134961	आवासीय	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
21		मैसर्स सुयश कन्स्ट्रक्शन्स, ग्राम छोटा बांगदा	24447	आवासीय	परिचलित	नहीं ली गयी
22		नमन इक्विपमेंट एंड कन्स्ट्रक्शन्स प्राय. लिमि., इन्दौर	23789	आवासीय	परिचलित	नहीं ली गयी
23		एच.आर.ए. डिजाइन प्रायवेट लिमिटेड	12353	आवासीय ग्रुप हाउसिंग 147 फ्लैट्स	परिचलित	नहीं ली गयी
24		बी.एस.एम. शैल्टर ईस्टेट इंडिया प्राय. लिमि., ग्राम भानगढ	20116	आवासीय 516 फ्लैट्स	परिचलित	नहीं ली गयी
25		सौरभ सेठी, ग्राम निपनिया, इन्दौर	6775	आवासीय 108 फ्लैट्स	परिचलित	नहीं ली गयी
26	भोपाल	राकेश लीला, ग्राम भागसेवनिया, भोपाल	64041	आवासीय एवं मल्टीप्लैक्स	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
27		कार्यपालन अभियंता, एम.पी. हाउसिंग बोर्ड, प्लेटिनम प्लाजा, भोपाल	31885	वाणिज्यिक सह आवासीय 104 फ्लैट्स	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
28		सुधीर अग्रवाल सागर लाइफ, भोपाल	37214	आवासीय बहु इकाई 480 फ्लैट्स	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
29		मैसर्स अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन्स धामखेडा विला, खसरा नं. -9/2, 112/1/2, भोपाल	30759	आवासीय 100 फ्लैट्स	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी
30		सत्य प्रकाश कॉलोनाईजर, ग्राम- बरवई, खसरा न. -243, 244/1/1 एवं अन्य, भोपाल	30414	आवासीय 210 फ्लैट्स	निर्माणाधीन	नहीं ली गयी

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.2, पृष्ठ 15)

2011-12 की तुलना में 2012-13 में नदी जल गुणवत्ता में अवनति और सुधार के विवरण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	नदी	नमूना बिन्दु	नदी जल गुणवत्ता	
			2011-12	2012-13
नदी जल गुणवत्ता में अवनति				
1	बेतवा	सड़क पुल के पास, पगनेश्वर, रायसेन	B	C
2		बैस नदी के मिलने के बाद, विदिशा	B	C
3		सतलापुर औद्योगिक विकास केन्द्र के पास, मण्डीदीप	B	D
4	देनवा	सारणी सड़क पुल, सारणी	B	C
5	धसान	ऊजानधारा रेल्वे पुल के पास, किशनपुरा	A	C
6	गम्भीर	कालारिया, महू	B	C
7	कटनी	ऊजानधारा नगर निगम अर्न्तग्रहण बिन्दु, कटनी	B	C
8	कन्हान	बोरेगांव विकास केन्द्र नाला में मिलने से पहले, छिंदवाड़ा	A	C
9	क्षिप्रा	इन्दौर सड़क पुल के पास, उज्जैन	A	D
10		महीदपुर सिटी की ऊजानधारा, जावरा	A	D
11		हवनखेडी, नागधामन नाला के संगम बिन्दु पर	A	E
12		मरेठी ग्राम, मंडकी और देवास नाला के संगम बिन्दु पर	B	D
13	कुन्दा	खरगौन	B	C
14	मुरना	आकाशवाणी के पास, शहडोल	B	C
15	परियट	खमरिया नाला में मिलने के बाद ग्राम मतामार के पास	B	D
16	सिमरार	ऊजानधारा एसीसी अर्न्तग्रहण बिन्दु के पास, कटनी	B	C
17	शिवना	पशुपतिनाथ मन्दिर के पास, मन्दसौर	C	D
18	ताप्ती	हाथनूर, इन्दौर	B	C
19		पीपलघाट, बुरहानपुर	B	C
नदी जल गुणवत्ता में सुधार				
1	बेतवा	ऊजानधारा रायसेन, मण्डीदीप	D	C
2		अर्न्तग्रहण धारा, रायसेन	C	B
3		ऊजानधारा रेल्वे पुल के पास, विदिशा	C	A
4	बिछिया	गोविन्दगढ़ पुल के पास, विदिशा	D	C
5	गुनूर	नहारिया खान मिलने के बाद, छिन्दवाड़ा	D	A
6	सोन	भतूराघाट पर, 200 मीटर अनुप्रवाह	D	B
7	खान	सांवेर रोड, इन्दौर	E	D
8	परियट	हीरन नदी में मिलने से पहले गनियारी ग्राम, जबलपुर	C	A

(A: पारंपरिक उपचार के बिना लेकिन कीटाणु मुक्त करने के बाद पीने के पानी का स्रोत;

B: खुले में नहाना (संगठित); C: पारंपरिक उपचार और कीटाणु मुक्त करने के बाद पीने के पानी का स्रोत; D: वन्य जीवन और मत्स्य पालन का फैलाव; E: सिंचाई, औद्योगिक प्रशीतन, नियंत्रित अपशिष्ट निपटान)

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: कडिका 2.1.9.3, पृष्ठ 15)

चयनित आर.ओ. के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत उत्सर्जित एवं उपचारित घरेलू बहिःस्त्राव की स्थिति

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	आर.ओ. के अर्न्तगत जिले का नाम	उत्सर्जित घरेलू बहिःस्त्राव की मात्रा (एम.एल.डी.)	एस.टी.पी. की उपचार क्षमता (एम.एल.डी.)	उपचार के बिना घरेलू बहिःस्त्राव का निपटान (एम.एल.डी.)	उपचार अन्तराल (प्रतिशत)
ग्वालियर	ग्वालियर	64.95	50	14.95	23
	भिण्ड	21.33	----	21.33	100
	मुरैना	18.35	----	18.35	100
	दतिया	6.58	----	6.58	100
	शयोपुर	2.88	----	2.88	100
सागर	सागर	29.34	----	29.34	100
	दमोह	4.72	----	4.72	100
	पन्ना	3.32	----	3.32	100
	टीकमगढ़	6.09	----	6.09	100
	छतरपुर	8.46	----	8.46	100
उज्जैन	उज्जैन	62.98	52.75	10.23	16
	रतलाम	19.43	----	19.43	100
	मन्दसौर	4.91	----	4.91	100
	नीमच	4.28	----	4.28	100
	शाजापुर	6.21	----	6.21	100
	देवास	6.72	----	6.72	100
सतना	सतना	97.65	----	97.65	100
जबलपुर	जबलपुर	114.98	----	114.98	100
	बालाघाट	9.07	----	9.07	100
	छिन्दवाड़ा	17.18	----	17.18	100
	सिवनी	7.87	----	7.87	100
	मण्डला	4.80	----	4.80	100
	नरसिंहपुर	12.44	----	12.44	100
धार	धार	11.00	----	11.00	100
	झाबुआ	3.10	----	3.10	100
	अलीराजपुर	2.50	----	2.50	100
इन्दौर	इन्दौर	253.53	90	163.53	64.50
	बडवानी	7.65	----	7.65	100
	खरगौन	9.06	----	9.06	100
	खण्डवा	17.45	----	17.45	100
	बुरहानपुर	12.50	06	6.50	52
भोपाल	भोपाल	196.43	54.36	142.07	72.33
	सीहोर	49.93	----	49.93	100
	रायसेन	45.54	----	45.54	100
	विदिशा	35.25	7.2	28.05	79.57
	होशंगाबाद	57.99	----	57.99	100
	हरदा	12.88	----	12.88	100
	बैतूल	31.11	----	31.11	100
कुल		1280.46	260.31	1020.15	

(एम.एल.डी. = मिलियन लीटर प्रतिदिन)

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.1, पृष्ठ 18)

एन.ए.एम.पी. स्टेशनों पर निर्धारित मानदण्डों से अधिक मापे गये प्रचालक आर.एस.पी.एम. (PM₁₀) के वार्षिक औसत की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	शहर के साथ नमूना स्थान का नाम	प्रचालक आर.एस.पी.एम. (मानदण्ड: 60 µg/m ³)	
		2012	2013
उज्जैन	जिला औद्योगिक कार्यालय, उज्जैन	124.25	74.33
	चामुण्डा माता चौराहा, उज्जैन	59.30	74.33
	विकास नगर, देवास	100.44	92.99
	देवास मेटल सैक्शन, देवास	92.78	86.32
	ई.आई.डी. पैरी (इण्ड.) लिमिटेड, देवास	81.27	91.62
	कैमिकल डिवीजन, श्रम क्लब, नागदा	77.21	80.07
	बी.सी.आई. श्रम क्लब, नागदा	102.13	103.76
	ग्रेसिम कल्याण केन्द्र, नागदा	115.30	113.92
सतना	क्षेत्रीय कार्यालय भवन धावारी, सतना	104.30	107.43
	उप संभागीय कार्यालय, ई/एम लाइट मशीनरी, सतना	217.10	199.01
सागर	पंडित दीनदयाल नगर, सागर	104.96	147.82
इन्दौर	सांवेर रोड़, इन्दौर	131.31	100.90
	कोठारी मार्केट, इन्दौर	157.36	164.42
	विजय नगर, इन्दौर	143.22	154.72
भोपाल	हमीदिया रोड़, भोपाल	216.43	354.63
	गोविन्दपुरा, भोपाल	180.73	206.30
	पर्यावरण परिसर, भोपाल	126.03	305.60
जबलपुर	विजय नगर, जबलपुर	74.83	66.45
ग्वालियर	महाराज बाड़ा, ग्वालियर	318.54	195.16
	दीनदयाल नगर, ग्वालियर	299.51	177.63
सिंगरौली	एन.टी.पी.सी., विन्ध्या नगर, सिंगरौली	63.45	अनुपलब्ध
	जयन्त टाउनशिप, सिंगरौली	65.05	अनुपलब्ध
	वैढन, सिंगरौली	64.50	अनुपलब्ध

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.4, पृष्ठ 20)

निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि और किए गए परीक्षणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

आर.ओ. का नाम	वर्ष	आवासीय क्षेत्र		वाणिज्यिक क्षेत्र		शान्त क्षेत्र		औद्योगिक क्षेत्र		कुल	
		T.C.	T.E.L. (प्रतिशत)	T.C.	T.E.L. (प्रतिशत)	T.C.	T.E.L. (प्रतिशत)	T.C.	T.E.L. (प्रतिशत)	T.C.	T.E.L. (प्रतिशत)
ग्वालियर	2009-10	48	44	60	47	48	28	24	08	180	127 (71)
	2010-11	96	59	199	162	52	41	142	97	489	359 (73)
	2011-12	130	105	144	115	96	79	144	39	514	338 (66)
	2012-13	122	78	160	133	96	77	455	121	833	409 (49)
	2013-14	96	73	96	71	24	19	440	33	656	196 (30)
	Total	492	359 (73)	659	528 (80)	316	244 (77)	1205	298 (25)	2672	1429 (53)
सागर	2009-10	48	08	50	26	22	21	47	01	167	56 (34)
	2010-11	60	10	42	23	66	41	38	00	206	74 (36)
	2011-12	57	10	76	42	53	28	106	04	292	84 (29)
	2012-13	60	37	63	34	20	13	161	04	304	88 (29)
	2013-14	123	52	110	45	50	22	119	10	402	129 (32)
	Total	348	117 (34)	341	170 (50)	211	125 (59)	471	19 (04)	1371	431 (31)
उज्जैन	2009-10	120	74	144	107	144	126	144	30	552	337 (61)
	2010-11	144	74	144	99	144	106	120	34	552	313 (57)
	2011-12	144	93	144	96	96	57	144	37	528	283 (54)
	2012-13	144	82	144	96	144	117	144	52	576	347 (60)
	2013-14	168	94	168	110	168	131	168	61	672	396 (59)
	Total	720	417 (58)	744	508 (68)	696	537 (77)	720	214 (30)	2880	1676 (58)
सतना	2009-10	24	13	24	12	24	13	---	---	72	38 (53)
	2010-11	96	18	144	36	72	35	144	21	456	110 (24)
	2011-12	120	23	96	18	216	57	144	28	576	126 (22)
	2012-13	264	23	288	109	216	107	24	04	792	243 (31)
	2013-14	288	33	288	113	288	128	24	09	888	283 (32)
	Total	792	110 (14)	840	288 (34)	816	340 (42)	336	62 (18)	2784	800 (29)

जबलपुर	2009-10	216	94	216	84	216	95	144	42	792	315 (40)
	2010-11	192	82	192	77	192	87	192	38	768	284 (37)
	2011-12	192	92	192	75	192	96	192	30	768	293 (38)
	2012-13	168	67	168	63	168	69	168	26	672	225 (33)
	2013-14	144	62	144	57	144	76	144	25	576	220 (38)
	Total	912	397 (44)	912	356 (39)	912	423 (46)	840	161 (19)	3576	1337 (37)
धार	2009-10	---	---	108	51	24	20	128	39	260	110 (42)
	2010-11	---	---	68	33	12	09	196	96	276	138 (50)
	2011-12	51	51	34	10	---	---	298	84	383	145 (38)
	2012-13	---	---	113	31	---	---	281	85	394	116 (29)
	2013-14	118	66	70	23	---	---	320	86	508	175 (34)
	Total	169	117 (69)	393	148 (38)	36	29 (81)	1223	390 (32)	1821	684 (38)
इन्दौर	2009-10	72	51	48	40	72	64	24	05	216	160 (74)
	2010-11	24	15	217	195	50	47	16	10	307	267 (87)
	2011-12	192	120	240	199	48	47	24	06	504	372 (74)
	2012-13	232	129	136	89	60	36	---	---	428	254 (59)
	2013-14	76	55	158	116	---	---	144	74	378	245 (65)
	Total	596	370 (62)	799	639 (80)	230	194 (84)	208	95 (46)	1833	1298 (71)
भोपाल	2009-10	0	0	240	199	0	0	0	0	240	199 (83)
	2010-11	0	0	420	313	0	0	0	0	420	313 (75)
	2011-12	456	372	360	313	0	0	168	31	984	716 (73)
	2012-13	288	285	432	412	0	0	168	67	888	764 (86)
	2013-14	288	288	432	422	0	0	144	43	864	753 (87)
	Total	1032	945 (92)	1884	1659 (88)	0	0	480	141 (29)	3396	2745 (81)
महायोग	5061	2832	6572	4296	3217	1892	5483	1380	20333	10400	
सीमाओं से अधिक प्रतिशत		56		65		59		25		51	

(T.C.= किए गए परीक्षणों की संख्या, T.E.L.= निर्धारित सीमा से अधिक परीक्षण की संख्या)

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: कंडिका 2.1.10.5, पृष्ठ 21)

सीमेंट संयंत्रों में परिवीक्षित प्रचालकों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	सीमेंट संयंत्र का नाम	निर्धारित सीमा के साथ प्रचालक	नमूने का माह	नमूना स्थान का नाम	नापा गया उत्सर्जन स्तर	अधिक उत्सर्जन का प्रतिशत
1.	प्रिज्म सीमेंट, प्रायवेट लिमिटेड, सतना	PM ₁₀ :100	जनवरी 2013	मनकहारी खान के पास	110.38	10
		PM ₁₀ :100	जनवरी 2013	स्टेकर क्षेत्र के पास	120.84	21
		PM ₁₀ :100	मई 2012	मनकहारी खान के पास	140.69	41
		PM _{2.5} :60	मई 2012	स्टेकर के पास	79.79	33
		PM ₁₀ :100	दिसम्बर 2011	शिव मन्दिर कॉलोनी क्षेत्र के पास	184.26	84
		PM ₁₀ :100	दिसम्बर 2011	स्टेकर क्षेत्र के पास	164.24	64
		PM _{2.5} :60	दिसम्बर 2011	व्ही.आई.पी. अतिथि गृह के पास	64.18	07
		PM ₁₀ :100	नवम्बर 2010	स्टेकर क्षेत्र	210.06	110
2.	मैहर सीमेन्ट, सतना	PM ₁₀ :100	मार्च 2013	क्रशर क्षेत्र के पास	120.30	20
		PM ₁₀ :100	मार्च 2013	निस्यन्दन संयंत्र के पास	110.01	10
		PM _{2.5} :60	मार्च 2013	निस्यन्दन संयंत्र के पास	69.80	16
		PM ₁₀ :100	नवम्बर 2012	इकाई गेट नं. 2	118.80	19
		PM ₁₀ :100	नवम्बर 2012	निस्यन्दन संयंत्र	125.30	25
		PM _{2.5} :60	मई 2012	निस्यन्दन संयंत्र के पास	85.32	42
		PM ₁₀ :100	मई 2012	क्रशर क्षेत्र के पास	220.48	120
3.	के.जे.एस. सीमेन्ट संयंत्र, मैहर, सतना	PM ₁₀ :100	जनवरी 2014	मुख्य द्वार के पास	120.80	21
		PM ₁₀ :100	जनवरी 2014	पावर संयंत्र के पास	183.90	84
		PM _{2.5} :60	जनवरी 2014	मुख्य द्वार के पास	92.90	55
		PM ₁₀ :100	जनवरी 2014	ब्लास्टिंग क्षेत्र के पास	110.90	11
		PM _{2.5} :60	दिसम्बर 2013	अतिथि गृह के पास	63.80	06

		PM ₁₀ :100	जून 2013	क्रशर के पास (400 मीटर)	110.90	11
		PM _{2.5} :60	जून 2013	क्रशर के पास (400 मीटर)	74.60	24
		PM ₁₀ :100	अक्टूबर 2012	अतिथि गृह के पास	175.81	76
		PM ₁₀ :100	अक्टूबर 2012	क्रशर के पास	188.90	89
		PM _{2.5} :60	अक्टूबर 2012	समय कार्यालय के पास	70.60	18
		PM _{2.5} :60	अक्टूबर 2012	क्रशर के पास	68.30	14
4.	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड, सतना	PM ₁₀ :100	फरवरी 2013	तुलाई पुल के पास	110.62	11
		PM _{2.5} :60	फरवरी 2013	तुलाई पुल के पास	62.19	04
		PM ₁₀ :100	फरवरी 2013	उप स्टेशन	110.21	10
		PM _{2.5} :60	फरवरी 2013	उप स्टेशन	62.42	04
		PM stack: 50	फरवरी 2013	कोल मिल से संलग्न चिमनी	64.78	30
		PM ₁₀ :100	अक्टूबर 2012	उप स्टेशन के पास	105.8	06
5.	बिरला कार्पोरेशन, लिमिटेड, सतना	PM ₁₀ :100	नवम्बर 2013	ए.एन.एफ.ओ. मिक्सिंग	120.70	21
		PM _{2.5} :60	नवम्बर 2013	बिरला स्कूल के पास	74.80	25
		PM stack: 50	नवम्बर 2013	कोल मिल चिमनी IV	58.00	16
		PM ₁₀ :100	जनवरी 2013	श्रमिक कॉलोनी के पास	105.50	06
		PM ₁₀ :100	जनवरी 2013	बिरला स्कूल के पास	109.40	09
		PM ₁₀ :100	मई 2012	बिरला स्कूल के पास	115.42	15
		PM ₁₀ :100	मई 2012	राम सिंह के निवास के पास	154.58	55

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: कडिका 2.1.11.1, पृष्ठ 21)

म.प्र.प्र.नि.बो. द्वारा दिये गये प्राधिकार, प्राधिकार के लिये आवेदित एच.सी.ई. और एच.सी.ई. की कुल संख्या की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

वर्ष	एच.सी.ई. की कुल संख्या	प्राधिकार हेतु आवेदित एच.सी.ई. की संख्या	प्राधिकार प्राप्त एच.सी.ई. की संख्या	प्राधिकार के लिये आवेदन न करने वाली एच.सी.ई. की संख्या	बिना प्राधिकार के कार्य कर रही एच.सी.ई. की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2-3)	(6=2-4)
2009	2373	1297	1188	1076	1185
2010	2280	1210	1196	1070	1084
2011	2579	1362	1305	1217	1274
2012	2663	1466	1434	1197	1229
2013	2850	2068	2042	782	808

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: कडिका 2.1.11.2, पृष्ठ 22)

नमूना जांच किये गये आर.ओ. में मार्च 2014 की स्थिति में प्राधिकार नवीनीकरण के बिना कार्यरत एच.सी.ई. और एच.सी.ई. की कुल संख्या को दर्शाने का विवरण पत्रक

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	एच.सी.ई. की कुल संख्या	प्राधिकार नवीनीकरण के बिना कार्यरत एच.सी.ई. की संख्या
उज्जैन	214	55
सागर	285	62
ग्वालियर	295	38
सतना	65	44
जबलपुर	327	146
धार	161	37
इन्दौर	437	24
भोपाल	504	221
कुल	2288	627

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: कडिका 2.1.11.7, पृष्ठ 25)

2009-14 के दौरान राज्य के स्थानीय निकायों द्वारा अनुपालित अनुपालनीय मापदण्डों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

वर्ष	एम.एस.डब्ल्यू. का संग्रहण			एम.एस.डब्ल्यू. का पृथक्करण			एम.एस.डब्ल्यू. का भण्डारण			एम.एस.डब्ल्यू. का परिवहन			एम.एस.डब्ल्यू. का प्रसंस्करण			एम.एस.डब्ल्यू. का व्ययन		
	एल.बी. की संख्या			एल.बी. की संख्या			एल.बी. की संख्या			एल.बी. की संख्या			एल.बी. की संख्या			एल.बी. की संख्या		
	C	P	NC	C	P	NC	C	P	NC	C	P	NC	C	P	NC	C	P	NC
2009-10	03	267	68	03	20	315	02	201	135	06	279	53	01	03	334	01	110	227
2010-11	04	285	71	04	23	333	02	237	121	06	300	54	01	03	356	01	142	216
2011-12	04	299	54	04	24	329	03	238	116	05	302	50	03	05	349	03	144	210
2012-13	06	315	44	03	26	336	04	255	106	05	316	44	03	06	356	04	150	211
2013-14	11	309	44	06	27	331	06	247	111	09	307	48	05	08	351	05	153	206

(C: मापदण्ड अनुपालित, P: मापदण्ड आंशिकतः अनुपालित, NC: मापदण्ड अनुपालित नहीं)

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: कडिका 2.1.14, पृष्ठ 26)

31 मार्च 2014 की स्थिति में एम.पी.पी.सी.बी. की स्वीकृत संख्या और कार्यरत व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	पदों की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	कमी (प्रतिशत)
1	प्रशासनिक और लेखा सेवायें	391	258	133 (34)
2	तकनीकी सेवायें	76	42	34 (45)
3	वैज्ञानिक सेवायें	282	166	116 (41)
4	अन्य	25	05	20 (80)
कुल		774	471	303 (39)

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: कडिका 2.2.6.1, पृष्ठ 31)

वर्षवार एवं घटकवार बजट प्रावधान और व्यय विवरण दर्शाने वाला पत्रक

राजस्व शीर्ष

(₹ करोड़ में)

मांग संख्या/मुख्य शीर्ष/योजना का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
39/2408 एम.पी.एस.सी.एस.सी. को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	12.88	12.88	9.00	9.00	13.00	11.59	24.00	24.00	59.00	59.00
मार्कफेड को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	4.90	4.65	0.10	0.09	13.39	13.38	10.10	10.09	30.20	0.00
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिये खाद्य योजना	296.92	296.92	290.00	290.00	370.00	370.00	409.00	409.00	600.00	525.22
पी.डी.एस. अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन हेतु प्रोत्साहन	170.00	158.47	331.50	331.50	607.88	589.93	1,116.22	1,116.22	1,100.00	1,019.57
सहकारी समितियों को पी.डी.एस. अंतर्गत खाद्यान्न विक्रय से हुई हानि की प्रतिपूर्ति	20.00	0.89	15.00	14.91	11.00	11.00	15.00	13.28	15.00	0.00
अन्त्योदय अन्न योजना	50.00	40.38	40.00	24.65	40.00	40.00	35.00	24.00	102.75	34.94
केरोसीन तेल के सार्वजनिक वितरण के लिये सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	1.69	1.20	1.80	1.10	3.10	2.31	2.20	1.35	2.40	0.80
गोदाम किराये की प्रतिपूर्ति	0.07	0.06	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
फूड कूपन	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्रतिपूर्ति कर राशि का भुगतान	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बैंक से प्राप्त ऋण और कार्यशील ऋण पर ब्याज राशि का भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
अस्थायी केप निर्माण में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	134.00	120.40	45.00	0.00
खाद्यान्न अर्जन की कम्प्यूटराईजेशन परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	6.65	6.65	6.50	0.00


सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
एम.पी.एस.सी.एस.सी. को राज्य शासन की बचनबद्धता पर बैंक से लिये गये ऋण तथा कार्यशील ऋण पर ब्याज अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.47	106.47	0.00	0.00
खाद्यान्न भंडारण हेतु गारंटी योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2.42	5.00	2.86
खाद्यान्न परिवहन में नियंत्रण हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.17	0.98	0.00
आयोडीनयुक्त नमक का वितरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	11.05	30.00	0.00
टी.पी.डी.एस. का कम्प्यूटराईजेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	2.94	19.34	5.34
खुली निविदा नीति में शक्कर क्रय हेतु सरकार से अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	32.71
योग	556.46	515.45	689.40	671.65	1,124.55	1,104.39	1,895.09	1,848.14	2,056.17	1,680.44
41/2408 केरोसीन तेल के सार्वजनिक वितरण के लिये सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	0.21	0.17	0.00	0.00	0.40	0.39	0.80	0.79	0.80	0.24
आयोडीनयुक्त नमक का वितरण	6.48	6.48	8.99	8.99	7.27	7.27	12.78	11.75	27.22	15.00
खाद्यान्न अर्जन की कम्प्यूटराईजेशन परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
योग	6.69	6.65	8.99	8.99	7.67	7.66	13.58	12.54	28.52	15.24
64/2408 खाद्यान्न अर्जन की कम्प्यूटराईजेशन परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
केरोसीन तेल के सार्वजनिक वितरण के लिये सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	0.15	0.11	0.00	0.00	0.30	0.30	0.80	0.80	0.60	0.19
योग	0.15	0.11	0.00	0.00	0.30	0.30	0.80	0.80	1.00	0.19
महायोग	563.30	522.21	698.39	680.64	1,132.52	1,112.35	1,909.47	1,861.48	2,085.69	1,695.87

पूँजीगत शीर्ष

भाग संख्या/ मुख्य शीर्ष/योजना का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
39/4408 खाद्यान्न का क्रय	20.40	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भण्डारण और मार्केटिंग (अनुसूचित जाति उप योजना)	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भण्डारण और मार्केटिंग (सामान्य)	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39/6408 खाद्यान्नों का क्रय	0.00	0.00	20.40	11.80	11.00	8.31	11.00	9.11	11.00	8.73
गोदामों का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20	73.58	188.50	121.50
योग	56.15	2.23	20.40	11.80	11.00	8.31	86.20	82.69	199.50	130.23
41/6408 गोदामों का निर्माण (नाबार्ड अनुसूचित जनजाति उपयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	11.29	10.50	10.50
64/6408 गोदामों का निर्माण (नाबार्ड अनुसूचित जनजाति उपयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	17.28	8.00	8.00
महायोग	56.15	2.23	20.40	11.80	11.00	8.31	120.00	111.26	218.00	148.73

शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
राजस्व	563.30	522.21	698.39	680.64	1,132.52	1,112.35	1,909.47	1,861.48	2,085.69	1,695.87
पूँजीगत	56.15	2.23	20.40	11.80	11.00	8.31	120.00	111.26	218.00	148.73
योग	619.45	524.44	718.79	692.44	1,143.52	1,120.66	2,029.47	1,972.74	2,303.69	1,844.60

परिशिष्ट 2.14
(संदर्भ: कंडिका 2.2.8, पृष्ठ 36)
पी.डी.एस. वस्तुओं के वितरण का प्रवाह रेखाचित्र



परिशिष्ट 2.15

(सदमः कंडिका 2.2.8.2, पृष्ठ 37)

ए.पी.एल., बी.पी.एल., ए.ए.वाई. और एन.एफ.एस.ए. हितग्राहियों के लिये खाद्यान्नों के आबंटन एवं वितरण दर्शाने वाला पत्रक

(मात्रा एम.टी.में)

वर्ष	आबंटन(भारत सरकार)					वितरण (प्रतिशत)			
	वस्तु	ए.ए.वाई.	बी.पी.एल.	ए.पी.एल.	योग	ए.ए.वाई.	बी.पी.एल.	ए.पी.एल.	योग
2009-10	गेहूं	5,60,196	11,47,790	9,33,402	26,41,388	5,60,196 (100)	11,47,790 (100)	8,64,528 (93)	25,72,514(97)
	चावल	1,04,064	1,19,148	0	2,23,212	1,04,064 (100)	1,19,274 (100)	0	2,23,338(93)
	योग	6,64,260	12,66,938	9,33,402	28,64,600	6,64,260	12,67,064	8,64,528	27,95,852(98)
2010-11	गेहूं	5,60,196	10,00,666	10,98,318	26,59,180	5,48,717(98)	10,91,752 (109)	7,34,996 (67)	23,75,465(89)
	चावल	1,04,064	3,53,623	65,688	5,23,375	1,01,911 (98)	3,53,623 (100)	33,468 (51)	4,89,002(93)
	योग	6,64,260	13,54,289	11,64,006	31,82,555	6,50,628	14,45,375	7,68,464	28,64,467(90)
2011-12	गेहूं	5,91,623	12,73,610	9,99,150	28,64,383	5,45,991(92)	12,95,011 (102)	6,33,278 (63)	24,74,280(86)
	चावल	1,15,740	3,88,370	19,297	5,23,407	1,01,363 (88)	3,93,231 (101)	0	4,94,594(95)
	योग	7,07,363	16,61,980	10,18,447	33,87,790	6,47,354	16,88,242	6,33,278	29,68,874(88)
2012-13	गेहूं	6,23,050	12,94,541	10,04,040	29,21,631	5,93,803 (95)	14,19,897 (110)	6,89,662 (69)	27,03,362(93)
	चावल	1,15,740	3,68,526	0	4,84,266	1,10,843 (96)	3,35,806 (91)	0	4,46,649(92)
	योग	7,38,790	16,63,067	10,04,040	34,05,897	7,04,646	17,55,703	6,89,662	31,50,011(92)
2013-14(फरवरी 2014 तक)	गेहूं	5,13,513	9,77,700	9,20,370	24,11,583	5,14,509 (100)	10,33,919 (106)	5,95,022 (65)	21,43,450
	चावल	95,392	2,72,632	0	3,68,024	94,252 (99)	2,15,459 (79)	0	3,09,711
	योग	6,08,905	12,50,332	9,20,370	27,79,607	6,08,761	12,49,378	5,95,022	24,53,161
मार्च 2014	गेहूं		एन.एफ.एस.ए.		1,73,134	41,259	1,17,312(पी.एच.)	..	1,58,571(92)
	चावल		एन.एफ.एस.ए.		46,909	11,030	31,914(पी.एच.)	..	42,944(92)
2013-14	योग-गेहूं				25,84,717				23,02,021(89)
	योग-चावल				4,14,933				3,52,655(85)
	महायोग				1,58,40,492				1,44,33,880

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: कडिका 2.2.8.3, पृष्ठ 38)

लीड समितियों का कम दरों पर तदर्थ गेहूँ के विक्रय का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	जिले का नाम	कुल आबंटित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रो की गई मात्रा (क्विंटल में)		कुल विक्री की गई मात्रा (क्विंटल में)	अन्तर राशि (₹ में)		कुल अन्तर राशि (₹ में)
			ग्रामीण	शहरी		ग्रामीण	शहरी	
1	बड़वानी	74,400	45,226.73	14,901	60,127.73	16,28,162	4,91,733	21,19,895
2	भोपाल	1,24,140	8,136.3	57,200.6	65,336.9	2,92,907	18,87,620	21,80,527
3	धार	95,930	49,284	15,432	64,716	17,74,224	5,09,256	22,83,480
4	इंदौर	1,17,670	1,119.54	22,064.23	23,183.77	40,303	7,28,120	7,68,423
5	कटनी	36,790	4,760.85	11,457.5	16,218.35	1,71,391	3,78,097	5,49,488
6	खण्डवा	63,690	22,208	19,067	41,275	7,99,488	6,29,211	14,28,699
7	खरगौन	72,900	43,156.05	19,046.06	62,202.11	15,53,618	6,28,520	21,82,138
8	रायसेन	42,210	12,770	2,318	15,088	4,59,720	76,494	5,36,214
9	रतलाम	54,220	26,161	16,800	42,961	9,41,796	5,54,400	14,96,196
10	रीवा	46,660	24,663.2	38,057.72	62,720.92	8,87,875	12,55,905	21,43,780
11	सतना	23,220	5,283.54	10,084.44	15,367.98	1,90,207	3,32,787	5,22,994
12	शहडोल	22,240	11,122.6	1,323.34	12,445.94	4,00,414	43,670	4,44,084
13	सीधी	22,070	11,067	3,546	14,613	3,98,412	1,17,018	5,15,430
14	उज्जैन	82,880	5,410	13,123	18,533	1,94,760	4,33,059	6,27,819
	योग	8,79,020	2,70,368.81	2,44,420.89	5,14,789.70	97,33,277	80,65,890	1,77,99,167

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: कडिका 2.2.8.4, पृष्ठ 38)

उचित मूल्य की दुकानों पर अवितरित रही पी.डी.एस. वस्तुओं का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	जिले का नाम	चावल, गेहूं और मक्का (एम.टी. में)	नमक (एम.टी. में)	शक्कर (एम.टी. में)	ए.पी.एल. खाद्यान्न (एम.टी. में)	कुल (एम.टी. में)	केरोसीन (कि.ली.में)	अवितरित स्कंध का मूल्य(₹ में)
1	बड़वानी	6,265.93	484.26	749.35	अनुपलब्ध	7,499.54	1,075.6	3,27,10,003
2	भोपाल	1,359.56	108.37	107.44	11.66	1,587.03	207.51	60,79,932
3	धार	1,975.3	87.13	142.43	410.76	2,615.62	438.31	1,41,38,351
4	इंदौर	2,258	144	232	166	2,800	1,129	2,36,58,170
5	कटनी	145.31	5.27	10.21	00	160.79	32.8	7,71,559
6	खण्डवा	1,138.8	80.2	113	302	1,634	349.1	1,06,04,743
7	खरगौन	1,777.85	131.46	125.44	481.65	2,516.40	323.67	1,15,08,047
8	रतलाम	1,617.4	259.8	22.9	201.9	2,102	120	57,71,050
9	उज्जैन	13.28	34.68	7.48	0.6	56.04	17	4,04,677
		16,551.43	1,335.17	1,510.25	1,574.57	20,971.42	3,692.99	10,56,46,532

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: कडिका 2.2.9, पृष्ठ 41)

नमूना जांच किये गये जिलों में उचित मूल्य की दुकानों की कमी का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	जिले का नाम	कुल उचित मूल्य की दुकानों की संख्या	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों में संचालित कुल उचित मूल्य की दुकानों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान की कमी	कुल शहरी जनसंख्या	जनसंख्या मानदंड के अनुसार शहरी क्षेत्रों में आवश्यक उचित मूल्य की दुकानों की संख्या	शहरी क्षेत्रों में संचालित उचित मूल्य की दुकानों की संख्या	शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की कमी (-)
1	बड़वानी	360	416	289	127	2,04,069	40	71	..
2	भोपाल	407	195	128	94	19,17,051	383	279	(-)104
3	घार	603	761	529	93	4,13,221	83	74	(-)09
4	इंदौर	523	335	190	26	24,27,709	486	333	(-)153
5	कटनी	470	407	391	21	2,63,543	53	79	..
6	खण्डवा	382	422	319	103	2,59,436	52	63	..
7	खरगौन	493	600	437	92	2,98,856	60	56	(-)4
8	रायसेन	545	498	503	..	2,89,939	58	42	(-)16
9	रतलाम	412	418	309	112	4,35,031	87	103	..
10	रीवा	809	827	708	100	3,95,785	79	101	..
11	सतना	815	704	729	..	4,74,418	95	86	(-)9
12	शहडोल	417	391	378	13	1,93,889	39	39	..
13	सीधी	426	400	404	..	93,121	19	22	..
14	उज्जैन	597	609	415	201	7,79,213	156	182	..
	योग	7,259	6,983	5,729	982		1,690	1,530	295

परिशिष्ट 2.19

(संदर्भ: कडिका 2.2.9, पृष्ठ 41)

लीड और लिंक समितियों की कार्यप्रणाली में कमियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	जिले का नाम	लीड/लिंक समितियों की संख्या	लीड/लिंक समितियों की संख्या जिनमें गोदाम से सेम्पल प्राप्त नहीं हुये	लीड/लिंक समितियों की संख्या जिनमें खाद्यान्न सेम्पल उचित मूल्य की दुकान पर प्रदर्शित करने हेतु वितरित नहीं किये गये	लीड/लिंक समितियों की संख्या जिनमें कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण नहीं किया गया
1	बड़वानी	03	03	03	03
2	भोपाल	04	04	04	04
3	धार	05	05	05	05
4	इंदौर	04	04	04	04
5	कटनी	03	02	03	03
6	खण्डवा	04	04	04	04
7	खरगौन	03	03	03	03
8	रायसेन	03	03	03	03
9	रतलाम	03	03	03	03
10	रीवा	07	07	07	07
11	सतना	04	04	04	04
12	शहडोल	03	03	03	03
13	सीधी	05	05	05	05
14	उज्जैन	03	03	03	03
	योग	54	53	54	54

परिशिष्ट 2.20
(संदर्भ: कडिका 2.2.9, पृष्ठ 41)

उचित मूल्य की दुकानों के कार्यकलाप की कमियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	जिले का नाम	लेखा परीक्षा द्वारा निरीक्षित की गई कुल उचित मूल्य की दुकाने	उचित मूल्य की दुकानों की संख्या जो सप्ताह में छह दिन से कम खुली थीं	विवरण प्रदर्शित न करने वाले उचित मूल्य की दुकानों की संख्या				उचित मूल्य की दुकानों की संख्या जिनमें वस्तुओं प्राप्ति के समय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया	उचित मूल्य की दुकानों की संख्या जिनमें मासिक प्रतिवेदन लीड समितियों को नहीं भेजा	उचित मूल्य की दुकानों की संख्या जिनका निरीक्षण नहीं किया गया	उचित मूल्य की दुकानों की संख्या जिनमें सतर्कता समिति गठित नहीं की गई	उचित मूल्य की दुकानों की संख्या जिनमें निर्धारित अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया				
				सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम और पते	सिटीजन चार्टर	दुकान आवंटन प्राधिकृत पत्र	खाद्यान्न के सील्ड नमूने					रोकड बही	ईकाई पंजी	वितरण लेजर	राशनकार्ड पंजी	शिकायत पंजी
1	बड़वानी	12	07	05	11	09	12	12	12	12	04	11	10	07	05	01
2	भोपाल	12	03	00	03	01	12	11	01	12	00	06	01	03	00	00
3	धार	12	03	01	07	02	12	07	04	12	01	08	05	11	00	00
4	इंदौर	12	00	09	06	05	12	07	01	12	05	06	04	06	00	00
5	कटनी	12	03	05	12	08	12	12	12	12	04	12	00	12	00	00
6	खण्डवा	12	05	10	12	11	12	07	02	09	03	11	06	10	01	02
7	खरगौन	12	06	06	11	07	12	12	12	12	01	11	07	12	00	00
8	रायसेन	12	03	06	11	04	12	12	12	12	00	12	04	01	02	00
9	रतलाम	12	00	06	02	03	12	12	05	12	05	11	06	12	00	00
10	रीवा	12	06	12	12	09	12	08	06	12	07	11	12	12	06	07
11	सतना	12	01	10	11	03	12	12	12	12	05	12	12	12	01	01
12	शहडोल	12	11	11	12	08	12	12	12	12	06	12	10	05	01	01
13	सीधी	12	01	12	12	08	12	12	12	12	08	09	12	12	04	07
14	उज्जैन	12	06	09	08	06	12	10	01	12	09	01	11	12	01	00
	योग	168	55	102	130	84	168	146	104	165	58	133	100	127	21	19

परिशिष्ट 2.21

(संदर्भ: कडिका 2.2.10.2, पृष्ठ 43)

उचित मूल्य की दुकानों में पी.डी.एस. वस्तुओं के दुरुपयोग का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क.	दुकानों का नाम	मुद्दे	प्रकरण विवरण	अगस्त 2014 की स्थिति में
1.	गोविन्द प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, भोपाल दुकान क्रमांक 148	निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य की दुकान में दुरुपयोग पाया गया	खाद्य विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकान के दिनांक 17.02.2011 को संयुक्त निरीक्षण और स्कंध पंजी एवं विक्रय पंजी के आधार पर भौतिक सत्यापन के दौरान 4.61 क्विंटल गेहूं एवं 44 लीटर केरोसीन तेल अधिक पाया गया और 0.23 क्विंटल शक्कर कम पाई गई। ए.पी.एल. तदर्थ गेहूं 12.85 क्विंटल एवं ए.पी.एल. गेहूं 192.40 क्विंटल दिसम्बर 2010 में विक्रय हुआ था किन्तु विक्रय पंजी जांच दल को प्रस्तुत न करने से गेहूं का निपटारा अन्यथा किया गया। 18 राशनकार्ड दुकान में पाये गये। 16 उपभोक्ताओं का नाम जिन्हें फरवरी 2011 में 3.20 क्विंटल गेहूं वितरित किया गया था वितरण पंजी में उल्लेख नहीं किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) 27.02.2011 को दर्ज कराई गई और कलेक्टर ने जब्त वस्तुयें (गेहूं एवं केरोसीन) राजसात करने का आदेश दिया।	प्रकरण आवश्यक वस्तु (ई.सी.) अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत सिविल न्यायालय में लंबित था।
2.	भावना प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, भोपाल दुकान क्रमांक 117	निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य की दुकान में दुरुपयोग पाया गया	खाद्य विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.02.2011 को उचित मूल्य की दुकान के संयुक्त निरीक्षण एवं स्कंध पंजी तथा वितरण पंजी के भौतिक सत्यापन के दौरान 3.27 क्विंटल गेहूं, 6.07 क्विंटल चावल, 260 लीटर केरोसीन कम पाया गया एवं 0.23 क्विंटल शक्कर अधिक पाई गई। निरीक्षण के समय कम/अधिक के बारे में कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया था। कुछ उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर वितरण पंजी में नहीं पाये गये। ए.पी.एल. तदर्थ गेहूं की वितरण पंजी उपलब्ध नहीं थी और 202.40 क्विंटल गेहूं वितरित किया गया। वितरण पंजी प्रस्तुत न करने से दर्शाई मात्रा का दुरुपयोग किया गया था। म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 का उल्लंघन करने की वजह से शक्कर 0.23 क्विंटल जब्त किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट 27.02.2011 को दर्ज कराई गई थी। कलेक्टर ने जब्त वस्तुओं को राजसात करने के आदेश दिये।	प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत सिविल न्यायालय में लंबित था।
3.	न्यू जनकल्याण प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, इन्द्रपुरी, भोपाल	स्कंध पंजी तथा विक्रय पंजी उचित मूल्य की दुकान में उपलब्ध नहीं थी एवं कुछ राशनकार्ड अवैध रूप से दुकान में रखे हुये थे।	राजस्व विभाग एवं खाद्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक 17.02.2011 को निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि स्कंध पंजी एवं विक्रय पंजी (चालू माह और पिछले तीन माहों की) उचित मूल्य की दुकान में उपलब्ध नहीं थी। चार ए.पी.एल., आठ बी.पी.एल. एवं दो ए.ए.वाई. कार्ड दुकान में अवैध रूप से रखे गये थे। समिति के अध्यक्ष की मौजूदगी में वस्तुयें जैसे 47.5 क्विंटल गेहूं, 105.10 क्विंटल चावल, 3,640 लीटर केरोसीन जब्त किये गये। म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के उल्लंघन एवं स्कंध पंजी तथा विक्रय पंजी के अनुपलब्धता के कारण, प्रथम सूचना रिपोर्ट 19.03.2011 को दर्ज कराई गई।	प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत सिविल न्यायालय में लंबित था।

स. क.	दुकानों का नाम	मुद्दे	प्रकरण विवरण	अगस्त 2014 की स्थिति में
4.	साई बुद्धेश्वर भण्डार, धामनोद, रतलाम	केरोसीन अवैध रूप से विक्रय करने के लिये ले जाया गया था	विभाग ने 230 लीटर सफेद केरोसीन एवं एक मारुति वेन (एम.पी. 43 सी. 6479) जिसमें से केरोसीन उचित मूल्य की दुकान के मालिक और विक्रेता द्वारा अन्य क्षेत्र में बेचने के लिये लिया गया था जब्त (16.01.2014) किया गया। वाहन के चालक (वाहन के मालिक) ने स्वीकार किया, कि सफेद तरल (सफेद केरोसीन) साई बुद्धेश्वर भण्डार, धामनोद से लिया था और सैलाना में यह विक्रय के लिये जा रहा था। उचित मूल्य की दुकानके विक्रेता ने कहा कि दुकान पर काले रंग का केमिकल रखा है जिसका उपयोग केरोसीन को सफेद बनाने में किया जाता है, केरोसीन को सफेद करने के लिये मिलाया गया था। भौतिक सत्यापन के दौरान 670 लीटर केरोसीन पाया गया किन्तु स्कंध पंजी और विक्रय पंजी दुकान में नहीं मिली जिससे दूर ले जाया गया केरोसीन तेल का पता नहीं लगाया गया था। केरोसीन के साथ ही वाहन को जिनका अनुमानित मूल्य ₹ 3.55 लाख था जब्त किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई किन्तु एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। मारुति वेन तथा केरोसीन पुलिस हिरासत में था। मामला अनुविभागीय दण्डाधिकारी न्यायालय में लंबितथा।
5.	साईनाथ महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, रतलाम	म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 का उल्लंघन	सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा अप्रैल 2011 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 13.35 क्विंटल चावल और 2.14 क्विंटल गेहूं कम था। 14.15 क्विंटल चावल जब्त किया गया था।	15.06.2011 को ₹ 5000/- राजसात किया गया एवं चालान क्रमांक 5514311 दिनांक 17.06.2011 को जमा किया गया।
6.	आयुषी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, रतलाम	म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 का उल्लंघन	सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा अप्रैल 2011 में निरीक्षण के दौरान 3.96 किलोग्राम चावल कम पाया गया एवं 58 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया।	14.07.2011 को ₹ 1500/- राजसात किया गया और चालान क्रमांक 15370070 दिनांक 26.07.2011 को जमा किया गया।
7.	हरिओम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, रतलाम	म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 का उल्लंघन	सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा अगस्त 2011 में निरीक्षण के दौरान 86 लीटर केरोसीन कम पाया गया।	20.09.2011 को ₹ 1000/- राजसात किया गया और दिनांक 22.09.2011 को चालान द्वारा जमा किया गया।
8.	अभिजीत प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, रतलाम	म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 का उल्लंघन	सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा फरवरी 2014 में निरीक्षण के दौरान 74 किलोग्राम गेहूं और 69 लीटर केरोसीन कम पाया गया।	₹ 1200/- राजसात किया गया एवं चालान क्रमांक 92 दिनांक 07.04.2014 द्वारा जमा किया गया।

परिशिष्ट 2.22

(संदर्भ: कडिका 2.2.10.3, पृष्ठ 44)

विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समिति (वी.सी.) के गठन एवं उनकी बैठकों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	जिले का नाम	उचित मूल्य की दुकानों की संख्या	गठित वी.सी. की संख्या	गठित न की गई वी.सी. की संख्या	विकास खंड की संख्या	विकासखंड स्तर पर गठित वी.सी. की संख्या	उचित मूल्य की दुकान स्तर पर होने वाली बैठकों की संख्या	उचित मूल्य की दुकान स्तर पर की गई बैठकों की वास्तविक संख्या	कमी	विकासखंड स्तर पर होने वाली बैठकों की संख्या	विकासखंड स्तर पर की गई बैठकों की वास्तविक संख्या	कमी	जिला स्तर पर होने वाली बैठकों की संख्या	जिला स्तर पर की गई बैठकों की वास्तविक संख्या	कमी
1	बड़वानी	360	300	60	7	7	15,064	14,952	112	296	296	0	188	47	141
2	भोपाल	407	391	16	2	2	14,328	7,281	7,047	72	1	71	144	30	114
3	धार	603	603	0	13	13	14,053	9,276	4,777	312	260	52	96	0	96
4	इंदौर	523	523	0	4	4	27,400	13,639	13,761	240	75	165	240	45	195
5	कटनी	470	467	03	6	6	28,014	19,106	8,908	360	280	80	240	60	180
6	खण्डवा	382	268	114	7	7	16,080	2,665	13,415	420	4	416	240	14	226
7	खरगौन	493	443	50	9	9	21,012	19,237	1,775	432	340	92	192	75	117
8	रायसेन	545	545	0	7	7	28,545	21,237	7,308	406	302	104	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
9	रतलाम	412	405	07	6	6	22,968	20,776	2,192	360	283	77	240	48	192
10	रीवा	809	809	0	9	9	43,860	240	43,620	540	240	300	240	240	0
11	सतना	815	एन.ए.	एन.ए.	8	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
12	शहडोल	417	397	20	5	5	2,779	0	2,779	35	0	35	28	0	28
13	सीधी	426	425	1	5	5	24,885	0	24,885	300	0	300	240	236	4
14	उज्जैन	597	567	30	6	6	28,032	24,917	3,115	288	28	260	192	170	22
	योग	7,259	6,143	301	94	86	2,87,020	1,53,326	1,33,694	4,061	2,109	1,952	2,280	965	1,315
	प्रतिशत	-	-	5*	-	-	-	-	47	-	-	48	-	-	58

* सतना जिले को छोड़कर

परिशिष्ट कमांक 2.23

(संदर्भ: कंडिका 2.3.5. पृष्ठ 47)

जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों का समावेशन दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क.	जिला	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों का नाम
1	अनुपपुर	अनुपपुर	07	बमहनी, अमलाई, रेउला, धनगांवा, शिकारपुर, चुकान, देवरी
		कोटमा	07	बेलगांव, बेनीबेहरा, कटको, मझौली, धनगांव, निगवानी, बेलीवाघाट
2	बालाघाट	बालाघाट	10	मरीचा, देवरी, लोहारी, आवलझारी, कोचवाडा, भालेवाडा, चिचगांव, सोनखार, मोटेगांव, रट्टा
		कटंगी	10	तिरोडी, कोसुम्बा, कटेटा, चकाहेटी, अंजनबिहारी, सुंदर, सराबोडी, कोदवी, उमरी, कुडवा
3	बड़वानी	बड़वानी	10	चरनखेडा, तलवाडाबुजुर्ग, बागुद, बरुखोडरा, वेदपुरी, पिपरी, सिलावद, तरुनखुर्द, बोम्या, बजटडाखुर्द,
		निवाली	10	कनडगांव, पीपलघार, चटली, जमारया,सुलगांव, भैलपाड़, दीवानी, निवालीबुजुर्ग, बोरली, कानपुरी
4	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	10	चरगांवप्रहलाद, मनादेही, परताल, मंगीवाडा, धमनिया, मानेगांव, पिंडरीकला, सिहोरा, धावरीटेका कुकदासामत
		अमरवाड़ा	08	तेदुनीमाल, लींगपानी, मोहलीमारट, चीमउ, नन्दनवाडी, बांद्रा, हसनावदा, कोडकुही
5	देवास	देवास	02	सुकल्याक्षिप्रा, अखेपुर
		टोंकखुर्द	08	पीपल्या सडक, बरडु, लसुडियाब्राम्हण, पोलाय, फातनपुर, नवादा, धातुरिया, बडखेडा
6	धार	धार	06	बग्गाद, तोरनोद, साम्बर, गढ़वाद, बागडीतुर्क, तीसगांव
		उमरबन	09	लुथेराबुजुर्ग, धानखेडी, रालामंडल, दमाद, बाजटाखुर्द, वकनेर, पटवार, रानगांव, रामाधामा
		डही	04	धाना, चरदा, पीपलुड, बलवानी
7	खण्डवा	खण्डवा	07	धरमपुरी, रामपुरा, सहेजिला, डोंगरगांव, गोकुलगांव, बडगांवमाली, पलकना
		बलडी	07	कितलोद, सेमरूद्र, माकुर, बिलोदमाल, जैतपुरकलां, लाछौरमाल, भगवानपुर
8	रतलाम	रतलाम	10	प्रितमनगर, भालवासा, कारगडी, टिटरी, पिपलखुटा, हरथाली, पलसोदा, सरवानीजागीर, बदौदा, जड़वासाखुर्द
		बाजना	10	रावती, जावडी, जावद, बौरखेडा, पिपलीवडा, चंद्रगड, बजरंगगड, चिकनी, खेरी, भानपुर
9	सागर	सागर	10	अंगद, बडोबा, बेरखारीगुरु, परोसिया, रामोली, केरवान, इनोताकला, सिरौजा, चितोरा, किशनपुरा
		खुरई	10	महुनाजाट, धरमोपुर, धनोरा, खडेसरा, करईयागुजर, घटौलाजागीर, नौखेडा, निवाली, चांदपुर, बरौदियानौ नगर
10	सतना	सतना	10	कुआ, बाधी, निमिहट, रनही, मदनी, पुरवा, ईटमा, सेमरीकलां, चोरवारी, करसारा
		रामनगर	09	देवदहा, छिरहई, गैलहरी, मनकीसर, हिनोती, दहीचटोला, भोलहड़, कैथहा, मनकहरी
11	शहडोल	सोहागपुर	10	कंचनपुर, चीटहुला, सिरौजा, खमरीयाकलां, चुनिया, बंधवाबाडा, खेतौली, सारंगपुर, पतासी, कोटमा
		ब्यौहारी	10	समान, बनासी, कुआं, बेरहाई, बोडिहा, मउ, खड़डा, कलहरी, बरहराटोला, भोलाहरी,
12	उज्जैन	उज्जैन	09	दताना, बडकुमेड, रामवासा, दाउदखेडी, खेमसा, उंडासा, टकवासा, चीरखान, मानपुर,
		बड़नगर	08	खेडावडा, खरसोरकलां, बिसाधा, अमलावदकलां, सरसाना, नवगांव, लोहाना, माधवपुरा
13	विदिशा	विदिशा	10	धीरखड़ा, पांझ, करारिया, बाघरी, खलैया, खामखेडा, रूस्ताली, चिटोडिया, जीवजपुर, सतपाडा
		लटेरी	10	शहारखेडा, बरखेडघोसी, धीरगड, गोपालपुर, सेमरामेघनाथ, परवरिया, बामनखेडी, ईसरवास, मोरारिया, सावनखेडी
योग			231	

परिशिष्ट-2.24

(संदर्भ: कंडिका 2.3.6.2 पृष्ठ 48)

एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा राज्यांश जारी करने में विलंब दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

वर्ष	केन्द्रांश प्राप्त होने की दिनांक	राशि	डी.डब्ल्यू.एस.एम. को राज्यांश जारी करने की दिनांक	राशि	जिलों की संख्या	राशि जारी करने में 15 दिन से अधिक विलंब
2009-10	27.08.09	9,987.48	उपलब्ध नहीं	3,172.56	32	उपलब्ध नहीं
2010-11	15.07.10 (प्रथम किस्त)	7,201.29	08.09.10	1,338.71	39	40
			15.10.10	872.71	39	77
	24.12.10 (द्वितीय किस्त)	7,201.29	17.02.11	2,655.54	41	40
2011-12	28.06.11 (प्रथम किस्त)	7,538.00	30.03.11	999.89	32	81
			27.07.11	1,125.98	33	14
	30.12.11 (द्वितीय किस्त)	7,538.00	18.08.11	576.31	03	36
			20.01.12	2,261.40	48	06
			06.02.12	540.18	25	23
2012-13	17.05.12 (प्रथम किस्त)	12,889.98	26.03.12	18.91	01	71
			07.06.12	3,867.01	49	06
	29.12.12 (द्वितीय किस्त)	11,086.34	12.07.12	1,666.98	32	41
2013-14	27.09.13 (द्वितीय किस्त)	2,270.65	23.01.13	1,133.89	14	10
	28.06.13 (प्रथम किस्त)	24,130.00	27.07.13	5,961.68	48	14
	24.12.13 (तृतीय किस्त)	6,618.79	23.10.13	4,702.11	48	11
			28.02.14	1,987.22	08	51

(स्रोत: एस.डब्ल्यू.एस.एम. भोपाल से एकीकृत जानकारी)

परिशिष्ट-2.25

(संदर्भ: कडिका 2.3.6.3 पृष्ठ 49)

जनपद पंचायतों में अप्रयुक्त पड़ी राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिले का नाम	जनपद पंचायत का नाम	31.03.2014 की स्थिति में शेष राशि
1	अनुपपुर	अनुपपुर	2.99
		कोटमा	0.62
2	बालाघाट	बालाघाट	49.14
		कटंगी	76.02
3	बड़वानी	बड़वानी	03.62
		निवाली	13.66
4	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	71.89
5	देवास	देवास	8.96
		टोकंखुर्द	17.24
6	धार	धार	13.30
		डही	3.12
		उमरबन	1.15
7	खण्डवा	खण्डवा	2.92
		बलडी	1.53
8	रतलाम	रतलाम	8.26
		बाजना	31.29
9	सागर	सागर	14.52
10	शहडोल	सोहागपुर	7.75
11	उज्जैन	उज्जैन	3.01
		बडनगर	17.78
12	विदिशा	विदिशा	238.42
		लटेरी	70.42
योग			657.61

परिशिष्ट-2.26

(संदर्भ: कडिका 2.3.6.5 पृष्ठ 50)

जनपद पंचायत स्तर पर टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधियों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन न किये जाने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(राशि ₹ में)

स.क्र.	जिला	जनपद पंचायत	टी.एस.सी./एन.बी.ए. निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि					योग	2013-14
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13			
1	अनुपपुर	अनुपपुर	60,541	26,644	64,161	निरंक	1,51,346	14,261	
		कोटमा	30,503	12,075	15,456	18,440	76,474	2,421	
2	बालाघाट	बालाघाट	23,665	60,504	1,61,626	3,28,652	5,74,447	5,36,414	
		कटंगी	24,315	2,25,134	3,35,604	3,48,256	9,33,309	3,34,307	
3	बड़वानी	बड़वानी	38,806	38,807	1,13,557	53,031	2,44,201	38,484	
		निवाली	7,829	65,037	1,27,654	2,10,585	4,11,105	3,476	
4	छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	आकडे उपलब्ध नहीं	आकडे उपलब्ध नहीं	आकडे उपलब्ध नहीं	आकडे उपलब्ध नहीं	आकडे उपलब्ध नहीं	1,66,354	
5	देवास	देवास	17,503	79,713	89,566	27,854	2,14,636	95,012	
		टोकखुर्द	25,133	2,29,932	1,55,345	95,251	4,05,661	1,39,892	
6	धार	धार	29,995	67,334	निरंक	20,659	1,17,988	53,229	
		डही	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1,15,469	
7	खण्डवा	खण्डवा	0	0	1,14,580	1,41,299	2,55,879	1,26,269	
		बलडी	14,092	0	5,777	4,351	24,220	11,147	
8	रतलाम	रतलाम	44,354	58,540	66,095	75,905	2,44,894	1,02,727	
		बाजना	0	41,019	74,939	0	1,15,958	7,962	
9	सागर	सागर	7,192	61,255	9,295	48,750	1,26,492	1,26,964	
		खुरई	80,904	68,477	1,36,044	3,48,627	6,34,052	3,64,665	
10	सतना	सतना	15,171	33,896	4,10,959	268	4,60,294	1,81,002	
		रामनगर	5,827	0	0	49,895	55,722	7,907	
11	शहडोल	सोहागपुर	1,42,417	68,015	2,13,621	1,78,652	6,02,705	1,14,057	
		ब्योहारी	1,25,499	40,953	1,00,987	1,44,716	4,12,155	75,720	
12	उज्जैन	उज्जैन	49,394	83,209	2,70,501	1,65,997	5,69,101	76,573	
		बडनगर	1,079	36,032	1,37,758	1,36,880	3,11,749	15,107	
13	विदिशा	विदिशा	15,637	79,089	76,935	1,54,299	3,25,960	3,40,489	
		लटेरी	19,000	24,232	21,820	84,000	1,49,052	37,000	
योग			7,78,856	13,99,897	27,02,280	26,36,367	74,17,400	30,86,908	

(स्रोत : नमूना जांच किये गये जिलों की जनपद पंचायतों से संग्रहीत जानकारी)

परिशिष्ट 2.27

(संदर्भ: कडिका 2.3.6.6 पृष्ठ 50)

ग्रामीण स्वच्छता बाजारों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

(राशि लाख ₹)

स. क.	जिला	स्थापित ग्रामीण स्वच्छता बाजारों की संख्या	स्व. सहायता समूह/ गैर सरकारी संगठन का नाम	ग्रामीण स्वच्छता बाजारों को दिये गये ऋण की राशि	ऋण जारी किये जाने का दिनांक	लिए गए पुर्नभुगतान की राशि	बकाया ऋण की राशि
1	अनुपपुर	03	पकरिहा स्व सहायता समूह पकरिहा	2.00	18.04.04	0.00	2.00
			जुहीला स्व सहायता समूह कोतमा	2.00	24.11.04	0.00	2.00
			संगम स्व सहायता समूह जैतहारी	2.00	18.11.04	0.00	2.00
2	देवास	04	सरस्वती स्व सहायता समूह अगरोद	0.25	28.07.05	0.00	0.25
			लक्ष्मी मां स्व सहायता समूह पटाडी	0.25	04.04.05	0.00	0.25
			मां गायत्री स्व सहायता समूह सिरोलिया	0.25	04.04.05	0.00	0.25
			शक्ति स्व सहायता समूह टोंकखुर्द	0.25	23.03.05	0.25	0.25
				0.25	05.10.05	(04.07.11)	
3	सागर	05	श्री महेन्द्र तिवारी गडकोटा	0.25	31.05.04	0.00	0.25
			प्राजीव एज्युकेशन सोसायटी सागर	0.25	28.12.05	0.00	0.25
			शक्ति स्व सहायता समूह जमुलियाकेसली	0.25	19.04.05	0.00	0.25
			सपना स्व सहायता समूह खैराना	0.25	12.05.05	0.00	0.25
			मिल्क डेयरी स्व सहायता समूह हिनोतियाकला	0.25	20.10.05	0.00	0.25
4	शहडोल	04	गंगा स्व सहायता समूह ब्यौहारी	2.00	18.11.04	2.00	0.00
						(30.03.13)	
			मां भगवति स्व सहायता समूह जयसिंह नगर	2.00	18.11.04	0.00	2.00
			महात्मा स्व सहायता समूह बुढार	2.00	24.11.04	0.00	2.00
			कोशी स्व सहायता समूह गोहपारु	2.00	24.11.04	0.00	2.00
योग		16		16.50		2.25	14.25

(स्रोत : डी.डब्ल्यू.एस.एम. जिला अनुपपुर, देवास, सागर एवं शहडोल द्वारा प्रदत्त जानकारी)

परिशिष्ट-2.28

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7.1 पृष्ठ 51)

परियोजना कार्यान्वयन योजना बनाने तथा पुनरीक्षण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	जिला	पी.आई.पी. बनाने का वर्ष	क्या पी.आई.पी. पुनरीक्षण किया गया था (हाँ/नहीं)	पी.आई.पी. में पुनरीक्षणों की संख्या (2009-14)	पी.आई.पी. में पुनरीक्षण का वर्ष
1	अनुपपुर	2007	हाँ	01	2013-14
2	बालाघाट	-	-	-	-
3	बड़वानी	-	-	-	-
4	छिन्दवाडा	2001	हाँ	04	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
5	देवास	2002-03	हाँ	01	2013-14
6	धार	-	-	01	2013-14
7	खण्डवा	2002-03	हाँ	02	2008-09 2013-14
8	रतलाम	-	-	01	2013-14
9	सागर	-	हाँ	01	2013-14
10	सतना	2003-04	हाँ	01	2011-12
11	शहडोल	2006-07	हाँ	01	2013-14
12	उज्जैन	2003-04	हाँ	01	2013-14
13	विदिशा	-	-	-	-

(स्रोत : नमूना जांच किये गये जिलों के डी.डब्ल्यू.एस.एम. से एकत्रित जानकारी)

परिशिष्ट-2.29
(संदर्भ: कडिका 2.3.7.2 पृष्ठ 53)
डी.डब्ल्यू.एस.एम. की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	जिला	वर्ष									
		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		बैठकों की संख्या	दिनांक	बैठकों की संख्या	दिनांक	बैठकों की संख्या	दिनांक	बैठकों की संख्या	दिनांक	बैठकों की संख्या	दिनांक
1	अनुपपुर	0	0	1	1.4.10	0	0	0		0	0
2	बालाघाट	0	0	1	12.7.10	0	0	0	0	0	0
3	बड़वानी	3	15.1.09 4.8.09 8.10.09	4	4.5.10 8.6.10 15.11.10 6.2.11	3	5.5.11 7.9.11 2.4.12	3	7.7.12 21.12.12 2.3.13	2	8.9.13 14.3.13
4	छिन्दवाडा	0	0	2	25.6.10 7.2.11	1	6.3.12	1	8.10.12	0	0
5	देवास	0	0	3	25.05.10 15.09.10 07.01.11	0	0	0	0	0	0
6	धार	0	0	0	0	2	11.11.11 22.11.11	0	0	0	0
7	खण्डवा	02	13.11.09, 29.03.10	03	31.05.10, 20.08.10, 04.10.10	01	12.10.11	0	0	01	08.07.13
8	रतलाम	0	0	1	6.1.11,	0	0	0	0	0	0
9	सागर	1	12.5.09	2	13.8.10 12.11.10	3	2.5.11 14.7.11 11.11.11	3	14.9.12 21.9.12 4.2.13	2	23.9.13 19.2.14
10	सतना	1	17.9.09	1	26.8.10	1	6.9.11	2	8.5.12 8.10.12	0	0
11	शहडोल	0	0	2	08.04.10 15.10.10	0	0	6	13.04.12, 26.06.12 31.08.12, 05.11.12 27.12.12, 21.03.13	0	0
12	उज्जैन	1	9.9.09	4	22.5.10 15.9.10 29.10.10, 11.02.11	4	8.6.11 27.8.11 10.11.11 14.02.12	2	28.04.12 10.10.12	1	14.08.13
13	विदिशा	0	0	2	16.09.10 31.01.11	2	16.5.11 09.01.12	3	11.06.12 27.08.12, 11.03.13	3	22.04.13 15.07.13 03.02.14

(स्रोत: नमूना जांच किये गये जिले के डी.डब्ल्यू.एस.एम. से एकत्रित जानकारी)

परिशिष्ट-2.30

(संदर्भ: कडिका 2.3.8.1 पृष्ठ 54)

लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी दर्शाने वाला विवरण पत्रक

वर्ष	बी.पी.एल. हेतु वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय		कमी (प्रतिशत)	ए.पी.एल. हेतु वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय		कमी (प्रतिशत)	सामुदायिक स्वच्छता परिसर		कमी (प्रतिशत)	विद्यालय शौचालय		कमी (प्रतिशत)
	लक्ष्य	पूर्ति		लक्ष्य	पूर्ति		लक्ष्य	पूर्ति		लक्ष्य	पूर्ति	
2009-10	10,64,259	6,13,544	4,50,715 (42)	14,09,582	7,88,802	6,20,780 (44)	490	117	373 (76)	15,128	10,795	4,333 (29)
2010-11	6,98,278	6,21,743	76,535 (11)	8,67,482	5,44,273	3,23,209 (37)	114	164	-	12,994	16,570	-
2011-12	7,44,240	4,72,521	2,71,719 (37)	7,16,461	4,56,180	2,60,281 (36)	412	140	272 (66)	12,290	43,687	-
2012-13	7,76,638	3,39,282	4,37,356 (56)	7,87,842	2,18,907	5,68,936 (72)	412	88	324 (79)	10,644	1,033	9,611 (90)
2013-14	9,07,293	2,79,845	6,27,448 (69)	9,92,368	2,35,738	7,56,630 (76)	1123	112	1011 (90)	-	-	-

(स्रोत: एस.डब्ल्यू.एस.एम. भोपाल द्वारा प्रदत्त जानकारी)

			थांदला	1	रूडीपाडा, वार्ड 8, बीडमधुडी पाडा, हरिजन मोहल्ला, खेडी पाडा, नाल फलिया 148, सागवा 238, मोरझरी II, गोमलीसाथ नाका, नाका फलिया,	10
12	सबला	नीमच	जावद	1	केलूखेडा, मलानखेडा, बरखेडा कामलिया, मोक्का, वार्ड 7 जावद, धमनिया क्र.1, बराडा क्र.2, जावद वार्ड 15, जावद वार्ड 14, मौखन क्र.2	10
			शहरी	1	आगंनवाडी केन्द्र 71, आगंनवाडी केन्द्र 73, आगंनवाडी केन्द्र 50, आगंनवाडी केन्द्र 74, आगंनवाडी केन्द्र 59, आगंनवाडी केन्द्र 39, आगंनवाडी केन्द्र 18, आगंनवाडी केन्द्र 19, आगंनवाडी केन्द्र 10, आगंनवाडी केन्द्र 9,	10
			मनासा	1	बनी क्र.2, मोया क्र.2, दुरगपुरा क्र.2, कुण्डला क्र.2, साकरिया खेडी, भाटखेडी खुर्द, खानखेडी 2, कंजाडी क्र.6, चौकडी 3, कंजाडी क्र. 5	10
			ग्रामीण	1	जीरन 4, जीरन 11, जीरन 13, धनेरिया कला 2, बामनबेडी, भरमडिया 2, ढोलपुरा, केलूखेडा, डसानी, चीताखेडा 5	10
			लालबर्वा	1	मोहगांव 2, बकोडा 2, पढंरापानी, टेकाडी 3, पडखनी, छतेरा, देवरी 1, नेवरगांव, बोरी पोट्टोला-3, भौरगढ	10
13	बालाघाट	वारासिवनी	1	कायदी 3, डोरगमाली 2, महदुली 3, दीनी 3, नत्थाटोला, वासी 1, अयोध्यावस्ती, चौरडिया, बरबसपुर, सोनबाटोला	10	
		खैरलांजी	1	नोनसा, आरंभा 2, आरंभा 69, आरंभा 71, बिटोडी 154, आरंभा 132, सेलोटपार 155, साकडी 156, मिण्डारा, दुधारान,	10	
		कटंगी	1	उजाडबोपली, महदुली 1, खैरलांजी 1, लखनवाडा, परासपाडवार, धनकोषा, महोकेपार, झंझागी, परसाडी टोला, कानझो-2	10	
		योग	52		160	

परिशिष्ट.2.32

(संदर्भ: कडिका 2.4.8.1, पृष्ठ 68)

सबला के अन्तर्गत परियोजना कार्यालयों द्वारा उपयोग की गई राशि को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

वर्ष	जिले का नाम	परियोजना कार्यालय का नाम	आवंटन	व्यय	अव्ययित राशि (प्रतिशत)	निष्पादित नहीं की गई गतिविधियों के लिए राशि का समर्पण
2011-12	झाबुआ	झाबुआ	180000	100000	80000(45)	जीवन कौशल शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, किशोरी दिवस, व्यावसायिक प्रशिक्षण
2012-13	नीमच	मनासा	200000	172200	27800(14)	व्यावसायिक प्रशिक्षण, आयरन फौलिक एसिड
		जावद	200000	150000	50000(25)	व्यावसायिक प्रशिक्षण, आयरन फौलिक एसिड
		शहरी	200000	150380	49620(25)	व्यावसायिक प्रशिक्षण, किशोरी दिवस
2012-13	सागर	शहरी 2	200000	145971	54029(27)	सखी सहेली प्रशिक्षण, जीवन कौशल शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, सबला कार्ड मुद्रण, आयरन फौलिक एसिड
2012-13	झाबुआ	मेघनगर	200000	168000	32000(16)	व्यावसायिक प्रशिक्षण, आयरन फौलिक एसिड
		झाबुआ	200000	162000	38000(19)	व्यावसायिक प्रशिक्षण, आयरन फौलिक एसिड
		पेटलावद	200000	150000	50000(25)	व्यावसायिक प्रशिक्षण, आयरन फौलिक एसिड
2013-14	नीमच	मनासा	230000	196876	33124(14)	व्यावसायिक प्रशिक्षण
		ग्रामीण	230000	160728	69272(30)	जीवन कौशल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण
2013-14	बालाघाट	लालबर्वा	230000	200000	30000(13)	व्यावसायिक प्रशिक्षण
2013-14	झाबुआ	मेघनगर	230000	182000	48000(21)	जीवन कौशल शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, आयरन फौलिक एसिड
		थांदला	230000	180000	50000(22)	आयरन फौलिक एसिड, किशोरी दिवस
		झाबुआ	230000	144500	85500(37)	जीवन कौशल शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, किशोरी दिवस, सबला कार्ड मुद्रण, आयरन फौलिक एसिड
2013-14	सागर	शहरी 1	230000	189164	40836(18)	जीवन कौशल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, किशोरी दिवस, आयरन फौलिक एसिड
योग	4 जिले	11 परियोजना कार्यालय	3190000	2451819	738181	

परिशिष्ट-2.33

(संदर्भ: कडिका 2.4.9, पृष्ठ 73)

सहायक आयुक्त, आदिम जाति विभाग/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्राचार्यों द्वारा अव्ययित राशि को वापस न करना दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(₹ लाख में)

जिला	जिला/ब्लॉक/विद्यालय का नाम	वर्ष	शेष राशि		योग
			अ.जा.	अ.ज.जा	
डिण्डौरी	सहायक आयुक्त, डिण्डौरी	2009-13	4.6	6.92	11.52
	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी करजिया	2009-13	0	1.06	1.06
	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बजाग	2009-14	0.27	2.63	2.9
	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मेंहदवानी	2013-14	0	0.06	0.06
	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी शहपुरा	2009-14	0.41	2.94	3.35
	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अमरपुर	2013-14	0	0.16	0.16
	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी समनापुर	2009-10, 2011-12	0	0.66	0.66
	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी डिण्डौरी	2010-11	0.16	0.39	0.55
	प्राचार्य शास. कन्या उ.मा.वि. बजाग	2011-13	0	0.16	0.16
	प्राचार्य शास. कन्या उ.मा.वि. करजिया	2011-14	0	0.44	0.44
	उमरिया	सहायक आयुक्त, उमरिया	2009-14	2.23	23.24
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मानपुर		2009-14	0.82	4.43	5.25
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पाली		2009-14	0.3	5.85	6.15
प्राचार्य शास. कन्या उ.मा.वि. पाली		2009-14	0.32	0.98	1.3
मंडला	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मंडला	2013-14	0.74	3.26	4.00
	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी नैनपुर	2009-14	0.56	0.43	0.99
	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बिछिया	2009-14	6.38	21.16	27.54
	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मवई	2009-14	0.05	2.76	2.81
	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी घुघरी	2011-14	1.25	-0.88	0.37
	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मोहगोव	2009-14	0.73	2.33	3.06
	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी निवास	2009-14	1.69	8.77	10.46
	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी नारायणगंज	2011-14	0.37	2.7	3.07
	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बीजाडांडी	2009-14	0.17	5.51	5.68
ग्वालियर	प्राचार्य शास.पदमा कन्या उ.मा. वि.ग्वालियर	2009-14	3.88	0.05	3.93
मंदसौर	प्राचार्य शास. कन्या उ.मा.वि. सीतामऊ	2010-13	0.24	0	0.24
	प्राचार्य शास. कन्या उ.मा.वि. सुवासरा	2011-14	0.34	0	0.34
छिंदवाडा	प्राचार्य शास. कन्या उ.मा.वि. छिंदवाडा	2009-14	1.51	1.82	3.33
	योग		27.02	97.83	124.85

परिशिष्ट.2.34

(संदर्भ: कडिका 2.4.9.2, पृष्ठ 74)

आवेदन-पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना लाभ दिए जाने वाले प्रकरणों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

जिला	सरल क्र.	विद्यालय का नाम	कक्षा-6		कक्षा-9		कक्षा-11		योग	रिमार्क
			अ.जा	अ.ज.जा.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.जा	अ.ज.जा.		
बुरहानपुर	1	प्राचार्य शास. कन्या उ.मा.वि. डाइफोडिया	0	107	14	138	4	19	282	आवेदन पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए
	2	प्राचार्य शास. उत्कृष्ट उ.मा.वि. धूलकोट	19	377	9	96	10	111	622	
	3	प्राचार्य एस.बी. फुले शास. कन्या उ.मा.वि. बुरहानपुर	83	23	218	60	158	61	603	
डिण्डौरी	4	प्राचार्य रानी अवन्तिबाई शास. उत्कृष्ट उ.मा.वि. अमरपुर	0	0	0	0	14	275	289	
	5	प्राचार्य शास. कन्या उ.मा.वि. बजाग	0	0	1	96	2	131	230	
सागर	6	प्राचार्य ललिता शास्त्री शास. कन्या उ.मा.वि. खुरई	284	32	562	31	259	11	1179	
छिंदवाडा	7	प्राचार्य शास. कन्या उ.मा.वि. चौरई	25	46	64	146	70	52	403	
सिवनी	8	प्राचार्य शास. कन्या उ.मा.वि. घंसौर	29	131	126	463	89	314	1152	
	9	प्राचार्य शास. कन्या उ.मा.वि. छपारा	83	140	120	216	117	245	921	
नीमच	10	प्राचार्य शास. उ.मा.वि. नीमच कैंट	0	0	315	21	0	0	336	
होशंगाबाद	11	प्राचार्य शास. कन्या उ.मा.वि. इटारसी	0	0	298	63	205	55	621	
बालाघाट	12	प्राचार्य शास. उ.मा.वि. गढी	0	0	0	0	6	115	121	
	13	प्राचार्य शास. एम.एल.बी उ.मा.वि. बालाघाट	0	0	138	148	179	130	595	
		योग (अ)	523	856	1865	1478	1113	1519	7354	
बुरहानपुर	1	प्राचार्य शास. उत्कृष्ट उ.मा.वि. धूलकोट	19	377	9	96	10	111	622	जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए
डिण्डौरी	2	प्राचार्य शास. उत्कृष्ट उ.मा.वि. अमरपुर	0	0	0	0	17	350	367	
ग्वालियर	3	प्राचार्य शास. पदमाराजा उ.मा.वि. ग्वालियर	218	0	0	0	0	0	218	
	4	प्राचार्य शास. कन्या गजराराजा उ.मा.वि. ग्वालियर	50	0	376	5	195	2	628	
		योग (ब)	287	377	385	101	222	463	1835	
		प्रोत्साहन की दर (₹ मे)	500	500	1000	1000	3000	3000		
		कुल भुगतान की गई राशि (अ + ब)	405000	616500	2250000	1579000	4005000	5946000	14801500	

परिशिष्ट-2.35

(संदर्भ: कंडिका 2.4.9.3, पृष्ठ 74)

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के विलंब से वितरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स.क्र.	जिला	विद्यालयां की संख्या	लाभान्वित छात्राओं की संख्या	वितरित राशि (₹ लाख में)	विलम्ब की अवधि (माह में)
1	सागर	3	1945	21.65	3 से 15
2	नीमच	4	562	5.16	3 से 15
3	सिवनी	5	2717	38.26	3 से 15
4	झाबुआ	4	1291	18.20	3 से 14
5	छिंदवाडा	3	520	7.94	3 से 9
6	डिण्डौरी	3	200	3.44	3 से 17
7	बुरहानपुर	2	246	2.42	3 से 8
8	ग्वालियर	3	1772	18.86	3 से 13
9	मंदसौर	2	182	0.67	4 से 8
10	उमरिया	2	477	5.68	2 से 18
11	मंडला	2	341	2.20	4 से 11
12	बालाघाट	1	79	0.99	6 से 15
	योग	34	10332	125.47	

परिशिष्ट-2.36

(संदर्भ: कडिका 2.4.9.4, पृष्ठ 75)

छात्राओं को पोसाहन राशि के नगद भुगतान को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

जिला	वर्ष	संस्थान का नाम	कक्षा 6 की छात्राओं की संख्या (₹ 500)				कक्षा 9 की छात्राओं की संख्या (₹ 1000)				कक्षा 11 की छात्राओं की संख्या (₹ 3000)				कुल राशि (₹ लाख में)
			अ. जा	अ.ज.जा	योग	राशि (₹ लाख में)	अ. जा	अ.ज. जा	योग	राशि (₹ लाख में)	अ.जा	अ.ज. जा	योग	राशि (₹ लाख में)	
मंडला	2009-10	सहायक आयुक्त मंडला	566	6310	6876	34.38	344	1867	2211	22.11	195	825	1020	30.6	87.09
	2010-11		465	6525	6990	34.95	376	2497	2873	28.73	226	1092	1318	39.54	103.22
	2011-12		507	6827	7334	36.67	470	3967	4437	44.37	227	1384	1611	48.33	129.37
	2012-13		515	7723	8238	41.19	518	5313	5831	58.31	188	1367	1555	46.65	146.15
	2013-14		466	7967	8433	42.165	465	4927	5392	53.92	346	2459	2805	84.15	180.235
		योग		2519	35352	37871	189.355	2173	18571	20744	207.44	1182	7127	8309	249.27
झाबुआ	2009-10	प्राचार्य शास.क. उ.मा.वि. मेघनगर	11	41	52	0.26	7	49	56	0.56	7	40	47	1.41	2.23
	2010-11		14	35	49	0.245	1	71	72	0.72	3	31	34	1.02	1.985
	2009-10	प्राचार्य शास.क. उ.मा.वि. थांदला	5	35	40	0.2	4	122	126	1.26	5	101	106	3.18	4.64
	2010-11		3	33	36	0.18	5	141	146	1.46	2	90	92	2.76	4.4
	2011-12		2	45	47	0.235	3	131	134	1.34	3	113	116	3.48	5.055
	2009-10	प्राचार्य शास.क. उ.मा.वि. पेटलावद	4	16	20	0.1	9	75	84	0.84	0	12	12	0.36	1.3
	2010-11		0	19	19	0.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0.095
	2009-10	प्राचार्य शास.क. उ.मा.वि. झाबुआ	9	61	70	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35
	2010-11		11	66	77	0.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0.385
नीमच	2009-10	प्राचार्य शास.क. उ.मा.वि. मनासा	15	1	16	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08
	2010-11		20	1	21	0.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0.105
	2011-12		16	7	23	0.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.115
	2012-13		0	3	3	0.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0.015
छिंदवाडा	2009-10	प्राचार्य शास.क.उ. मा.वि. बिछुआ	0	0	0	0	10	18	28	0.28	5	6	11	0.33	0.61
	2010-11		0	0	0	0	0	31	31	0.31	5	11	16	0.48	0.79
	2011-12		0	0	0	0	0	36	36	0.36	0	0	0	0	0.36
	2011-12	प्राचार्य शास.क.उ. मा.वि. चौरई	16	17	33	0.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0.165
	2009-10	प्राचार्य शास.क.उ. मा.वि. खामरपानी	4	17	21	0.105	0	8	8	0.08	18	42	60	1.8	1.985
	2010-11		1	7	8	0.04	1	5	6	0.06	5	51	56	1.68	1.78
	2011-12		1	29	30	0.15	3	8	11	0.11	16	67	83	2.49	2.75

	2012-13		3	21	24	0.12	1	4	5	0.05	8	26	34	1.02	1.19
	2013-14		3	33	36	0.18	1	0	1	0.01	0	0	0	0	0.19
उमरिया	2009-10	प्राचार्य शास.क.उ.	22	10	32	0.16	14	5	19	0.19	3	0	3	0.09	0.44
	2010-11	मा.वि.चंदिया	0	0	0	0	14	9	23	0.23	8	11	19	0.57	0.8
	2011-12		0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0.21	0.21
	2012-13		0	0	0	0	45	77	122	1.22	3	2	5	0.15	1.37
	2009-10	प्राचार्य शास.क.उ. मा.वि.पाली, उमरिया	0	0	0	0	24	37	61	0.61	1	9	10	0.3	0.91
सिवनी	2010-11	प्राचार्य शास.क.उ. मा.वि. घंसीर	0	0	0	0	16	31	47	0.47	0	40	40	1.2	1.67
		योग	160	497	657	3.285	158	858	1016	10.16	96	655	751	22.53	35.975
		महायोग	2679	35849	38528	192.64	2331	19429	21760	217.6	1278	7782	9060	271.8	682.04

परिशिष्ट -2.37

(संदर्भ: कडिका 2.5.6.3, पृष्ठ 82)

जिला असंचारी रोग क्लीनिक में जांच सुविधा की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्रम संख्या	सुविधा का नाम	छिंदवाड़ा	धार	रतलाम
1.	रक्त शर्करा परीक्षण	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
2.	लिपिड प्रोफाइल	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
3.	गुर्दे कार्य परीक्षण	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
4.	यकृत कार्य परीक्षण	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
5.	ई सी जी	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
6.	अल्ट्रा साउंड	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध
7.	एक्स-रे	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध
8.	कॉलपोस्कोपी	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध
9.	मेमोग्राफी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

[आंकड़ा स्रोत: जिला असंचारी रोग प्रकोष्ठ]

परिशिष्ट -2.38

(संदर्भ: कडिका 2.5.6.3, पृष्ठ 82)

सो.एच.सी. असंचारी रोग क्लीनिक में जांच सुविधा की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्रम सं.	सो.एच.सी. का नाम	रक्त शर्करा	लिपिड प्रोफाइल	ई.सी.जी.	अल्ट्रा साउंड	एक्स-रे
1.	छमुआ	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	धनौरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	हरई	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध
4.	जमई	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध
5.	कुक्षी	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध
6.	पिथमपुर	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध
7.	नामली	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8.	सैलाना	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध
9.	तामिया	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

(आंकड़ा स्रोत: सी.एच.सी. असंचारी रोग क्लीनिक)

परिशिष्ट -2.39

(संदर्भ: कडिका 2.5.6.5, पृष्ठ 83)

जिला असंचारी रोग क्लीनिक में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्रम सं.	जिला असंचारी रोग सेल का नाम	मधुमेह, हृदय रोग एवं आघात घटक			कैंसर घटक		
		आवश्यक दवाओं की संख्या	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	आवश्यक दवाओं की संख्या	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
1.	छिंदवाड़ा	38	21	17 (45 %)	22	2	20 (91 %)
2.	धार	38	26	12 (32 %)	22	0	0 (100 %)
3.	रतलाम	38	27	11 (29 %)	22	0	0 (100 %)

(आंकड़ा स्रोत: जिला असंचारी रोग प्रकोष्ठ)

परिशिष्ट 2.40

(संदर्भ: कडिका 2.5.7.2, पृष्ठ 85)

प्रशिक्षित पेशेवर की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

क्रम सं.	पद	मानदंड के अनुसार पेशेवर को प्रशिक्षित किए जाने की संख्या	वास्तविक प्रशिक्षित	कमी
1.	डॉक्टर	228	5	223
2.	नर्स	466	6	460
3.	फिजियोथेरेपिस्ट	51	1	50
4.	ए.एन.एम./एम.एच.डब्ल्यू	2480	1379	1101
	कुल	3225	1391	1834 (57%)

(आंकड़ा स्रोत: राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ)

परिशिष्ट 2.41

(संदर्भ: कडिका 2.5.7.3, पृष्ठ 85)

जिला, सो.एच.सी. एवं पी.एच.सी. स्तर पर सुविधाओं की स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक

जिला स्तर पर सुविधाओं की स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक					
क्रम सं.	जिला का नाम	वृद्धावस्था वार्ड		वृद्धावस्था क्लीनिक	
		आवश्यक	उपलब्ध	आवश्यक	उपलब्ध
1.	छिंदवाड़ा	01	01	01	01
2.	धार	01	00	01	00
3.	रतलाम	01	01	01	01
	कुल	3	2	3	2
सो.एच.सी. स्तर पर सुविधाओं की स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक					
क्रम सं.	सो.एच.सी. का नाम	वृद्धावस्था क्लीनिक		फिजियोथेरेपी एवं परामर्श के लिए पुनर्वास इकाई की स्थापना	
		आवश्यक	उपलब्ध		
1.	दमुआ	01	00	01	00
2.	धनौरा	01	00	01	00
3.	हरई	01	00	01	00
4.	जमई	01	00	01	00
5.	कुशी	01	00	01	00
6.	नामली	01	00	01	00
7.	पिथमपुर	01	01	01	01
8.	सैलाना	01	00	01	00
9.	तामिया	01	00	01	00
	कुल	9	1	9	1
पी.एच.सी. स्तर पर सुविधाओं की स्थिति को दर्शाने वाला पत्रक					
क्रम सं.	पी.एच.सी. का नाम	वृद्धावस्था क्लीनिक		वृद्ध लोगों के लिए कैलिपर्स एवं सहायक उपकरण ए. एन.एम./एम.एच. डब्ल्यू. को प्रदाय की गई	
		आवश्यक	उपलब्ध		
1.	बरेलीपार	01	00		जारी नहीं
2.	बटकाखापा	01	00		जारी नहीं
3.	बिलपांक	01	00		जारी
4.	बुरीखर्द	01	00		जारी
5.	चिंदी	01	00		जारी
6.	डेहरी	01	00		जारी नहीं
7.	डेलाखेड़ी	01	00		जारी नहीं
8.	धामनोद	01	00		जारी
9.	डुंगरिया	01	00		जारी
10.	हल्दी	01	00		जारी नहीं
11.	हनौतिया	01	00		जारी
12.	नालछा	01	00		जारी नहीं
13.	ओझलढाना	01	00		जारी
14.	सागोर	01	00		जारी नहीं
15.	सरवन	01	00		जारी
16.	शिवगढ़	01	00		जारी
	कुल	16	0		जारी नहीं-7

(स्रोत: जिला असंचारी रोग प्रकोष्ठ)

परिशिष्ट 2.42

(संदर्भ: कडिका 2.5.7.4, पृष्ठ 86)

आवश्यक एवं उपलब्ध स्टाफ की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्रम सं.	स्वास्थ्य सुविधा का नाम	स्टॉफ	आवश्यक पदों की संख्या	कार्यरत	कमी
1.	जिला चिकित्सालय	कंसलटेंट मेडिसीन	06	00	06
		नर्स	18	08	10
		फिजियोथेरेपिस्ट	03	03	00
		अस्पताल सहायक	06	02	04
		स्वास्थ्य परिचर	06	02	04
		बुल	39	15	24
2.	सी.एच.सी.	पुनर्वास कर्मी	09	01	08

(स्रोत: राज्य असंचारी रोग प्रकोष्ठ)

परिशिष्ट 2.43

(संदर्भ: कडिका 2.6.3, पृष्ठ 89)

चयनित जिला ब्लाक एवं स्कूल को दर्शाये जाने वाला पत्रक

स.क	जिले का नाम	चयनित विकास खण्ड का नाम	एसएसए एवं एनपीएमडीएम		आरएमएसए	
			प्राथमिक शाला का नाम	माध्यमिक शाला का नाम	हाईस्कूल	हायर सेकन्डरी स्कूल
1	बालाघट	बैहर	सेनपुरी, दलदला	सोनपुरी, सोनपुरी	कन्या, बुधी	(टीडब्ल्यूडी) उकवा
		परसवाड़ा	टण्टाटोला, रूपझर	टण्टाटोला, रूपझर		
2	बड़वानी	सेंधवा	अमल्यापानी, पिसनावल	धनोरा, झोपाली	पिसनावल	बालिका, सेंधवा
		राजपुर	लिम्बई, रेवजा	लफनगाँव, ओझर		
3	बैतूल	भैंसदेही	सलाइभाटा, हनुमंधाना	सवालमेदा, बोरागांव	हमलापुर	चिंचोली
		घोड़ा डोंगरी	बाजारधाना, नारायण सेवाग्राम	चोपना, पाडर		
4	छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	हरियागढ़, भटरामपुर	शुकरी, जुन्नारदेव	हनोतिया	एम एल बी कन्या
		तामिया	धुलनिया, सजकुही	धुलनिया, बम्हनिया		
		हरई	हरई, एजे ब्यायस हरई	छुरी शोगांव, कन्या हरई		
5	धार	कुक्षी	कुक्षी नं.3, आली	आली, कुक्षी नं.1	बालिका कुक्षी	
		धार	ब्रम्हकुण्डी, जैतपुर	ब्रम्हकुण्डी, जैतपुर		ब्रम्हकुण्डी
6	डिण्डोरी	डिण्डोरी	हिनोता, प्राचीन डिण्डोरी	हिनोता, प्राचीन डिण्डोरी	रायपुरा	प्राचीन डिण्डोरी
		शाहपुरा	इन्दौरी, करौंदी	इन्दौरी, करौंदी		
7	खरगौन	भगवानपुरा	भगवानपुरा, धूलकोट	भगवानपुरा, धूलकोट	भग्यापुरा	धूलकोट
		झिरन्या	तितरानिया, बड़ी	करानिया, झिरन्या		
8	मण्डला	बिछिया	कुडेला, भानपुर खेड़ा	भिलवानी, राजो		पिडिलिंगा
		घुघरी	छवा, घुघरी	भानपुर, घुघरी	गजराज	
9	रतलाम	रतलाम	बंजाली, धरद	रत्तागिरी, धरद	रत्तागिरी	रतलाम
		सैलाना	कागसी, सकरावद	ठिकरीबा, एमएस सैलाना		
10	सिवनी	लखनादौन	आदेगांव, लिंगपानी	बालक लखनादौन, बालिका लखनादौन	भोमा	छपारा
		घनसौर	डुंगरिया, टुमरीपुर	पहादी, कहानी		

परिशिष्ट 2.44

(संदर्भ: कडिका 2.6.4, पृष्ठ 89)

एसएसए, एनपीएमडीएम एवं आरएमएसए के बजट आवंटन और व्यय को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
सर्व शिक्षा अभियान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रांश		राज्यांश		कुल केन्द्रांश एवं राज्यांश		ब्याज एवं अन्य प्राप्तियाँ	कुल उपलब्ध राशि	व्यय (प्रतिशत)	अंतिम शेष (प्रतिशत)
	कुल अंश	टीएसपी अंश	कुल अंश	टीएसपी अंश	कुल अंश	टीएसपी अंश (प्रतिशत)				
2011-12	2288.27	452.26	1034.00	150.44	3322.27	602.70(18)	42.20	5769.07*	3623.03(63)	2146.04(37)
2012-13	1849.14	222.49	820.56	304.68	2669.70	527.17(20)	69.90	4885.65	3506.62(72)	1379.02(28)
2013-14	2527.09	457.32	1098.36	189.99	3625.45	647.31(18)	56.95	5061.42	3174.54(63)	1886.88(37)
योग	6664.5	1132.07	2952.92	645.11	9617.42	1777.18(18)	169.05	12191.07	10304.19	

* 01 अप्रैल 2011 को प्रारम्भिक शेष राशि ₹ 2,404.60 करोड़ शामिल।

मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रांश		राज्यांश		कुल उपलब्ध राशि		व्यय		बचत (+)/ आधिक्य (-)
	कुल अंश	टीएसपी अंश	कुल अंश	टीएसपी अंश	कुल अंश	टीएसपी अंश	कुल व्यय	टीएसपी व्यय	
2011-12	766.99	283.11	203.59	57.47	970.58	340.58	1010.65	310.67 (91)	40.07
2012-13	790.48	242.87	234.66	76.62	1025.14	319.49	1003.16	247.77 (78)	(-) 21.98
2013-14	806.69	196.92	229.54	56.66	1036.23	253.58	1027.39	197.52 (78)	(-) 8.84
योग	2364.16	722.90	667.79	190.75	3031.95	913.65	3041.20	755.96 (83)	9.25

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रांश		राज्यांश	ब्याज एवं अन्य प्राप्तियाँ	कुल उपलब्ध राशि	व्यय (प्रतिशत)	अंतिम व्यय (प्रतिशत)
	कुल अंश	टीएसपी अंश (प्रतिशत)					
2011-12	242.39	12.25 (5)	83.96	4.76	408.10*	347.00 (85)	61.10 (15)
2012-13	461.22	65.04 (14)	153.74	5.07	681.13	571.73 (84)	109.40 (16)
2013-14	495.98	63.52 (13)	65.33	11.58	682.29	565.28 (83)	117.01 (17)
योग	1199.59	140.81(12)	303.03	21.41	1601.02	1484.01	

* 01 अप्रैल 2011 को प्रारम्भिक शेष राशि ₹ 76.99 करोड़ शामिल।

परिशिष्ट 2.45

(संदर्भ: कंडिका 2.6.5, पृष्ठ 90)

एनपीएमडीएम के अन्तर्गत ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी. के प्रस्तुतिकरण की वास्तविक तिथि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

गतिविधियों का विवरण	2011-12			2012-13			2013-14		
	प्रस्तुतिकरण की तय तिथि	प्रस्तुतिकरण करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	प्रस्तुतिकरण की तय तिथि	प्रस्तुतिकरण करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	प्रस्तुतिकरण की तय तिथि	प्रस्तुतिकरण करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब
	(दिन)	(दिन)	(दिन)	(दिन)	(दिन)	(दिन)	(दिन)	(दिन)	(दिन)
राज्य सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा और साक्षरता विभाग को एडब्ल्यूपी एण्ड बी को अग्रेषित करना	(जनवरी/फरवरी)	15.4.2011	45	(जनवरी/फरवरी)	10.4.2012	40	(जनवरी/फरवरी)	(दिन)	39
एडब्ल्यूपी एण्ड बी को पीएबी को प्रेषित करना	(मार्च/अप्रैल)	3.5.2011	2	(मार्च/अप्रैल)	11.5.2012	10	(मार्च/अप्रैल)	9.4.2013	40
खाद्यान्न आवंटन एवं अन्य घटकों की केन्द्रीय सहायता की स्वीकृतियों को जारी करना	(अप्रैल)	26.6.2011	56	(अप्रैल)	30.6.2012	60	(अप्रैल)	10.6.2013	-
राज्य के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि होने की स्थिति में प्रथम किश्त जारी करना	(अप्रैल/मई)	3.09.2011	94	(अप्रैल/मई)	4.10.2012	125	(अप्रैल/मई)	7.4.2013	-
व्यय की प्रगति के आधार पर द्वितीय किश्त का जारी करना	(सितम्बर/अक्टूबर)	30.12.2011	59	(सितम्बर/अक्टूबर)	24.1.2013	84	(सितम्बर/अक्टूबर)	10.5.2013	92

परिशिष्ट 2.46

(संदर्भ: कडिका 2.6.6.2, पृष्ठ 92)

नामांकित एवं शालात्यागी विद्यार्थियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक (विद्यालय स्तर पर)

स. क.	जिले का नाम	वर्ष 2011-12				वर्ष 2012-13				वर्ष 2013-14			
		वर्ष नामांकित छात्रों की संख्या	में अनुसूचित जन जाति छात्रों की कुल संख्या	वर्ष शालात्यागी छात्रों की कुल संख्या	में एस.टी. छात्रों की कुल संख्या	वर्ष नामांकित छात्रों की संख्या	में अनुसूचित जन जाति छात्रों की कुल संख्या	वर्ष शालात्यागी छात्रों की कुल संख्या	में एस.टी. छात्रों की कुल संख्या	वर्ष नामांकित छात्रों की संख्या	में अनुसूचित जन जाति छात्रों की कुल संख्या	वर्ष शालात्यागी छात्रों की कुल संख्या	में एस.टी. छात्रों की कुल संख्या
1	बड़वानी	2440	2150	61	61	2252	1997	58	58	2139	1911	81	81
2	बालाघाट	737	369	11	10	674	321	7	7	657	344	6	6
3	बैतूल	1377	853	9	9	1377	900	14	14	1361	885	20	20
4	छिन्दवाड़ा	2579	1469	2	2	2549	1472	3	3	2511	1557	3	2
5	धार	1676	1026	1	0	1581	992	1	0	1508	958	2	0
6	डिंडोरी	1440	785	0	0	1432	778	0	0	1412	774	0	0
7	खरगौन	1935	1554	112	96	2312	1747	115	96	2297	1964	101	94
8	मण्डला	1292	1035	2	2	1319	1085	2	2	1399	1141	0	0
9	रतलाम	1542	1141	42	22	1566	1197	5	5	1632	1258	25	25
10	सिवनी	1516	749	2	0	1423	669	4	4	1356	641	0	0
	योग	16534	11131	242	202	16485	11158	209	189	16272	11433	238	228

वर्ष	वर्ष के दौरान कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	कुल एस.टी. विद्यार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान कुल शालात्यागी विद्यार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान कुल शालात्यागी एस.टी. विद्यार्थियों की संख्या
2011-12	16534	11131	242	202
2012-13	16485	11158	209	189
2013-14	16272	11433	238	228
योग	49291	33722	689	619

परिशिष्ट 2.47

(संदर्भ: कडिका 2.6.6.4, पृष्ठ 92)

अधोसंरचना की अनुपलब्धता को दर्शाने वाला पत्रक

जिले का नाम	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	पानी की सुविधा		बालकों हेतु शौचालय		बालिका हेतु शौचालय		रैम्प		चाहरदीवारी		फर्नीचर
			प्रा.वि.	मा.वि.	प्रा.वि.	मा.वि.	प्रा.वि.	मा.वि.	प्रा.वि.	मा.वि.	प्रा.वि.	मा.वि.	मा.वि.
बडवानी	2107	776	46	31	104	50	119	43	901	206	1242	482	434
बालाघाट	2360	674	20	4	346	350	491	346	1131	289	1871	495	185
बैतूल	2030	856	121	46	123	82	263	91	889	311	850	384	362
छिन्दवाड़ा	2683	1039	59	18	127	90	180	102	1106	373	1936	729	470
धार	3323	863	87	21	603	188	357	332	1914	388	2342	539	429
डिण्डोरी	1422	444	167	78	94	39	75	46	843	239	881	316	173
खरगोन	2727	818	115	11	272	99	193	55	707	117	2029	441	386
मण्डला	2070	607	113	46	527	175	212	132	1393	368	1487	390	254
रतलाम	1683	559	220	52	248	66	286	107	30	29	1432	433	292
सिवनी	2154	744	331	152	27	115	1	11	788	261	1220	382	344
योग	22559	7380	1279	459	2471	1254	2177	1265	9702	2581	15290	4591	3329

परिशिष्ट 2.48

(संदर्भ: कडिका 2.6.7, पृष्ठ 93)

एम.डी.एम. ग्रहण करने वालों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

जिले का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
	एमडीएम ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या (प्रा.वि.)	एमडीएम ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या (मा.वि.)	एमडीएम ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या (प्रा.वि.)	एमडीएम ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या (मा.वि.)	एमडीएम ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या (प्रा.वि.)	एमडीएम ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या (मा.वि.)
बडवानी	161815	51819	135245	46013	136670	48731
बालाघाट	118755	73894	110990	76499	92079	70204
बैतूल	132700	76580	120190	71395	112101	71623
छिन्दवाड़ा	155598	105299	143358	96040	135856	93451
धार	180633	78111	152382	71056	153372	71356
डिण्डोरी	81056	35630	69524	32628	68382	32578
खरगोन	167525	59741	158989	64311	155663	66028
मण्डला	109363	58161	107178	56881	105774	63998
रतलाम	131927	47423	121218	46833	114294	49548
सिवनी	112104	72202	112567	72269	112468	72560
योग	1351476	658860	1231641	633925	1186659	640077
महायोग	2010336		1865566		1826736	

(स्रोत: मध्यान्ह भोजन परिषद की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट)

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.1.1, पृष्ठ 97)

लेखापरीक्षा में सम्मिलित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन एवं अस्पताल अधीक्षकों की सूची और दवाओं का मूल्य

(₹ लाख में)

स.क.	इकाई का नाम	लेखापरीक्षा की अवधि	अधिप्राप्त दवाओं का मूल्य
1	सिविल सर्जन, धार	4/2011 से 5/2012	80.60
2	सिविल सर्जन, जबलपुर	7/2012 से 9/2013	102.28
3	मु.चि. एवं स्वा.अ., जबलपुर	7/2012 से 9/2013	18.62
4	मु.चि. एवं स्वा.अ., अनूपपुर	7/2012 से 6/2013	25.44
5	मु.चि. एवं स्वा.अ., मंडला	4/2011 से 6/2012	309.00
6	सिविल सर्जन, भोपाल	4/2011 से 3/2012	182.84
7	मु.चि. एवं स्वा.अ., बडवानी	4/2011 से 8/2012	210.71
8	सिविल सर्जन, गुना	4/12 से 8/13	17.50
9	मु.चि. एवं स्वा.अ., होशंगाबाद	7/12 से 8/13	48.35
10	सिविल सर्जन, डिंडौरी	7/12 से 8/13	129.46
11	सिविल सर्जन, मंडला	4/10 से 6/12	255.80
		7/12 से 10/13	30.14
12	सिविल सर्जन, दमोह	4/11 से 10/13	217.46
13	सिविल सर्जन, शहडोल	4/11 से 7/13	62.96
14	सिविल सर्जन, दतिया	4/10 से 9/13	55.49
15	सिविल सर्जन, उज्जैन	4/12 से 9/13	129.00
16	मु.चि. एवं स्वा.अ., छिंदवाड़ा	4/10 से 3/11	223.00
17	मु.चि. एवं स्वा.अ., बालाघाट	4/10 से 3/11	41.87
18	मु.चि. एवं स्वा.अ., ग्वालियर	4/2010 से 11/2012	9.34
19	अधीक्षक, सिविल अस्पताल बैरागढ़, भोपाल	5/10 से 3/12	19.73
	योग		2169.59

परिशिष्ट-3.2 (अ)

(संदर्भ: कडिका 3.1.1, पृष्ठ 98)

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नमूना परीक्षण में अमानक पायी गई दवाओं का विवरण

स. क्र.	इकाई का नाम	नमूने का स. क्र.	दवा का नाम जिसका नमूना लिया गया	दवा का बैच क्रमांक	जांच रिपोर्ट क्र. /दिनांक	क्रय आदेश एवं दिनांक	दवा की मात्रा	दवा की दर	वैट सहित दवा की कुल राशि	(राशि ₹ में) मु.चि. एवं स्वा. अ./सिविल सर्जन/ अस्पताल अधीक्षकों की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मु.चि. एवं स्वा.अ., बालाघाट	1	गोली टिनिडाजोल 500 मि.ग्रा.	T-255	63N/20/3/13	017138000 16/3/12/11	100000 गोलियां	38.00/10* 10	39900	सभी गोलियां वितरित
		2	गोली सिजेन्टिल (एलबेंडाजोल)	CT-10578	77N/30/11/11	3021/21/6/ 10	334 पैकेट	103.60 प्रति पैकेट	36333	सभी गोलियां वितरित
2	सिविल सर्जन, बालाघाट	3	गोली को- ट्राईमोक्सजोल	HT-110347	69N/30/3/13	001017155 0/25/2/11	50000 गोलियां	46.65/10* 10	24491	42000 गोलियां वितरित और 8000 गोलियां कालातीत
3	मु.चि. एवं स्वा.अ., श्योपुर	4	गोली रिनिटिडाईन 150 मि.ग्रा.	S-1521	सी.एफ.डी. भोपाल के अमानक नमूना पंजी के अनुसार	200130000 08/28/12/1 0	50000 गोलियां	19.69/10* 10	10337	सभी गोलियां वितरित
4	मु.चि. एवं स्वा.अ., ग्वालियर	5	गोली रिनिटिडाईन 150 मि.ग्रा.	S-1521	सी.एफ.डी. भोपाल के अमानक नमूना पंजी के अनुसार	21948- 54/27/8/10	50000 गोलियां	19.69/10* 10	10337	सभी गोलियां वितरित
5	जे.पी. अस्पताल, भोपाल	6	थियोलाईन-ई	0686H1102	50N/21/1/13	8520/6/8/1 1	3000 बोतल	8.55 प्रति बोतल	26933	सभी बोतलें वितरित
		7	पैरासीटामोल सीरप	1110016	95N/9/3/12	8762/11/7/ 11	9942 बोतल	4.64 प्रति बोतल	48438	सभी बोतलें वितरित
6	मु.चि. एवं स्वा.अ., छिंदवाड़ा	8	एम्पिसिलिन कैप. 500 मि.ग्रा.	AC-12002	59N/28/2/13	037125000 12/8/12/11	200000 कैप्सूल	109.00/10 *10	227810	सभी कैप्सूल वितरित
		9	थियोलाईन-ई सीरप	0686A1304	48N/4/12/13	037129001 91/9/11/12	9925 बोतल	8.45 प्रति बोतल	88725	सभी बोतलें वितरित
7	मु.चि. एवं स्वा.अ., रीवा	10	गोली डाईक्लोमाइन हाईड्रोक्लोराइड	S-1605	26N/23/7/12	460130/21/ 2/11	100000 गोलियां	8.06/10*1 0	8463	सभी गोलियां वितरित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	मु.चि. एवं स्वा.अ., होशंगाबाद	11	एमोक्सिसिलिन कैप. 250 मि.ग्रा.	C-8449	89N/29/2/12	3591/11/3/1 1	180000 कैप्सूल	61.88/10* 10	117510	सभी कैप्सूल वितरित
		12	एमोक्सिसिलिन कैप. 500 मि.ग्रा.	C-8562	90N/29/2/12	3648/16/3/1 1	200000 कैप्सूल	114.38/10 * 10	241342	सभी कैप्सूल वितरित, 28000 कैप्सूल शेष
9	सिविल सर्जन, होशंगाबाद	13	एमोक्सिसिलिन कैप. 250 मि.ग्रा.	C-8408	सी.एफ.डी. भोपाल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दवा नमूना परीक्षण में फेल	1712/29/3/1 1	10000 कैप्सूल	58.85/100	6386	9400 कैप्सूल वितरित 600 कैप्सूल शेष स्टॉक में
10	सिविल सर्जन, धार	14	गोली मैट्रोनिडाजोल 400 मि.ग्रा.	102	86N/31/1/12	288/26/7/10	10000 गोलियां	65.78/10* 10 प्रति गोली	69069	सभी गोलियां वितरित
11	मु.चि. एवं स्वा.अ., दतिया	15	गोली रिनिटिडाईन 150 मि.ग्रा.	S-1521	सी.एफ.डी. भोपाल के अमानक नमूना पंजी के अनुसार		5000 गोलियां	19.69/10* 10	1034	सभी गोलियां वितरित
12	सिविल सर्जन, मंडला	16	गोली पैरासीटामोल 500 मि.ग्रा.	T-8918	36N/25/9/12	0381180032 1/28/2/11	200000 गोलियां	16.49/10* 10	34794	सभी गोलियां वितरित
		17	कैप. ओमेप्राजोल	OMP-1202	20N/31/7/13	0881330001 4/7/12/11	50000 कैप्सूल	24.84/10* 10	13041	सभी कैप्सूल वितरित
		18	गोली एटीनालोल 100 मि.ग्रा.	AOT-28-02	27N/31/8/13	0881590003 5/5/1/12	200 डिब्बा	26.63 प्रति डिब्बा	5300 (7.5 प्रतिशत की दर से पैनाल्टी काटने के बाद)	150 डिब्बे गोलियां वितरित
13	मु.चि. एवं स्वा.अ., मंडला	19	गोली एटीनालोल 100 मि.ग्रा.	AOT-28-02	27N/31/8/13	0381590004 3/16/12/11	200 डिब्बा	28.00 प्रति डिब्बा	5824	सभी गोलियों के डिब्बे वितरित
14	मु.चि. एवं स्वा.अ., बडवानी	20	गोली एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट	TMXD-022	100N/19/3/12	2412400002 /19/8/10	100000 गोलियां	72.86/20* 10	38252	सभी गोलियां वितरित
15	सिविल सर्जन, जबलपुर	21	सीरप एलबेडाजोल सस्पेंशन	AA12168	54N/21/1/13	0541250005 2/12-13- 06/09/12	100 सीरप	2.95	310	सीरप वितरित
		22	गोली यूवोमाईन	OMT-236	40N/26/10/13	70/12/10/12 & 25/1/9/12	45000 गोलियां	79.20/10* 10	3742	35000 गोलियां वितरित और शेष 10000 स्टॉक में

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	मु.चि. एवं स्वा.अ., जबलपुर	23	एमोक्सिसिलिन कैप. 250 मि.ग्रा.	C-8531	93N/29/2/12	43-23/3/11	248200 कैप्सूल	61.88/10* 10	162033	सभी कैप्सूल वितरित
		24	एमोक्सिसिलिन कैप. 500 मि.ग्रा.	C-8562	94N/29/2/12	43-23/3/11	287900 कैप्सूल	114.38/10 *10	347412	सभी कैप्सूल वितरित
		25	सीरप ब्रोमहेक्साईन हाईड्रोक्लोराइड	1222	31N/30/9/13	00411000049 -28/7/12	10000 बोतल	4.78 प्रति बोतल	50190	सभी बोतलें वितरित
17	सिविल सर्जन, सह अस्पताल अधीक्षक, उमरिया	26	गोली पैरासीटामोल 500 मि.ग्रा.	T-9567	37N/7/10/13	1915/28/7/11	100000 गोलियां	16.49/10* 10	17397	सभी गोलियां वितरित
18	सिविल सर्जन, सह अस्पताल अधीक्षक, इन्दौर	27	एमोक्सिसिलिन 500 मि.ग्रा.	C-8326	88N/24/2/12	2296/25/2/11	150000 गोलियां	114.38/10 0	181006	सभी गोलियां वितरित
19	अधीक्षक, सिविल अस्पताल, बैरागढ़, भोपाल	28	पैरासीटामोल सीरप	AA/12034	27N/31/5/13	1021250009/ 24/1/12	5000 बोतल	4.30 प्रति बोतल	22468	सभी बोतलें वितरित
योग									1838877	

परिशिष्ट-3.2 (ब)

(संदर्भ: कडिका 3.1.1, पृष्ठ 98)

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नमूना परीक्षण में अमानक पायी गई दवाओं का संचालक स्वास्थ्य सेवाओं से प्राप्त किया गया विवरण

(राशि ₹ में)

स.क्र.	इकाई का नाम	परिशिष्ट-3.2 (अ) के अनुसार नमूने का स.क्र.	दवा का नाम जिसका नमूना लिया गया	क्रय आदेश क्रमांक	क्रय आदेश दिनांक	बैच क्रमांक	मात्रा	प्रति इकाई दर	वैट रहित कुल राशि	मु.चि. एवं स्वा.अ. /सिविल सर्जन/ अस्पताल अधीक्षकों की टिप्पणी
1	मु.चि. एवं स्वा.अ., बड़वानी	21	एलबेंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा. 10 मि.लि. बोतल	02412500096/12-13	15/10/12	AA12168	5000	2.95	14750	अनुपलब्ध
2	मु.चि. एवं स्वा.अ., छिंदवाड़ा	21	एलबेंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा. 10 मि.लि. बोतल	03712500061/12-13	2/08/12	AA12168	500	2.95	1475	अनुपलब्ध
3	मु.चि. एवं स्वा.अ., दतिया	21	एलबेंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा. 10 मि.लि. बोतल	02512500127/12-13	23/08/12	AA12168	20000	2.95	59000	अनुपलब्ध
4	मु.चि. एवं स्वा.अ., गुना	21	एलबेंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा. 10 मि.लि. बोतल	00712500068/12-13	28/07/12	AA12168	10000	2.95	29500	अनुपलब्ध
5	मु.चि. एवं स्वा.अ., झाबुआ	21	एलबेंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा. 10 मि.लि. बोतल	01512500094/12-13	25/08/12	AA12168	2500	2.95	7375	अनुपलब्ध
6	मु.चि. एवं स्वा.अ., मंदसौर	21	एलबेंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा. 10 मि.लि. बोतल	01212500023/12-13	3/09/12	AA12168	10000	2.95	29500	अनुपलब्ध
7	मु.चि. एवं स्वा.अ., मुरैना	21	एलबेंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा. 10 मि.लि. बोतल	03112500067/12-13	31/07/12	AA12168	2000	2.95	5900	अनुपलब्ध
8	मु.चि. एवं स्वा.अ., मुरैना	21	एलबेंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा. 10 मि.लि. बोतल	00312500039/12-13	8/08/12	AA12168	50000	2.95	147500	अनुपलब्ध
9	मु.चि. एवं स्वा.अ., रीवा	21	एलबेंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा. 10 मि.लि. बोतल	04612500069/12-13	3/09/12	AA12168	2000	2.95	5900	अनुपलब्ध
10	मु.चि. एवं स्वा.अ., शिवपुरी	21	एलबेंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा. 10 मि.लि. बोतल	04512500081/12-13	8/08/12	AA12168	4000	2.95	11800	अनुपलब्ध
11	मु.चि. एवं स्वा.अ., सिंगरौली	21	एलबेंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा. 10 मि.लि. बोतल	04012500097/12-13	30/07/12	AA12168	5000	2.95	14750	अनुपलब्ध
	मु.चि. एवं स्वा.अ., सिंगरौली	21	एलबेंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा. 10 मि.लि. बोतल	05012500024/12-13	8/06/12	AA12168	49300	2.95	145435	अनुपलब्ध
12	मु.चि. एवं स्वा.अ., उमरिया	21	एलबेंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा. 10 मि.लि. बोतल	00612500032/12-13	28/07/12	AA12168	5000	2.95	14750	अनुपलब्ध

13	सिविल अस्पताल बैरागढ़, भोपाल	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	10212500027/12-13	28/08/12	AA12168	5000	2.95	14750	अनुपलब्ध
14	सिविल सर्जन, बड़वानी	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	07412500090/12-13	12/10/12	AA12168	2000	2.95	5900	अनुपलब्ध
15	सिविल सर्जन, बैतूल	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	06112500049/12-13	6/09/12	AA12168	500	2.95	1475	अनुपलब्ध
16	सिविल सर्जन, छिंदवाड़ा	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	08712500105/12-13	26/07/12	AA12168	1000	2.95	2950	अनुपलब्ध
	सिविल सर्जन, छिंदवाड़ा	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	08712500129/12-13	27/07/12	AA12168	4000	2.95	11800	अनुपलब्ध
17	सिविल सर्जन, धार	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	05812500056/12-13	4/09/12	AA12168	2000	2.95	5900	अनुपलब्ध
18	सिविल सर्जन, होशंगाबाद	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	09412500036/12-13	3/09/12	AA12168	5000	2.95	14750	अनुपलब्ध
19	सिविल सर्जन, झाबुआ	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	06512500128/12-13	27/08/12	AA12168	1500	2.95	4425	अनुपलब्ध
20	सिविल सर्जन, कटनी	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	07712500115/12-13	30/08/12	AA12168	1000	2.95	2950	अनुपलब्ध
21	सिविल सर्जन, मंदसौर	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	06212500022/12-13	11/09/12	AA12168	4000	2.95	11800	अनुपलब्ध
22	सिविल सर्जन, नीमच	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	0911250010/12-13	26/08/12	AA12168	1000	2.95	2950	अनुपलब्ध
23	सिविल सर्जन, रतलाम	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	05212500016/12-13	27/08/12	AA12168	2000	2.95	5900	अनुपलब्ध
24	सिविल सर्जन, रीवा	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	09612500044/12-13	22/08/12	AA12168	500	2.95	1475	अनुपलब्ध
25	सिविल सर्जन, सतना	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	07212500042/12-13	8/06/12	AA12168	500	2.95	1475	अनुपलब्ध
26	सिविल सर्जन, श्योपुर	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	07012500036/12-13	21/08/12	AA12168	1000	2.95	2950	अनुपलब्ध
27	सिविल सर्जन, शिवपुरी	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	09512500057/12-13	27/08/12	AA12168	2000	2.95	5900	अनुपलब्ध
28	सिविल सर्जन, सीधी	21	एलबैंडाजोल सस्पेंशन 200 मि.ग्रा, 10 मि.लि. बोतल	09812500056/12-13	4/08/12	AA12168	500	2.95	1475	अनुपलब्ध

29	सिविल सर्जन, ग्वालियर	27	एमोक्सिसिलिन कैप. 500 मि.ग्रा.	3707-13	26/02/11	C-8326	500	114.38	57190	अनुपलब्ध
30	सिविल सर्जन, पन्ना	27	एमोक्सिसिलिन कैप. 500 मि.ग्रा.	537-39	28/2/11	C-8326	23	114.38	2630.74	अनुपलब्ध
31	सिविल सर्जन, श्योपुर	27	एमोक्सिसिलिन कैप. 500 मि.ग्रा.	20000180017	25/11/10	C-8326	205	114.38	23447.90	अनुपलब्ध
32	मु.चि. एवं स्वा.अ., मंडला	23	एमोक्सिसिलिन कैप. 250 मि.ग्रा.	3811800981	26/02//11	C-8531	1000	61.88	61880	अनुपलब्ध
33	मु.चि. एवं स्वा.अ., विदिशा	11	एमोक्सिसिलिन कैप. 250 मि.ग्रा.	911005244	2/04/11	C-8449	500	61.88	30940	अनुपलब्ध
34	सिविल सर्जन, खंडवा	23	एमोक्सिसिलिन कैप. 250 मि.ग्रा.	840	17/02/11	C8531	1000	61.88	61880	अनुपलब्ध
35	सिविल सर्जन, रीवा	23	एमोक्सिसिलिन कैप. 250 मि.ग्रा.	525	22/02/11	C8531	500	61.88	30940	अनुपलब्ध
36	मु.चि. एवं स्वा.अ., गैस राहत अस्पताल भोपाल	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	11112500015/ 11-12	14/02/12	AC-12002	1500	109.00	163500	अनुपलब्ध
37	मु.चि. एवं स्वा.अ., अलीराजपुर	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	01612500010/ 11-12	8/12/11	AC-12002	250	109.00	27250	अनुपलब्ध
38	मु.चि. एवं स्वा.अ., अनूपपुर	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	04912500021/ 11-12	2/12/11	AC-12002	500	109.00	54500	अनुपलब्ध
	मु.चि. एवं स्वा.अ., अनूपपुर	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	04912500022/ 11-12	2/12/11	AC-12002	500	109.00	54500	अनुपलब्ध
39	मु.चि. एवं स्वा.अ., अशोकनगर	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	03412500029/ 11-12	8/12/11	AC-12002	250	109.00	27250	अनुपलब्ध
40	मु.चि. एवं स्वा.अ., दतिया	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	02512500026/ 11-12	14/12/11	AC-12002	100	109.00	10900	अनुपलब्ध
	मु.चि. एवं स्वा.अ., दतिया	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	02512500050/ 11-12	14/12/11	AC-12002	100	109.00	10900	अनुपलब्ध
41	मु.चि. एवं स्वा.अ., झाबुआ	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	01512500029/ 11-12	14/12/11	AC-12002	500	109.00	54500	अनुपलब्ध
42	मु.चि. एवं स्वा.अ., खंडवा	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	03012500080/ 11-12	2/12/11	AC-12002	250	109.00	27250	अनुपलब्ध
43	मु.चि. एवं स्वा.अ., मुरैना	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	03112500014/ 11-12	16/12/11	AC-12002	100	109.00	10900	अनुपलब्ध
44	मु.चि. एवं स्वा.अ., नीमच	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	04112500022/ 11-12	3/12/11	AC-12002	250	109.00	27250	अनुपलब्ध
45	मु.चि. एवं स्वा.अ., पन्ना	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	04212500040/ 11-12	1/12/11	AC-12002	500	109.00	54500	अनुपलब्ध
46	मु.चि. एवं स्वा.अ., रायसेन	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	04312500018/ 11-12	4/12/11	AC-12002	500	109.00	54500	अनुपलब्ध

47	मु.चि. एवं स्वा.अ., सतना	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	02212500031/ 11-12	20/12/11	AC-12002	100	109.00	10900	अनुपलब्ध
48	मु.चि. एवं स्वा.अ., श्योपुर	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	02012500007/ 11-12	5/12/11	AC-12002	500	109.00	54500	अनुपलब्ध
	मु.चि. एवं स्वा.अ., श्योपुर	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	02012500049/ 11-12	13/01/12	AC-12002	500	109.00	54500	अनुपलब्ध
49	मु.चि. एवं स्वा.अ., शिवपुरी	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	04512500018/ 11-12	13/12/11	AC-12002	500	109.00	54500	अनुपलब्ध
50	मु.चि. एवं स्वा.अ., सीधी	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	04812500010/ 11-12	5/12/11	AC-12002	200	109.00	21800	अनुपलब्ध
51	मु.चि. एवं स्वा.अ., सिंगरौली	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	05012500020/ 11-12	3/12/11	AC-12002	250	109.00	27250	अनुपलब्ध
52	मु.चि. एवं स्वा.अ., टीकमगढ़	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	02612500010/ 11-12	10/12/11	AC-12002	450	109.00	49050	अनुपलब्ध
53	मु.चि. एवं स्वा.अ., उमरिया	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	00612500020/ 11-12	8/12/11	AC-12002	400	109.00	43600	अनुपलब्ध
54	सिविल सर्जन, अशोकनगर	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	08412500033/ 11-12	15/12/11	AC-12002	50	109.00	5450	अनुपलब्ध
55	सिविल सर्जन, बालाघाट	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	06712500007/ 11-12	3/12/11	AC-12002	50	109.00	5450	अनुपलब्ध
56	सिविल सर्जन, बैतूल	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	06112500021/ 11-12	2/12/11	AC-12002	1000	109.00	109000	अनुपलब्ध
57	सिविल सर्जन, भोपाल	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	05112500006/ 11-12	29/11/11	AC-12002	2000	109.00	218000	अनुपलब्ध
58	सिविल सर्जन, छतरपुर	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	09012500013/ 11-12	14/12/11	AC-12002	200	109.00	21800	अनुपलब्ध
59	सिविल सर्जन, छिंदवाड़ा	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	08712500030/ 11-12	12/12/11	AC-12002	150	109.00	16350	अनुपलब्ध
60	सिविल सर्जन, धार	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	05812500072/ 11-12	5/12/11	AC-12002	500	109.00	54500	अनुपलब्ध
61	सिविल सर्जन, डिंडौरी	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	08212500031/ 11-12	18/12/11	AC-12002	100	109.00	10900	अनुपलब्ध
62	सिविल सर्जन, गुना	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	05712500025/ 11-12	5/12/11	AC-12002	500	109.00	54500	अनुपलब्ध

63	सिविल सर्जन, होशंगाबाद	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	09412500056/ 11-12	4/1/12	AC-12002	300	109.00	32700	अनुपलब्ध
64	सिविल सर्जन, झाबुआ	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	065112500027 /11-12	13/12/11	AC-12002	50	109.00	5450	अनुपलब्ध
65	सिविल सर्जन, मंडला	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	08812500020/ 11-12	7/12/11	AC-12002	300	109.00	32700	अनुपलब्ध
66	सिविल सर्जन, मुरैना	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	08112500021/ 11-12	19/12/11	AC-12002	500	109.00	54500	अनुपलब्ध
67	सिविल सर्जन, नीमच	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	09112500020/ 11-12	3/12/11	AC-12002	150	109.00	16350	अनुपलब्ध
68	सिविल सर्जन, रतलाम	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	05212500025/ 11-12	7/12/11	AC-12002	1000	109.00	109000	अनुपलब्ध
69	सिविल सर्जन, सिवनी	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	06312500023/ 11-12	7/12/11	AC-12002	50	109.00	5450	अनुपलब्ध
	सिविल सर्जन, सिवनी	8	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट कैप.	06312500092/ 11-12	18/1/12	AC-12002	100	109.00	10900	अनुपलब्ध
70	मु.चि. एवं स्वा.अ., गैस राहत भोपाल	18	गोली एटीनालोल 100 मि.ग्रा.	11115900035/ 11-12	13/2/12	AOT-28- 02	500	28.00	14000	अनुपलब्ध
71	मु.चि. एवं स्वा.अ., भिण्ड	18	गोली एटीनालोल 100 मि.ग्रा.	03315900033/ 11-12	29/12/11	AOT-28- 02	100	28.00	2800	अनुपलब्ध
72	मु.चि. एवं स्वा.अ., मुरैना	18	गोली एटीनालोल 100 मि.ग्रा.	03115900005/ 11-12	16/12/11	AOT-28- 02	100	28.00	2800	अनुपलब्ध
73	मु.चि. एवं स्वा.अ., राजगढ़	18	गोली एटीनालोल 100 मि.ग्रा.	00315900002/ 12-13	16/5/12	AOT-28- 02	150	28.00	4200	अनुपलब्ध
74	मु.चि. एवं स्वा.अ., सिवनी	18	गोली एटीनालोल 100 मि.ग्रा.	01315900035/ 11-12	19/12/11	AOT-28- 02	80	28.00	2240	अनुपलब्ध
75	सिविल सर्जन, बालाघाट	18	गोली एटीनालोल 100 मि.ग्रा.	06715900033/ 11-12	2/1/12	AOT-28- 02	100	28.00	2800	अनुपलब्ध
76	सिविल सर्जन, भिण्ड	18	गोली एटीनालोल 100 मि.ग्रा.	08315900025/ 11-12	28/12/11	AOT-28- 02	20	28.00	560	अनुपलब्ध
77	सिविल सर्जन, होशंगाबाद	18	गोली एटीनालोल 100 मि.ग्रा.	09415900045/ 11-12	16/12/11	AOT-28- 02	400	28.00	11200	अनुपलब्ध
78	सिविल सर्जन, मंदसौर	18	गोली एटीनालोल 100 मि.ग्रा.	06215900107/ 11-12	16/12/11	AOT-28- 02	80	28.00	2240	अनुपलब्ध

79	मु.चि. एवं स्वा.अ., दतिया	25	सीरप ब्रोमहेक्साईन हाईड्रोक्लोराइड	02511000097/12-13	31/07/12	1222	1600	4.78	7648	अनुपलब्ध
80	मु.चि. एवं स्वा.अ., डिंडौरी	25	सीरप ब्रोमहेक्साईन हाईड्रोक्लोराइड	03211000019/12-13	6/08/12	1222	10000	4.78	47800	अनुपलब्ध
81	मु.चि. एवं स्वा.अ., सतना	25	सीरप ब्रोमहेक्साईन हाईड्रोक्लोराइड	02211000036/12-13	6/08/12	1222	10000	4.78	47800	अनुपलब्ध
82	सिविल सर्जन, बड़वानी	25	सीरप ब्रोमहेक्साईन हाईड्रोक्लोराइड	07411000049/12-13	5/8/12	1222	5000	4.78	23900	अनुपलब्ध
83	सिविल सर्जन, सीधी	25	सीरप ब्रोमहेक्साईन हाईड्रोक्लोराइड	09811000041/12-13	4/08/12	1222	2000	4.78	9560	अनुपलब्ध
84	सिविल सर्जन, दमोह	10	गोली डाईक्लोमाइन 10 मि.ग्रा.	147	7/1/11	S-1605	200	8.06	1612	अनुपलब्ध
85	सिविल सर्जन, झाबुआ	10	गोली डाईक्लोमाइन 10 मि.ग्रा.	852	17/2/11	S-1605	500	8.06	4030	अनुपलब्ध
86	मु.चि. एवं स्वा.अ., देवास	17	कैप. ओमेप्राजोल 200 मि.ग्रा.	04713300002/11-12	5/12/11	OMP-1202	500	24.84	12420	अनुपलब्ध
87	मु.चि. एवं स्वा.अ., गुना	17	कैप. ओमेप्राजोल 200 मि.ग्रा.	00713300021/11-12	4/12/11	OMP-1202	750	24.84	18630	अनुपलब्ध
88	मु.चि. एवं स्वा.अ., होशंगाबाद	17	कैप. ओमेप्राजोल 200 मि.ग्रा.	04413300012/11-12	3/12/11	OMP-1202	375	24.84	9315	अनुपलब्ध
89	मु.चि. एवं स्वा.अ., मंडला	17	कैप. ओमेप्राजोल 200 मि.ग्रा.	03813300021/11-12	7/12/11	OMP-1202	500	24.84	12420	अनुपलब्ध
90	मु.चि. एवं स्वा.अ., श्योपुर	17	कैप. ओमेप्राजोल 200 मि.ग्रा.	02013300003/11-12	5/12/11	OMP-1202	500	24.84	12420	अनुपलब्ध
91	सिविल सर्जन, भिण्ड	17	कैप. ओमेप्राजोल 200 मि.ग्रा.	08313300010/11-12	10/12/11	OMP-1202	200	24.84	4968	अनुपलब्ध
92	सिविल सर्जन, भोपाल	17	कैप. ओमेप्राजोल 200 मि.ग्रा.	05113300063/11-12	16/12/11	OMP-1202	100	24.84	2484	अनुपलब्ध
93	सिविल सर्जन, बुरहानपुर	17	कैप. ओमेप्राजोल 200 मि.ग्रा.	07113300002/11-12	2/12/11	OMP-1202	500	24.84	12420	अनुपलब्ध
94	सिविल सर्जन, कटनी	17	कैप. ओमेप्राजोल 200 मि.ग्रा.	07713300001/11-12	8/12/11	OMP-1202	50	24.84	1242	अनुपलब्ध
95	सिविल सर्जन, खरगौन	17	कैप. ओमेप्राजोल 200 मि.ग्रा.	06913300045/11-12	5/12/11	OMP-1202	250	24.84	6210	अनुपलब्ध
	सिविल सर्जन, खरगौन	17	कैप. ओमेप्राजोल 200 मि.ग्रा.	06913300004/11-12	5/12/11	OMP-1202	250	24.84	6210	अनुपलब्ध

96	सिविल सर्जन, टीकमगढ़	17	कैप. ओमेप्राजोल 200 मि.ग्रा.	07613300004/ 11-12	30/11/11	OMP- 1202	500	24.84	12420	अनुपलब्ध
97	मु.चि. एवं स्वा.अ., अनूपपुर		पैरासीटामोल सीरप	04912500020/ 12-13	13/07/12	AA12156	6720	4.3	28896	अनुपलब्ध
98	मु.चि. एवं स्वा.अ., बालाघाट		पैरासीटामोल सीरप	01712500040/ 12-13	18/07/12	AA12156	15000	4.3	64500	अनुपलब्ध
99	मु.चि. एवं स्वा.अ., छतरपुर		पैरासीटामोल सीरप	04012500028/ 12-13	11/7/12	AA12156	20	4.3	86	अनुपलब्ध
100	मु.चि. एवं स्वा.अ., हरदा	28	पैरासीटामोल सीरप	01412500046/ 11-12	20/12/11	AA12034	4500	4.3	19350	अनुपलब्ध
101	मु.चि. एवं स्वा.अ., खरगोन	28	पैरासीटामोल सीरप	01912500040/ 11-12	7/12/11	AA12034	15000	4.3	64500	अनुपलब्ध
102	मु.चि. एवं स्वा.अ., मुरैना	28	पैरासीटामोल सीरप	03112500014/ 11-12	16/12/11	AA12034	5000	4.3	21500	अनुपलब्ध
103	मु.चि. एवं स्वा.अ., रतलाम	7	पैरासीटामोल सीरप	3887	14/07/11	1110016	3550	4.64	16472	अनुपलब्ध
104	मु.चि. एवं स्वा.अ., सीहोर	28	पैरासीटामोल सीरप	03512500024/ 11-12	7/12/11	AA12034	4000	4.3	17200	अनुपलब्ध
105	मु.चि. एवं स्वा.अ., विदिशा	28	पैरासीटामोल सीरप	00912500041/ 11-12	12/12/11	AA12034	4000	4.3	17200	अनुपलब्ध
	मु.चि. एवं स्वा.अ., विदिशा	28	पैरासीटामोल सीरप	00912500085/ 12-13	28/8/12	AA12034	3000	4.3	12900	अनुपलब्ध
	मु.चि. एवं स्वा.अ., विदिशा	28	पैरासीटामोल सीरप	00912500041/ 11-12	12/12/11	AA12034	6000	4.3	25800	अनुपलब्ध
106	सिविल सर्जन, भिण्ड		पैरासीटामोल सीरप	08312500033/ 12-13	4/06/12	AA12156	6000	4.3	25800	अनुपलब्ध
107	सिविल सर्जन, बुरहानपुर	28	पैरासीटामोल सीरप	07112500006/ 11-12	2/12/11	AA12034	8000	4.3	34400	अनुपलब्ध
108	सिविल सर्जन, होशंगाबाद	28	पैरासीटामोल सीरप	09412500056/ 11-12	4/1/12	AA12034	5000	4.3	21500	अनुपलब्ध
109	सिविल सर्जन, खंडवा	28	पैरासीटामोल सीरप	08012500033/ 11-12	4/12/11	AA12034	7500	4.3	32250	अनुपलब्ध
110	सिविल सर्जन, मुरैना	28	पैरासीटामोल सीरप	08112500021/ 11-12	19/12/11	AA12034	200	4.3	860	अनुपलब्ध

111	सिविल सर्जन, सागर	28	पैरासीटामोल सीरप	06012500071/ 11-12	15/12/11	AA12034	1000	4.3	4300	अनुपलब्ध
112	मु.चि. एवं स्वा.अ., देवास	26	गोली पैरासीटामोल 500 मि.ग्रा.	12980	23/7/11	T-9567	2400	16.49	39576	अनुपलब्ध
113	मु.चि. एवं स्वा.अ., राजगढ़	16	गोली पैरासीटामोल 500 मि.ग्रा.	1895	28/2/11	T-8918	1600	16.49	26384	अनुपलब्ध
114	मु.चि. एवं स्वा.अ., शिवपुरी	16	गोली पैरासीटामोल 500 मि.ग्रा.	2282	15/2/11	T-8918	3400	16.49	56066	अनुपलब्ध
115	मु.चि. एवं स्वा.अ., टीकमगढ़	26	गोली पैरासीटामोल 500 मि.ग्रा.	26001186242	15/7/11	T-9567	3000	16.49	49470	अनुपलब्ध
116	मु.चि. एवं स्वा.अ., दमोह	15	गोली रिनिटिडाईन 150 मि.ग्रा.	02316600031/ 11-12	23/08/10	S-1521	600	19.69	11814	अनुपलब्ध
117	मु.चि. एवं स्वा.अ., बुरहानपुर	1	गोली टिनिडाजोल	02113800016/ 11-12	3/12/11	T-255	300	38.00	11400	अनुपलब्ध
118	मु.चि. एवं स्वा.अ., हरदा	1	गोली टिनिडाजोल	01413800014/ 11-12	5/12/11	T-255	500	38.00	19000	अनुपलब्ध
119	मु.चि. एवं स्वा.अ., झाबुआ	1	गोली टिनिडाजोल	01513800017/ 11-12	14/12/11	T-255	300	38.00	11400	अनुपलब्ध
120	मु.चि. एवं स्वा.अ., रतलाम	1	गोली टिनिडाजोल	00213800023/ 11-12	7/12/11	T-255	170	38.00	6460	अनुपलब्ध
121	मु.चि. एवं स्वा.अ., सीहोर	1	गोली टिनिडाजोल	03513800008/ 11-12	7/12/11	T-255	500	38.00	19000	अनुपलब्ध
122	मु.चि. एवं स्वा.अ., सिवनी	1	गोली टिनिडाजोल	01313800009/ 11-12	14/12/11	T-255	10	38.00	380	अनुपलब्ध
123	मु.चि. एवं स्वा.अ., सिंगरौली	1	गोली टिनिडाजोल	05013800011/ 11-12	3/12/11	T-255	600	38.00	22800	अनुपलब्ध
124	सिविल सर्जन, देवास	1	गोली टिनिडाजोल	09713800007/ 11-12	3/12/11	T-255	500	38.00	19000	अनुपलब्ध
125	सिविल सर्जन, मंडला	1	गोली टिनिडाजोल	08813800007/ 11-12	7/12/11	T-255	200	38.00	7600	अनुपलब्ध

126	सिविल सर्जन, नरसिंहपुर	1	गोली टिनिडाजोल	086113800004 /11-12	7/12/11	T-255	200	38.00	7600	अनुपलब्ध
127	सिविल सर्जन, रायसेन	1	गोली टिनिडाजोल	09313800016/ 11-12	5/12/11	T-255	100	38.00	3800	अनुपलब्ध
128	सिविल सर्जन, रतलाम	1	गोली टिनिडाजोल	05213800014/ 11-12	6/12/11	T-255	160	38.00	6080	अनुपलब्ध
	योग								3533861.64	
	5 प्रतिशत वैट सम्मिलित								176693.08	
	महायोग								3710554.72	

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: कडिका 3.1.1, पृष्ठ 98)

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अमानक पायी गई स्थानीय रूप से क्रय की गई दवाओं का विवरण

(राशि ₹ में)

स. क्र.	नमूने का स. क्र.	इकाई का नाम	दवा का नाम	दवा का बैच क्रमांक	जांच रिपोर्ट क्र./दिनांक	क्रय आदेश एवं दिनांक	दवा की मात्रा	प्रति इकाई दर	वैट सहित कुल राशि	मु.चि. एवं स्वा.अ./सिविल सर्जन/ अस्पताल अधीक्षकों की टिप्पणी
1	1	सिविल सर्जन, बालाघाट	लिबोफ्लोक्सासिन गोली	1002	70N/30/3/13	6A/27/11/11	50000 गोलियां	172.00/10*10	90300	सभी गोलियां वितरित
2	2	मु.चि. एवं स्वा.अ., श्योपुर	गोली विटामिन बी-कॉम्प्लैक्स	908	सी.एफ.डी. भोपाल के अमानक नमूना पंजी के अनुसार	7198/14/7/10	100000 गोलियां	9.90/10*10	10395	सभी गोलियां वितरित
3	3	टी.बी. अस्पताल ईदगाह हिल्स, भोपाल	गोली ऑफ्लेक्सेसिन	03	43N/31/10/13	124-26/5/1/13	15900 गोलियां	140.00/10*10	23373	5539 गोलियां वितरित
4	4	सिविल सर्जन, छिंदवाड़ा	पैरासीटामोल आई.पी. 500 मि.ग्रा.	1205	50N/4/12/13	2530/30/10/12 & 2571/3/11/12	60000 गोलियां	67/10*10	42210	सभी गोलियां वितरित
5	5	सिविल सर्जन, अशोकनगर	गोली मैट्रोनिडाजोल . 400 मि.ग्रा.	1001	73N/29/11/11	3307/29/7/10 & 361/4/11	30000 गोलियां	39.79/10*10	12534	सभी गोलियां वितरित
6	6	मु.चि. एवं स्वा.अ., गुना	गोली मैट्रोनिडाजोल . 400 मि.ग्रा.	1001	73/29/11/11	11952/16/8/10	25000 गोलियां	38.70/10*10	10159	सभी गोलियां वितरित
7	7	सिविल सर्जन, धार	गोली को.-ट्राईमेक्सजोल	05	04N/30/4/12	100-102/15/7/10	2000 पैकेट	66.37 प्रति पैकेट	139377	सभी गोलियां वितरित
8	8	मु.चि. एवं स्वा.अ., मंडला	गोली एलबेंडाजोल 400 मि.ग्रा.	10F05	45N/30/7/11	3299/27/7/10	150000 गोलियां	150.00/10*10	236250	सभी गोलियां वितरित
9	9	सिविल सर्जन, जबलपुर	गोली पैरासीटामोल 500 मि.ग्रा.	904	53N/30/8/11	61-24/4/2010	200000 गोलियां	29.00/10*10	60900	सभी गोलियां वितरित
10	10	मु.चि. एवं स्वा.अ., जबलपुर	गोली मैट्रोनिडाजोल . 400 मि.ग्रा.	MZ-104	52N/27/1/11	2403/31/5/10	42500 गोलियां	49/10*10	21866	सभी गोलियां वितरित
	11	मु.चि. एवं स्वा.अ., जबलपुर	गोली सिंडौल	Syd-04	38N/25/9/12	305/9/1/2012	100000 गोलियां	42/10*10	44100	सभी गोलियां वितरित

स. क्र.	नमूने का स. क्र.	इकाई का नाम	दवा का नाम	दवा का बैच क्रमांक	जांच रिपोर्ट क्र. / दिनांक	क्रय आदेश एवं दिनांक	दवा की मात्रा	प्रति इकाई दर	वैट सहित कुल राशि	मु.चि. एवं स्वा.अ. /सिविल सर्जन/ अस्पताल अधीक्षकों की टिप्पणी
	12	मु.चि. एवं स्वा.अ., जबलपुर	गोली सिप्रोफ्लोक्सिसिन . 250 मि.ग्रा.	2101	17N/16/5/11	25/24/7/10	99600 गोलियां	78.00/10*10	81572	सभी गोलियां वितरित
	13	मु.चि. एवं स्वा.अ., जबलपुर	गोली पैरासीटामोल 500 मि.ग्रा.	08	45N/18/11/13	309-29/11/12	200000 गोलियां	49.80/10*10	104580	सभी गोलियां वितरित
	14	मु.चि. एवं स्वा.अ., जबलपुर	पैरासीटामोल सीरप	406	36N/30/9/13	187/25/10/12	3000 बोतल	12.90 बोतल	40635	सभी बोतल वितरित
11	15	मु.चि. एवं स्वा.अ., अनूपपुर	एमोक्सिसिलिन कैप्सूल 250 मि.ग्रा.	277	41N/31/10/13	4013/5/11/12	50000	190.00/100	99750	सभी कैप्सूल वितरित
	16	मु.चि. एवं स्वा.अ., अनूपपुर	गोली कैल्सियम 500 मि.ग्रा.	05	55N/30/8/11	2709/4/6/10	1000 इकाई	17.36 प्रति इकाई	18228	सभी गोलियां वितरित
12	17	सिविल सर्जन, इन्दौर	गोली सिंडौल	1610	36N/30/6/141	4155/14/6/10	10000 गोलियां	95.00/100	9975	सभी गोलियां वितरित
		योग							1046204	

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: कडिका 3.1.2, पृष्ठ 99)

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औषधियों/सामग्री की आपूर्ति न किये जाने पर शास्ति का आरोपण नहीं किये जाने का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स.क्र.	इकाई का नाम	वर्ष	आदेश विरुद्ध आपूर्ति/आपूर्ति नहीं की गई	जिनके आंशिक आदेश जारी	आपूर्ति आदेशों की संख्या जिनके कोई आपूर्ति नहीं की गई थी	आपूर्ति आदेशों की संख्या जिनके आंशिक आपूर्ति की गई थी	विरुद्ध आदेशों की संख्या जिनके आंशिक आपूर्ति की गई थी	प्राप्त औषधियों/सामग्री की राशि	आपूर्ति न किये गये औषधियों/सामग्री की राशि	मु.चि. एवं स्वा.अ./सिविल सर्जन द्वारा आरोपित की जाने वाली शास्ति की राशि (आपूर्ति न की गई राशि का 20 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	मु.चि. एवं स्वा.अ., खंडवा	2011-12	54	3143970	54	0	0	3143970	628794	
		2012-13	58	2711429	58	0	0	2711429	542286	
		2013-14	43	5208343	31	12	1122462	4085881	817176	
2	सिविल सर्जन, डिंडोरी	2012-13	44	2220448	32	12	644645	1575803	315161	
		2013-14	40	1697474	22	18	415760	1281714	256343	
3	मु.चि. एवं स्वा.अ., डिंडोरी	2012-13	32	4198347	22	10	714677	3483670	696734	
		2013-14	27	2563903	16	11	1107995	1455908	291182	
4	मु.चि. एवं स्वा.अ., नरसिंहपुर	12/12 to 03/13	8	1486555	5	3	525334	961221	192244	
		2013-14	19	2276323	15	4	138563	2137760	427552	
5	मु.चि. एवं स्वा.अ., देवास	2011-12	45	7054711	29	16	2484660	4570051	914010	
		2012-13	36	4865366	26	10	1087947	3777419	755484	
		2013-14	12	2020134	12	0	0	2020134	404027	
6	मु.चि. एवं स्वा.अ., रतलाम	2012-13	36	2415450	36	0	0	2415450	483090	
		2013-14	24	958240	24	0	0	958240	191648	
7	सिविल सर्जन, हरदा	2011-12	90	1122379	90	0	0	1122379	224476	
		2012-13	145	759746	145	0	0	759746	151949	
		2013-14	64	935691	64	0	0	935691	187138	
8	सिविल सर्जन, शाजापुर	2012-13	56	3669723	56	0	0	3669723	733945	
		2013-14	77	4441412	71	6	766766	3674646	734929	
9	मु.चि. एवं स्वा.अ., भोपाल	2012-13	29	1262039	15	14	408367	853672	170734	
		2013-14	16	3274767	8	8	1137165	2137602	427520	
10	सिविल सर्जन, दमोह	2011-12	13	464657	13	0	0	464657	92931	
		2012-13	46	1805783	46	0	0	1805783	361157	
		2013-14	70	6637026	45	25	1675834	4961192	992238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	सिविल सर्जन, जबलपुर	2012-13	46	4433390	46	0	0	4433390	886678
		2013-14	74	8487608	49	25	1723193	6764415	1352883
12	मु.चि. एवं स्वा.अ., सतना	2012-13	47	12834318	22	25	3898343	8935975	1787195
		2013-14	35	7426837	26	9	990513	6436324	1287265
13	मु.चि. एवं स्वा.अ., दमोह	2011-12	6	910563	6	0	0	910563	182113
		2012-13	11	2506743	11	0	0	2506743	501349
		2013-14	31	3195922	22	9	736594	2459328	491866
14	मु.चि. एवं स्वा.अ., शिवपुरी	2012-13	287	3176277	287	0	0	3176277	635255
		2013-14	70	4078543	61	9	601479	3477064	695413
15	मु.चि. एवं स्वा.अ., होशंगाबाद	2012-13	36	6220622	19	17	1894863	4325759	865152
		2013-14	46	5264730	32	14	1711374	3553356	710671
16	सिविल सर्जन, मंडला	2012-13	71	5001334	49	22	1138297	3863037	772607
		2013-14	58	3763004	41	17	687314	3075690	615138
17	सिविल सर्जन, मंदसौर	2012-13	57	6674572	50	7	155458	6519114	1303823
		2013-14	69	3552283	62	7	204505	3347778	669556
		योग	2028	144720662	1718	310	25972108	118748554	23749711

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: कडिका 3.1.3, पृष्ठ 100)

मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण और पंजीयन शुल्क का आरोपण न किये जाने का विवरण

(राशि ₹ में)

स.क्र.	इकाई का नाम	प्रीमियम/ऑफसेट मूल्य	आरोपण योग्य मुद्रांक शुल्क (8%/7.5%/5%)	आरोपण योग्य पंजीयन शुल्क (मुद्रांक शुल्क का 75%)	योग मुद्रांक शुल्क + पंजीयन शुल्क (4+5)	आरोपित मुद्रांक शुल्क	आरोपित पंजीयन शुल्क	मुद्रांक शुल्क/पंजीयन शुल्क का कम आरोपण {6-(7+8)}
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, मंदसौर	22686513	1814921	1361191	3176112	16550	0	3159562
2	कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, सतना	4884613	386856	290142	676998	400	0	676598
3	कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, हरदा	10796000	599925	449950	1049875	0	0	1049875
4	कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जबलपुर	6483438	518672	389006	907678	0	0	907678
5	कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, गुना	10491101	839288	629466	1468754	4850	0	1463904
6	कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, शाजापुर	5366480	427628	320720	748348	1300	0	747048
7	कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, उज्जैन	4647600	371808	278856	650664	2400	0	648264
8	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उज्जैन	11050627	867630	650725	1518355	3720	0	1514635
	योग	76406372	5826728	4370056	10196784	29220	0	10167564

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: कडिका 3.1.4, पृष्ठ 101)

राज्य बीमारी सहायता निधि, 1997 के अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों को स्वीकृत राशि का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	कार्यालय का नाम	अपात्र हितग्राहियों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	मु.चि. एवं स्वा.अ., भोपाल	16	10.21
2	मु.चि. एवं स्वा.अ., दमोह	19	23.05
3	मु.चि. एवं स्वा.अ., डिंडौरी	08	9.25
4	मु.चि. एवं स्वा.अ., छिंदवाड़ा	29	31.37
5	मु.चि. एवं स्वा.अ., नरसिंहपुर	12	11.55
6	मु.चि. एवं स्वा.अ., शिवपुरी	10	6.26
7	मु.चि. एवं स्वा.अ., टीकमगढ़	12	8.81
	योग	106	100.50

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ: कडिका 3.2.2, पृष्ठ 105)

अतिरिक्त मांग प्रभार एवं कम विद्युत कारक शास्ति का परिहार्य भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

स.क्र.	माह/वर्ष	संविदा मांग के व्ही ए में	अधिकतम मांग के व्ही ए में	देयक मांग के व्ही ए में	अधिकतम मांग एवं देयक मांग में अन्तर के व्ही ए में	शास्ति प्रति के व्ही ए	किया हुआ अधिकतम भुगतान	विद्युत कारक समायोजन प्रभार (शास्ति)
1	अगस्त-12	2200	125	1980	1855	300	556500	81998
2	सितम्बर-12	2200	125	1980	1855	300	556500	23554
3	अक्टूबर-12	2200	115	1980	1865	300	559500	0
4	नवम्बर-12	2200	120	1980	1860	300	558000	0
5	दिसम्बर-12	2200	150	1980	1830	300	549000	0
6	जनवरी-13	2200	220	1980	1760	300	528000	0
7	फरवरी-13	2200	41	1980	1939	300	581700	6771
8	मार्च-13	1200	150	1080	930	300	279000	12587
9	अप्रैल-13	1200	165	1080	915	300	274500	17179
10	मई-13	1200	160	1080	920	300	276000	14552
11	जून-13	1200	150	1080	930	300	279000	0
12	जुलाई-13	1200	165	1080	915	300	274500	0
13	अगस्त-13	1200	225	1080	855	300	256500	0
14	सितम्बर-13	1200	405	1080	675	300	202500	0
15	अक्टूबर-13	1200	270	1080	810	300	243000	0
16	नवम्बर-13	1200	150	1080	930	300	279000	0
17	दिसम्बर-13	1200	195	1080	885	300	265500	0
18	जनवरी-14	1200	260	1080	820	300	246000	0
19	फरवरी-14	1200	205	1080	875	300	262500	0
						योग	7027200	156641

परिशिष्ट-3.8

(संदर्भ: कडिका 3.2.2, पृष्ठ 105)

गारंटित न्यूनतम खपत का परिहार्य भुगतान दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	माह/वर्ष	संविदा मांग के व्ही ए में	गारंटित न्यूनतम खपत का प्रत्येक माह भुगतान किया जाना था 50*संविदा मांग = एम. पी.ई.आर.सी. प्रशुल्क 2012-13 के अनुसार गारंटित न्यूनतम खपत	कम्पनी द्वारा गारंटित न्यूनतम खपत देयक दिया गया	महाविद्यालय द्वारा वास्तविक किया गया उपभोग के व्ही एच में	गारंटित न्यूनतम खपत एवं महाविद्यालय द्वारा किये गये वास्तविक उपभोग का अन्तर के व्ही एच में	भुगतान की दर प्रति के व्ही एच	महाविद्यालय द्वारा दिया गया अतिरिक्त भुगतान	अन्य श्रेणी में कम्पनी द्वारा दिया गया गलत बिल
1	अगस्त-12	2200	110000	220000	44625	175375	5.25	920718.8	577500
2	सितम्बर-12	2200	110000	220000	49850	170150	5.25	893287.5	577500
3	अक्टूबर-12	2200	110000	110000	47375	62625	5.33	333791.3	
4	नवम्बर-12	2200	110000	110000	43625	66375	5.31	352451.3	
5	दिसम्बर-12	2200	110000	110000	59000	51000	5.32	271320	
6	जनवरी-13	2200	110000	110000	84550	25450	5.40	137430	
7	फरवरी-13	2200	110000	110000	62700	47300	5.40	255420	
8	मार्च-13	1200	60000	120000	58275	61725	5.40	279315	270000
9	अप्रैल-13	1200	60000	120000	64950	0	0.00	-270000	
10	मई-13	1200	60000	60000	68775			0	
11	जून-13	1200	60000	60000	58425			8331	
12	जुलाई-13	1200	60000	60000	58525			7802	
13	अगस्त-13	1200	60000	60000	68325			0	
14	सितम्बर-13	1200	60000	60000	69600			0	
15	अक्टूबर-13	1200	60000	60000	57900			-5139	
16	नवम्बर-13	1200	60000	60000	54850			0	
17	दिसम्बर-13	1200	60000	60000	75150			0	
18	जनवरी-14	1200	60000	60000	105875			0	
19	फरवरी-14	1200	60000	60000	83350			0	
योग								3184728	

परिशिष्ट-3.11

(संदर्भ: कंडिका 3.2.5, पृष्ठ 109)

अकार्य स्थिति में होना सूचित किये गये उपकरणों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

सरल क्रमांक	उपकरण का नाम	कुल क्रय संख्या	पंचवर्षीय योजना का नाम	क्रय/ प्राप्ति का दिनांक	अकार्य स्थिति में उपकरणों की संख्या	दिनांक जब से अकार्य स्थिति में हैं	वॉरंटी की अवधि	दर	अकार्य स्थिति में उपकरणों की राशि
1.	ऑटो ब्लड गैस एनालाइजर	01	ग्यारहवीं योजना	12.09.2011	01	12.11.2012	3 वर्ष	995000	995000
2.	वेन्टीलेटर	12	ग्यारहवीं योजना	25.09.2011	10	30.10.2012 (4) एवं 12.02.2013 (6)	3 वर्ष	603077	6030770
	योग								7025770

परिशिष्ट-3.12

(संदर्भ: कडिका 3.2.5, पृष्ठ 109)

मार्च 2014 की स्थिति में निर्धारित/स्वीकृत तथा कार्यरत मानव-शक्ति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

टी.सी.सी. का नाम/प्रकार		विशेषज्ञ	चिकित्सा अधिकारी	पैरा-मेडीकल स्टाफ	अन्य स्टाफ
उज्जैन (पायलट परियोजना)	निर्धारित	9	—	—	—
	स्वीकृत	3	5	6	3
	कार्यरत	1	निरंक	निरंक	1
	कमी ¹ (प्रतिशत)	6 (67)	—	—	—
	कमी ² (प्रतिशत)	2 (67)	5 (100)	6 (100)	2 (67)
रतलाम (पायलट परियोजना)	निर्धारित	9	—	—	—
	स्वीकृत	3	5	10	निरंक
	कार्यरत	1	2	2	निरंक
	कमी (प्रतिशत)	6 (67)	—	—	—
	कमी (प्रतिशत)	2 (67)	3 (60)	8 (80)	—
इन्दौर (पायलट परियोजना)	निर्धारित	9	—	—	—
	स्वीकृत	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	कार्यरत	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	कमी (प्रतिशत)	9 (100)	—	—	—
	कमी (प्रतिशत)	—	—	—	—
ग्वालियर (स्तर-II)	निर्धारित	9	8	67	15
	स्वीकृत	8	19	46	3
	कार्यरत	निरंक	14	39	1
	कमी (प्रतिशत)	1 (11)	—	21 (31)	12 (80)
	कमी (प्रतिशत)	8 (100)	5 (26)	7 (15)	2 (67)
शिवपुरी (स्तर-II)	निर्धारित	9	8	67	15
	स्वीकृत	3	5	10	निरंक
	कार्यरत	2	निरंक	10	निरंक
	कमी (प्रतिशत)	6 (67)	3 (38)	57 (85)	15 (100)
	कमी (प्रतिशत)	1 (33)	5 (100)	निरंक	—

¹ निर्धारित पदों के विरुद्ध स्वीकृत पद

² स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शक्ति